FOR REFERNCE ONLY.

NOT TO BE ISSUED

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

छठा सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
No. 51
Date 21/9/2001

(खण्ड 16 में अंक 22 से 31 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी. सी. चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डा. राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

उर्वशी वर्मा
सहायक सम्पादक

गोपाल सिंह चौहान
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।

विषय सूची

त्रयोदश माला, खंड 16, छठा सत्र, 2001/1923 (शक)

अंक 24, बुधवार, 18 अप्रैल, 2001/28 चैत्र, 1923 (शक)

विषय	कालम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 441 से 444	2-27
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 445 से 460	28-53
अतारांकित प्रश्न संख्या 4565 से 4794	53-313
सभा पटल पर रखे गए पत्र	313-316
वित्तीय समितियां—एक समीक्षा	316
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	
ग्यारहवां और बारहवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश	316-317
सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति	
चौबीसवां प्रतिवेदन	317
विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति	
पांचवां प्रतिवेदन	317
वित्त संबंधी स्थायी समिति	
दसवां, ग्यारहवां और बारहवां प्रतिवेदन	317-318
गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति	
सत्तरवां प्रतिवेदन	318
गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति	
साक्ष्य	318
विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति	
चौरासीवां, पचासीवां, छियासीवां और सतासीवां प्रतिवेदन	319

---

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

नियम 377 के अधीन मामले 319-328

(एक) उड़ीसा में क्योंझर जिले के चम्पुआ, तिलकोई और ढेंकीकोट में कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर लगाए जाने की आवश्यकता

श्री अनन्त नायक 319-320

(दो) पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में पेयजल की गम्भीर समस्या के समाधान के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्रीमती जसकौर मीणा 320

(तीन) राजस्थान के अलवर रेलवे स्टेशन पर और अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

डा. जसवंत सिंह यादव 321

(चार) हरियाणाा में ओलावृष्टि से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने हेतु राज्य सरकार को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री रतन लाल कटारिया 321

(पांच) उत्तर प्रदेश में कानपुर के पनकी रेलवे स्टेशन पर और अधिक रेल सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री श्याम बिहारी मिश्र 321-322

(छह) उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में वनभूमि पर कृषि करने वाले अनुसूचित जातियों के लोगों को पट्टा अधिकार प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री राम शकल 322

(सात) उड़ीसा के ढेंकानाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल की भीषण समस्या के समाधान हेतु जल परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

श्री के. पी. सिंह देव 322-323

(आठ) बिहार के बेगूसराय संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में शेखपुरा में सैनिक स्कूल खोले जाने की आवश्यकता

श्री राजो सिंह 323

(नौ) किसानों को ऋण प्रदान करने के लिए जिला सहकारी बैंक मैसूर, कर्नाटक को पर्याप्त धनराशि मंजूर करने की आवश्यकता

श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार 323-324

(दस) कर्नाटक में आलू और प्याज के उत्पादकों के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री आर. एस. पाटील 324

(ग्यारह) आन्ध्र प्रदेश में हथकरघा बुनकरों की दशा में सुधार करने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

डा. मन्दा जगन्नाथ 324-325

(बारह) उत्तर प्रदेश के चित्रकूट और बांदा जिलों में ओलावृष्टि और सूखे से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री राम सजीवन 325

(तेरह) केन्द्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए गृह नगर अवकाश यात्रा रियायत बहाल किए जाने की आवश्यकता

श्री डी. वेणुगोपाल 325-326

(चौदह) बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में क्रीक सिंचाई पुनः शुरू करने के लिए उड़ीसा सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रभात सामन्तराय 326

(पन्द्रह) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा बिहार में वैशाली में उत्खनन कार्य को पूरा किए जाने की आवश्यकता

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह 327-328

लोक सभा

बुधवार, 18 अप्रैल, 2001/28 चैत्र, 1923 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सं. 441. श्री विवेकानन्द रेड्डी।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : बंगलादेश में हमारे जवानों ने कुर्बानी देकर स्वतंत्रता में योगदान दिया।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अभी जीरो ऑवर नहीं है, आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही–वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अभी नहीं, आप इसे शून्य काल के दौरान उठा सकते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री रघुनाथ झा, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। मैं बोल रहा हूं।

(व्यवधान)

*कार्यवाही–वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही–वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने यह पहले ही कह दिया है कि कार्यवाही–वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए। श्री विवेकानन्द रेड्डी।

*(व्यवधान)**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की यात्रा

[अनुवाद]

+
*441. **श्री वाई. एस. विवेकानंद रेड्डी :**
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने भारत और पाकिस्तान दोनों देशों की अपनी हाल की यात्रा के दौरान कश्मीर में संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप की संभावना से इन्कार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर पाकिस्तान के सैनिक शासन की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) उनके साथ भारतीय नेताओं ने जिन मुद्दों पर बातचीत की, उनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसका क्या परिणाम निकला?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (घ) एक वक्तव्य सदन की मेज पर रख दिया गया है।

विवरण

10 मार्च, 2001 को इस्लामाबाद में प्रेस को दिए एक वक्तव्य में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने जम्मू और कश्मीर तथा संगत संकल्पों के क्रियान्वयन में संयुक्त राष्ट्र की मंशा से सम्बद्ध प्रश्नों के प्रत्युत्तर में अन्य बातों के साथ–साथ यह कहा, चूंकि ये संकल्प अध्याय–सात

*कार्यवाही–वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

के अंतर्गत नहीं हैं इसलिए ये अपने आप में बाध्यकारी नहीं हैं। "और, इसलिए, दोनों पक्षों का सहयोग, इन मुद्दों पर दोनों पक्षों के बीच चर्चा और एक शान्तिपूर्ण समाधान की खोज ऐसा मार्ग है जिसकी मैंने सिफारिश की है"।

पाकिस्तान की सरकार ने अपने उसी रवैये को दोहराया।

15 से 18 मार्च, 2001 तक संयुक्त राष्ट्र महासचिव की भारत यात्रा के दौरान भारतीय नेताओं के साथ अनेक मुद्दों पर चर्चा हुई थी। इनमें विकास के लिए वित्त–पोषण पर आगामी सार्वभौम सम्मेलन, आतंकवाद, व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि, संयुक्त राष्ट्र महा सभा का सुधार और पुनर्गठन और स्थायी सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी, तालिबान के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के प्रतिबंधों का क्रियान्वयन, लोकतंन्त्र और रंगभेद के विरुद्ध विश्व सम्मेलन शामिल हैं।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव की इस यात्रा से प्राथमिकताओं और उद्देश्यों पर बल देने का अवसर प्राप्त हुआ। हमने संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख उद्देश्यों अर्थात् शांति, सामूहिक सुरक्षा और विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, नाभिकीय निरस्त्रीकरण और विकास के क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र के और अधिक सक्रिय होने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी : महोदय, विवरण में यह उल्लिखित है कि महासचिव, संयुक्त राष्ट्र ने स्पष्ट रूप से कहा है कि "चूंकि ये संकल्प अध्याय VII के अंतर्गत नहीं थे, इसलिए ये स्वतः लागू होने वाले नहीं हैं। और इसलिए मैं सिफारिश करता हूं कि इन मुद्दों पर विचार विमर्श करने वाले दो पक्षों के बीच सहयोग तथा शांतिपूर्ण समाधान निकालना ही उचित उपाय है।" इस संबंध में, मैं जानना चाहता हूं कि इसके मद्देनजर क्या भारत सरकार का संयुक्त राष्ट्र से यह आग्रह करने का विचार है कि 1948 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा पारित संकल्पों को रद्द कर दिया जाए अथवा वापस ले लिया जाए ताकि पाकिस्तान को इस विवाद के एक पक्ष के रूप में हटाया जा सके।

अध्यक्ष महोदय : श्री रेड्डी आप और निकट आ सकते हैं।

श्री जसवंत सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव द्वारा अपने हाल के पाकिस्तान–नेपाल और भारत के दौरे के दौरान दिए गए वक्तव्य पर बिल्कुल सही टिप्पणी की है। जहां तक इस विषय पर संयुक्त राष्ट्र संकल्प का संबंध है, यह सरकार का दृष्टिकोण है और देश का दृष्टिकोण है कि समय और घटनाएं इन संकल्पों को पार कर चुकी हैं। चूंकि ये अध्याय–VII के अंतर्गत अनिवार्य नहीं हैं इसलिए उनके कार्यान्वयन पर महासचिव ने स्वयं टिप्पणी की है। इसके अतिरिक्त और अत्यधिक महत्वपूर्ण यह है ये संकल्प 1972 के शिमला समझौते और 1999 के लाहौर घोषणा–पत्र से अधिक्रमित हो गए हैं जो भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंधों का आधार हैं।

श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी : महोदय, 1948 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा पारित संकल्प में पाकिस्तान इस विवाद के एक पक्ष के रूप में सम्मिलित था। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं कि वह संयुक्त राष्ट्र पर 1948 के संकल्प को वापस लेने अथवा इसे रद्द करने के लिए दबाव डाले ताकि इस विवाद के पक्ष के रूप में कश्मीर के लोग और भारत सरकार हो परन्तु पाकिस्तान नहीं।

अध्यक्ष महोदय : यह वही प्रश्न है।

श्री जसवंत सिंह : महोदय, मैं इस संबंध में माननीय सदस्य के दृष्टिकोण की प्रशंसा करता हूं। लेकिन जैसा कि मैंने उनके प्रथम प्रश्न के उत्तर में स्पष्ट किया, संकल्प 1948 में पारित किया गया था तथा अब अन्य घटनाओं के कारण वह अधिक्रमित हो गया है। सिद्धान्ततः उसकी जगह संधि दस्तावेज के रूप में 1972 और 1999 के क्रमशः शिमला समझौता और लाहौर घोषण–पत्र हैं जो भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंधों का आधार हैं।

श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा : महोदय, संयुक्त राष्ट्र महासचिव के इस कथन के मद्देनजर जो स्पष्ट करता है कि संयुक्त राष्ट्र को जम्मू एवं कश्मीर में कोई भूमिका अदा नहीं करनी है मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान को दूसरा मौका देंगे तथा मंत्री स्तर पर सीधे बातचीत शुरू करेंगे अथवा वे पाकिस्तान के वर्तमान शासक से प्रत्यक्ष संपर्क कायम करेंगे ताकि पहले की घटनाओं को भुलाकर दोनों के बीच नए सिरे से संबंध शुरू हो सकें।

श्री जसवंत सिंह : महोदय, वस्तुतः प्रश्न संयुक्त राष्ट्र महा सचिव के दौरे से संबंधित है। परन्तु माननीय सदस्य ने यह प्रश्न भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंधों के विषय में पूछा है। बेहतर होगा यदि इस पर अलग से विचार किया जाए।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, महासचिव जी की यात्रा के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है लेकिन शिमला समझौते के बारे में जो कहा गया है उसके बारे में मुझे कहना है। अभी माननीय के. सी. पंत साहब ने पाकिस्तान के साथ अच्छे रिश्ते बनाने के काम की जिम्मेदारी ली है, अच्छा काम है। अगर ऐसा होता है तो हम उसका स्वागत करेंगे क्योंकि दोनों देशों के रिश्ते अच्छे हों, यह दोनों ही देशों के हित में है। मिलिटेंट्स के साथ जो माननीय के. सी. पंत साहब की बात हुई है, तो क्या मिलिटेंट्स

के माध्यम से आप पाकिस्तान को कुछ संदेशा भेजेंगे—यह स्पष्ट रूप से देश के लोगों के सामने आना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी, प्रश्न सैक्रट्री जनरल कौफी अन्नान की विजिट के बारे में था, उसी पर प्रश्न पूछिये।

श्री मुलायम सिंह यादव : अभी जैसा माननीय मंत्री जी द्वारा कहा गया था कि हम शिमला समझौते के ऊपर कायम हैं, लेकिन मिलिटेंट्स से जो बातचीत हो रही है तो उसके माध्यम से पाकिस्तान कोई संदेशा जा रहा है या उसके माध्यम से हिंदुस्तान संदेशा आ रहा है। क्या कोई त्रिपक्षीय वार्ता का प्रस्ताव है? बात सीधे—सीधे मिलिटेंट्स से हो जाए तो अच्छी बात है।

श्री जसवंत सिंह : अध्यक्ष जी, यह प्रश्न अपने आप में महा सचिव महोदय की यात्रा से सीधा जुड़ा हुआ न होते हुए भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए मैं प्रयत्न करूंगा कि माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर दूं। जैसा कि ऐलान किया गया है कि जो वार्ता होगी वह सभी गुटों से मानवीयता के आधार पर होगी।

माननीय सदस्य ने जानना चाहा कि क्या त्रिपक्षीय वार्ता का कोई प्रस्ताव है? मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि त्रिपक्षीय वार्ता का कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने यह भी जानना चाहा कि हम क्या संदेश भेजना चाहते हैं? मैं सोचता हूं कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने जितनी इसमें पहल की है और जो—जो कदम उठाए, उनमें एक ही संदेश है और वह मानवीयता और शांति का है। अभी जो बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ है, उसमें सभी गुटों को आमंत्रित किया गया हैं उसमें निहित यही संदेश है। हम अपेक्षा करते हैं कि हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान इस संदेश को सही समझेगा और शांति के रास्ते पर चलेगा।

श्री मोहन रावले : अध्यक्ष महोदय, 15 से 18 मार्च, 2001 में आपने यू. एन. सैक्रेटरी जनरल कॉफी अन्नान जी के साथ टैरारिज्म पर बातचीत की। जब अमेरिका के राष्ट्रपति श्री बिल क्लिंटन भारत आये थे तो यहां कई लोगों की हत्या हुई लेकिन हम पाकिस्तान को टैरारिस्ट राष्ट्र घोषित करने में कामयाब नहीं हुए। दो—चार दिन पहले अखबार में आया कि आई. सी. 814 का जब अपहरण हुआ उसमें पाकिस्तानी मिनिस्टर शामिल था और उसे नेपाल में गिरफ्तार किया गया था। जिस तरह हमारे जवान हर रोज मारे जा रहे हैं, कल चार जवान मारे गये और कैप्टन मारे जा रहे हैं, उसके बारे में हमारी सरकार की क्या नीति है? जैसे इस्राइल कदम उठाती है,...*(व्यवधान)* क्या वैसे ही ठोस कदम यहां भी उठाए जाएंगे? पाकिस्तान हर रोज हमारे जवानों को मार रहा है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप कौन—सा अनुपूरक प्रश्न पूछ रहे हैं? यह प्रश्न संयुक्त राष्ट्र महासचिव के भारत और पाकिस्तान दौरे से संबंधित है लेकिन आप इस्राइल और दूसरे विषयों के बारे में पूछ रहे हैं। यह क्या है?

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : टैरारिस्ट राष्ट्र घोषित करने की क्या भारत सरकार ने कोई योजना बनाई है? कल बंगलादेश पर भी हमला हुआ है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको उपयुक्त अनुपूरक प्रश्न पूछना है। मैं कैसे आपको अनुमति दे सकता हूं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है? हमें अधिक से अधिक प्रश्नों को लेना है।

[हिन्दी]

सरदार बूटा सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी के बयान में यू. एन. सैक्रेटरी जनरल का भारत और पाकिस्तान में जो विजिट हुआ, उसके दो अंश प्रमुख हैं—एक तो उनका बयान पाकिस्तान में जम्मू—कश्मीर के बारे में जो यू. एन. का पुराना प्रस्ताव है, उसके बारे में है। दूसरा इंटरनेशनल टैरारिज्म के बारे में है। मैं माननीय मंत्री जी से इन दोनों के बारे में प्रश्न पूछना चाहता हूं। पाकिस्तान ने यू. एन. सैक्रेटरी जनरल के बयान के तुरन्त बाद अपना पक्ष स्पष्ट करके कड़े शब्दों में यू. एन. रैजोल्यूशन के इंटरप्रेट किया लेकिन इस बारे में भारत सरकार ने चुप्पी साधी। पिछले पचास वर्षों में पाकिस्तान ने भारत पर कई आक्रमण किए और जम्मू—कश्मीर तथा पंजाब में आतंकवाद को बढ़ावा दिया। हमें उसके बारे में कुछ कहना चाहिए था लेकिन हमने अभी तक यू. एन. सैक्रेटरी जनरल के विजिट के संबंध में कुछ नहीं कहा। इस बारे में भारत सरकार का क्या स्पष्टीकरण है? अभी दो दिन पहले पाकिस्तान के आई. एस.आई. के फॉर्मर डायरैक्टर जो आजकल पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारों के अध्यक्ष हैं उन्होंने खुल आम समाचार पत्रों और टेलिविजन में कहा कि भारत में खालिस्तान का निर्माण करने के लिए आई.एस. आई. और पाकिस्तान खुले तौर पर खालिस्तानियों की मदद करेगा।

शायद उसी के फलस्वरूप बहुत से नोन खालिस्तानी इंटरनेशनल पंजाब में सरैंडर करते आ रहे हैं। क्या यह उसी की कड़ी है? क्या भारत सरकार इसके ऊपर निगाह रख रही है? यदि हां तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

श्री जसवंत सिंह : अध्यक्ष महोदय, सभी प्रश्न श्री कॉफी अन्नान साहब की विजिट से संबंधित हों। माननीय सदस्य अन्य पहलुओं को उस यात्रा से जोड़कर अन्य प्रश्न पूछें तो मैं समझ सकता हूं। माननीय बूटा सिंह जी ने जानना चाहा कि कॉफी अन्नान जी की यात्रा के दौरान क्या आतंकवाद पर बातचीत हुई? मैं बताना चाहता हूं कि जी हां, बहुत विस्तृत बातचीत हुई। उनसे पाकिस्तान के बारे में बातचीत हुई और वहां पनपते आतंकवाद को जो आतंकवाद को सहारा देते हैं, उस पर बातचीत हुई। अफगानिस्तान के बारे में बातचीत हुई। वृहद रूप से आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद जिस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन रहा है उस पर भी खुलकर बातचीत हुई है और विशेषकर अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान किस प्रकार से आतंकवाद का एक केन्द्र या ध्रुव बन चुका है, इस बारे में खुलकर बातचीत हुई है।

अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य के प्रश्न के दूसरे पहलू में पाकिस्तान के किसी आफिसर के कथित वक्तव्य का उल्लेख करके हमसे पूछना चाहा है। मैं अभी उस वक्तव्य पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा क्योंकि सूचना का अधिकृत मूल मेरे पास यहां नहीं है। जहां तक पूर्वी पंजाब का प्रश्न है, पाकिस्तान क्या करता है, उसने पहले वहां क्या किया, माननीय सदस्य उससे पूर्णतया परिचित हैं। माननीय सदस्य उन दिनों एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद पर आसीन रहे हैं और उन्हें इस बात की पूरी जानकारी है। आजकल क्या हो रहा है, इस बारे में मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त कर दूं कि सरकार पूरी तरह से सचेत है और उस संबंध में सही कदम उठा रही है।

श्री किरीट सोमैया : माननीय अध्यक्ष जी, यूनाइटेड नेशन्स के सैक्रेटरी जनरल के साथ में जो विकास के लिए वित्त पोषण पर आगामी विश्वस्तरीय सम्मेलन के संबंध में डब्ल्यू. टी. ओ. द्वारा डेवलपिंग कंट्रीज के साथ ठीक तरह से ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, क्या उस संबंध में कोई चर्चा हुई? साथ ही उसके संबंध में पाकिस्तान के जनरल परवेज मुशर्रफ ने स्टेटमेंट दिया है "वे चाय पीना चाहते हैं तथा वे प्रधान मंत्री अटल जी से मुलाकात करना चाहते हैं।" *[हिन्दी]* उस पर सरकार की क्या राय है?

श्री जसवंत सिंह : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य द्वारा पूछे गये प्रश्न के दो पहलू हैं। पहला यह है कि यूनाइटेड नेशन्स के डेवलेपमेंट के पहलू की जिम्मेदारी उससे जुड़ी हुई है, क्या श्री कॉफी अन्नान से इस संबंध में बातचीत हुई है? यदि माननीय सदस्य वक्तव्य को देखेंगे तो उससे स्पष्ट प्रतीत होगा कि भारतवर्ष का यह शुरू से ही विचार रहा है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने यू. एन. ओ. में कई बार इसको दोहराया है और मुझे भी कहने का अवसर मिला है। हम इस मत के हैं कि यू. एन. की जिम्मेदारियों में डेवलपमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। डेवलपमेंट से जुड़े हुए प्रश्नों में डब्ल्यू. टी. ओ. ग्लोबलाइजेशन और उससे उत्पन्न परिस्थितियां या समस्यायें हैं, उन पर भी चर्चा हुई है।

माननीय सदस्य ने पूछना चाहा है कि पाकिस्तान के चीफ एक्जीक्यूटिव जनरल परवेज़ मुशर्रफ प्रधान मंत्री श्री वाजपेयी जी के साथ एक कप प्याला चाय पीना चाहते हैं। हमने चाय के बारे में कभी मना नहीं किया है। हमने चाय पीने के बारे में यह कहा है कि अगर वे चाय पीना चाहते हैं तो चाय पीने के लिए एक सही वातावरण होना चाहिए और उस वातावरण को तैयार करने में वे जरूर पहल करें।

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन : हाल ही में, पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती बेनजीर भुट्टो ने प्रेस में बयान दिया कि विचार–विमर्श के दौरान पाकिस्तान ने कभी भी वास्तविक नियंत्रण–रेखा (एल. ओ. सी.) को स्वीकार नहीं किया, तथा शिमला समझौते में भी ऐसी स्थिति पर चर्चा नहीं की गई तथा न ही इसे स्वीकार किया गया। यह पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण है। अब वर्तमान सैनिक शासक भी वास्तविक नियंत्रण रेखा को स्वीकार नहीं करते हैं। वस्तुस्थिति क्या है? क्या हम सीमा की स्थिति का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं अथवा वास्तविक नियंत्रण रेखा से संबंधित विवाद पर चर्चा की जा रही है?

श्री जसवंत सिंह : पुनः माननीय सदस्य का प्रश्न संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के दौरे से हट गया है, परन्तु चूंकि प्रश्न महत्वपूर्ण है तथा क्योंकि यह नियंत्रण रेखा से संबंधित है, मुझे माननीय सदस्य को जवाब देना चाहिए। मैं पाकिस्तान के पूर्व प्रधान मंत्री मोहात्रिमा बेनजीर भुट्टो के बताए हुए कथन का उल्लेख नहीं करूंगा। मेरे पास इसका मूल पाठ नहीं है। मुझे माननीय सदस्य को तथा महोदय आपके माध्यम से सदन को सूचित करना चाहिए कि नियंत्रण–रेखा वास्तव में एक संधि पत्र है। यह शिमला समझौते का एक अंग है। नियंत्रण रेखा की वैधता पर प्रश्न उठाने का अधिकार हर किसी को नहीं है।

नियंत्रण रेखा संबंधी दस्तावेज लंबी वार्ता के बाद तैयार किया गया था। मानचित्र पर प्रत्येक पहाड़ी चोटी, पर्वतस्कंध, छोटा नाला और नदी का निरूपण किया गया है। मैं मानचित्रों की संख्या में नहीं पड़ता। इन मानचित्रों पर भारत और पाकिस्तान दोनों के अधिकृत

प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। हमारे दृष्टिकोण में नियंत्रण–रेखा विश्वास पैदा करने वाला उपाय है। नियंत्रण–रेखा के बारे में प्रश्न उठाने का अर्थ है दोनों देशों के बीच विश्वास पैदा करने वाले उपायों पर प्रश्नचिन्ह लगाना जो एक ऐसा कदम है जिसकी न तो हम वकालत करते हैं और न ही स्वीकार करते हैं। 1972 के एक संधि पत्र के रूप में नियंत्रण रेखा की हमारे मन में विश्वास–निर्मात्री संगतता बनी हुई है और भारत इसका पालन करता है। यदि माननीय सदस्य याद करें तो 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान प्रधान मंत्री के नेतृत्व में सरकार की आरम्भिक मांग यह थी कि पाकिस्तान नियंत्रण रेखा की वैधता की फिर से पुष्टि करे। सरकार स्पष्ट रूप से और निश्चित रूप से इसका समर्थन करती है।

श्री आर. एल. भाटिया : महोदय, संयुक्त राष्ट्र के महा सचिव ने विदेश मंत्री से अच्छी–खासी चर्चा की तथा माननीय विदेश मंत्री जी ने अपने विवरण में उन क्षेत्रों का उल्लेख किया है जिन पर चर्चा हुई थी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उनके साथ सीमा–पार आतंकवाद के बारे में भी चर्चा हुई तथा इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? क्योंकि सीमापार से आतंकवाद ने इस क्षेत्र में तनाव उत्पन्न किया है। भारत ने अपनी ओर से उनसे बातचीत करने का प्रयास किया है यदि वे सीमापार के आतंकवाद को बंद कर दें। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस संबंध में अवरोध समाप्त करने के लिए उन्होंने कोई सुझाव दिया?

श्री जसवंत सिंह : महोदय, माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए इस प्रश्न के दो पहलू हैं। मैं दूसरे भाग का जवाब पहले दूंगा जिसमें यह अंतर्निहित है कि मानो हमने भारत और पाकिस्तान के बीच वार्ता शुरू करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव से मध्यस्थ की किसी प्रकार की भूमिका निभाने के लिए कहा। मेरा जवाब है नहीं। मैं संयुक्त राष्ट्र महासचिव के लिए ऐसी कोई भूमिका नहीं देखता। मैंने यह मुद्दा नहीं उठाया तथा उनके लिए ऐसी किसी भूमिका का प्रस्ताव नहीं किया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अथवा संयुक्त राष्ट्र संघ अथवा किसी अन्य के लिए इस संबंध में भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने का कोई प्रश्न नहीं है। दो दस्तावेज–1972 का शिमला समझौता तथा 1999 का लाहौर घोषणा–पत्र आधार हैं जिन पर हमारा संबंध आधारित है।

महोदय, जहां तक सीमा–पार आतंकवाद का संबंध है, मैं कहना चाहता हूं कि जी हां, इस पर चर्चा की गई थी। आतंकवाद के वृहत्तर पहलू जैसा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की घटनाओं से स्पष्ट है शिष्टमंडल और व्यक्तिगत दोनों ही स्तर पर व्यापक विचार–विमर्श किया गया।

श्री आर. एल. भाटिया : मेरा प्रश्न कभी भी यह नहीं था कि महासचिव इसमें भूमिका निभाएं। मेरा प्रश्न यह था कि सीमा–पार के आतंकवाद ने इस क्षेत्र में तनाव उत्पन्न कर दिया है तथा क्या वे इस संबंध में गंभीर हैं तथा क्या माननीय मंत्री जी ने उन्हें कोई सुझाव दिया तथा क्या संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने इसकी प्रशंसा की।

श्री जसवंत सिंह : महोदय, महासचिव इस घटनाक्रम को गंभीरता से लेते हैं तथा इस मामले से पूर्णतः भिज्ञ हैं।

अफगानिस्तान में बौद्ध-प्रतिमाओं का तोड़ा जाना

\+

***442. श्री योगी आदित्यनाथ :**
श्री श्रीनिवास पाटील :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अफगानिस्तान के तालिबान मिलीशिया ने वहां के बामियान प्रान्त स्थित बौद्ध–प्रतिमाओं को तोड़ दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत सरकार ने इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ सहित विभिन्न देशों के समक्ष उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (घ) एक वक्तव्य सदन की मेज पर रख दिया गया है।

विवरण

26 फरवरी, 2001 को इस डिक्री के जारी होने के बाद कि अफगानिस्तान में सभी मूर्तियों को नष्ट कर दिया जाए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तालिबान से मानव समाज की सम्पदा इन ऐतिहासिक कलात्मक कृतियों को नष्ट न करने का अनुरोध किया गया। बामियान में बुद्ध की मूर्तियों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया था। तालिबान मिलीशिया ने अन्तर्राष्ट्रीय राय और अनुरोधों को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया और निश्चित अवधि के भीतर सांस्कृतिक विध्वंस के इस कृत्य को पूरा किया।

27 फरवरी, 2001 को जारी एक वक्तव्य में सरकार ने तालिबान डिक्री की भर्त्सना की और उससे बामियान बौद्ध और अन्य सभी अवशेषों की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। 2 मार्च, 2001 को विदेश मंत्री ने संसद के दोनों सदनों में एक वक्तव्य दिया जिसमें उन्होंने अन्य बातों के साथ–साथ इन कलावस्तुओं को अफगान लोगों के लिए सुरक्षित रखने के लिए भारत ले आने का

प्रस्ताव किया। उसी दिन संसद के दोनों सदनों ने इस बर्बरता पूर्ण कार्यवाही की निंदा करते हुए एकमत से प्रस्ताव पारित किए।

सरकार ने इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उठाया। प्रधान मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के स्थायी सदस्यों, संयुक्त राष्ट्र महासचिव और अन्य देशों के साथ-साथ भूटान, जापान, श्रीलंका, लाओ लोकतांत्रिक जन गणराज्य, मंगोलिया जैसे बौद्ध बहुल जनसंख्या वाले देशों के शासनाध्यक्षों सहित अनेक शासनाध्यक्षों को पत्र लिखे जिनमें यह अनुरोध किया गया था कि इस घृणित कार्य के विरोध में मानवता के प्रति एक होकर आवाज उठाई जाए और तालिबान को सही रास्ता दिखाया जाए।

भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अन्य सदस्यों के साथ मिल कर बामियान बौद्ध और अफगानिस्तान की इस्लाम से पूर्व की कला की अन्य अभिव्यक्तियों के विनाश पर एक संकल्प रखा जो 9 मार्च, 2001 को पारित हुआ। इसं संकल्प में अफगानिस्तान से मांग की गई कि वह अफगानिस्तान की सांस्कृतिक विरासत की विध्वंस, क्षति और चोरी के सभी कृत्यों से रक्षा करने की अपनी पिछली वचनबद्धताओं का पालन करे।

तालिबान की इस सैनिक कार्यवाही की अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक निन्दा हुई थी। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव, यूनेस्को के महा निदेशक, यूरोपीय संघ और अनेक मुस्लिम देशों ने तालिबान सैनिकों की कटु आलोचना की थी। प्रधान मंत्री की हाल की ईरान यात्रा के दौरान ईरान के इस्लामिक गणराज्य के राष्ट्रपति ने तालिबान की कार्यवाहियों की भर्त्सना करते हुए कहा कि उन्होंने इस्लाम के नाम पर धब्बा लगाया है।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अफगानिस्तान के बामियान प्रान्त में तालिबान मिलीशिया ने प्राचीन बुद्ध प्रतिमाओं का जिस ढंग से ध्वंस किया था, निश्चित ही वह केवल अफगानिस्तान में बुद्ध की प्रतिमा का ही ध्वंस नहीं हुआ, जिसे हिंदू विष्णु का अवतार और बौद्ध परम निर्वाण ईश्वर मानते हैं। महोदय, हम इस घटना के लिए भले ही तालिबान को दोषी ठहराएं, लेकिन वहां तो हर समय हिन्दू धर्म, हिन्दू जाति और हिन्दुस्तान का घोर अपमान किया जाता है, चाहे पृथ्वीराज चौहान की समाधि से जुड़ा हुआ मामला हो, चाहे हिन्दुओं के घोर नरसंहार से जुड़ा हिन्दुकुश पर्वत हो। मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह कहा है कि उन प्राचीन कलाकृतियों को सुरक्षित रखने के लिए भारत सरकार ने तालिबान से आग्रह किया है। अब तक इस संबंध में क्या प्रयास हुए हैं और कब तक उन कलाकृतियों के जो अवशेष बचे हुए हैं, उनको भारत वापस लाया जा सकता है?

श्री जसवंत सिंह : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने अपने मूल प्रश्न का दायरा कुछ बढ़ाने का प्रयत्न किया है परन्तु जो वास्तव में इसका बिन्दु है, बामियान में बुद्ध की प्रतिमाओं को सुरक्षित रखने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रस्ताव था, निश्चित रूप से मैंने अपने बयान में भी कहा था कि यदि तालिबान के अधिकारी इन मूर्तियों और अवशेषों को अफगानिस्तान में नहीं रखना चाहते हैं तो क्योंकि ये अपने आप में समूचे मानव समाज की धरोहर हैं इसलिए हम इन्हें भारत में लाकर सुरक्षित रखने के लिए तैयार हैं परंतु जैसा अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रयत्नों के उपरान्त और हमारे बयान के बावजूद माननीय सदस्य को शायद ज्ञान है कि अब वह मूर्तियां नहीं रही हैं और बामियान की वह बुद्ध की प्रतिमाएं जो अफगानिस्तान में इतनी सदियों से थीं अब शायद कोई दूसरा सवेरा या सूर्योदय नहीं देखेंगी।

योगी आदित्यनाथ : महोदय, काबुल स्थित म्यूजियम में अभी भी ढेर सारी बुद्ध प्रतिमाएं और हिन्दू संस्कृति से जुड़े प्रतीक हैं। मेरा मतलब उन प्रतीकों से था जो हिन्दू संस्कृति के प्रतीक अभी भी काबुल के म्यूजियम में हैं।

मेरे प्रश्न का दूसरा भाग है कि संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक संस्था यूनैस्को ने उन कलाकृतियों के विध्वंस के विरुद्ध एक सख्त दंडात्मक कानून बनाने की मांग की है। क्या भारत सरकार इससे अवगत है? अगर हां, तो भारत सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

श्री जसवंत सिंह : जहां तक यूनैस्को के बारे में कहा, कानून तो नहीं कहा जाएगा पर करार जरूर होते हैं। पहले भी हैं आगे भी रहेंगे। उसमें भारत उनका समर्थक है। काबुल के संग्रहालय में जो बौद्ध व अन्य प्रतिमाएं व अवशेष हैं, जो जानकारी अभी तक हमें उपलब्ध है, तालिबान के अधिकारियों का जो ईडिक्ट था, समूचे अफगानिस्तान में जहां भी इस प्रकार की मूर्तियां हों, चाहे वह संग्रहालय में भी हों, उन सबको तोड़ा जाएगा। जैसा माननीय सदस्य जानते हैं कि भारत तालिबान को रिकॉग्नाइज़ नहीं करता। हम जनाब बुरहानुद्दीन रब्बानी साहब की सरकार को अफगानिस्तान की सही सरकार समझते हैं। काबुल में अभी भारत की कोई ऐम्बैसी नहीं है इसलिए मैं अधिकृत रूप से नहीं कह सकता कि वहां अभी कितना बचा हुआ है और कितना नहीं है।

[अनुवाद]

श्रीमती कृष्णा बोस : माननीय अध्यक्ष महोदय, दिए गए उत्तर से मैं देख रही हूं कि सरकार ने भरसक प्रयत्न किए। उन्होंने इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाया। प्रधान मंत्री ने कई शासनाध्यक्षों और संयुक्त राष्ट्र के स्थाई सदस्यों को लिखा किन्तु

हमारे सभी प्रयत्न व्यर्थ गए। हम तालिबान को इस तोड़फोड़ से रोक नहीं सके।

अब मेरा प्रश्न है कि : इसके बाद क्या होगा? क्या सरकार ने इस विध्वंस के बाद कुछ किया? मेरा मतलब यह है क्या उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर दबाव डाला ताकि अफगान और दूसरे देशों के रूढ़िवादियों को प्रोत्साहन न मिले? हालांकि सम्पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इसकी निंदा की किंतु उन्होंने वही किया, जो उन्हें करना था।

क्या इसके बाद कोई कार्यवाही की गई ताकि ऐसा ना हो, क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे दूसरे पड़ोसी देशों में हमारी सांस्कृतिक विरासत अभी भी विद्यमान है। लाहौर में बहुत ही समृद्ध संग्रहालय है। इसलिए, हमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर दबाव बनाए ही रखना होगा। क्या उन्होंने ऐसा किया था? उन्होंने इसे एक बेकार मुद्दा मानकर छोड़ दिया। अब मूर्तियां पूरी तरह तोड़ दी गई हैं।

श्री जसवंत सिंह : महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य जानते ही हैं कि अफगान से संबंधित संयुक्त राष्ट्र परिषद संकल्प 1333 का भारत भी सह–प्रायोजक है जो अफगानिस्तान, तालिबान और तालिबान के समर्थकों पर प्रतिबंध लगाने के बारे में है। संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों का यह एक भाग है। भारत सरकार के प्रयत्नों का यह केवल एक भाग है।

इस बारे में, मैं यह नहीं कह सकता कि यह बामियान बुद्ध की मूर्ति के विध्वंस के बाद के वर्ग में आता है, यह उसका एक भाग है। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहूंगा और यह कार्यवाही–वृतांत में भी रखना चाहूंगा कि पाकिस्तान निश्चित तौर पर तैयार था और उसने कहा कि बामियान में इन बुद्ध की मूर्तियों का विध्वंस ऐसा कदम नहीं है जिसकी उन्हें वकालत करनी पड़े और उन्होंने तालिबान शासन को सलाह देने का प्रयत्न भी किया किन्तु उन्हें सफलता नहीं मिली।

इसलिए, माननीय सदस्य को यह सलाह देने के लिए कि हमने उप–महाद्वीप के सांस्कृतिक संस्मरणों का निर्माण किया जो पाकिस्तान में हैं। चाहे वह मोहनजादड़ो हो या फिर लाहौर संग्रहालय।

श्रीमती कृष्ण बोस : वहां तक्षशिला संग्रहालय है।

श्री जसवंत सिंह : मेरे विचार से इस क्षण माननीय सदस्य की शंका का यहां कोई औचित्य नहीं है। महोदय, प्रधान मंत्री की हाल ही की ईरान यात्रा के दौरान इस संपूर्ण विध्वंस को उजागर करने के हमारे सतत प्रयास और तालिबान शासन की नकारात्मक प्रवृत्ति का एक पहलू है जिस पर बल दिया गया था। उन्होंने राष्ट्रपति खातमी और ईरान के इस्लामी गणतंत्र के रहबर से चर्चा की और यह कहने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि प्रैस कान्फ्रेंस में राष्ट्रपति खातमी ने प्रधान मंत्री के साथ अफगानिस्तान में तालिबान के इस कृत्य की निंदा की।

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर : महोदय, बामियान की कुछ मूर्तियों को तोड़े जाने के संबंध में क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह जान सकता हूं कि क्या यह सही नहीं है कि हमने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देर से व्यक्त की जबकि कुछ तो इस पर अपनी प्रतिक्रिया पहले ही व्यक्त कर चुके थे। मैं इस मुद्दे पर विस्तारपूर्वक नहीं बोलूंगा किन्तु मेरे विचार से, बामियान में इन बुद्ध की मूर्तियों को तोड़कर तालिबान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि चाहता था। इसका यह भी एक कोण है।

दूसरा, तालिबान के मंत्रियों में से एक मंत्री ने यह वक्तव्य जारी किया कि यह बाबरी मस्जिद गिराने के बदले किया गया है। क्या इसका उस घटना से कोई संबंध है?

श्री जसवंत सिंह : महोदय, जहां तक माननीय सदस्य के प्रश्न के दूसरे भाग का संबंध है, मेरी जानकारी में ऐसा कोई वक्तव्य नहीं था मुझे नहीं पता कि तालिबान द्वारा ऐसा वक्तव्य दिया गया। जैसा कि माननीय सदस्य जानते ही हैं कि हमने तालिबान को अफगान सरकार के रूप में मान्यता नहीं दी है इसलिए, मंत्री के रूप में किसी का उल्लेख करना सही नहीं है।

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर : हम उल्लेख कर सकते हैं। भले ही हम उन्हें मान्यता प्रदान करें या न करें किन्तु समाचार पत्रों में यही कहा गया था कि यह एक मंत्री का वक्तव्य था। इसलिए मैंने, इसका उल्लेख 'एक मंत्री के वक्तव्य' के रूप में किया।

श्री जसवंत सिंह : मेरे पास ऐसा कोई प्राधिकृत वक्तव्य नहीं है।

जहां तक सरकार और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का संबंध है, इन दोनों घटनाओं में कोई संबंध नहीं है। जहां तक, पहले भाग, कि सरकार ने कार्यवाही में विलंब किया, का संबंध है, मैं माननीय सदस्य का भ्रम दूर करना चाहूंगा क्योंकि प्रारम्भिक स्तर में सरकार कुछ दूसरे देशों को प्रोत्साहन दे रही थी जो अधिकतर या पूरे बुद्ध–वादी हैं ताकि वे शुरूआत करें क्योंकि हम सांस्कृतिक और सभ्यता की भावना के अतिरिक्त किसी और रूप में आना नहीं चाहते थे।

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर : यहां सांस्कृतिक युद्ध चल रहा है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार शिंदे : अध्यक्ष महोदय, मैंने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए यह सवाल उठाया था कि बामियान में जब बुद्ध की मूर्तियों को नष्ट किया जा रहा था, उससे पहले भारत सरकार के पास इन्फोर्मेशन आयी थी। पूरी दुनिया को मालूम हो रहा था। हमारा एक परमानेंट मिशन यू. एन. ओ. में है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस में पूरी दुनिया के मिशन्स हैं। उनके साथ बात करके वहां प्रैशर डालने का प्रयास किया है या नहीं, उसका कोई उत्तर मुझे नहीं मिला है। यदि आप इस्लामिक कंट्रीज पर प्रैशर डालने का प्रयास करते, चाहे पूरी इस्लामिक कंट्रीज एक हो जाती तो अच्छा होता। जैसे आज तालिबान इस इश्यू पर आईसोलेट हो गया है वैसे यह काम फरवरी में भी हो सकता था। मैं जानना चाहता हूं कि हमारा परमानेंट मिशन यू. एन. ओ. में होते हुए भी भारत सरकार ने यह प्रयास पहले क्यों नहीं किया? हमने को–स्पोंसर्ड रेजोल्यूशन किया है लेकिन वह मार्च में किया है। उससे पहले हमने कोई प्रयास किया है या नहीं, यह आप हमें देखकर बतायें।

श्री जसवंत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि भारत सरकार द्वारा मात्र परमानेंट मिशन में ही नहीं बल्कि सभी मिशन्स को यहां से ऐमिसेरीज़ गये थे कि इस प्रश्न को उठाया जाये और इसके महत्वपूर्ण पहलू को भारत गंभीरता से लेता है, यह सभी देशों को अवगत कराया जाये, तो यह किया गया। जहां तक परमानेंट मिशन और ओ. आई. सी. का प्रश्न है, वहां भी अन्य देशों से बातचीत हुई थी। सरकार के बयान का एक परिणाम ईरान ने दिया जो अपने आप में प्रमुख है और उसका एक उदाहरण बनता है। ओ. ई. सी. ने इस पर अभी तक कोई अधिकृत वक्तव्य नहीं दिया, यह सही बात है परन्तु मैं माननीय सदस्य को यह भी बताना चाहूंगा कि ओ. आई. सी. ने कोई वक्तव्य न दिया हो परन्तु आर्गनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज ने तालिबान को समझाने के लिए उलेमाओं का एक दल वहां भेजा था। उन्होंने कहा था कि यह कदम अपने आप में गैर इस्लामिक है। ओ. आई. सी. द्वारा भेजे गये उलेमाओं के दल की सलाह के बावजूद तालिबान को यह कदम उठाना सही लगा और उन्होंने इस कदम को उठाया, यह खेद की बात है।

[अनुवाद]

विदेशी जेलों में यंत्रणा भोग रहे भारतीय

***443. श्री रामप्रसाद सिंह** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत से भारतीय सैनिक और नागरिक विदेशों की जेलों में लंबे समय से यंत्रणा भोग रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी देशवार संख्या कितनी है;

(ग) उन्हें मुक्त कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के फलस्वरूप पिछले पांच वर्षों के दौरान कितने भारतीय सैनिकों तथा नागरिकों को विदेशी जेलों से मुक्त कराया गया है?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (घ) एक वक्तव्य सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

सरकार की जानकारी के अनुसार, इस समय 54 भारतीय सैनिक और 6472 अन्य भारतीय नागरिक विभिन्न विदेशी जेलों में बंद हैं। इन बंदी भारतीय राष्ट्रिकों का देशवार ब्यौरा संलग्न अनुबंध में दिया गया है।

जैसे ही भारतीय राजनयिक मिशन/केन्द्र को किसी भारतीय राष्ट्रिक के बंदी बनाए जाने की सूचना मिलती है, मेजबान देश की सरकार को कोंसली सेवा के संबंध में अनुरोध किया जाता है। मिशन/केन्द्र का एक अधिकारी बंदी के पास जाकर उसे बंदी बनाए जाने के कारणों का पता लगाता है। जहां आवश्यक होता है, मिशन/केन्द्र मामले को शीघ्र तथा न्यायोचित ढंग से निपटाने और सजा पर पुनर्विचार करने के लिए मेजबान सरकार के समक्ष उठाते हैं। सामान्यतया सजा पूरी होने के पश्चात बंदी को रिहा कर दिया जाता है। उचित मामलों में, हमारे मिशन/केन्द्र स्थानीय प्राधिकरण के पास सजा को माफ करने के लिए मामले को ले जाते हैं।

पिछले पांच वर्षों के दौरान विदेशी जेलों से रिहा हुए भारतीय सैनिकों और नागरिकों की संख्या के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

अनुबंध

विदेशी जेलों में भारतीय राष्ट्रिक

देश	सैनिक	असैनिक
1	2	3
आस्ट्रेलिया	शून्य	02
आस्ट्रिया	शून्य	62

1	2	3
अजरबैजान	शून्य	02
बहरीन	शून्य	131
बंगलादेश	शून्य	620
बेलारूस	शून्य	02
भूटान	शून्य	30
ब्रूनई	शून्य	03
कनाडा	शून्य	03
चीन	शून्य	01
हांगकांग (चीन)	शून्य	25
चैक गणराज्य	शून्य	02
डेनमार्क	शून्य	02
मिस्त्र	शून्य	12
जार्जिया	शून्य	01
जर्मनी	शून्य	224
यूनान	शून्य	07
इंडोनेशिया	शून्य	02
ईरान	शून्य	10
इराक	शून्य	01
इजरायल	शून्य	03
इटली	शून्य	06
जापान	शून्य	05
जोर्डन	शून्य	01
कजाखिस्तान	शून्य	03
कोरिया गणराज्य	शून्य	04
कुवैत	शून्य	107
लेबनान	शून्य	03
लीबिया	शून्य	03
मलेशिया	शून्य	1000 (नजर बंदी कैम्पों में)

1	2	3
मालदीव	शून्य	15
मारीशस	शून्य	45
मेक्सिको	शून्य	13
म्यांमार	शून्य	21
नेपाल	शून्य	207
न्यूजीलैंड	शून्य	02
ओमान सल्तनत	शून्य	14
पाकिस्तान	54	1121
पनामा	शून्य	02
फिलीपीन्स	शून्य	03
कतर	शून्य	56
रोमानिया	शून्य	01
रूसी परिसंघ	शून्य	12
सऊदी अरब	शून्य	1677
सेशेल्स	शून्य	01
सिंगापुर	शून्य	350
स्पेन	शून्य	02
श्रीलंका	शून्य	36
सीरियाई अरब गणराज्य	शून्य	18
थाईलैंड	शून्य	24
उक्रेन	शून्य	02
संयुक्त अरब अमीरात	शून्य	120
संयुक्त राज्य अमरीका	शून्य	358
उजबेकिस्तान	शून्य	01
वियतनाम	शून्य	01
यमन गणराज्य	शून्य	02
जिम्बाबवे	शून्य	01
कुल	54	6,472

[हिन्दी]

श्री राम प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जो जवाब दिया गया है, वह बड़ा ही असंतोषजनक है। इसमें बताया गया है कि भारत के अब तक कुल 54 सैनिक पाकिस्तान की जेलों में बंद हैं और उसके अलावा करीब 6472 नागरिक मछुआरे या ड्रग्स आदि का व्यापार करने वाले विभिन्न देशों में बंद हैं। अभी 17 अगस्त, 2000 को पाकिस्तान से भारत के तीन कैदी श्री मंसूर हुसैन–जम्मू कश्मीर, श्री बंसी लाल–गुरुदासपुर और श्री राम विलास–बिहार के वहां से छूटकर आये हैं। यह समाचार पत्र 17 अगस्त, 2000 का है। इसमें उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की विभिन्न जेलों में भारतीय कैदियों के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया जाता है। जहां 15 कैदियों के स्थान हैं, वहां 53 कैदियों को रखा जाता है। उनको निम्न स्तर का भोजन दिया जाता है और काफी कैदी विक्षिप्त और रोगी हो गए हैं। वे अपनी असह्य पीड़ा को पत्रकार के सामने कहने में भी असमर्थ रहे। उनका दोष यह था कि वे गलती से सीमा पार कर गए थे, एक तो गलती से समझौता एक्सप्रैस से लाहौर पहुंच गया। मैं जानना चाहता हूं कि हमारे यहां के जो निर्दोष नागरिक जेलों में हैं, जिनकी संख्या 6,472 है, उनके साथ खासकर पाकिस्तान में ऐसा ही व्यवहार किया जाता है,...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपको सप्लीमैंट्री पूछना है। यह इन्फौर्मेशन पहले से ही है।

श्री राम प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार वहां के काऊंसिल से वार्ता करेगी कि भारत के नागरिकों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार न किया जाए और यदि वार्ता की है तो उसके क्या परिणाम निकले हैं?

श्री जसवंत सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के प्रश्न के दो पहलू हैं–एक तो उन्होंने यह उल्लेख किया कि करीब साढ़े छः हजार भारतीय मूल के या भारतीय नागरिक विदेशी जेलों में हैं। हमें कोई संतोष नहीं है कि साढ़े छः हजार भारतीय नागरिक विदेशी जेलों में हैं। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि यदि आप अनुपात की दृष्टि से देखें तो आज समूचे विश्व में करीब साठ लाख भारतीय नागरिक विदेशों में काम करते हैं और साठ लाख के अनुपात में यह संतोषजनक नहीं है कि साढ़े छः हजार के करीब भी जेलों में हों, परन्तु जहां हमारे साठ लाख नागरिक बाहर काम करते हैं, उनमें से करीब साढ़े छः हजार जेल भुगत रहे हों, हमें उससे संतोष नहीं है परन्तु अनुपात अपने आप स्पष्ट रूप से बताता है कि भारतीय नागरिक विदेशों में जहां भी काम करते हैं, वहां उनकी बहुत ही इज्जत, आदर और स्वागत होता है क्योंकि विश्व के अन्य देशों की तुलना में...*(व्यवधान)*

श्री राम प्रसाद सिंह : मैंने स्पैशली पाकिस्तान के बारे में पूछा है।

श्री जसवंत सिंह : मैं उस पर भी आ रहा हूं।

भारतीय नागरिक अपने आप में शान्तिप्रिय और न्यायपसन्द हैं और जहां–जहां वे काम करते हैं, वे देश उनका स्वागत करते हैं। अन्य पड़ोसी देश जैसे बंगलादेश, पाकिस्तान, उसमें कुछ संख्या बढ़ती है, उसके पीछे एक कारण तो यह है कि बंगलादेश जैसे देशों के साथ गलतफहमी से भी लोग इधर–उधर चले जाते हैं। माननीय सदस्य ने स्वयं कहा कि गलती से कोई समझौता एक्सप्रैस से लाहौर पहुंच जाता है। यह सही बात है। पाकिस्तान की जेलों में चाहे आपने पूर्व सैनिकों का उल्लेख किया हो, भारतीय नागरिक हों, मछुवारे हों, उनको लेकर जब माननीय प्रधान मंत्री जी लाहौर की यात्रा पर गए थे, तो अलग से एक समझौता हुआ था। यह दुर्भाग्य की बात है कि उसका क्रियान्वयन नहीं हो सका। उसके तहत यह तय हुआ था कि उस वक्त माननीय राज्य मंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे एक विशेष दल लेकर जाएंगी और उनके काउंटर पार्ट पाकिस्तान के साथ जेलों का स्वयं निरीक्षण करेंगी ताकि वहां कोई भारतीय नागरिक या भारतीय पूर्व सैनिक मिलता है तो उसका तुरंत वहीं पर निर्णय किया जाएगा। हमने उसमें तैयारी भी कर ली थी। परन्तु लाहौर के बाद क्या हुआ, अब उस इतिहास में मुझे जाने की आवश्यकता नहीं है।

आपका तीसरा पहलू था कि यदि किसी भारतीय नागरिक के साथ किसी जेल में दुर्व्यवहार होता है तो हमारे काऊंसिलर ऑफिस क्या करते हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि जैसे ही हमारे मिशन को सूचना मिलती है कि किसी भारतीय नागरिक को जेल का सैनटैंस मिल गया है, हम तुरंत काऊंसिलर ऐक्सैस मांगते हैं उनकी दवा–दारू, उदनके स्वास्थ्य के बारे में, उनके सैनटैंस की रिमीशन के लिए हमारे काऊंसिलर यथासंभव सभी प्रयत्न करते हैं।

श्री राम प्रसाद सिंह : मैंने तो पाकिस्तान के बारे में जानना चाहा था, लेकिन मंत्री जी ने उसको यों ही छोड़ दिया। जो 54 देश हैं, जहां भारतीय नागरिक आपके दस्तावेज के अनुसार 6,472 हैं, लेकिन कुछ ऐसे देश हैं, जहां भारतीय नागरिकों की संख्या, चाहे मछुआरे हों, ड्रग्स वाले हों या निर्दोष लोग गये हों और न लौटे हों, उसमें ज्यादा हैं। बंगलादेश में 620, जर्मनी में 224, मलेशिया में 1,000, नेपाल में 2,007, पाकिस्तान में 1,121, सऊदी अरब में 1,677...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपको पूरी सूचना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यह उसमें पहले से ही है।

[हिन्दी]

श्री राम प्रसाद सिंह : इनकी संख्या 5,878 है, जो कुछ ही देशों में है। इसमें अमेरिका भी है, अमीरात में है, सऊदी अरब में है। सऊदी अरब वगैरह में तो लोग ज्यादातर रोजगार के लिए जाते हैं। उन देशों में हमारे यहीं के लोग रोजगार के बहाने लोगों को ले जाते हैं। एक तो सरकार उनको पकड़ नहीं पाती है और अपनी विफलता को स्वीकार भी नहीं करती है। वहां ले जाकर हमारे नागरिकों को बेच दिया जाता है। ऐसे सऊदी अरब में भी हमारे काफी नागरिक हैं, अमेरिका में भी हैं। जहां बड़ी संख्या में हमारे देश के लोग हैं, उनके लिए क्या सरकार कोई स्पेशल बात करके उनके दुखदर्द को दूर करने और उनके दुख पर मरहम पट्टी लगाने के लिए वहां के काउंसिल ऑफ स्टेट्स से बात करके कोई सोल्यूशन निकालेगी?

श्री जसवंत सिंह : माननीय सदस्य के प्रश्न का एक आशय यह है कि कई किस्म के जो यहां स्वकथित लेबर एजेण्ट होते हैं, वे लेबर एजेण्ट लोगों को गुमराह करके नौकरी को झांसा देकर विदेश ले जाते हैं और फिर वहां उनकी बड़ी दुर्दशा होती है। माननीय सदस्य का यह कहना था कि सरकार इस बारे में सचेत नहीं है। मैं माननीय सदस्य को सचेत करना चाहूंगा कि सरकार इस बारे में पूर्णतया सचेत है। लेबर मिनिस्ट्री में एक डिपार्टमेंट ऑफ इम्मीग्रेशन है, वह इस बारे में यथासम्भव सभी प्रयत्न करता है कि भारतीय नागरिकों के साथ इस प्रकार की कोई धोखाधड़ी न हो। रहा सवाल कि विशेषकर ये जो देश आपने गिनाये हैं, यह सही बात है, वहां हम क्या विशेष प्रयत्न करेंगे, जी हां। मैं एक ही उदाहरण देना चाहूंगा, अभी आपने जो सूची पढ़ी, उसमें आपने मलेशिया का एक अंक गिनाया कि वहां 1,000 नागरिक हैं। हमें मालूम है कि एक हजार नागरिक अभी हाल में हुए हैं और वे वीजा के कारण पकड़े गये हैं। लोग नौकरी की तलाश में जाते हैं। जब कभी ऐसा होता है, मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि हमारे मिशंस पूर्णतया सचेत हैं और जहां हम पाते हैं कि अधिक संख्या में भारतीय नागरिक नौकरी के लिए या अन्य कारणों से जाते हैं तो यह स्वाभाविक है कि वहां हमारे मिशंस इस पहलू पर ज्यादा ध्यान दें और आफिसर इसी काम के लिए नियुक्त हों।

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाइं : महोदय, मंत्रीजी ने अपने उत्तर में यह सूचित किया कि पिछले पांच सालों से विदेशी जेलों में बंद भारतीय सैनिकों और नागरिकों की संख्या के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है।

मैं जानना चाहूंगा कि विदेशी जेलों से रिहा किए गए सैनिकों के पुर्नवास के लिए सरकार कौन से कदम उठा रही है?

श्री जसवंत सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आप जानते ही हैं कि जब प्रश्न आता है तो मंत्रालय के पास सीमित समय होता है किंतु हमें उस समय के भीतर अपना उत्तर भेजना होता है। खैर, मैंने विदेशी जेलों से रिहा लोगों की संख्या के आंकड़े 1 जनवरी, 1998 से लेकर जून, 2000 तक एकत्र किए हैं। यह लगभग 2100 है। ये आंकड़े एकत्र करने में हमें समय लगा। इन दो या ढाई सालों में रिहा लोगों की संख्या करीब 2100 है।

जहां तक पुनर्वास का संबंध है, जब इस बात की पुष्टि हो जाती है कि कोई भी सैनिक या भूतपूर्व सैनिक किसी जेल, विशेषकर पाकिस्तान से रिहा होता है तो सरकार इस बात का पूरा ख्याल रखती है कि उसे बिना किसी विलंब के उसका वेतन, पेंशन और दूसरे देय सभी का भुगतान कर दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : क्योंकि अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए अब मैं उस पर आ रहा हूं।

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना राशि का उपयोग

***444. श्री भर्तृहरि महताब** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद–सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों में बहुत सी असंगतियां हैं जिनके कारण प्रस्तावों के क्रियान्वयन में समस्या आती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे स्थान, जिनका उपयोग सामुदायिक प्रयोजनों के लिए किया जाता हो किन्तु जो किसी पंजीकृत सोसाइटी अथवा धार्मिक संस्था के स्वामित्व में आते हों, संसद–सदंस्य स्थानीय क्षेत्र विकास के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली धनराशि के पात्र नहीं हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकारी भूमि से भिन्न किसी अन्य स्वामित्व की भूमि पर तालाबों, टैंकों, पुस्तकालयों, विश्रामशालाओं इत्यादि का निर्माण किया जा सकता है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या गैर पंजीकृत सोसाइटियां संसद–सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली धनराशि पाने के पात्र हैं; और

(ज) यदि हां, तो इस संबंध में क्या मार्गदर्शी सिद्धांत बनाए गए हैं?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) से (ज) लोक सभा के पटल पर एक विवरण प्रस्तुत है।

विवरण

(क) और (ख) माननीय संसद सदस्यों ने समय-समय पर विशिष्ट दिशा निर्देशों की ओर ध्यान आकर्षित कराया है तथा बताया है कि ये किस प्रकार लोगों के लिए लाभप्रद कार्यों की स्वीकृति में बाधा डाल रहे हैं। दिशा निर्देशों में परिवर्तन संबंधी सुझावों पर सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की लोक सभा एवं राज्य सभा समितियों द्वारा विचार किया जाता है। जब भी सांसदों द्वारा दिशा निर्देशों में विशिष्ट विसंगतियां इंगित की जाती हैं, उन्हें दोनों समितियों के विचारार्थ भेज दिया जाता है। दोनों समितियों की अनुशंसाओं के आधार पर दिशा निर्देशों में परिवर्तन किए जाते हैं।

(ग) और (घ) पंजीकृत समितियों एवं न्यासों से संबंधित कार्यों को कुछ शर्तों के आधार पर योजना के कार्यक्षेत्र में शामिल कर लिया गया है, जिसका परिचालन 23.01.2001 सभी सांसदों को कर दिया गया था। धार्मिक पूजा स्थलों से संबंधित कार्य दिशा निर्देशों के परिशिष्ट-2 क्रम सं. 9 के अंतर्गत अनुमेय नहीं हैं।

(ङ) और (च) सरकार की भूमि पर तालाबों, टैंकों, पुस्तकालयों तथा विश्राम स्थलों का निर्माण किया जा सकता है। इनका निर्माण पंजीकृत समितियों/न्यासों के लिए उनकी भूमि पर भी किया जा सकता है, बशर्ते कि वे दिशा निर्देशों में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हों। योजना के अंतर्गत पुस्तकालय के लिए भवन सहित शैक्षिक संस्थानों के लिए भवनों का निर्माण उनकी भूमि पर किया जा सकता है, बशर्ते कि वे दिशा-निर्देशों के पैरा 2.6 में निर्धारित शर्तों को पूरा करते हों।

(छ) और (ज) संस्थान का संचालन गैर पंजीकृत समिति द्वारा किए जाने पर भी शैक्षिक संस्थानों के लिए भवन का निर्माण किया जा सकता है बशर्ते शैक्षिक संस्थान मान्यता प्राप्त हो तथा न्यूनतम दो वर्षों से कार्य कर रहा हो।

श्री भर्तृहरि महताब : मेरा प्रथम अनुपूरक प्रश्न यह है कि ऐसा उल्लेख किया गया है कि 'दिशानिर्देशों के परिशिष्ट-2 के क्रम सं. 9 के अंतर्गत धार्मिक स्थानों से संबंधित निर्माण कार्यों की अनुमति नहीं है। यह जानने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है कि धार्मिक स्थल के गर्भगृह की सुरक्षा या पुनर्निर्माण पर सरकारी धन खर्च किया जा रहा है अथवा नहीं। किन्तु मैं यह कहना चाहूंगा कि धर्म विशेष का लिहाज किए बिना भारतीय समाज ने भगवान के नाम पर दान स्वरूप काफी धन दिया है ताकि इसका उपयोग सभी के द्वारा हो सके। उदाहरणस्वरूप, एक तालाब अथवा टैंक चाहे वह जिस किसी भी धार्मिक संस्था की सम्पति हो या दान से बना हो, उसका उपयोग सभी समुदायों द्वारा किया जाता है। किसी धर्मस्थल के साथ बने हॉल का उपयोग बैठक अथवा शादी के प्रयोजन हेतु भी होता है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कई सदस्य अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं। कृपया इस बात का ध्यान रखें।

श्री भर्तृहरि महताब : मुझे दो अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति मिलनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : इसीलिए मैं आपसे अपना अनुपूरक प्रश्न सीधे-सीधे पूछने का अनुरोध कर रहा हूं।

श्री भर्तृहरि महताब : इन क्षेत्रों की सुरक्षा, उपयोग तथा इनके विस्तार हेतु 'एमपीलैड्स' फंड के उपयोग की अनुमति क्यों नहीं दी जाती है? यह एक तालाब, टैंक या भवन हो सकता है जो वस्तुतः पूजा गृह न होकर किसी चर्च, मंदिर अथवा मस्जिद के परिसर में हो सकता है।

श्री अरूण शौरी : मंत्रालय में, हम संसद सदस्यों तथा इसकी दो समितियों द्वारा बनाए गए दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य हैं। जैसा कि माननीय सदस्य ने ध्यान दिलाया है, एक अनुबंध है जिसमें उन कार्यों की सूची है जिनके लिए 'एमपीलैड्स' के अधीन अनुमति नहीं है। वहां उल्लिखित मदों में से एक "धार्मिक पूजास्थल" है। कुछ सदस्यों ने जिक्र किया है कि ऐसे परिसरों में उपलब्ध अनेकों सहायक सुविधाएं "पूजा स्थल" नहीं हैं। उदाहरणस्वरूप अतिथि भवन। अभी कुछ देर पहले एक नामित सदस्य कह रहे थे कि पूजा स्थल के परिसर में निर्मित समुदाय भवन सभी समुदायों के लोगों के लिए उपलब्ध रहता है। इस विषय पर समितियों द्वारा विचार किया गया है। उनका कहना है कि इस नियम की व्याख्या असावधानीपूर्वक नहीं का जानी चाहिए क्योंकि ऐसा करना कई जटिलताओं को जन्म दे सकता है। यदि ये दोनों समितियां वह निर्णय लेती हैं कि पूजा गृह से इतर सुविधाओं को पुनः स्थापित किया जा सकता है तो उस स्थिति में हम उनके निर्णय का पालन करेंगे।

श्री भर्तृहरि महताब : मेरा द्वितीय अनुपूरक प्रश्न यह है। प्रस्ताव देने के संबंध में संसद सदस्यों की भूमिका सीमित है।

'एमपीलैड्स' फंड के कार्यान्वयन से हमारा कोई लेना देना नहीं है बल्कि इसकी जिम्मेदारी संबंधित जिला मजिस्ट्रेट पर है। संसद सदस्यों के प्रस्तावों के समुचित कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं? कार्यान्वयन एजेन्सी परियोजना अथवा परियोजनाओं में कहां विलम्ब कर रही है? माननीय सदस्यों के विशेषाधिकारों की रक्षा हेतु सरकार कौन से सुधारात्मक उपाय अपनाने पर विचार कर रही है ताकि वे जनता की नजरों में गलत न समझे जाएं।

श्री अरूण शौरी : निगरानी एक अति महत्वपूर्ण पहलू है। कार्यों के अनुपालन में शीघ्रता लाने हेतु, अध्यक्ष महोदय, आपने स्वयं खजुराहो तथा हैदराबाद में जिलाधीशों के साथ बैठकें की हैं। मैं स्वयं भी दो बार पश्चिम बंगाल गया। बैठकें हुईं...

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह : लेकिन परिणाम क्या निकला...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अरूण शौरी : मैं अभी आपको बताऊँगा कि क्या परिणाम निकला है। महोदय अन्य जगहों पर भी बैठकें हुई हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय को जवाब देने दें।

(व्यवधान)

श्री अरूण शौरी : कृपया मुझे जवाब देने दें...*(व्यवधान)*

श्री ए. सी. जोस : महोदय, इन दिशानिर्देशों की व्याख्या विभिन्न जगहों भिन्न–भिन्न रूप में की जाती है। महोदय, मेरी एक सलाह है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : वह जवाब दे रहे हैं न।

(व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह : पचास प्रतिशत काम होता है और पचास प्रतिशत लूट हो जाती है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री जोस, क्या जवाब सुनने में आपकी रुचि नहीं है। उन्हें अपना जवाब पूरा करने दें।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : पहले रिप्लाई सुन लो।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अरूण शौरी : महोदय, इन बैठकों का प्रभाव पड़ा है। पर माननीय सदस्यों का यह कहना ठीक है कि इन बैठकों के परिणाम हमारी अपेक्षाओं से कम हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री जोस, यह सब क्या है? सबसे पहले आप जवाब सुनें।

श्री अरूण शौरी : महोदय, यदि आप 790 संसद सदस्यों के साथ एक लाख रुपये के हिसाब से कार्य के औसत आकार को लेते हैं तो यह प्रतिवर्ष करीब 1.6 लाख कार्य पड़ता है। यदि आप पिछले दो वर्षों के बकाया कार्य को जोड़ें तो एक समय विशेष पर, निष्पादन हेतु 3.5 लाख से 4 लाख कार्य हो जाएंगे। दिल्ली से, एक विभाग द्वारा जिसमें कि संबंधित मानीटरिंग का काम मात्र पांच अधिकारियों को सौंपा गया है, यह मानीटरिंग असंभव है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, माननीय सदस्य का अनुपूरक प्रश्न यह है कि जिलाधिकारियों की मानीटरिंग शक्ति यथोचित नहीं है। इसलिए क्या कदम उठाए जाने वाले हैं?

श्री अरूण शौरी : कार्यनिष्पादन तथा मानीटरिंग दोनों के लिए विभिन्न परिपत्र जारी किए गए हैं तथा जब कभी भी खास शिकायतें आती हैं हमने कार्रवाई की है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह प्रत्येक दिन की समस्या है। यह सब क्या है? आप मंत्री महोदय का जवाब बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अरूण शौरी : महोदय, यहां कई सदस्य उपस्थित हैं जो इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि जब कभी भी वे हमारे पास शिकायतों को लेकर आये हैं, हमने तुरन्त कार्रवाई की है। श्री संतोष मोहन देव अभी–अभी हमारे विभाग की प्रशंसा कर रहे थे कि जब कभी भी वे इस प्रकार की शिकायत हमारे पास लाए हमने उस पर तुरन्त कार्रवाई की। हम इतना ही कर सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से संबंधित जिलाधिकारी से फोन पर बात करके मामलों पर उनसे कार्रवाई सुनिश्चित करवाते हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती फूलन देवी : अध्यक्ष महोदय, एमपीलैड्स फंड का हमारा साढ़े तीन करोड़ रुपया हमें पिछले एक साल से नहीं भेजा गया है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : यह सवाल नहीं है, सुझाव है। ...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह : श्रीमती फूलन देवी जी कह रही हैं कि इनका पिछले साल का पैसा नहीं मिल रहा है। कृपया मंत्री जी समस्या का समाधान करें।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हम मैडम को बाद में बोलने का मौका देंगे।

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : यह हमारा सुझाव है।... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपके सुझाव को मौका मिलेगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एन. जनार्दन रेड्डी : महोदय, 'एमपीलैड' स्कीम को कार्यान्वित करने हेतु सरकार ने राज्य सभा और लोक सभा दोनों के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। लोकसभा सदस्यों का कार्य क्षेत्र उनके निर्वाचन क्षेत्रों तक ही सीमित है। तथापि कुछ महत्वपूर्ण मामलों में हम करीब 10 प्रतिशत या 20 प्रतिशत धनराशि बाहर खर्च करने की अनुमति दे रहे हैं। क्या मैं सरकार से अनुरोध कर सकता हूं कि सूखा और इसी तरह की अन्य महत्वपूर्ण परिस्थितियों में वह लोक सभा सदस्यों को 50 प्रतिशत धनराशि अपने चुनाव क्षेत्र के बाहर खर्च करने की अनुमति दें?

अनेक माननीय सदस्य : नहीं।

श्री अरुण शौरी : महोदय, ये दिशानिर्देश सरकार द्वारा जारी नहीं किए जाते हैं बल्कि स्वयं माननीय सदस्यों की समितियों द्वारा जारी किए जाते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, इस प्रश्न पर आधे घंटा की चर्चा कराये जाने के बारे में आपका क्या विचार है?

श्री अरुण शौरी : महोदय, सदस्य जब कभी भी चाहें मैं इसके लिए तैयार हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप आधे घंटे की चर्चा कर सकते हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

गरीबी उपशमन कार्यक्रमों का विलय

***445. श्री रामटहल चौधरी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गरीबी उपशमन कार्यक्रमों की रोजगारोन्मुखी योजनाओं के साथ विलय करने तथा इस हेतु वित्तीय आबंटन बढ़ाने के संबंध में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और संशोधित कार्यक्रम को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार ने गरीबी उपशमन कार्यक्रम और रोजगारोन्मुखी योजनाओं की विफलता के लिए जिम्मेवार कारकों के विषय में कोई मूल्यांकन किया है जिससे उनका प्रभावी क्रियान्वयन किया जा सके;

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा कौन से सुधारात्मक कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) और (ख) गरीबी उपशमन कार्यक्रम गरीबों के लिए स्व और मजदूरी रोजगार अवसरों के सृजन के लिए डिजाइन किए गए हैं। प्रमुख ग्रामीण गरीबी उपशमन कार्यक्रम गरीबों पर उनकी प्रभावोत्पादकता/प्रभाव में सुधार लाने की दृष्टि से हाल ही में 1999–2000 से पुनः संरचित किए गए थे। रोजगार आश्वासन स्कीम को एकल मजदूरी रोजगार कार्यक्रम के रूप में पुनःसंरचित किया गया था और स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) ग्रामीण गरीबों के लिए स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई थी। सूखा से प्रभावित राज्यों में काम के लिए भोजन कार्यक्रम हाल में ही शुरू किया गया है। शहरी क्षेत्रों में युक्तिसंगत शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रम स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) शहरी बेरोजगारों अथवा स्व रोजगार उद्यमों को स्थापित करने को प्रोत्साहित करके अल्प रोजगार प्राप्त गरीबों को लाभप्रद रोजगार उपलब्ध कराने अथवा मजदूरी रोजगार का प्रावधान करने के लिए दिसम्बर, 1997 में शुरू की गई थी। इसके अतिरिक्त, रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए प्रधानमंत्री

रोजगार योजना (पीएमआरवाई) और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) भी प्रचालन में हैं। प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) का लक्ष्य शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार/स्वरोजगार उपलब्ध कराना है। आरईजीपी की मार्जिन मनी स्कीम के अन्तर्गत उद्यमियों द्वारा ग्राम उद्योग यूनिटें स्थापित करने के लिए प्रस्ताव विभिन्न बैंकों/वित्तीय संस्थानों को प्रस्तुत किए जाते हैं। अतः गरीबी उपशमन कार्यक्रमों को रोजगारोन्मुखी कार्यक्रमों के साथ विलय करने और उनके लिए वित्तीय आबंटन बढ़ाने का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन में प्रमुख गरीबी रोधी कार्यक्रमों (जो रोजगारोन्मुखी भी हैं) की पुनरीक्षा की गई है और मूल्यांकन अध्ययनों तथा विशिष्ट स्कीमों की समीक्षा के आधार पर इन कार्यक्रमों की कमियों की ओर ध्यान आकर्षित किया है। गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के संबंध में नौवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन की मुख्य विशेषताएं संलग्न विवरण में दी गई हैं। तथापि पुनःसंरचित कार्यक्रमों की समीक्षा दसवीं योजना प्रक्रिया, जो पहले ही शुरू हो चुकी है, के एक भाग के रूप में की जाएगी।

विवरण

नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997–2002) के मध्यावधि मूल्यांकन की मुख्य विशेषताएं

ग्रामीण विकास एवं गरीबी उपशमन कार्यक्रम

गरीबी-उपशमन कार्यक्रम

1980 के दशक में पर्याप्त रूप से कमी आई थी। गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों का अनुपात 1973–74 के 54.9 प्रतिशत से गिरकर 1993–94 में 36 प्रतिशत हो गया। हालांकि, नवीनतम अनुमान सुझाते हैं कि गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों के अनुपात एवं संख्या के अनुपात में कमी के संबंध में, नौवीं योजना में लगाए गए अनुमान योजना अवधि के प्रथम दो वर्षों में प्राप्त नहीं किए गए हैं।

ऐसी स्थिति के अग्रलिखित कारण हो सकते हैं : कृषि क्षेत्र में धीमा विकास जो सभी जगह समान भी नहीं रहा, श्रम समावेशन नहीं बढ़ा इसलिए वास्तविक मजदूरी की दर में वृद्धि कम ही हुई, सबसे गरीब वर्गों, विशेषकर जनजातियों के लोगों के हित के विरुद्ध काम करने वाली कुछ नीतियों का जारी रहना, उत्तरी एवं पूर्वी राज्यों में सबसे गरीब वर्गों तक टीपीडीएस की अपर्याप्त अभिगम्यता, पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों से उपजा राजकोषीय संकट जिसके कारण राज्य सामाजिक क्षेत्रकों पर खर्च करने में उतने समर्थ नहीं रहे, ग्रामीण गैर–कृषि क्षेत्रक का सीमित विकास तथा खराब प्रशासन।

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी) : मूल्यांकन बिन्दु : कम महत्व के क्षेत्रों में निवेश, अव्यवहार्य परियोजनाएं, निरक्षर एवं अकुशल लाभार्थी जिनके पास किसी उद्यम के प्रबंधन का कोई अनुभव नहीं है, बैंकों द्वारा सरोकारहीन तरीके से ऋण प्रदान किया जाना, कुछ परियोजनाओं जैसे डेयरी को अत्यधिक उधार दिया जाना, व्यापार, सेवा एवं साधारण प्रसंस्करण जैसी गतिविधियों पर कम जोर दिया जाना, गरीबीमुक्त लोगों का ठीक ढंग से चुनाव न किया जाना, बढ़ती हुई ऋणग्रस्तता, आईआरडीपी पर सरकार और बैंकों की क्षमता से अधिक उपाय होना।

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम–सम्बद्ध कार्यक्रम : ट्राइसैम को आईआरडीपी के अनुरूप नहीं बनाया गया। ऐसे प्रशिक्षण केन्द्र जिनका यथार्थ में कोई अस्तित्व नहीं है, वृद्धि का भुगतान न किया जाना (छपरा अध्ययन)। डवाकरा के माध्यम से कुछ राज्यों (आंध्र प्रदेश, केरल, गुजरात) में अच्छा काम हुआ।

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना : (आईआरडीपी की उत्तरवर्ती स्कीम) : का उद्देश्य समूह एप्रोच पर जोर देते हुए लघु उद्यमों को बढ़ावा देना है। यह एक ऋण व सब्सिडी कार्यक्रम है। स्वयंसेवी समूहों पर ध्यान केन्द्रित करना। विगत में सब्सिडी अभिमुखीकरण से भ्रष्टाचार फैला और उद्देश्यों का रूप बिगड़ा। अभी इसका मूल्यांकन करने का सही समय नहीं आया है।

जवाहर रोजगार योजना : मूल्यांकन बिन्दु : अपर्याप्त रोजगार (समवर्ती मूल्यांकन के अनुसार 11 दिन) संसाधनों का कम प्रसार, सामग्री श्रम मानदण्डों का उल्लंघन, भ्रष्टाचार (झूठी नामावलियां तैयार किया जाना)। परियोजनाओं पर कार्य ठेकेदारों द्वारा किया गया तो कम मजदूरी पर मजदूरों को रखते थे। सकारात्मक पहलू : स्थायी सामुदायिक परिसम्पत्तियां तथा ग्राम पंचायतों को अधिकार प्रदान करना। अप्रैल, 1999 में इसे **जवाहर ग्राम समृद्धि योजना** के रूप में पुनः अभिकल्पित किया गया। अब इसका प्राथमिक उत्तरदायित्व ग्रामीण आधारिक संरचना का विकास करना है। रोजगार गौण है। अभी इसका मूल्यांकन करने का सही समय नहीं है।

रोजगार आश्वासन स्कीम : शुरूआत में यह स्कीम मांग आधारित स्कीम थी। निधियां बेहतर राज्यों को दी गई थीं। कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा मूल्यांकन : स्कीम को केन्द्रीय दिशा–निर्देशों का उल्लंघन करते हुए अधिकतर राज्यों में ठेकेदारों के माध्यम से निष्पादित किया जा रहा है। मजदूरी और सामग्री के लिए 60 : 40 के मानक का पालन नहीं किया जा रहा, ग्राम पंचायतों द्वारा सही नामावली नहीं रखी जा रही, परिवार कार्ड जारी नहीं किए गए हैं, ग्राम पंचायतों के पास नौकरी चाहने वालों के पंजीकरण की पद्धति प्रचलन में नहीं है, जलसंभर विकास के लिए 40 प्रतिशत निधियां और लघु सिंचाई के लिए 20 प्रतिशत निधियां उद्दिष्ट करने के केन्द्रीय मानकों का अनुपालन नहीं किया जा रहा।

अप्रैल, 1999 से इसे एकल मजदूरी रोजगार स्कीम के रूप में पुनः विरचित किया गया था, यह आबंटनात्मक बन गई, 30 प्रतिशत निधियां स्थानिक श्रम पलायन और संकटग्रस्त क्षेत्रों वाले जिलों को आबंटित की गईं। पिछड़े क्षेत्रों की ओर ध्यान केन्द्रित किए जाने की आवश्यकता है, इसे सार्वजानिक स्कीम नहीं होना चाहिए।

एनएसएपी : भली–भांति लक्षित है, कम लीकेज सूचित किए हैं, अधिक संसाधनों की आवश्यकता है।

डिलीवरी मैकेनिज्म : गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में मुख्य कमजोरी उन लोगों द्वारा पर्याप्त भागीदारी का अभाव है जिनके लिए ये अभिप्रेत हैं। पंचायती राज संस्थानों (पीआरई) और गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) की भूमिका पर बल दिया जाना चाहिए।

राज्य पहलें बेहतर स्वामित्व और स्थानीय स्थितियों के अनुरूप कार्यक्रमों के डिजाइन में लोच के कारण बेहतर कार्य करती है। उदाहरणार्थ गोकुल ग्राम योजना, अपना गांव अपना काम, कुदुमश्री।

ग्रामीण आवास : इन्दिरा आवास योजना 1.1.1996 से एक स्वतंत्र केन्द्र प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) बन गई थी। गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन कर रहे लोगों को मुफ्त आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मैदानी क्षेत्रों में इसकी यूनिट लागत 20,000 और पर्वतीय और जनजातीय क्षेत्रों में 22,000 है। 10,000 रुपये की यूनिट लागत पर मौजूदा आवासों का आधुनिकीकरण अब अनुमेय है। ऋण–सह–सब्सिडी का एक नया घटक भी जोड़ दिया गया है। किसी भी दिए गए गांव/ब्लाक/जिलों में सभी परिवारों को कवर करने में काफी समय लगेगा। यह गरीबों को वर्गों में संगठित करने में मदद की बजाय उन्हें विभाजित करने जैसा है। आदेशों के बावजूद ग्राम सभाएं लाभार्थियों के निर्धारण में सक्रिय नहीं हैं।

भूमि सुधार : ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आय सृजन के लिए भूमि तक पहुंच अभी भी महत्वपूर्ण है।

पट्टेदारी के उदारीकरण के माध्यम से भूमि तक पहुंच संभव है, लेकिन पट्टेदारी को छोटे और सीमांत किसानों तक सीमित होना चाहिए। उत्पादन की सामंतवादी/अर्द्धसामंतवादी पद्धतियों वाले क्षेत्रों में गरीबों के धारण–अधिकार की सुरक्षा के लिए मौजूदा कानूनों को और मजबूत किए जाने की आवश्यकता है।

जनजातीय भूमि का हस्तांतरण अनवरत रूप से जारी है लेकिन इसे रोके जाने की आवश्यकता है।

उत्तराधिकार नियमों और भूमि नियमों, दोनों में लिंगीय असमानता मौजूद है। कृषि भूमि के संबंध में उत्तराधिकार नियमों को लिंगीय रूप से अधिक समान बनाने के लिए संशोधन किए जाने की आवश्यकता है।

सूचना तक आसान पहुंच के लिए भूमि रिकार्ड अद्यतन बनाने और उसके कम्प्यूटरीकरण की आवश्यकता है।

शहरी विकास, आवास और गरीबी उपशमन

सार्वजनिक नीति में शहरी गरीबी, उपेक्षा का एक महत्वपूर्ण और निरन्तर बना हुआ क्षेत्र है और आय में कमी और क्रय शक्ति को व्यक्त करता है जिसका कारण उत्पादक रोजगार में कमी, मुद्रास्फीति की उच्च दर, सामाजिक आधार संरचना तक पहुंच का अभाव है जिसके कारण लोगों की जीवन–दशा प्रभावित होती है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन कर रही कुल शहरी जनसंख्या के 1993–94 के सरकारी अनुमान 32.36 प्रतिशत थे।

संशोधित शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम जिसे स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) के रूप में पुनः नामित किया गया है, में दो स्कीमें शामिल हैं (क) शहरी स्वःरोजगार कार्यक्रम (यूएसईपी) और (ख) शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम (यूडब्ल्यूईपी)। प्रभाव मूल्यांकन का सुझाव दिया गया है।

[अनुवाद]

पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम

***446. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :**
श्री अमीर आलम :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व भर के पोलियो–मामलों में से 40 प्रतिशत केवल भारत में ही हैं–जैसा कि 9 मार्च, 2001 के 'दि टाइम्स ऑफ इण्डिया' समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ है;

(ख) क्या यह सच है कि विश्व भर के मामलों में से लगभग 34 प्रतिशत पोलियो–मामले अकेले उत्तर प्रदेश और बिहार में हैं,

(ग) इन राज्यों में पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम की विफलता के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का देश में पोलियो का उन्मूलन करने के लिए इन दोनों राज्यों में राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर एक विशेष अभियान शुरू करने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) विश्व स्वास्थ्य संगठन से 'पोलियो–मुक्त राष्ट्र' प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की दिशा में सरकार ने क्या प्रयास किए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) विश्व स्वास्थ्य संगठन की वर्ष 2000 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में पता लगाए गए 680 रोगियों में से भारत से पोलियो के 265 अनियंत्रित रोगी होने की सूचना मिली है। वर्ष 2000 में विश्व भर से सूचित 680 अनियंत्रित पोलियो रोगियों में से उत्तर प्रदेश और बिहार से क्रमशः 179 और 50 रोगियों की सूचना है।

(ग) उत्तर प्रदेश और बिहार में 1998 से 2000 तक पोलियो संचरण के प्रसार को रोकने में काफी प्रगति हुई है। इस अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश में 80 प्रतिशत और बिहार में 70 प्रतिशत की कमी आई है। उत्तर प्रदेश और बिहार में पोलियो उन्मूलन की प्रगति में विलम्ब के कुछ कारणों में उच्च जनसंख्या घनत्व, स्वच्छता की कमी, कमजोर स्वास्थ्य ढांचा और निम्न नेमी रोग–प्रतिरक्षण कवरेज का होना है।

(घ) और (ङ) वर्ष 1999–2000 के दौरान इन दो राज्यों में चार राष्ट्रीय और दो अतिरिक्त पल्स पोलियो दौर और आयोजित किए गए। वर्ष 2000–2001 के दौरान भी इन राज्यों में दो राष्ट्रीय और दो अतिरिक्त पल्स पोलियो दौर आयोजित किए गए। चालू वर्ष 2001–2002 के दौरान उत्तर प्रदेश के 40 जिलों और बिहार के 15 जिलों में मार्च–मई, 2001 के दौरान बचे–कुचे रोगियों को समेटने के लिए पूर्वक्रमिक दौर चलाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त 2001–2002 की सर्दी के मौसम में उत्तर प्रदेश और बिहार में राष्ट्रीय पल्स पोलियो दौर और विशेष पल्स पोलियो दौर चलाने का प्रस्ताव है।

(च) विश्व स्वास्थ्य संगठन से पोलियो मुक्त प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए वर्ष 2005 को लक्ष्य वर्ष के रूप में रखा गया है। भारत सरकार ने 1997 में पोलियो उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय प्रमाणन समिति पहले ही स्थापित कर दी है जो पोलियो उन्मूलन की प्रगति और पोलियो मुक्त प्रमाण पत्र प्राप्त करने में हुई प्रगति की मानीटरिंग पोलियो उन्मूलन पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की क्षेत्रीय प्रमाणन समिति के साथ समन्वय रखकर कर रही है। राष्ट्रीय प्रमाणन समिति पोलियो की घटनाएं शून्य होने पर तथा देश में पोलियो संचरण की समाप्ति के तीन वर्ष पूरे होने पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की क्षेत्रीय समिति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

[हिन्दी]

लघु उद्योगों का सवर्धन करने के लिए जिला और ग्राम बोर्ड

***447. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली** : क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि** :

(क) क्या सरकार का लघु उद्योगों के सवर्धन के उद्देश्य से जिला और ग्राम स्तर पर बोर्ड स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) लघु उद्योगों के सवर्धन के लिए अन्य कौन से कदम उठाए जा रहे हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्यमंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) लघु उद्योगों (एस. एस. आई.) का सवर्धन सरकार की एक अभिज्ञ नीति है। वित्तीय उपलब्धता में सुविधा, प्रौद्योगिकी उन्नयन, विपणन, लघु उद्योगों हेतु आधारभूत विकास तथा उद्यमिता विकास को प्रोत्साहित करने हेतु अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, लघु उद्योगों के लिए 30 अगस्त, 2000 को एक व्यापक नीतिगत पैकेज की घोषणा की गई है ताकि इस क्षेत्र को सुदृढ़ बनाया जा सके तथा घरेलू व विश्वीय बाजार दोनों में इसकी प्रतियोगितात्मकता बढ़ाई जा सके।

[अनुवाद]

सस्ते मूल्य पर एच. आई. वी./एड्स की औषधियां उपलब्ध कराना

***448. डा. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी :**
श्री दलपत सिंह परस्ते :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत का, विश्व के विकासशील देशों में एड्स की औषधियों को सामान्य मूल्य पर उपलब्ध कराने हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय औषध सुविधा की स्थापना करने की मांग को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में विश्व स्वास्थ्य संगठन से परामर्श किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस विषय में विश्व स्वास्थ्य संगठन की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (ग) संयुक्त राष्ट्र महासभा दिनांक 25 से 27 जून, 2001 तक के एक विशेष सत्र में एच. आई. वी./एड्स की समस्या पर चर्चा करने के लिए एक बैठक करने जा रहा है। यह पहली बार हो रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा किसी जन स्वास्थ्य समस्या पर चर्चा करने के लिए बैठक कर रही है।

भारत सरकार का विचार, विकासशील देशों में एंटीरिट्रोवायरल और अन्य औषधें उपलब्ध कराने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय औषध सुविधा स्थापित करने का प्रस्ताव रखने का है ताकि एच. आई. वी. से संक्रमित लोगों को या तो मुफ्त अथवा बहुत ही रियायती दरों पर, जिसे वे वहन कर सकें, परिचर्या और सहायता प्रदान की जा सके। कुष्ठ औषधों के लिए इसी प्रकार की एक वैश्विक औषध सुविधा मौजूद है और क्षयरोग औषधों के लिए एक वैश्विक औषध सुविधा स्थापित होने की प्रक्रिया चल रही है। इन दोनों सुविधाओं का संचालन विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किया जाता है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा का विशेष सत्र सदस्य देशों में एच. आई. वी./एड्स के नियंत्रण हेतु एक वैश्विक कार्य सूची पर कार्रवाई करने के लिए एक संकल्प अपनाएगा।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग

***449. श्री अधीर चौधरी :**
श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 मार्च, 2001 के 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' समाचार पत्र में 'सेंट्रल विजिलेंस कमीशन वांट्स मोर, गवर्नमेण्ट गिव्स लैस' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस समाचार में दिए गए तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने सरकार द्वारा उसकी शक्तियों में कटौती करने के प्रयास पर कड़ा विरोध प्रदर्शित किया है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) केन्द्रीय सतर्कता आयोग की शक्तियां बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) दिसम्बर 20, 1999 को लोक-सभा में प्रस्तुत केन्द्रीय सतर्कता-आयोग-विधेयक, 1999 संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेज दिया गया था। उपर्युक्त संयुक्त संसदीय समिति ने नवम्बर 22, 2000 को अपनी रिपोर्ट संसद को पेश कर दी, जिसमें, उसकी, उपर्युक्त विधेयक में 'एकल निदेश' समाविष्ट किए जाने की सिफारिश सहित, विभिन्न सिफारिशें निहित थीं।

उपर्युक्त संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट के संदर्भ में, केन्द्रीय सतर्कता-आयुक्त ने निम्नलिखित मुद्दे उठाए हैं :

(क) उपर्युक्त विधेयक के खंड 8(1)(छ) में उल्लिखित, केन्द्रीय सतर्कता-आयोग के, 'सतर्कता-प्रशासन की देख-रेख' करने के अधिकारों का सीमित किया जाना;

(ख) उपर्युक्त विधेयक में 'एकल निदेश' का समाविष्ट किया जाना; और

(ग) राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा के अंतर्गत, अधिपत्र द्वारा किए जाने हेतु अपेक्षित, राजनय से संबद्ध किसी भी सुपुर्द कार्य के निर्वहन हेतु नियोजन, संघ-राज्य-क्षेत्र के प्रशासक के रूप में नियुक्ति और ऐसे ही किसी सुपुर्द कार्य के निर्वहन हेतु नियोजन अथवा नियुक्ति के संबंध में केन्द्रीय सतर्कता-आयुक्त और अन्य प्रत्येक सतर्कता-आयुक्त द्वारा अपने पद का कार्यभार छोड़ दिए जाने के उपरांत, उनकी अपात्रता।

उपर्युक्त संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों पर लोक-सभा द्वारा, उस समय विचार किया जाएगा जबकि उपयुक्त संसदीय समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट में यथा संस्तुत विधेयक पर विचार किया जाएगा। इस विधेयक के अधिनियमित हो जाने के बाद, यह केन्द्रीय सतर्कता-आयोग को सांविधिक दरजा प्रदान कर देगा।

मिग-विमानों के दुर्घटनाग्रस्त होने की बढ़ती घटनाओं पर उच्च न्यायालय के मार्ग-निदेश

***450. श्री रामजीवन सिंह :**
श्री दिनेश चन्द्र यादव :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने "कॉमन काज" नामक एक गैर-सरकारी संगठन द्वारा दायर एक याचिका पर विचार करते हुए हाल में सरकार से यह कहा है कि वह पिछले कुछ वर्षों में

मिग–21 विमानों के दुर्घटनाग्रस्त होने की बढ़ती घटनाओं की जांच करे; और

(ख) यदि हां, तो उच्च न्यायालय के निदेशों पर सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के अभिमतों पर पर्याप्त ध्यान दिया है। तथापि, सरकार ने मामले के महत्व को पहले से ही समझते हुए पायलटों के दक्षता स्तर, उपयुक्त निर्णय लेने की क्षमता और परिस्थितिजन्य जागरूकता में सुधार लाने के लिए पायलटों के प्रशिक्षण की गुणता में अभिवृद्धि करने के वास्ते पहले से कई उपाय शुरू किए थे। इन उपायों की लगातार समीक्षा की जाती है तथा उनका पुनः आकलन भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त, समस्याओं के उत्पन्न होने पर उनका पता लगाने एवं उनका निदान करने के लिए मिग–21 वायुयान को उड़ाने वाली प्रशिक्षण यूनिटों की गुणवत्ता संबंधी जांच भी की जाती है।

ए. जे. टी. सौदे में लागत वृद्धि

***451. श्री अशोक ना. मोहोल** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 मार्च, के "द एशियन एज" समाचार पत्र में "ए. जे. टी. डील में कॉस्ट रु. 1600 करोड़ मोर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस समाचार में कितनी सच्चाई है;

(ग) क्या सरकार का समाचार पत्रों में उजागर किए गए तथ्यों के मद्देनजर इस विषय में सी. बी. आई. से जांच कराने का विचार है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) दोषी पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) ए. जे. टी. के लिए किसी भी संविदा को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

सॉफ्टवेयर-पाइरेसी

***452. श्री पी. डी. एलानगोवन** : क्या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सॉफ्टवेयर पाइरेसी की वजह से सरकार को अनुमानतः कितने राजस्व का नुकसान हुआ है;

(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा कौन से उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सॉफ्टवेयर अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थानों को कड़ी संवीक्षा और सतर्कता के अधीन रखा गया है; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसे प्रशिक्षण केन्द्रों के अंधाधुंध उद्भव को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, जो झूठा प्रचार और सॉफ्टवेयर क्षेत्र में नौकरी पाने की संभावनाओं का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करके जन सामान्य को धोखा देते हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) चूंकि अधिकांश राज्यों में सॉफ्टवेयर पर कोई सीमा शुल्क तथा बिक्री कर नहीं है, अतः सॉफ्टवेयर की चोरी के कारण सरकार को राजस्व का नुकसान नगण्य है।

(ख) सरकार ने सॉफ्टवेयर की चोरी रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं :

i) भारत में सॉफ्टवेयर का बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) प्रतिलिप्याधिकार कानून के अंतर्गत शामिल है जिसका उल्लंघन करने पर जुर्माना तथा सजा दोनों हो सकते हैं।

ii) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 दिनांक 17.10.2000 से अधिसूचित किया गया है। इस अधिनियम से सॉफ्टवेयर की चोरी रोकने तथा इस समस्या का निवारण करने में सहायता मिलने की उम्मीद है।

iii) सरकार ने प्रतिलिप्याधिकार प्रवर्तन सलाहकार परिषद् का भी गठन किया है, जो प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम को लागू करने में हुई प्रगति की समीक्षा करती है तथा बेहतर ढंग से इसे लागू किए जाने के उपायों पर सलाह भी देती है।

iv) सरकार नैसकॉम के चोरी–विरोधी अभियान को सहायता दे रही है तथा विभिन्न सरकारी विभागों को सॉफ्टवेयर की वैध प्रति का ही इस्तेमाल करने के अनुदेश भी जारी किए गए हैं।

v) सॉफ्टवेयर पर सीमा शुल्क शून्य कर दिया गया है।

(ग) और (घ) जबकि अनौपचारिक क्षेत्र में कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के बारे में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (एआईसीटीई) द्वारा कोई विनियम नहीं है, भारत सरकार ने एक योजना शुरू की है जिसे इलेक्ट्रानिकी विभाग कम्प्यूटर पाठ्यक्रम मान्यता (डीओईएसीसी) योजना के रूप में जाना जाता है ताकि देश में कम्प्यूटर शिक्षण की क्वालिटी में मानकीकरण तथा सुधार लाया जा सके। अनौपचारिक क्षेत्र में शिक्षक वर्ग, सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर की दृष्टि से पूर्व निधारित मानदण्डों और मानकों को पूरा करने वाले संस्थानों/संगठनों (निजी तथा सार्वजनिक) को उनके अनुरोध पर मान्यता दी जाती है। विभिन्न स्तर के पाठ्यक्रमों के लिए डीओईएसीसी योजना के अंतर्गत मान्यता प्राप्त संस्थानों के कार्यनिष्पादन की निगरानी की जाती है जिसमें मिथ्या विज्ञापनों का प्रकाशन भी शामिल है। जहां कहीं भी किसी संस्थान को निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुरूप नहीं पाया जाता है, उसकी मान्यता वापस ले ली जाती है।

परिवार कल्याण कार्यक्रमों की समीक्षा

***453. श्री शिवाजी माने :**
श्रीमती जसकौर मीणा :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में देश में संचालित परिवार कल्याण कार्यक्रमों की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) देश में परिवार कल्याण कार्यक्रमों को प्रभावपूर्ण ढंग से कार्यान्वित करने हेतु सरकार ने भविष्य के लिए क्या योजना बनाई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (ग) राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के कार्यान्वयन की बार–बार समीक्षा की जाती है। इनके फलस्वरूप, मातृ एवं बाल स्वास्थ्य, व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम, शिशु जीवन–रक्षा और सुरक्षित मातृत्व जैसे चल रहे सभी शीर्ष कार्यक्रमों को 1997 में शुरू किए गए प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य के समग्रतावादी, एकीकृत कार्यक्रम में मिला दिया गया था।

केन्द्रीय रूप से परिभाषित, विधि–विशिष्ट लक्ष्यों को विकेन्द्रीकृत नियोजन और कार्यान्वयन के साथ समुदाय आधारित आवश्यकता मूल्यांकन द्वारा बदला गया जो हमें इन पता लगाई गई आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ बनाएंगे। इससे राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम में एक प्रतिमान परिवर्तन हुआ। इसने जागरूकता और प्रत्याशाओं के स्तरों को बढ़ाने का कार्य किया है।

केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और सचिव, परिवार कल्याण विभाग ने समय–समय पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों और राज्यों के परिवार कल्याण के प्रभारी सचिवों के साथ परिवार कल्याण कार्यक्रम के राज्य–विशिष्ट के कार्यान्वयन और कार्यनिष्पादन की समीक्षा की है।

मंत्रिमंडलीय सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की एक समिति द्वारा जनांकिकीय रूप से पिछड़े राज्यों में राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा की जा रही है।

राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए नीति और संस्थागत ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए कई उपाय किए गए हैं।

फरवरी, 2000 में अपनाई गई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 में भारत के लोगों की प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अगले दशक के दौरान लक्ष्यों को बढ़ाने और कार्यनीतियों की प्राथमिकता तय करने के लिए एक नीतिगत ढांचे की व्यवस्था है। इसमें स्वैच्छिक क्षेत्र, गैर–सरकारी क्षेत्र, निजी निगमित क्षेत्र और समुदाय की साझेदारी में प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवाओं के व्यापक पैकेज की पहुंच और कवरेज को बढ़ाते हुए शिशु जीवन–रक्षा, मातृ स्वास्थ्य और गर्भनिरोधन के मुद्दों पर साथ–साथ ध्यान देने का प्रयोजन है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2000 में निम्नलिखित निकायों के गठन की संस्तुति की गई :

(i) राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग।

(ii) राज्य/संघ क्षेत्र जनसंख्या आयोग।

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की अंतर–क्षेत्रीय और अंतर–मंत्रालय कार्यसूची के कार्यान्वयन के निरीक्षण और समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 11 मई, 2000 को राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन किया गया। इस आयोग की पहली बैठक 22 जुलाई, 2000 को आयोजित की गई।

आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप में राज्य/संघ क्षेत्र जनसंख्या आयोगों का गठन कर

दिया गया है। बहुत से अन्य राज्यों ने सूचना दी है कि वे इस निकाय का गठन करने की प्रक्रिया में हैं।

32 राज्यों और संघ क्षेत्रों में जनांकिकीय परिवृत्ति (ट्रांजिशन) में महत्वपूर्ण अंतर–राज्यीय भिन्नताएं हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 में संस्तुति की गई कि जनांकिकीय रूप से पिछड़े राज्यों में राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम पर केन्द्रित ध्यान दिया जाए। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की पहली बैठक में प्रधान मंत्री जी ने त्रुटिपूर्ण राष्ट्रीय सामाजिक–जनांकिकीय सूचकों वाले जनांकिकीय रूप से पिछड़े राज्यों पर केन्द्रित ध्यान देने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के भीतर एक शक्ति–प्राप्त कार्यदल बनाने की घोषणा की।

तदनुसार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा, उत्तरांचल, झारखंड और छत्तीसगढ़ को केन्द्रित ध्यान प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में एक शक्ति–प्राप्त कार्यदल को गठित और अधिसूचित किया गया है।

इस शक्ति–प्राप्त कार्यदल के विचारार्थ विषय बहुत ही व्यापक हैं :

(i) जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने में पिछड़ रहे क्षेत्रों/राज्यों में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 में बताए गए सामाजिक–जनांकिकीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य वाले कार्यक्रम तैयार करना।

(ii) उनकी राज्य जनसंख्या नीति में निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने में संबंधित राज्य सरकारों की सहायता करना।

(iii) स्वैच्छिक संघों, सामुदायिक संगठनों और पंचायती राज संस्थाओं की अर्थपूर्ण सहभागिता के लिए तरीके तैयार करना।

(iv) गर्भनिरोधकों के सामाजिक विपणन के क्षेत्र का इस ढंग से विस्तार करने की संभाव्यता का पता लगाना कि जागरूकता स्तरों को बढ़ाते हुए उनकी पहुंच को आसान बनाया जा सके।

22 जुलाई, 2000 को राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की पहली बैठक को संबोधित करते हुए प्रधान मंत्री ने यह भी घोषणा की कि विशिष्ट तौर से जनसंख्या स्थिरीकरण की सहायता के लिए तैयार की गई परियोजनाओं की सहायता करने और इस राष्ट्रीय हित को आगे बढ़ाने में व्यक्तियों, उद्योगों, व्यापारिक संगठनों इत्यादि से स्वैच्छिक अंशदान के प्रवाह के लिए एक रास्ता बताने के लिए भारत सरकार द्वारा 100 करोड़ रुपये के प्रारंभिक अंशदान से एक राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरीकरण निधि स्थापति की जायेगी। एक समिति पंजीकृत की गई है। जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए वित्त मंत्रालय ने बीज धन के रूप में 50 करोड़ रुपये का अंशदान किया है।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने के लिए आगे विशिष्ट उपाय किए गए हैं।

प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अनुरूप सूचना, शिक्षा व संचार कार्यनीति के अंग के रूप में श्रव्य–दृश्य और दृश्यगत सॉफ्टवेयर बनाने, जन प्रचार के साधनों द्वारा विज्ञापन अभियान तैयार करने के लिए निजी व्यावसायिक अभिकरणों की सेवाएं ली गई हैं। इसके अतिरिक्त, परिवार कल्याण विभाग के परिवार नियोजन के सूचना, शिक्षा व संचार संघटकों को अब जिला स्तर तक विकेन्द्रीकृत कर दिया गया है और जिला साक्षरता समिति के सुझावों के अनुसार ही जिला सूचना, शिक्षा व संचार योजना का अनुमोदन किया जाता है। ग्रामीण आम भाषा, मुहावरों और आवश्यकताओं के अनुसार सूचना, शिक्षा व संचार संबंधी कार्यकलाप सुझाने के लिए जिला साक्षरता समिति पूरी तरह से शक्ति–प्राप्त है।

आपूर्तियों और सेवाओं के सामाजिक विपणन के लिए एक राष्ट्रीय कार्यनीति तैयार होने ही वाली है। यह कार्यनीति निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ स्वैच्छिक क्षेत्र, गैर–सरकारी संगठनों, सामाजिक विपणन संगठनों, निजी निगमित क्षेत्र, सरकार, पंचायती राज संस्थाओं और सेवाओं का प्रसार करने के लिए एक ढांचा प्रदान करेगी

(i) सामाजिक लाभदायक स्वास्थ्य आचरणों, उत्पादों और सेवाओं की स्वीकार्यता और इनको अपनाने की बात को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना।

(ii) शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य विस्तृत सूचना, उत्पादों और सेवाओं की पहुंच और व्यापक सीमा तक उपलब्धता की समानता में सुधार।

(iii) गर्भनिरोधकों के पूर्ण उपयोग, विशेषतया जनसंख्या के सभी खंडों में बच्चों के जन्म में अंतर की विधियों में वृद्धि को कायम रखना।

गांवों में परिवार कल्याण कार्यक्रम के प्रसार के लिए महिला स्वास्थ्य संघ और ग्रामीण स्वयं सेवी समूहों का अधिकता से उपयोग किया जा रहा है। यद्यपि, ये निकाय पक्की तौर से पंचायती राज संस्थान प्रणाली के अंतर्गत नहीं आते हैं, तथापि, गांव के जागरूक और सक्रिय सदस्य पंचायती राज संस्थानों और ऐसे निकायों में प्रायः प्रतिनिधित्व करते हैं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की व्यापक सेवाओं को एक स्थान

पर एक ही समय में उपलब्ध करने के लिए वर्ष 2000–2001 के दौरान मथुरा, दिल्ली, कारगिल, पटना और लखनऊ में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मेलों की एक शृंखला आयोजित की गई है। इन स्वास्थ्य मेलों को लोकप्रियता मिल रही है। ये मेले जनसंख्या के विभिन्न खंडों में पूरी न हुई आवश्यकताओं पर ध्यान देते हैं।

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 की विभिन्न कार्यनीतियों को कार्यान्वित करने के लिए एक वार्षिक कार्रवाई योजना तैयार की गई है और इसे अगस्त, 2000 से अगस्त, 2001 तक के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है।

अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, झारखण्ड, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल राज्यों के मुख्य सचिवों/परिवार कल्याण सचिवों के साथ इन राज्यों में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 के कार्यान्वयन का जायजा लेने के लिए एक बैठक की थी। बैठक के दौरान इन राज्यों के प्रतिनिधियों द्वारा चिंता के प्रमुख विषयों को दर्शाते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। सरकार द्वारा अपनाई गई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 में अभिकल्पित अल्प/मध्य/दीर्घकालीन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए राज्य सरकारों को जमीनी वास्तविकताओं और उनकी क्षेत्र विशिष्ट समस्याओं (क्षेत्रवार/जिलावार) पर ध्यान देते हुए पक्की एवं विस्तृत कार्रवाई योजना तैयार करने को कहा गया है।

स्वास्थ्य सुविधाएं

***454. श्री के. पी. सिंह देव :**
डा. वी. सरोजा :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को विशेष दर्जा प्रदान करने हेतु कोई समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर दिए जाने की संभावना है;

(घ) क्या प्रत्येक राज्य की राजधानी में आयुर्विज्ञान संस्थान स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है, ताकि संबंधित राज्य के निवासियों को उनके गृह राज्य में ही बेहतर चिकित्सा–सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा उन लोगों को जो उपचार के लिए दिल्ली नहीं आ सकते, राष्ट्रीय स्तर की आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (ग) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी और इसे राष्ट्रीय महत्व की एक संस्था के रूप मे घोषित किया गया था। चिकित्सीय और वैज्ञानिक क्षेत्रों में "उत्कृष्टता केन्द्रों" के वेतन ढांचे, पर्कों और अटैंडेंट आधारभूत ढांचे की जांच करने के लिए एक कार्यसमूह गठित किया गया है जिसके संयोजक सचिव, व्यय विभाग हैं। कार्य समूह का संघटन नीचे दिए अनुसार है :

(i) सचिव, व्यय विभाग – संयोजक

(ii) सचिव, माध्यमिक शिक्षा एवं उच्चतर शिक्षा विभाग

(iii) सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

(iv) सचिव, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

(v) महानिदेशक, राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली

(vi) निदेशक, भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद

(vii) महानिदेशक, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली

(viii) महानिदेशक, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली

कार्य समूह मानदंड और मापदंड तैयार करेगा जिससे ऐसी संस्थाओं के दीर्घकालीन विकास के प्रयोजन के लिए "उत्कृष्टता केन्द्रों" को अलग करने और उनका पता लगाने हेतु मदद मिलेगी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भी कार्य समूह के विचारार्थ विषय के अधीन आता है।

(घ) से (च) 'स्वास्थ्य' राज्य का एक विषय है और अस्पतालों का विकास और अन्य संबद्ध मामले राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। तथापि, पूर्वोत्तर क्षेत्र की अपेक्षाओं को देखते हुए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के मॉडल पर शिलांग में पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना की जा रही है। यह विभिन्न विशिष्टताओं और अतिविशिष्टताओं में 35 स्नातकोत्तर शिक्षण विभागों वाला एक 500 पलंगों वाला रेफरल अस्पताल होगा। मेघालय राज्य सरकार ने प्रस्तावित संस्थान के लिए मावडियांगडियांग में भमि प्रदान की है और इस परियोजना को वर्ष 2005 तक पूरा किए जाने की संभावना है।

विकलांगों के लिए नौकरियों में आरक्षण

***455. श्री प्रभुनाथ सिंह :**
श्री अब्दुल रशीद शाहीन :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने निःशक्त व्यक्तियों के लिए नौकरियों में आरक्षण लागू करने के प्रति सरकार की उदासीनता पर गम्भीर चिन्ता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) आज की स्थिति के अनुसार प्रत्येक श्रेणी में निःशक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों की संख्या कितनी है और उनमें से कितने पद रिक्त पड़े हैं तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान, निःशक्त व्यक्तियों को कितनी संख्या में नौकरियां दी गईं;

(ङ) 2001–2002 के दौरान कितने विकलांग व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराए जाने की संभावना है;

(च) क्या सरकार का विचार निःशक्त व्यक्तियों को पेंशन सुविधा भी उपलब्ध कराने का है;

(छ) क्या सरकार/संबंधित विभागों को इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि विकलांग व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त करने या बैंकों से ऋण लेने अथवा रोजगार कार्यालयों में अपना पंजीयन कराते समय रिश्वत देनी पड़ती है; और

(ज) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान ऐसी कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं और उन पर क्या कार्यवाही की गई?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) माननीय उच्चतम न्यायालय ने निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के अंतर्गत यथाप्रदत्त विकलांग व्यक्तियों को मूल रूप से रोजगार से संबंधित मामले में अन्य बातों के साथ–साथ भारत संघ को उन कदमों को विनिर्दिष्ट करने का निर्देश दिया है जो इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए हैं। निर्देशों के अनुपालन में सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के लिए नौकरी में आरक्षण के प्रावधान के कार्यान्वयन की स्थिति से संबंधित मामले की समीक्षा की है। अनुपालन की वर्तमान स्थिति की विस्तार से समीक्षा करने से यह पाया गया कि हालांकि अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को कार्यान्वित करने में महत्वपूर्ण कार्य किया गया है, विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए सरकारी नीति और कानून के भाव का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए और सशक्त कदम उठाने की आवश्यकता है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, अभिज्ञात पदों में विकलांग व्यक्तियों के लिए नौकरियों में आरक्षण की स्थिति 3 प्रतिशत की सांविधिक आवश्यकता से अधिक है।

(ग) से (ङ) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार मंत्रालयों/विभागों के संबंध में नौकरी प्राप्त व्यक्तियों की कुल संख्या निम्नानुसार सूचित है :

1.1.1997	4341*
1.1.1998	7036*
1.1.1999	7263**

*64 मंत्रालयों/विभागों से डी. ओ. पी. टी. द्वारा यथाप्राप्त सूचना।
**49 मंत्रालयों/विभागों से डी. ओ. पी. टी. द्वारा यथाप्राप्त सूचना।

अद्यतन उपलब्ध सूचना के अनुसार, मंत्रालयों/विभागों द्वारा नियोजित विकलांग व्यक्तियों की कुल संख्या 10063 है। यह आंकड़ा कुल 66 मंत्रालयों/विभागों से संबंधित है। जबकि 28 मंत्रालयों/विभागों के संबंध में सूचना 1.1.2000 की स्थिति के अनुसार, शेष के लिए यह 1.1.1999 की स्थिति के अनुसार है।

वर्ष 1997 में लोक उद्यम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार, 222 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कम से कम 6313 व्यक्ति नौकरी में हैं। लोक उद्यम विभाग से नवम्बर, 2000 में प्राप्त सूचना के अनुसार 191 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में नियोजित व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 8840 हो गई है।

वर्ष 2001–2002 के दौरान विकलांग व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किये जाने की संभावित संख्या भर्ती एजेंसियों को सूचित बैकलॉग रिक्तियों पर निर्भर करेगी। विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध भर्ती एक सतत प्रक्रिया है तथा इसलिए, रिक्ति के सृजित होने पर तथा इसे भरने के बीच सामान्यतः एक अंतर है। डी. ओ. पी. टी. द्वारा सूचना एकत्र करने में समय की कमी होती है क्योंकि प्रत्येक मंत्रालय/विभाग को क्षेत्र कार्यालयों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, यदि कोई हो, आदि सहित अधीनस्थ/सम्बद्ध कार्यालयों से इसे एकत्र करना होता है।

(च) विकलांगता पेंशन प्रदान करने की योजना 17 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित की जाती है।

(छ) इस मंत्रालय के नोटिस में ऐसा कोई मामला नहीं लाया गया है।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बेरोजगारी की समस्या

***456. श्री नवल किशोर राय :**
श्री रामजीलाल सुमन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में बेरोजगारी की समस्या को कम करने को प्राथमिकता प्रदान करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंत में विभिन्न श्रेणियों के बेरोजगार व्यक्तियों के संबंध में कोई आकलन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या में कितनी बढ़ोत्तरी हुई?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) और (ख) भारत में आयोजना प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य रोजगार सृजन है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए कार्यनीति तैयार करने के उद्देश्य से योजना आयोग द्वारा एक संचालन समिति तथा कई कार्यदलों का गठन किया गया है, जिन्होंने अपना कार्य शुरू कर दिया है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) के 55वें दौर के सर्वेक्षण (1999–2000) के मुख्य परिणामों के आधार पर योजना आयोग में किए गए आकलन के अनुसार, देश में 1999–2000 में बेरोजगारों की संख्या 8.94 मिलियन थी। बेरोजगारों की संख्या के श्रेणीवार ब्यौरे निम्नांकित सारणी में दिए गए हैं :

सारणी : बेरोजगारों की संख्या (मिलियन)

	1993–94	1999–2000
	1	2
ग्रामीण पुरुष	2.75	3.30
ग्रामीण महिलाएं	0.83	1.03
ग्रामीण	3.58	4.34
शहरी पुरुष	2.75	3.53
शहरी महिलाएं	1.16	1.08
शहरी	3.91	4.61

जनसंख्या स्थिरीकरण नीति

***457 श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :**
श्री सुंदरलाल तिवारी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के कार्यनीतिक सहायता–समूह ने एक द्विसूची कार्यनीति पर काम करना आरम्भ किया है, जिसमें जनसंख्या स्थिरीकरण हेतु प्रयास करने और उसकी प्राप्ति करने के लिए एक क्षेत्र–विशिष्ट और विषयवस्तु–विशिष्ट कार्ययोजना पर ध्यान दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राज्यों और स्थानीय–स्तर की संस्थाओं को भी सहयोजित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त योजना का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग को जनांकिकीय, शैक्षिक, पर्यावरणिक और विकासात्मक कार्यक्रमों के बीच सहक्रिया को बढ़ावा देने और केन्द्रीय और राज्य सरकारों के सरकारी अभिकरणों में सुनियोजन तथा कार्यान्वयन में अंतरक्षेत्रीय समन्वय को बढ़ावा देने का अधिदेश मिला है ताकि जनसंख्या स्थिरीकरण को तेज किया जा सके। चूंकि राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग इसके सचिवालय के अलावा एक बड़ा सलाहकार निकाय है, इसलिए भारत सरकार के सभी प्रमुख सचिवों, जिनके कार्यक्रमों का राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 में निर्धारित किए गए कार्यनीति संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने पर सीधा प्रभाव पड़ता है, का एक कोर ग्रुप गठित करना आवश्यक समझा जाता है। कार्यनीति संबंधी समर्थन समूह में विचार–विमर्श करने के बाद आयोग द्वारा जनसंख्या स्थिरीकरण से संबंध रखने वाले विभिन्न मुद्दों की विस्तृत जांच करने के लिए अनेक कार्यसमूह/सलाहकार समूह गठित किए गए हैं। ये समूह अपनी रिपोर्टों/सिफारिशों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में हैं। इन रिपोर्टों/सिफारिशों पर पुनः कार्यनीति समर्थन समूह द्वारा नीतियों और कार्यक्रमों तथा उनके कार्यान्वयन में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए विचार किया जाएगा।

(ग) इसके अतिरिक्त, प्रधान मंत्री ने राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की पहली बैठक में अपने भाषण में यह घोषणा की कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में विशेष रूप से विभिन्न सामाजिक–जनांकिकीय संसूचकों की कमी वाले क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए अधिकार प्राप्त समूह गठित किया जाए। तदनुसार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा, उत्तरांचल, झारखंड और छत्तीसगढ़ पर विशेष ध्यान देने के लिए मार्च, 2001 के दौरान एक अधिकार प्राप्त कार्य समूह अधिसूचित किया गया है। इन राज्यों में जनसंख्या स्थिरीकरण प्रयासों की सफलता का असर राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक जनांकिकीय संकेतकों पर पड़ेगा।

अधिकार प्राप्त कार्य समूह :

* उन क्षेत्रों/राज्यों, जो जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने में पिछड़ रहे हैं, में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 में निर्दिष्ट किए गए सामाजिक–जनसांख्यिकीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लक्षित कार्यक्रमों को तैयार करेगा।
* संबंधित राज्य सरकारों को उनकी राज्य जनसंख्या नीति में निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करेगा।
* स्वैच्छिक संघों, सामुदायिक संगठनों तथा पंचायती राज संस्थाओं की अर्थपूर्ण भागीदारी के लिए उपाय करेगा।
* गर्भनिरोधकों के सामाजिक विपणन के क्षेत्र के विस्तार की संभावना का इस ढंग से पता लगाएगा जिससे जागरूकता स्तरों को उठाते समय भी उन्हें आसानी से सुलभ किया जाएगा।

(घ) (i) जनसांख्यिकीय रूप से कमजोर राज्यों में परिवार कल्याण कार्यक्रम के कार्यान्वयन में कार्यनिष्पादन की समीक्षा मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता वाली सचिवों की समितियों द्वारा समय–समय पर की जा रही है।

(ii) राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग जनसंख्या स्थिरीकरण के राष्ट्रीय उद्देश्य को प्राप्त करने में राज्य तथा स्थानीय स्तरीय संस्थाओं को शामिल करने का भी प्रस्ताव करता है। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग ने राज्यों, जहां उच्च जनसंख्या वृद्धि है, में राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने हेतु दो बैठकें आयोजित की हैं। इन बैठकों में, समस्या वाले क्षेत्रों तथा परिवार कल्याण सेवाएं प्रदान करने में रही कमियों पर उपचारी कार्रवाही हेतु पहचान की गई। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग द्वारा इसके कार्यकलापों में आवश्यक शैक्षिक/अनुसंधान सहयोग शामिल करने के लिए जनसांख्यिकीय विषयों पर अनुसंधान कार्य करने वाले जनसंख्या अनुसंधान केन्द्रों तथा संस्थाओं का एक सेमिनार आयोजित किया गया। जिलों, जिन्हें जनसांख्यिकीय रूप से संवेदनशीन जिलों के रूप में पहचाना गया है, के जिला मजिस्ट्रेटों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया। भाग लेने वालों ने जनसंख्या स्थिरीकरण से संबंधित एक कार्रवाही कार्यक्रम अंगीकार करने का निश्चय किया। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग इसके द्वारा गठित किए गए कार्य समूहों/सलाहकारी समूहों की सिफारिशों के आधार पर राज्यों तथा स्थानीय स्तरीय संस्थाओं को शामिल करने के लिए और आगे कार्रवाई शुरू करेगा।

[अनुवाद]

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग की मांग

***458. श्री के. ई. कृष्णमूर्ति : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत सरकार से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार के दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने की अनुमति देने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए आबंटित निधियों का राज्य सरकारों द्वारा समुचित रूप से उपयोग नहीं किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा क्रमशः अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए आबंटित निधियों का उपयोग मुख्य रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से किया जाता है। अनुचित उपयोग के कुछ मामलों की सूचना प्राप्त हुई है जिन्हें संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को उपयुक्त कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। इसके अतिरिक्त, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय ने निधियों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए अनेक उपाय किए हैं जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए प्रदान की गई राशि का उपयोग करने के उद्देश्य से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय निम्नलिखित उपाय कर रहे हैं :

(1) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियों की निर्मुक्ति प्राप्त प्रस्तावों की विस्तृत जांच के आधार पर की जाती है।

(2) नई निर्मुक्तियां करने से पूर्व पहले की निर्मुक्तियों के संबंध में उपयोग प्रमाण पत्रों पर जोर दिया जाता है।

(3) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति, शामिल किए गए लाभग्राहियों तथा अन्य संबंधित सूचना/आंकड़े दर्शाने वाली आवधिक प्रगति रिपोर्ट प्राप्त की जाती हैं।

(4) योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए इन मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का दौरा करते हैं।

(5) योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति का पता लगाने के लिए इस विषय के प्रभारी राज्य सचिवों के साथ बैठकें आयोजित की जाती हैं।

(6) गैर–सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित योजनाओं के मामले में निधियों की निर्मुक्ति राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की सिफारिशें प्राप्त होने के बाद और गैर सरकारी संगठन की प्रतिष्ठा, विगत निष्पादन आदि के मूल्यांकन के पश्चात की जाती है। आवधिक प्रगति रिपोर्टों के अतिरिक्त, गैर सरकारी संगठनों से वार्षिक लेखे तथा लेखा परीक्षित रिपोर्टें और उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है जिनके आधार पर आगे निधियों की निुर्मक्ति की जाती है। गैर–सरकारी संगठनों का निरीक्षण राज्य सरकार संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारियों तथा अन्य प्राधिकारियों और केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों के माध्यम से भी किया जाता है।

[हिन्दी]

भूमण्डलीकरण के पश्चात पूंजी निवेश में बढ़ोत्तरी

***459. श्री जोरा सिंह मान :**
डा. सुशील कुमार इन्दौरा :

क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में औद्योगिक उदारीकरण और भूमंडलीकरण की घोषणा के पश्चात लघु उद्योग क्षेत्र में पूंजी निवेश बढ़ाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1997–98, 1998–99, 1999–2000 के दौरान लघु उद्योग क्षेत्र में अनुमानतः कितने निवेश की आवश्यकता थी; और

(ग) इन वर्षों के दौरान लघु उद्योग क्षेत्र में पूंजी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए सरकार द्वारा कौन से नए उपाय किए गए हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) सरकार समय–समय पर निरन्तर जांच पड़ताल करती रही है कि किन हाई टेक और निर्यात उन्मुखी उद्योगों की यह अपेक्षा रही है कि लघु उद्योगों के लिए निवेश सीमा में इजाफा हो ताकि वे प्रतिस्पर्धा कुशलता (एज) का अनुरक्षण करने में सक्षम हो सकें। निटवियर और हैंडलूम उद्योगों के संबंध में एक प्रारूप आदेश, जिसमें निवेश सीमा को बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये किया गया है, दिसम्बर, 2000 में संसद में रखा गया है। यह उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के उपरान्त लागू होगा।

(ख) लघु उद्यम, 2000 के संबंध में सिडबी की रिपोर्ट के अनुसार लघु उद्योगों में नियत निवेश की आंकलित अपेक्षा क्रमशः वर्ष 1997–98 में 70.891 करोड़ रुपये,1998–99 में 77.531 करोड़ रुपये और 1999–2000 में 82.411 करोड़ रुपये थी।

(ग) सिडबी की राष्ट्रीय इक्विटी निधि के माध्यम से इक्विटी वित्तपोषण को परियोजना लागत की सीमाओं की वृद्धि द्वारा अपेक्षाकृत सरल कर दिया गया है। मिश्रित ऋणों की सीमाओं को बढ़ा दिया गया है और एक क्रेडिट गारंटी योजना आरंभ की गई है। इसके अतिरिक्त, सिडबी की प्रौद्योगिकी विकास एवं आधुनिकीकरण निधि योजना के साथ–साथ प्रत्येक कैलस्टर के लिए विशिष्ट लघु उद्योग बैंक शाखाएं इन वर्षों के दौरान अनुमोदित की गई हैं।

[अनुवाद]

ई-गवर्नेंस

***460 श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील :** क्या **सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में 'सेंटर फॉर ई–गवर्नेंस' की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो इस केन्द्र द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं का ब्यौरा क्या है तथा यह कहां स्थित है;

(ग) क्या सम्पूर्ण देश में ऐसे केन्द्रों की स्थापना करने के संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) 'ई–गवर्नेस सेंटर' के वित्तीय पहलुओं का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) से (ङ) जी, हां। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक ई–शासन केन्द्र स्थापित किया है। यह केन्द्र इलैक्ट्रॉनिक्स निकेतन, नई दिल्ली में स्थित है। इस केन्द्र में ई–शासन के क्षेत्र में सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों का प्रदर्शन किया जाता है और केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों के निर्णयकर्ताओं में जागरूकता पैदा करने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। देश के कुछ सफल अनुप्रयोगों का प्रदर्शन भी यहां किया जाता है।

यह केन्द्र सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से जुड़ा हुआ है और इसका व्यावसायिक अथवा राजस्व अर्जन का कोई उद्देश्य नहीं है। इसका कोई स्वतंत्र वित्तीय पक्ष नहीं है।

भारत-कोरिया केन्द्र

4565 श्री जी. एम. बसवराज : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने के कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी भारत–कोरिया केन्द्र की स्थापना की गयी है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह केन्द्र व्यापार, शिक्षा और सांस्कृतिक आदान–प्रदान के माध्यम से भारत और कोरिया के बीच परस्पर लाभप्रद संबंधों को बढ़ावा देगा;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई ठोस कदम उठाये गये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) दोनों देशों के बीच हाल के वर्षों में किस सीमा तक व्यापार बढ़ा है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) से (घ) जी, नहीं। भारत–कोरिया सेन्टर नामक एक निजी कोरियाई संगठन अगस्त 2000 में गठित किया गया जिसका मुख्यालय सियोल में है। इसके कथित रूप से दो प्रतिनिधि भारत में हैं। यह केन्द्र अभी प्रचालित नहीं है। न तो कोरियाई सरकार और न ही भारत सरकार का इस केन्द्र के साथ कोई संबंध है।

(ङ) भारत–कोरियाई द्विपक्षीय व्यापार 1997–98 के 5460.74 करोड़ रुपये से बढ़कर 1998–99 में 7150.23 करोड़ रुपये हो गया। वर्ष 1999–2000 में द्विपक्षीय व्यापार थोड़ा गिरकर 7109.67 करोड़ रुपये का हुआ।

कम्प्यूटरों की बिक्री

4566. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :
श्री अशोक ना. मोहोल :

क्या **सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2000–2001 की पहली छमाही के दौरान भारत में अंतर्राष्ट्रीय रुझानों की तुलना में कम्प्यूटर की बिक्री घटी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारत और अन्य देशों में कम्प्यूटरों के तुलनात्मक मूल्य की जांच के लिए कोई अध्ययन कराया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी कृतिक बल ने देश में कम्प्यूटरों के अधिक मूल्य पर रोक लगाने हेतु कोई सुझाव दिया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) जी, हां। प्रधान मंत्री कार्यालय द्वारा मई, 1998 में गठित राष्ट्रीय सूचमा प्रौद्योगिकी एवं सॉफ्टवेयर विकास कार्यदल ने देश में कम्प्यूटरों के मूल्यों को कम करने के लिए विभिन्न उपाय सुझाए हैं। ये उपाय हैं उपादानों जैसे कि भंडारण युक्तियों, एकीकृत परिपथ, रंगीन ग्राफिक प्रदर्श ट्यूब, रंगीन मॉनीटरों के लिए विक्षेपण संघटक–पुर्जे, कम्प्यूटरों के पुर्जों तथा स्टेपर मोटर आदि पर सीमा

शुल्क को 0 प्रतिशत तक कम करना। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने इन वस्तुओं पर सीमा शुल्क को शून्य प्रतिशत कर दिया है लेकिन कम्प्यूटर के पुर्जों तथा स्टेपर मोटरों पर शुल्क को 5 प्रतिशत के स्तर पर ही रखा गया है।

मस्तिष्क मलेरिया

4567. श्री सईदुज्जमा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसंधान और विकास में कार्यरत वैज्ञानिकों को बंगलौर में मस्तिष्क मलेरिया पर नियंत्रण में नयी सफलता मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन निष्कर्षों को उपभोक्ताओं के लाभ हेतु कब तक व्यावहारिक रूप दिया जायेगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (ग) जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्र एवं भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलूर के वैज्ञानिकों ने यह पाया है कि ट्रिक्लोसान प्लास्मोडियम फालसीपेरम (मानव प्रमस्तिष्कीय मलेरिया) के प्रति प्रभावकारी हैं। इस अवस्था में यह प्रयोगशाला में प्रायोगिक स्तर पर है। पूरे विश्व में उपभोक्ताओं के लाभ के लिए व्यावहारिक रूप देने से पहले इस अनुसंधान को विष वैज्ञानिक अध्ययनों और मानव में नैदानिक परीक्षणों आदि जैसी विभिन्न अवस्थाओं से गुजरना है।

रक्षा खरीदारी बोर्ड

4568. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रक्षा खरीदारी बोर्ड गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है; और

(घ) रक्षा सौदों में पारदर्शिता लाने हेतु कौन से अन्य कदम उठाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (ग) समग्र राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था की पूरी तरह से समीक्षा करने तथा विशेष रूप से कारगिल समीक्षा समिति की सिफारिशों पर विचार करने और कार्यान्वयन के लिए विशिष्ट प्रस्ताव तैयार करने के लिए सरकार द्वारा 17 अप्रैल, 2000 को गठित मंत्रियों के समूह ने, अन्य बातों के साथ-साथ, खरीद कार्यों से संबंधित संपूर्ण प्रक्रिया को और अधिक व्यावसायिक तथा किफायती बनाने के लिए अलग से केवल इसी कार्य हेतु एक संस्थागत ढांचा अर्थात् अधिप्राप्ति बोर्ड बनाने के लिए सिफारिश की है। मंत्रियों के इस समूह की सिफारिशें 26.02.2001 को प्रधान मंत्री को प्रस्तुत कर दी गई हैं। रिपोर्ट की जांच तथा उसको स्वीकार किए जाने के बाद यथा अपेक्षित कार्रवाई शीघ्र की जाएगी।

(घ) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से सरकार ने 21.9.2000 से 75 करोड़ रुपये से अधिक के सभी बड़े रक्षा सौदों की अनिवार्य तथा समयबद्ध संवीक्षा किए जाने के लिए एक कार्यविधि तैयार की है। तदनुसार, 75 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के सभी खरीद/अधिप्राप्ति संबंधी निर्णय/कार्य-संबंधी ठेकों का ब्यौरा, ऐसे निर्णय लिए जाने की तारीख से सामान्य तौर पर एक माह के भीतर तथा किसी भी स्थिति में तीन माह के अंदर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को भेज दिया जाएगा। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ऐसे सभी मामलों की यथासंभव शीघ्र संवीक्षा करके तथा उसकी रिपोर्ट सरकार को देगा। रक्षा मंत्रालय में मुख्य सतर्कता अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की इन रिपोर्टों की संवीक्षा करेगा कि क्या अनुशासनिक/सतर्कता/कानूनी कार्रवाई शुरू किए जाने के लिए कोई मामला बनता है। तदुपरांत, जहां आवश्यक होगा, रक्षा मंत्रालय के मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा केन्द्रीय सतर्कता आयोग को औपचारिक संदर्भ पत्र भेजा जाएगा। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी किए गए स्थाई अनुदेशों के अनुरूप 2 करोड़ रुपये से ऊपर की सभी संविदाओं का ब्यौरा तिमाही आधार पर नियमित रूप से केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भेजा जा रहा है। इन रिपोर्टों की प्रतियां अब नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को भी भेजी जा रही हैं।

[हिन्दी]

सकल घरेलू उत्पाद का आकलन

4569. श्री नवल किशोर राय : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अस्सी और नब्बे के दशक के दौरान देश के राज्यों में सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर के संबंध में आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो अस्सी और नब्बे के दशक के दौरान सभी

राज्यों में सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये थे; और

(ग) कितनी अनुमानित वास्तविक विकास दर हासिल किए जाने की संभावना है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) से (ग) अस्सी एवं नब्बे के दशक के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) की राज्यवार वृद्धि दर संलग्न विवरण में दर्शायी गयी है। पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के वृद्धि लक्ष्य राज्य–वार निर्धारित नहीं किए जाते हैं।

विवरण

अस्सी (1981–91) एवं नब्बे (1994–99) के दशकों के दौरान स्थिर मूल्यों पर जीएसडीपी की वृद्धि दर

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वृद्धि दर	
		अस्सी का दशक	नब्बे का दशक
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	6.3	5.3
2.	अरुणाचल प्रदेश	8.9	4.2
3.	असम	4.1	2.7
4.	बिहार	4.8	4.0
5.	गोवा	5.6	एन. ए.
6.	गुजरात	5.3	8.4
7.	हरियाणा	6.4	5.7
8.	हिमाचल प्रदेश	4.9	6.9
9.	जम्मू व कश्मीर	3.4	एन. ए.
10.	कर्नाटक	5.1	8.3
11.	केरल	3.6	5.7
12.	मध्य प्रदेश	5.1	4.4
13.	महाराष्ट्र	6.0	6.9
14.	मणिपुर	5.0	एन. ए.
15.	मेघालय	5.9	5.9
16.	मिजोरम		एन. ए.
17.	नागालैण्ड	8.0	एन. ए.
18.	उड़ीसा	2.8	4.7
19.	पंजाब	5.2	एन. ए.
20.	राजस्थान	7.4	6.6
21.	सिक्किम	11.0	एन. ए.
22.	तमिलनाडु	5.6	7.0
23.	त्रिपुरा	5.7	8.4
24.	उत्तर प्रदेश	5.0	4.6
25.	पश्चिम बंगाल	4.4	6.8
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	5.0	एन.ए.
27.	दिल्ली	7.5	6.7
28.	पांडिचेरी	4.4	12.4

स्रोत : विभिन्न राज्य सरकारों के आर्थिक एवं सांख्यिकीय निदेशालय

1. एन. ए. उपलब्ध नहीं।
2. अस्सी का दशक 1980-81 से 1990-91 तक (1980–81 शृंखला)
3. नब्बे का दशक 1993–94 से 1998–99, 25.7.2000 की स्थिति के अनुसार उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर (1993–94 शृंखला)

[अनुवाद]

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

4570. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद सदस्यों से आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और गुजरात राज्यों को अपने संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से धनराशि आबंटित करने का अनुरोध किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक प्रत्येक राज्य को कितने संसद सदस्यों ने धन आबंटित किया है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) और (ख) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत संसद सदस्य देश में कहीं भी प्रचंड प्राकृतिक आपदा के समय दिशा निर्देशों में अनुमेय परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु अपने निर्वाचन क्षेत्रों/राज्यों के बाहर प्रत्येक आपदा के लिए 10 लाख रुपये तक के कार्यों की अनुशंसा कर सकते हैं। गुजरात के मामले में एक छूट जारी की गई है, जिसके अनुसार सांसद इस राज्य के भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण कार्य हेतु, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधियों की अपनी उस वर्ष अप्रयुक्त शेष राशि तक जितनी धनराशि का योगदान देना चाहें वे दे सकते हैं। तदनुसार सांसदों को सूचित कर दिया गया है कि वे सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत अनुमेय स्थायी परिसंतियों के निर्माण हेतु अपना योगदान गुजरात राज्य के मुख्य सचिव को भेजें। 31.03.2001 तक सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, सांसदों की संख्या, उनकी स्वीकृति इंगित करते हुए, राज्यवार/सदनवार ब्यौरा नीचे दिया गया है।

राज्य	लोक सभा	राज्य सभा	राशि (लाख रु. में)
उड़ीसा	83	68	1510
पश्चिम बंगाल	28	10	380
गुजरात	66	108	2686
आंध्र प्रदेश	–	–	–
कुल	177	186	4576

चूंकि आपदा से प्रभावित क्षेत्रों का निधियों का योगदान देने के इच्छुक सांसद अपने केंद्रक जिला कलेक्टरों को सुझाव देकर ऐसा कर सकते हैं, आपदा से प्रभावित इन क्षेत्रों के लिए सहयोग की स्वीकृति इंगित करते हुए सांसदों की पूर्ण सूची संबंधित राज्यों के पास उपलब्ध है।

विक्षिप्तता अधिनियम में संशोधन

4571. श्री सुबोध मोहिते : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मानसिक रोगों से ग्रस्त लोगों को मौलिक अधिकार दिलाने हेतु भारतीय विक्षिप्तता अधिनियम में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में देश के गैर–सरकारी संगठनों और अग्रणी मनोचिकित्सकों से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है, और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या फैसला किया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (घ) मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 के बनने के बाद भारतीय विक्षिप्तता अधिनियम, 1912 और विक्षिप्तता अधिनियम, 1977 को रद्द कर दिया गया है। मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 के अंतर्गत पर्याप्त उपाबंध मौजूद हैं जो मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों को मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक अप्रैल, 1993 से लागू हो गए हैं।

अमरीकी-प्रतिनिधिमंडलों की यात्रा

4572. श्री वी. वेत्रिसेलवन : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री के अमरीका दौरे के बाद कई अमरीकी प्रतिनिधिमंडलों ने भारत की यात्रा की;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन यात्राओं के दौरान किन–किन समझौतों पर हस्ताक्षर किये गये; और

(ग) अमरीकी प्रतिबंधों को हटाने के संबंध में इन यात्राओं का क्या प्रभाव पड़ा?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) और (ख) जी, हां। प्रधान मंत्री की सितंबर, 2000 में हुई न्यूयार्क यात्रा के बाद अमरीका से अनेक प्रतिनिधिमंडल भारत आए हैं जिनमें दक्षिण एशिया के लिए असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, प्रिंसीपल डिप्टी अण्डर सैक्रेटरी ऑफ डिफेन्स, सात सदस्यीय सीनेट प्रतिनिधिमण्डल, डेमोक्रेटिक सहअध्यक्ष के नेतृत्व में चार सदस्यीय भारत–कॉकस कांग्रेसी प्रतिनिधिमंडल और भारत–कॉकस के डैमोक्रेटिक और रिपब्लिकन सह–अध्यक्षों दोनों के नेतृत्व में चार सदस्यीय कांग्रेसी प्रतिनिधिमंडल शामिल हैं जो गुजरात भूकम्प के दुष्परिणामों की स्थिति में अपनी एकजुटता व्यक्त करने आये थे। इन यात्राओं के दौरान किसी भी करार पर हस्ताक्षर नहीं हुए।

(ग) इन यात्राओं से भारत–अमरीकी संबंधों के विस्तृत आयाम पर चर्चा करने का अवसर मिला और प्रतिबंधों के मसले सहित एक दूसरे की परिस्थिति को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिली।

एक वर्षीय मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नालॉजी पाठ्यक्रम

4573. श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सफदरजंग अस्पताल बिना किसी अधिकृत निकाय की मंजूरी के मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नालॉजी का एक वर्षीय सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम चला रहा है;

(ख) क्या इस संबंध में अधिकृत निकाय से कोई पूर्व मंजूरी ली गयी थी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सीमा-व्यापार

4574. श्री एम. के. सुब्बा : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या उनकी हाल की म्यांमार यात्रा के दौरान पूर्वोत्तर और म्यांमार में सीमावर्ती स्थलों से तीसरे देश को व्यापार की अनुमति देने के प्रश्न पर चर्चा हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अन्य संस्थाओं के साथ राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान का विलय

4575. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान का अन्य संस्थाओं के साथ विलय का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कई अनुसंधान संस्थान समान कार्य कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो समान कार्य करने वाले विभिन्न संगठनों के लक्ष्य क्या हैं; और

(ङ) ऐसी गतिविधियों को तर्कसंगत बनाने हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) राष्ट्रीय संचारी रोग संस्था को किसी अन्य संगठन/संस्थान के साथ मिलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (ङ) तथापि, संस्थानों के बीच समान प्रकार के कार्यकलापों को चलाने में बेहतर सहयोग और समन्वय हेतु राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान का राष्ट्रीय संचारी रोग निगरानी कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले अन्य संस्थानों के साथ नेटवर्किंग का एक प्रस्ताव है।

मेडिकल कॉलेजों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

4576. श्री किरीट सोमैया : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चिकित्सा महाविद्यालयों में विभिन्न विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाने के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा क्या दिशा-निर्देश/नियम बनाये गये हैं;

(ख) क्या मुम्बई में कई चिकित्सा महाविद्यालय इन नियमों का उल्लंघन कर विभिन्न विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चला रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे पाठ्यक्रम चलाने वाले चिकित्सा महाविद्यालयों के नाम क्या हैं;

(घ) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद ने इसकी जांच की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या-क्या कार्रवाई की गई या की जा रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) मेडिकल कालेजों के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाने हेतु भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा बनाए गए दिशानिर्देश/नियम स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियम, 2000 में विहित हैं जिन्हें भारत के राजपत्र में 7 अक्तूबर, 2000 को प्रकाशित किया गया है।

(ख) जी, नहीं। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद को, मुम्बई के विभिन्न मेडिकल कालेजों में स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रम चलाने

के लिए परिषद के नियमों के उल्लंघन के संबंध में किसी क्षेत्र से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बिहार के पिछड़े जिलों में लघु उद्योगों हेतु समेकित अवसंरचना विकास

4577. **श्री राजो सिंह** : क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को बिहार सरकार से राज्य के पिछड़े जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों हेतु समेकित अवसंरचना विकास के लिए अब तक कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) एकीकृत बुनियादी संरचना विकास (आई. आई. डी.) स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र से सर्वप्रथम ग्रामीण/पिछड़े क्षेत्रों में उपयुक्त स्थान चयन करने, परियोजना प्रस्ताव को सुनिश्चित करने, परियोजना की टेक्नो-इकोनोमिक जीवनक्षम सुनिश्चितता हेतु इसे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) से अनुमोदित कराने की अपेक्षा की जाती है। प्रस्ताव के संबंध में सिडबी की सिफारिशों पर परियोजनाओं की स्वीकृति हेतु सरकार द्वारा विचार किया जाता है। आई. आई. डी. स्कीम के उपबंधों को बिहार सहित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को समय-समय पर उनको सम्बोधित सूचनाओं, प्रेस विज्ञापनों और अधिकारियों इत्यादि के साथ की गई बैठकों के माध्यम से उनके ध्यान में ला दिया गया है।

महाराष्ट्र में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के माध्यम से विशेष रोजगार योजना

4578. **श्री रामदास रूपला गावीत** : क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार खादी और ग्रामोद्योग आयोग के माध्यम से देश में राज्यवार विशेषकर महाराष्ट्र में विशेष रोजगार योजना शुरू करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के अंतर्गत राज्यवार कितनी धनराशि मंजूर की गई?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) खादी और ग्रामोद्योग आयोग के ग्रामीण रोजगार के अवसर सृजित करने संबंधी कार्यक्रम का कार्यान्वयन सारे देश में किया जा रहा है। रोजगार के अवसर सृजित करने संबंधी कोई नया कार्यक्रम सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

प्रशासन में कार्यकुशलता

4579. **श्री राम नायडू दग्गुबाटि** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1998-1999 और 1999-2000 के दौरान प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा सरकारी विभागों में कार्यकुशलता बेहतर बनाने हेतु कितने प्रबंधन संबंधी अध्ययन पूरे कराये गये;

(ख) वर्ष 2000-2001 के दौरान कितने अध्ययनों को शुरू किया गया; और

(ग) 31 मार्च, 2001 तक ऐसे कितने अध्ययनों के पूरा होने की संभावना है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा वर्ष 1998-1999 तथा 1999-2000 के दौरान पूर्ण किये गये प्रबंधन अध्ययनों की संख्या क्रमशः चार और एक है।

(ख) और (ग) वर्ष 2000-2001 के दौरान शुरू किये गये प्रबंध अध्ययनों की संख्या पांच है। इन पांच अध्ययनों में से तीन अध्ययन पूरे कर लिये गये हैं और रिपोर्टें प्रस्तुत कर दी गई हैं।

शेष दो अध्ययनों में से, एक अध्ययन चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक और दूसरा अगले तीन–चार माह में पूरा कर लिये जाने की संभावना है।

आयुर्वेदिक नैदानिक प्रक्रिया

4580. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुराने रोगों जैसे गठिया, लकवा, पोलियो और अन्य तंत्रिका रोगों के इलाज में आयुर्वेदिक नैदानिक प्रक्रियाएं काफी सिद्ध हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार और अधिक कालेज खोलकर छात्रों को प्रशिक्षित कर इस चिकित्सा प्रणाली को प्रोत्साहित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में अंतिम रूप दी गयी योजना का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद तथा अन्य संस्थाओं द्वारा किए गए अनुसंधानों के अनुसार इन रोगों के उपचार में आयुर्वेदिक चिकित्सीय प्रक्रियाएं कारगर पाई गई हैं।

(ख) और (ग) इन प्रक्रियाओं में प्रशिक्षण देने के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक कालेज पहले से ही अच्छी संख्या में है।

[हिन्दी]

सेना के हेलीकॉप्टर का गायब हो जाना

4581. श्रीमती सुशीला सरोज : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सेना का एम. आई.–8 हेलीकॉप्टर 26 फरवरी, 2001 को रहस्यपूर्ण तरीके से लापता हो गया;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को उक्त हेलीकॉप्टर और इसके चालक दल के 6 सदस्यों की कोई सूचना मिली है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार लापता हेलीकॉप्टर का पता लगाने को कोई प्रयास कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) हेलीकॉप्टर के मलबे का अंततः 6 मार्च, 2001 को पता चला। चालक दल के सभी छह सदस्य मृत पाये गये। इस दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए एक जांच–अदालत के आदेश दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (ख) और (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान में परमाणु ऊर्जा उत्पादन

4582. डा. जसवंत सिंह यादव : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन की तीसरी और चौथी इकाई ने काम करना शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे राज्य में विद्युत आपूर्ति में किस सीमा तक वृद्धि होगी;

(ग) क्या परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम ने कोई लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हां। राजस्थान परमाणु बिजलीघर के यूनिट 3 व 4 का वाणिज्यिक रूप से परिचालन क्रमशः 1.6.2000 और 23.12.2000 से शुरू हो गया है।

(ख) इन दोनों यूनिटों ने ग्रिड की विद्युत क्षमता में कुल मिलाकर 440 मेगावाट की वृद्धि की है।

(ग) जी, हां।

(घ) न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा वर्ष 2001–2002 के लिए राजस्थान परमाणु बिजलीघर के यूनिट 3 व 4 के मामले में 2510 मिलियन यूनिट (एम. यूज.) बिजली का उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा वर्ष 2001–02 के लिए अपने सभी यूनिटों के मामले में विद्युत उत्पादन का लक्ष्य 15518 मिलियन यूनिट (एम. यूज) निर्धारित किया गया है।

रक्षा विभाग के बारे में नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों पर की गई कार्यवाही संबंधी टिप्पण

4583. श्री शीशराम सिंह रवि : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने 31 मार्च, 1996 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अपनी 1997 की रिपोर्ट सं. 7 में टिप्पणी की है कि पोर्टेबल इस्पात बिन की खरीद में 42.93 लाख रुपये की अतिरिक्त देयताओं के भुगतान के पश्चात् भी पिछले छः वर्षों में 70 प्रतिशत परिचालन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं की जा सकी है;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय ने मामले की जांच की है;

(ग) यदि हां, तो उससे क्या परिणाम प्राप्त हुए और ऐसे विलंब को रोकने और जवाबदेही तथा जिम्मेदारी तय करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं; और

(घ) नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट के कितने पैराओं पर आपके मंत्रालय द्वारा अभी कोई कार्यवाही नहीं की गई है तथा वे किस तारीख से कार्यवाही हेतु लंबित हैं और ऐसे विलंब के क्या कारण हैं एवं इसे दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। मंत्रालय ने मामले पर विचार किया है तथा दिनांक 15 दिसम्बर, 2000 को की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणी महानिदेशक, लेखापरीक्षा पैरा, रक्षा सेवाएं द्वारा विधीक्षा किए जाने के बाद वित्त मंत्रालय को भेज दी गई है।

(ग) सेना मुख्यालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए अनुदेश जारी किए हैं कि भविष्य में मदों की खरीद संबंधी कार्रवाई समयबद्ध तरीके से की जाए ताकि अनावश्यक विलंब से बचा जा सके।

(घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

आज की स्थिति के अनुसार, वर्ष 1998–99 तक की नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की रिपोर्टों संबंधी 197 लेखापरीक्षा पैरे मंत्रालय में लंबित पड़े हैं तथा उनके लंबित होने का वर्षवार ब्यौरा इस प्रकार है :

वर्ष	92–93	93–94	94–95	95–96	96–97	97–98	98–99	कुल
लंबित लेखा परीक्षा पैरे	10	10	5	16	49	56	51	197

(2) "की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणी" को अंतिम रूप देने में विलंब होने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :

(क) सूचना देने, की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणी का मसौदा तैयार करने एवं लेखापरीक्षा के अभिमतों के उत्तर देने के मामले में अनके एजेंसियों का शामिल होना।

(ख) कई मामलों में, "की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणी" को अंतिम रूप दिया जाना कुछ अन्य कार्रवाइयों जैसे कुछ संविदागत मामलों के निपटान, कतिपय व्यय/हानि के नियमितीकरण अथवा जांच अदालत बिठाने आदि से सम्बद्ध होता है।

(ग) लेखापरीक्षा द्वारा "की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणी" की विधीक्षा करने अथवा अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने में भी कुछ समय लग जाता है।

(3) लंबित "की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणियों" की स्थिति की रक्षा सचिव/सचिव (रक्षा वित्त) तथा संबद्ध संयुक्त सचिवों द्वारा नियमित रूप से पुनरीक्षा की जाती है। सेना अध्यक्षों को भी सलाह दी गई है कि वे लेखापरीक्षा पैराओं के संबंध में तत्काल कार्रवाई करते हुए उत्तर दिया जाना सुनिश्चित करने के लिए संबंधित सेना मुख्यालयों में केन्द्रीय मानीटरी तंत्रों की स्थापना करें। "की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणियों" की विधीक्षा में तेजी लाने के लिए महानिदेशक, लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएं/प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा के अधिकारियों के साथ बैठकें भी आयोजित की जाती हैं।

गुजरात में बच्चों पर भूकम्प का प्रभाव

4584. श्रीमती मिनाती सेन :
प्रो. ए. के. प्रेमाजम :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के हाल के भूकम्प का बच्चों के दिमाग पर गंभीर प्रभाव पड़ा;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं, जहां ऐसी घटनाएं विगत में घटी हैं; और

(ग) सरकार द्वारा प्रभावित बच्चों को उनकी सामान्य जिन्दगी लौटाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) गुजरात के हाल का भूकम्प, जैसाकि सर्वविदित है, महाविपदा थी जिससे जान की हानि, गम्भीर चोटें आईं तथा सम्पत्ति की हानि हुई तथा असंख्य लोग बेघर और आजीविका से वंचित हो गए। बच्चों, जिन्होंने अपने माता-पिता, निकट संबंधियों और मित्रों की मौत देखी, उनमें विषाद के रूप में मानसिक विकार उत्पन्न हो गए हैं। सामान्यतौर पर जिन लक्षणों को देखा गया है। उनमें उखड़ी-उखड़ी नींद और कम आहार खाना शामिल है। बच्चों में यह भी डर था कि आगे और भूकम्प आयेंगे जिससे और अधिक हानि होगी। वे अपने स्कूल के बारे में भी चिन्तित थे क्योंकि बहुत सारे स्कूल-भवन भी नष्ट हो गए थे।

(ख) लातूर, महाराष्ट्र राज्य में पहले आए भूकम्प में इसी प्रकार की समस्याएं देखी गईं।

(ग) बच्चों और उनके परिवारों को आवश्यक परामर्श दिया जा रहा है और विषाद के उपचार के लिए यदि आवश्यक समझा जाता है, तो औषधें भी प्रदान की जा रही हैं।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम द्वारा कोष का दुरुपयोग

4585. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कर्नाटक समेत कई राज्यों में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम द्वारा कोष के कथित दुरुपयोग के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में तथ्य और ब्यौरे क्या हैं;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई या की जा रही है; और

(घ) वर्ष 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान कर्नाटक में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम द्वारा हासिल लक्ष्यों और की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) वर्ष 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम द्वारा स्वीकृत और वितरित ऋण की राशि के ब्यौरे निम्नलिखित हैं

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	स्वीकृत राशि	वितरित
1998-99	1.34	6.75
1999-2000	4.89	5.624
2000-2001	8.27	5.77

[हिन्दी]

छावनी क्षेत्रों में नागरिक सुविधाएं

4586. श्री रामदास आठवले : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान और अब तक निर्माण कार्यों के लिए महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों में छावनी बोर्ड को उपलब्ध कराए गए धन का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन छावनी क्षेत्रों में जल और विद्युत आपूर्ति से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) इन बोर्डों को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु सरकार की क्या योजना है और उस पर कितना खर्च होने की संभावना है?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) गत तीन वर्षों में केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न निर्माण-कार्यों के वास्ते छावनी बोर्डों को उपलब्ध करवाई गई निधियों का विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) छावनी क्षेत्रों में बिजली की सप्लाई राज्य विद्युत प्राधिकरणों द्वारा की जाती है न कि संबंधित छावनी बोर्डों द्वारा। तथापि, विभिन्न राज्यों में चल रही बिजली की कमी को ध्यान में रखते हुए, छावनी बोर्डों को अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को अपनाने की संभावनाओं का पता लगाने का परामर्श दिया गया है। रक्षा मंत्रालय के अधीन छावनी बोर्डों, जो कि स्थानीय निकाय हैं, ने जल आपूर्ति सहित सभी नागरिक सुविधाओं में सुधार करने के लिए अपनी-अपनी कार्य योजनाएं बनाई हैं। नागरिक सुविधाओं आदि में सुधार करने संबंधी योजनाएं प्राप्त होते ही केन्द्र सरकार विशेष

"सहायता अनुदान" के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। छावनी बोर्डों के बजट घाटे में केन्द्रीय सहायता के रूप में वर्तमान वित्तीय वर्ष में 22.43 करोड़ रुपये का प्रावधान करने का प्रस्ताव किया गया है।

विवरण

राज्य/ बोर्ड का नाम	प्रयोजन	उपलब्ध कराई गई निधियां (लाख रुपयों में)		
		98-99	99-2000	2000-01
महाराष्ट्र				
औरंगाबाद	भूमिगत सीवरेज योजना	30.00	28.08	–
मध्य प्रदेश				
सागर	जल आपूर्ति योजना	65.52	–	–
झारखंड				
रामगढ़	जल आपूर्ति योजना	–	46.02	100.21
उत्तरांचल				
क्लेमेंट टाउन	सड़कों का निर्माण	–	04.00	–
रानीखेत	सड़कों का निर्माण	–	12.00	–

होम्योपैथी, चिकित्सा पद्धति को एम.बी.बी.एस. कोर्स में शामिल करना

4587. श्री दिलीप संघाणी :
श्री पदमसेन चौधरी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का एम. बी. बी. एस. छात्रों को आयुर्वेदिक और होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति की शिक्षा देने का प्रस्ताव है जैसा कि 13 दिसंबर, 2000 के नवभारत टाइम्स में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (ग) जी जां, भारत सरकार ने भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद से आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी के बुनियादी सिद्धांतों और अवधारणाओं को एम. बी. बी. एस. छात्रों की पाठ्यचर्या में शामिल करने पर विचार करने का अनुरोध किया है। परिषद ने इस मामले पर विचार करने के लिए उपसमिति गठित की है।

उत्तर प्रदेश के लिए निधियां

4588. श्री जय प्रकाश : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कुल कितनी धनराशि की अतिरिक्त वित्तीय सहायता की मांग की गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान वर्ष-वार तथा योजना-वार कुल कितनी राशि आबंटित की गई है;

(ग) प्रत्येक मामले में मांगी गई राशि की तुलना में पूरी सहायता न दिए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या चालू वर्ष के दौरान किसी अतिरिक्त सहायता की मांग की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान विशिष्ट परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता हेतु योजना आयोग को कई प्रस्ताव भेजे हैं। ये प्रस्ताव वार्षिक योजना में दिए गए निधियों के अतिरिक्त हैं। योजना आयोग द्वारा प्रस्तावों पर विचार तथा निधियों की संस्वीकृति, परियोजना के टेक्नो-इकानामिक व्यवहार्यता, अन्य राज्यों से संगत मांग तथा निधियों की पूर्ण उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए की जाती है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के लिए अनुमोदित अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) निम्न प्रकार से है :

वर्ष	अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (करोड़ रु.)
1998-99	19.25
1999-2000	34.76
2000-2001	16.45

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को पेंशन

4589. डॉ. बलिराम : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उस एजेंसी का नाम क्या है जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत समूह 'ग' तथा 'घ' के उन कर्मचारियों को पेंशन देगी जिन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की पेंशन तथा केन्द्र–सरकार की पेंशन का विकल्प दिया है और उन्हें उक्त पेंशन किस खाते से दी जाएगी;

(ख) उन नियमों का ब्यौरा क्या है जिनके अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की तथा सरकारी पेंशन प्राप्त होती है; और

(ग) उस एर्जेसी का नाम क्या है जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के उन कर्मचारियों को पेंशन देगी जिन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के बंद होने की स्थिति में सरकारी पेंशन का विकल्प दिया है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) इस बारे में विवरण संलग्न है।

(ग) किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के बंद हो जाने की स्थिति में, संयुक्त सेवा के आधार पर पेंशन के भुगतान के संबंध में उपयुक्त कार्य–विधि, संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा सरकार से परामर्श करके केवल तभी तैयार की जानी अपेक्षित होगी जब कोई ऐसी नौबत आ जाए जिसके बारे में कुछ भी पता नहीं हो।

विवरण

(क) और (ख) विभिन्न परिस्थितियों में, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में संविलयन पर देय पेंशन संबंधी प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं :

(क) संविलयन के अलग-अलग मामले

(1) सरकार के अधीन संविलयन की तारीख से पहले कर्मचारी द्वारा की गई सेवा के आधार पर, आनुपातिक पेंशन/सेवा–उपदान, जैसी भी स्थिति हो, सरकार द्वारा देय है; और

(2) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में की गई सेवा के संबंध में सेवानिवृत्ति से संबंधित प्रसुविधाएं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के नियमों के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा देय हैं।

(ख) किसी सरकारी विभाग के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में परिवर्तित कर दिए जाने के परिणामस्वरूप संविलयन

(i) दिनांक 30.09.2000 से पहले होने वाला संविलयन

पेंशन और पेंशनभोगी–कल्याण–विभाग के दिनांक 05.07.1989 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 4/18/87–पी एण्ड डब्ल्यू (डी) के अनुसार, कोई संविलयित कर्मचारी निम्नलिखित लेना चुन सकता है :

(क) सरकार द्वारा देय आनुपातिक पेंशन संबंधी प्रसुविधाओं के अलावा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में की कई सेवा के संबंध में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के नियमों के अनुसार, संबंधित उपक्रम द्वारा देय सेवानिवृत्ति संबंधी प्रसुविधाएं, बशर्ते कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में संविलयन से पहले वह एक स्थायी कर्मचारी के रूप में सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी कर चुका हो।

अथवा

(ख) सरकार में और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में की गई संयुक्त सेवा के आधार पर, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से सेवानिवृत्त होने पर पेंशन जो सरकार की पेंशन संबंधी देयता के तहत पेंशन के परिकलन के सूत्र के अनुसार, संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को एकमुश्त तौर पर अदा कर दी जानी है जिनके द्वारा ऐसी पेंशन–निधि कायम की जानी अपेक्षित है जिसमें से संयुक्त पेंशन का भुगतान किया जाना है।

(ii) दिनांक 30.09.2000 के उपरांत होने वाला संविलयन

सितंबर 30, 2000 को अधिसूचित, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 37 क के प्रावधानों के तहत, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से सेवानिवृत्त होने पर संविलयित कर्मचारी, सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में की गई संयुक्त सेवा के आधार पर सरकार में पेंशन के परिकलन के सूत्र के अनुसार, पेंशन के भुगतान का पात्र होगा। केन्द्रीय सरकार, एक न्यास के रूप में पेंशन–निधि कायम करेगी और संविलयित

कर्मचारियों को पेंशन संबंधी प्रसुविधाओं का भुगतान, ऐसी पेंशन–निधि में से किया जाएगा।

भारत–संचार–निगम लिमिटेड के संविलयित कर्मचारियों के मामले में, पेंशन संबंधी प्रसुविधाओं का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा।

[अनुवाद]

इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा

4590. श्री अनन्त नायक : क्या **सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सम्पूर्ण देश में इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और 2000–2001 के शैक्षिक सत्र के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या प्रत्येक राज्य में इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा नेटवर्क शुरू किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों ने इसमें कितनी रुचि दिखाई है; और

(ङ) केन्द्र इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा के संवर्धन में राज्य सरकारों को किस सीमा तक मदद देने के लिए योजना बना रहा है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) भारत सरकार ऑन लाईन अधिगम अथवा इलेक्ट्रानिक शिक्षण को एक ऐसे क्षेत्र के रूप में मानती है जिसमें बढ़िया क्वालिटी की सूचना प्रौद्योगिकी जनशक्ति के सृजन की क्षमता है तथा जनशक्ति संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इस कार्य प्रणाली का दर्जा भी बढ़ाया जा सकता है। इसलिए, भारत सरकार इस क्षेत्र को बढ़ावा दे रही है।

(ख) कोई विशिष्ट लक्ष्य प्रस्तावित नहीं किए गए हैं। इस उद्देश्य को और आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी केन्द्र, मुम्बई में एक राष्ट्रीय ऑन लाईन अधिगम स्रोत केन्द्र स्थापित किया गया है। कुछ और परियोजनाओं को भी वित्तपोषित किया गया है।

(ग) से (ङ) कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है। केरल सरकार ने आई. आई. आई. टी. एम., केरल की ओर से रुचि दर्शाई है।

कुपोषण

4591. श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ऐसे राज्यों की पहचान करने का प्रस्ताव है जो बाल और गर्भवती माताओं के कुपोषण से सबसे अधिक प्रभावित राज्य हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश में बाल तथा गर्भवती माताओं के कुपोषण को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण–2 द्वारा किए गए अद्यतन सर्वेक्षण के अनुसार कुपोषण से प्रभावित बच्चों (3 वर्ष से कम आयु के) की दृष्टि से सबसे अधिक प्रभावित राज्य इस प्रकार हैं :

राज्य	कुपोषण का प्रतिशत
बिहार	25.5
मध्य प्रदेश	24.3
उत्तर प्रदेश	21.9
राजस्थान	20.8
उड़ीसा	20.7

(ख) भोजन की अपर्याप्त मात्रा लेने, निर्धनता, खराब सामाजिक–आर्थिक स्थिति, महिला निरक्षरता, जनसंख्या वृद्धि की दर, स्वास्थ्य सेवाओं तक लोगों की अपर्याप्त पहुंच, पीने के साफ पानी, पर्यावरणिक स्वच्छता, सफाई और अन्य सामाजिक सेवाओं के कारण कुपोषण एक बहुमुखी समस्या है।

(ग) सरकार महिलाओं और बच्चों के लिए विभिन्न कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है। ये कार्यक्रम इस प्रकार हैं :

(i) बढ़ा हुआ कृषि उत्पादन;

(ii) आय–अर्जन योजनाओं के माध्यम से लोगों की क्रयशक्ति बढ़ाना;

(iii) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से रियायती दरों पर अनिवार्य खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता;

(iv) जागरूकता बढ़ाने और खान–पान की पद्धतियों, जिसमें स्तन–पान को बढ़ावा देना शामिल है, में वांछित परिवर्तन लाने के लिए पोषण शिक्षा;

(v) पूरक आहार कार्यक्रम नामतः

(i) एकीकृत बाल विकास सेवा योजना; (ii) विशेष पोषण कार्यक्रम, (iii) बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम, (iv) गेहूं आधारित पूरक पोषण कार्यक्रम, (v) मध्याह्न भोजन कार्यक्रम इत्यादि। इनके अतिरिक्त, राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम, विटामिन 'ए' की अल्पता के कारण दृष्टिहीनता रोकने के लिए रोग निरोधक कार्यक्रम और लौह अल्पता के कारण–पोषणिक रक्ताल्पता जैसे विशिष्ट पोषक अल्पता संबंधी विकारों के निवारण के कार्यक्रम प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंग हैं। सूक्ष्म पोषक कुपोषण की रोकथाम के लिए प्रायोगिक परियोजना भी कार्यान्वित की जा रही है, (vi) हाल ही की प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना जिसमें ग्रामीण सड़कों, प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, घर, पीने के पानी और पोषण की न्यूनतम बुनियादी सेवाओं की परिकल्पना है।

केन्द्रीय भण्डार

4592. श्री रामजी मांझी : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि केन्द्रीय भंडार में स्टेशनरी एवं अन्य वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले आपूर्तिकर्त्ताओं ने अपनी वस्तुओं का अलग–अलग मूल्य प्राप्त करने हेतु अपने आप को संस्था में विभिन्न नामों से पंजीकृत कराया है और संस्था उनकी कार्य प्रणाली का पता लगाने में असफल है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उन आपूर्तिकर्त्ताओं, जिन्होंने संस्था में एक से ज्यादा फर्म शुरू किए हैं का पता लगाने के लिए और अत्यधिक मूल्यों पर वस्तुओं की आपूर्ति को रोके जाने के लिए आपूर्ति की दरों की तुलना करने हेतु क्या कदम उठाए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या निदेशक मंडल व्यापार गतिविधियों को संस्था में निजी तौर पर देखता है अथवा व्यापार गतिविधियों का संचालन कार्यकारी प्रमुख और उसके अधीनस्थों द्वारा किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो संस्था द्वारा व्यापार गतिविधियों की देखभाल निदेशक मंडल द्वारा किए जाने की बात पर अड़े रहने के क्या कारण हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) ऐसा कोई भी मामला न तो केन्द्रीय भंडार के ध्यान में आया है अथवा न ही कार्मिक और प्रशिक्षण–विभाग के।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) केन्द्रीय भंडार का निदेशक–बोर्ड, केन्द्रीय भंडार की व्यापारिक गतिविधियों के बारे में व्यापक और विस्तृत नीतियां निर्धारित करता है, किन्तु उपर्युक्त नीतियां, कार्यपालकों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं।

[हिन्दी]

पीलिया फैलना

4593. श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के बहुत से भागों में पीलिया फैल रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार पीलिया फैलने के कारणों की जांच कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इसे रोकने के लिए कोई कदम उठाने पर विचार कर रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (ग) पीलिया की रोकथाम के लिए किए गए उपायों के बावजूद भी देश के बहुत से भागों में पीलिया फैल रहा है। पीलिया हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई और जी के विषाणुओं से होता है। विषाणु हेपेटाइटिस ए और ई प्रदूषित जल, भोजन और खराब व्यक्तिगत स्वच्छता से संचरित होते हैं। हेपेटाइटिस ए और ई के लिए नियंत्रण संबंधी उपायों में पीने के साफ पानी की आपूर्ति की व्यवस्था, पर्यावरणिक सफाई के सुधार, खाद्य और व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान दिया जाता है। हेपेटाइटिस के अन्य प्रकार आंत्रेत्तर यौन मार्ग के जरिए और माता से बच्चे में संचरित होते हैं। रक्त जन्य हेपेटाइटिस संक्रमण के नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

– रक्त बैंकों में रक्त की अनिवार्य जांच।

– राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत सुरक्षित यौन आचरण को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी कार्यकलाप।

– स्वास्थ्य प्राधिकारियों को प्रत्येक इन्जेक्शन के लिए एक पृथक विसंक्रमित सिरींज और सुई का उपयोग करने के लिए अनुदेश जारी किए गए।

– केन्द्र सरकार के अस्पतालों में उच्च जोखिम वाले कार्मिकों का रोग–प्रतिरक्षण। इसी प्रकार के उपाय करने के लिए राज्य सरकारों को परामर्श दिया गया है।

[अनुवाद]

संसद सदस्यों से पत्र

4594. श्री चिंतामन वनगा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने संसद सदस्यों तथा पूर्व संसद सदस्यों द्वारा केन्द्र सरकार के कार्यालयों तथा राज्य सरकार के कार्यालयों को लिखे पत्रों का उत्तर देने के लिए कोई समय सीमा तय की है;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय ने देश में संसदीय प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए बदलते परिवेश के मद्देनजर निर्देशों की समय–समय पर समीक्षा की है;

(ग) क्या संसद सदस्यों तथा पूर्व संसद सदस्यों के पत्रों के उत्तर केन्द्र सरकार के कार्यालयों तथा राज्य सरकार के कार्यालयों से समय सीमा के भीतर प्राप्त न होने की स्थिति में वे ऐसी समीक्षा से मंत्रालय को रिपोर्ट कर सकेंगे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय सचिवालय कार्यालय पद्धति नियम पुस्तिका के ग्यारहवें संस्करण के अनुसार, संसद सदस्यों, जनता, किसी मान्यताप्राप्त संगठन अथवा सार्वजनिक निकाय के किसी सदस्य द्वारा केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को लिखे गये पत्रों के जवाब के लिए समय–सीमाएं निर्धारित की गई हैं। केन्द्रीय सचिवालय कार्यालय पद्धति नियम–पुस्तिका में निर्दिष्ट प्रावधान राज्य सरकारों पर लागू नहीं होते हैं। तथापि, इस संबंध में राज्य सरकारें स्वयं अपने ही दिशा–निर्देश निर्धारित करते हैं। माननीय संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों पर कार्रवाई करने के संबंध में दिशा–निर्देश केन्द्रीय सचिवालय कार्यालय पद्धति नियम–पुस्तिका के पैरा 57 में दिये गये हैं और इस संबंध में समय–सीमाएं उसके पैरा 60 में निर्दिष्ट की गई हैं (पैरा 57 और 60 के उद्धरण क्रमशः विवरण–I और II के रूप में संलग्न हैं)।

(ग) और (घ) यदि किसी संसद सदस्य तथा पूर्व सांसद को उनके पत्रों का उत्तर उन्हें निर्धारित समय–सीमा के भीतर प्राप्त नहीं होता है तो वे संबंधित मंत्रालय से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र हैं।

विवरण-I

केन्द्रीय सचिवालय कार्यालय पद्धति नियम पुस्तिका के पैरा 57 का उद्धरण

57. संसद सदस्यों के साथ पत्र–व्यवहार :

(1) संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों की ओर तत्काल ध्यान दिया जाना चाहिए।

(2) यदि पत्र किसी मंत्री के नाम भेजा गया हो तो उसका उत्तर यथासंभव स्वयं मंत्री द्वारा दिया जाना चाहिए। अन्य मामलों में पत्रों का उत्तर केवल सचिव के स्तर के अधिकारी के हस्ताक्षरों से ही जाना चाहिए।

(3) लेकिन यदि पत्र किसी संबद्ध अथवा अधीनस्थ कार्यालय, सरकारी क्षेत्र के उपक्रम, राष्ट्रीकृत बैंकों सहित वित्तीय संस्थान के अध्यक्ष, मंत्रालयों/विभागों/संगठनों में प्रभाग, प्रभारी शाखा के नाम भेजा गया हो तो उसका उत्तर प्राप्तकर्ता द्वारा स्वयं ही दिया जाना चाहिए। ऐसे नेमी मामलों में वह स्वयं ही उचित उत्तर भेज सकता है जिसमें नीति संबंधी प्रश्न ग्रस्त न हों। ऐसे मामलों में, जिनमें नीति संबंधी प्रश्न ग्रस्त हों, अधिकारी को उत्तर भेजने से पहले उच्चतर प्राधिकारियों से परामर्श कर लेना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि संसद सदस्यों को ऐसे उत्तर कम से कम अवर सचिव के स्तर के अधिकारी के हस्ताक्षरों से और वह भी पत्र के रूप में ही जाएं।

(4) संसद सदस्य द्वारा मांगी गई सूचना सामान्यतः दे दी जानी चाहिए बशर्ते कि मांगी गई सूचना की प्रकृति ऐसी न हो कि उसे संसद के सदनों में मांगे जाने पर भी मना कर दिया जाए।

(5) जहां तक संभव हो संसद सदस्यों के साथ पत्र–व्यवहार करते समय पूर्व मुद्रित अथवा साइक्लोस्टाइल किए गए उत्तरों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।

(6) यदि किसी पूर्व सदस्य (अथवा ऐसे संसद सदस्य, जिसे पुनः निर्वाचित नहीं किया गया है) से मंत्री अथवा सचिव को सम्बोधित संदर्भ प्राप्त होता है तो ऐसे संदर्भ का जवाब मंत्रालय/विभाग के सचिव का अनुमोदन प्राप्त करके संबंधित प्रभागाध्यक्ष द्वारा भेजा जाए। यदि संदर्भ किसी निचले स्तर के अधिकारी को संबोधित हो, तो ऐसे संदर्भ का जवाब गैर नीतिगत मामलों में उस अधिकारी द्वारा स्वयं अपने स्तर से तथा नीतिगत मामलों में उच्च प्राधिकारियों का अनुमोदन प्राप्त करके भेजा जाए। तथापि, किसी भी संदर्भ का जवाब कम से कम अवर सचिव के स्तर के अधिकारी द्वारा दिया जाए और वह भी केवल पत्र के रूप में भेजा जाना चाहिए।

विवरण-II

केन्द्रीय सचिवालय कार्यालय पद्धति नियम पुस्तिका के पैरा 60 का उद्धरण

60. प्राप्त पत्रों का शीघ्रातिशीघ्र उत्तर :

(1) किसी संसद सदस्य, जनता से मान्यता प्राप्त संघ अथवा सरकारी निकाय से प्राप्त पत्रादि का उत्तर पंद्रह दिन के अंदर दिया जाएगा।

(2) जिन मामलों में (i) अंतिम उत्तर भेजने में विलम्ब होने की संभावना हो, अथवा (ii) अन्य मंत्रालय अथवा अन्य कार्यालय से सूचना प्राप्त की जानी हो, उनके बारे में अंतरिम उत्तर पन्द्रह दिन के अंदर भेज दिया जाएगा जिनमें अंतिम उत्तर भेजने की संभावित तारीख का उल्लेख हो।

(3) यदि कोई पत्रादि किसी संबंधित विभाग को गलती से भेज दिया गया हो तो उसे उपयुक्त विभाग को शीघ्रातिशीघ्र (तीन दिन के अंदर) हस्तान्तरित कर दिया जाए और जिसकी सूचना संबद्ध पक्ष को दे दी जाये।

(4) यदि किसी मामले में किसी व्यक्ति के आवेदन को किसी कारण से स्वीकार नहीं किया जा सकता हो तो ऐसे अनुरोध को स्वीकार न करने के कारण बताए जाने चाहिए।

(5) जहां तक संभव हो जनता के अनुरोधों को प्रयोक्ता के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए न कि उस दृष्टिकोण से जो प्रशासनिक दृष्टिकोण के लिए सुविधाजनक हो।

[हिन्दी]

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

4595. श्री महेश्वर सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद सदस्यों द्वारा संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत महिला मंडल भवनों, सरायों/धर्मशालाओं अथवा समुदाय केन्द्रों के निर्माण की सिफारिश की गई है परन्तु राज्य महालेखा परीक्षकों, द्वारा विशेष रूप से महालेखा परीक्षक हिमाचल प्रदेश के कार्यालय द्वारा आपत्ति उठायी जा रही है जिसके परिणामस्वरूप संसद सदस्यों द्वारा की गई ऐसी सिफारिशों को जिला उपायुक्तों द्वारा अस्वीकृत किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह उक्त योजना के मार्गनिर्देशों के प्रतिकूल है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) से (घ) हिमाचल प्रदेश के कुछ जिलाध्यक्षों ने सूचना दी है कि सामुदायिक केन्द्रों, महिला मंडलों, जंजघरों, धर्मशालाओं/सरायों के निर्माण पर लेखा परीक्षा प्राधिकारियों द्वारा आपत्ति उठाई गई है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने, अपनी मसौदा समीक्षा में, इंगित किया है कि कुछ मदों, जिनमें सामुदायिक भवनों, सामुदायिक केन्द्रों, युवक मंडलों, महिला मंडलों के भवनों का निर्माण शामिल है, का कार्य सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए किया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार को स्पष्टीकरण जारी कर दिया गया है कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत सांस्कृतिक एवं अन्य सामुदायिक गतिविधियों के लिए भवनों का निर्माण किया जा सकता है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण

4596. डा. नीतिश सेनगुप्ता : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण द्वारा किए गए

सर्वेक्षण में हाल के वर्षों में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों में भारी कमी प्रदर्शित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या योजना आयोग द्वारा 1997 में किये गये सर्वेक्षण का अन्य सर्वेक्षण से विरोधाभास है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में वस्तुस्थिति क्या है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एन. एस. एस. ओ.) द्वारा कराए गए उपभोक्ता व्यय संबंधी वृहत् प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 50वें दौर से परिकलित गरीबी अनुमान वर्ष 1993–94 के लिए 35.97 प्रतिशत था। 30 दिवसीय प्रत्याह्वान अवधि के आधार पर 55वें दौर के नवीनतम वृहद् सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़े वर्ष 1999–2000 के लिए गरीबी अनुपात 26.1 प्रतिशत दर्शाते हैं।

(ग) और (घ) योजना आयोग राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के प्रतिशत का अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एन. एस. एस. ओ.) द्वारा लगभग 5 वर्ष के अंतराल पर कराए गए उपभोक्ता व्यय संबंधी वृहद् प्रतिदर्श सर्वेक्षणों से लगाता है। ऐसे दो नवीनतम सर्वेक्षण वर्ष 1993–94 और वर्ष 1999–2000 में कराए गये थे। इस प्रकार वर्ष 1997 में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या के अनुमान उपलब्ध नहीं हैं।

हमारी प्राचीन परम्परागत दवाइयों के पेटेंट

4597. श्री रमेश चेन्नितला : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि कुछ देश हमारी परम्परागत दवाइयों के पेटेंट प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) सरकार को जानकारी है कि कुछ देश भारतीय चिकित्सा पद्धति में प्रयोग होने वाली कुछ पारम्परिक औषधियों और औषधीय पादपों के पेटेंट प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार औषधीय पादपों के बारे में आयुर्वेदिक जानकारी, जो पहले से प्रकाशित रूप में उपलब्ध है, को आसानी से उपलब्ध कराने और गैर मौलिक आविष्कारों पर पेटेंट की मंजूरी को रोकने के लिए इस जानकारी को प्राप्य बनाने के लिए पारम्परिक ज्ञान अंकीय पुस्तकालय की स्थापना कर रही है।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के विनियमों में संशोधन

4598. श्री सुबोध राय : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (1956 का 25) के अंतर्गत सभी विनियम तथा विनियमों में संशोधन केन्द्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से किए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा कोई विनियम अथवा विनियमों में संशोधन केन्द्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना अधिनियम (1956 के 25) की धारा 29 का उल्लंघन करते हुए किया गया है और उसे लागू किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;

(घ) ऐसे दोषों को सुधारने तथा ऐसी लापरवाही के लिए लोगों को जवाबदेह बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) धारा 29 (1) धारा 29 (3) के अनुसार विनियम 37 में किए गए संशोधन की सरकारी गजट अधिसूचना की तारीख क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के प्राधिकारियों द्वारा धारा 29 का उल्लंघन करके सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त किए बिना 29 (1) के अंतर्गत कोई विनियम तैयार नहीं किए गए हैं अथवा उनमें कोई संशोधन नहीं किया गया है।

(ङ) धारा 29 (1) के अंतर्गत तैयार किए गए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान विनियम 26 फरवरी, 1999 को अधिसूचना सं. 12 भाग III धारा 4 के तहत अधिसूचित किए गए थे।

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एम. पी. एल. ए. डी. एस.)

4599. श्री सईदुज्जमा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट और दिनांक 28 जून, 2000 के 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' के संपादकीय की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एम. पी. एल. ए. डी. एस.) से संबंधित कई अनियमितताओं पर प्रकाश डाला गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाये हैं/उठाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या गुजरात भूकम्प के पश्चात उभर कर सामने आई वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की सहायता से संसद सदस्यों के दिशा–निर्देश के लिए विस्तृत मार्गनिर्देश जारी किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या रोजगार और जरूरतमंद गरीबों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एम. पी. एल. ए. डी. एस.) की धनराशि को वास्तविक सार्वजनिक हित तक सीमित करने तथा सम्पन्न कालोनियों में खर्च करने पर रोक लगाने की संभावना है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) और (ख) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना पर मार्च, 1997 की अंतिम अवधि के लिए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त होने पर सभी राज्य सरकारों को रिपोर्ट में इंगित असंगतियों के संबंध में सुधारात्मक/उपचारी उपाय करने का परामर्श दिया गया है। सभी संसद सदस्यों से अनुरोध किया गया है कि वे कार्य की अनुशंसा करते दिशा निर्देशों का उचित अनुपालन सुनिश्चित करें।

(ग) और (घ) सासद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में परिवर्तन किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है, एवं सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए यह प्रक्रिया चलती रहती है। देश के किसी भी भाग में प्रचंड प्रकृति की आपदा के समय दिशा निर्देशों में अनुमेय परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु अपने निर्वाचन क्षेत्रों/राज्यों के बाहर प्रत्येक आपदा के लिए 10 लाख रुपये तक के कार्यों की अनुशंसा कर पाने में सांसदों को प्राधिकृत करने के लिए दिशा निर्देशों में संशोधन किए गए। गुजरात के संबंध में, एक रियायत जारी की गई है, जिसके तहत सांसद अपनी सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधियों में से राज्य के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण कार्यों के लिए अपनी इच्छानुसार राशि का सहयोग दे सकते हैं।

(ङ) दिशा निर्देशों के अनुसार सांसदों को स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर विकासात्मक प्रकृति के कार्यों को करवाने के लिए संबंधित जिलाध्यक्षों को कार्यों की अनुशंसा करनी होगी। दिशा निर्देशों के आधार पर राज्य सरकारों द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए जिलाध्यक्षों को उन कार्यों का कार्यान्वयन करना होगा।

सिल्डेनाफिल साइट्रेट की बिक्री के लिए स्वीकृति

4600. **श्री राधा मोहन सिंह :**
डा. बलिराम :
श्री पी. आर. खूंटे :
श्रीमती सुशीला सरोज :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स रैन बेक्सी कैडिला हेल्थ केयर एण्ड टोरेंट को सम्पूर्ण देश में सिल्डेनाफिल साइट्रेट की वियाग्रा के विकल्प के रूप में उत्पादन तथा विपणन करने की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इन कम्पनियों ने बिना अनुमति के सिल्डेनाफिल का निर्माण किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(घ) क्या इस मामले को औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम का उल्लंघन करने के लिए संसाधित किया गया है, और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राज्य औषध नियंत्रकों से प्राप्त सूचना के अनुसार मिश्रणों का विनिर्माण 8.1.2001 को अनुमति दिए जाने के बाद किया गया।

(घ) और (ङ) ऊपर ख और ग को देखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते।

आरक्षण कोटे का कार्यान्वयन

4601. **डॉ. राजेश्वरम्मा वुक्कला :**
डॉ. एस. वेणुगोपाल :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संसदीय मंच ने सभी सरकारी विभागों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कोटे के आरक्षण के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए संसद में चर्चा की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो कोटे का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) संसद के किसी भी सदन में कोई भी चर्चा–परिचर्चा उस सदन की प्रक्रिया और उसके कारोबार के संचालन के नियमों द्वारा नियंत्रित होती है। फिर भी, आरक्षण की नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के अनुदेश पहले से ही मौजूद हैं। रोस्टरों की क्रियाविधि का उद्देश्य भी, केन्द्र–सरकार के पदों और उसकी सेवाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों सहित आरक्षित श्रेणियों को समुचित प्रतिनिधित्व मिलना सुनिश्चित करना है।

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

4602. श्री के. येरननायडू : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में कोई ऐसा मामला आया है जहां संसद सदस्यगण गत दो वर्षों के दौरान राज्य–वार संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत 2 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग नहीं कर सके हों;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है कि संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधि के आबंटन के व्यय का दिशा निर्देशों में निर्धारित उद्देश्य के लिए उपयोग हो?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) और (ख) जी, हां। ऐसे मामले हुए हैं जहां संसद सदस्यगण, गत दो वर्षों के दौरान सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत 2 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग नहीं कर सके हैं। योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी की गई निधियां अव्यपगत होती हैं। एक वर्ष विशेष में जारी नहीं की गई निधियों की देयता को उत्तरवर्ती वर्षों में जारी करने के लिए आगे ले लिया जाता है। जारी की गई निधियां, जिलों द्वारा जारी की गई राशि तथा जिलों में किए गए व्यय की संचयी सूचना मंत्रालय द्वारा रखी जाती है। मंत्रालय द्वारा यह सूचना लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रवार तथा राज्य सभा सांसद–वार "सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत विमोचन एवं व्यय का विवरण" के रूप में प्रत्येक माह प्रकाशित की जाती है। इस विवरण की प्रतियां लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय तथा संसद पुस्तकालय को नियमित रूप से उपलब्ध कराई जाती हैं।

(ग) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत, स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर सांसदों द्वारा अनुशासित विकासात्मक प्रकृति के कार्य जिलाध्यक्षों द्वारा किए जाते हैं। ऐसे कार्यों का कार्यान्वयन करते हुए जिलाध्यक्षों को सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के दिशा निर्देशों का सख्ती से अनुपालन करना होता है। जब भी सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के दिशा निर्देशों से विचलन का कोई मामला सरकार के संज्ञान में लाया जाता है, संबंधित राज्य सरकार/संघ शासित प्रशासन को मामले की जांच एवं उपचारी कार्रवाई करने का परामर्श दिया जाता है।

एंटीबायोटिक का प्रयोग

4603. श्री बसुदेव आचार्य : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 29 दिसंबर, 2000 के 'दि टाइम्स आफ इंडिया' में प्रकाशित इस समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है कि लोगों तथा पशुओं दोनों द्वारा व्यापक रूप से उपयोग करने के कारण एंटीबायोटिक–रोधी संक्रमण के विकसित होने का खतरा 1995 से 1998 तक एक–तिहाई बढ़ गया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) यह सुविदित तथ्य है कि एंटीबायोटिक दवाइयों

का अन्धाधुंध उपयोग संक्रामक रोगों के उपचार में इस्तेमाल होने वाले अधिकांश औषधों में प्रतिरोधन बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है। एंटीबायोटिक दवाइयों का अंधाधुंध प्रयोग रोकने के लिए औषध और प्रसाधन सामग्री नियमों के अंतर्गत यह अनिवार्य कर दिया गया है कि सभी एंटीबायोटिक दवाइयां केवल पंजीकृत चिकित्सक के नुस्खे पर ही बेची जाएं। इस प्रयोजन के लिए औषध एवं प्रसाधन सामग्री नियमों की अनुसूची 'ज' के अंतर्गत एंटीबायोटिक दवाइयों को वर्गीकृत किया गया है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय

4604. श्री रामानन्द सिंह : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य औषधालय, राजौरी गार्डन को टैगोर गार्डन में 14 वर्ष पूर्व भूमि आबंटित किए जाने के बावजूद भी एक छोटे से किराये के स्थान में चलाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों तथा औषधालय के स्टाफ को किराये के भवन का आकार अपर्याप्त होने के कारण बहुत कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का कब तक निर्धारित प्लॉट पर नए भवन का निर्माण करने तथा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय को वहां स्थानांतरित किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय, राजौरी गार्डन एक निजी किराए की इमारत में कार्य कर रहा है।

(ग) औषधालय को चलाने के लिए किराये की इमारत में उपलब्ध स्थान को पर्याप्त समझा जाता है।

(घ) यद्यपि, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, राजौरी गार्डन को स्थान देने के लिए टैगोर गार्डन में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की अपनी इमारत बनाने का प्रस्ताव है तथापि, इसकी समयावधि इंगित नहीं की जा सकती है क्योंकि यह संसाधनों की उपलब्धता और अपेक्षित प्रशासनिक औचारिकताओं की पूर्ति पर निर्भर करता है।

वरिष्ठ नागरिक समुदाय केन्द्र

4605. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और अहमदनगर (महाराष्ट्र) में कई वरिष्ठ नागरिक समुदाय केन्द्र लम्बे समय से कार्य नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली तथा अहमदनगर (महाराष्ट्र) में ऐसे केन्द्रों के अलग-अलग नाम क्या हैं और प्रत्येक मामले में वे किस तिथि से कार्य नहीं कर रहे हैं;

(ग) क्या सरकार ने उन्हें कार्यशील बनाने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके लिए कितनी समय सीमा तय की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मोनोसोडियम ग्लूटामेट

4606. श्री नरेश पुगलिया : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ के एक घटक मोनोसोडियम ग्लूटामेट (एम. एस. जी.) में पूरे ग्लूटामेट की 1 प्रतिशत की वर्तमान सीमा को समाप्त करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का खाद्य अपमिश्रण नियमों की रोकथाम के कुछ प्रभावी प्रावधानों को सरल बनाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (घ) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के उपबंधों के अंतर्गत एक सांविधिक समिति, खाद्य मानकों की केन्द्रीय समिति की सिफारिशों के अनुसरण में खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के उपबन्धों को आगे संशोधित करने के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण में सा. का. नि. (जी. एस. आर.) संख्या 76 (इ), दिनांक 7.2.2001 द्वारा एक प्रारूप अधिसूचना प्रकाशित की गई थी जिसमें प्रस्तावित प्रारूप नियमों के विषय में आपत्तियां अथवा सुझाव आमंत्रित किए गए थे। प्रारूप संशोधन में सभी खाद्य पदार्थों में ग्लूटामेट की मौजूदा 1 प्रतिशत सीमा को समाप्त करने और अच्छी विनिर्माण पद्धतियों के अनुसार मोनोसोडियम ग्लूटामेट के प्रयोग को अनुमति देने का प्रस्ताव है।

अंतिम अधिसूचना में जनता से प्राप्त होने वाले विचारों/आपत्तियों पर विचार किया जाएगा।

निजी स्वास्थ्य क्षेत्र की निगरानी

4607. श्री रामशकल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास निजी स्वास्थ्य क्षेत्र विशेषकर पिछले दशक के दौरान इसके बड़े पैमाने पर हुए विस्तार की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने हेतु कोई तंत्र है;

(ख) यदि हां, तो निजी चिकित्सा संस्थानों में स्वास्थ्य सुविधाओं की गुणवत्ता विशेषकर चिकित्सा उपकरणों और बिछावनों की कुल संख्या सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए या उठाए जाने का विचार है;

(ग) क्या सरकार का विचार निजी चिकित्सा संस्थानों के ...करण की निगरानी रखने हेतु कानून बनाने और इसे क्रियान्वित करने हेतु न्यूनतम आवश्यकता निर्धारित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (ङ) भारत के संविधान के अंतर्गत 'स्वास्थ्य' राज्य का एक विषय है और संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में उपलब्ध नियमों/कानूनों के अंतर्गत अपने-अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में निजी स्वास्थ्य क्षेत्र के कार्यों की निगरानी करने के लिए नियम/मार्गनिर्देश बनाने का दायित्व प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का है।

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने मेडिकल कालेजों की 50, 100 और 150 वार्षिक दाखिले देने के लिए न्यूनतम मानक अपेक्षाएं निर्धारित की हैं और उसके स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियम, 1997 भी हैं। इन विनियमों में चिकित्सा उपकरणों की खरीद, कार्मिक और बिस्तरों की कुल संख्या के संबंध में कतिपय पैरामीटर निर्धारित किए गए हैं जो सरकारी और निजी मेडिकल कालेजों के लिए एक समान हैं।

देश भर में निजी क्लीनिक/उपचर्या गृहों के बड़े पैमाने पर अस्तित्व में आ जाने और उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता के बारे में समय-समय पर प्राप्त होने वाली शिकायतों के मद्देनजर देश में अस्पतालों, उपचर्या गृहों और अन्य नैदानिक स्थापनाओं के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित करने हेतु एक विधान बनाने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में एक प्रस्ताव है। 'स्वास्थ्य' राज्य का विषय होने के नाते प्रस्तावित विधान के लिए दो या दो से अधिक राज्यों की सहमति की अपेक्षा है। सभी राज्य सरकारों से प्रस्ताव पर विचार करने और राज्य विधान सभा की सिफारिशें उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने हेतु अनुरोध किया गया है।

अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ी जातियों की सूची का पुनरीक्षण

4608. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल के 'येन' समुदाय को अनुसूचित जाति की सूची में और मुसलमान शेरसाबदीया समुदाय को अन्य पिछड़ी जाति की सूची में शामिल करने हेतु संसद सदस्यों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) पश्चिम बंगाल के लिए अनुसूचित जाति की सूची में येन समुदाय को शामिल करने के प्रस्ताव को अनुमोदित रूप रेखाओं के अनुसार प्रक्रियाबद्ध किया गया है और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग को सलाह के लिए भेज दिया गया है।

पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में पश्चिम बंगाल के मुस्लिम शेरसाबदीया समुदाय को शामिल करने संबंधी प्रस्ताव को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अधिनियम के प्रावधान अनुसार आवश्यक कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को भेज दिया गया है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जाति को आरक्षण

4609. श्री पी. आर. किन्डिया :
डॉ. एन. वेंकटस्वामी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ-लोक-सेवा-आयोग ने 411 रिक्तियों को भरने के लिए वर्ष, 1999 में सिविल सेवा परीक्षा आयोजित की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अनुसूचित

जाति/जनजाति और अन्य पिछड़ी जाति के चयनित अभ्यर्थियों की संख्या और सामान्य योग्यता–क्रम सूची में अन्य पिछड़ी जाति के चयनित अभ्यर्थियों की संख्या कितनी थी;

(ग) कितने अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी की सूची में और कितने अन्य पिछड़ी जाति की सूची में रखे गये थे;

(घ) क्या अनुसूचित जाति के 16 अभ्यर्थियों में से केवल एक को सामान्य योग्यता–क्रम सूची में रखे जाने के योग्य समझा गया और अनुसूचित जनजाति के 9 अभ्यर्थियों में से केवल एक को ही सामान्य योग्यता–क्रम सूची में रखे जाने के योग्य समझा गया था;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(च) ऐसे चयन के लिए निर्धारित मानदंड का ब्यौरा क्या है; और

(छ) ऐसे चयन में सभी विषमताओं को दूर करने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है ताकि अन्य पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों को अधिकतम संख्या में रोजगार मिल सके?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (छ) सिविल सेवा परीक्षा, 1999 के आधार पर, विभिन्न सेवाओं में भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या 411 थी जिनमें 234 रिक्तियां अनारक्षित, 97 रिक्तियां अन्य पिछड़े वर्गों के लिए, 53 रिक्तियां अनुसूचित जातियों के लिए और 27 रिक्तियां अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित थीं। उपर्युक्त रिक्तियों के संबंध में संघ–लोक–सेवा–आयोग ने अनारक्षित श्रेणी के 191 उम्मीदवार, अन्य पिछड़े वर्गों के 127 उम्मीदवार, अनुसूचित जातियों के 63 उम्मीदवार और अनुसूचित जनजातियों के 30 उम्मीदवार संस्तुत किए।

अन्य पिछड़े वर्गों के 127 उम्मीदवारों की सूची में अनारक्षित रिक्तियों के संबंध में संस्तुत 30 उम्मीदवार शामिल थे। इसी प्रकार, अनुसूचित जातियों के 63 उम्मीदवारों की सूची में अनारिक्षत रिक्तियों के संबंध में संस्तुत 10 उम्मीदवार तथा अनुसूचित जनजातियों के 30 उम्मीदवारों की सूची में अनारक्षित रिक्तियों के संबंध में संस्तुत 03 उम्मीदवार शामिल थे। फिर भी, अन्य पिछड़े वर्गों के केवल 6 उम्मीदवार और अनुसूचित जनजाति का केवल एक उम्मीदवार ही अनारक्षित रिक्तियों के संबंध में आबंटित किया गया है। अनारक्षित रिक्तियों के संबंध में संस्तुत किए गए शेष उम्मीदवार, आरक्षित रिक्तियों के संबंध में आबंटित कर दिए गए हैं ताकि वे अपनी अपेक्षाकृत अधिक पसन्द की सेवा में आबंटित हो सकें।

आबंटन की मौजूदा प्रणाली में अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को इस कारण से अधिकतम रोजगार दिया जा रहा है, क्योंकि अधिकांश मामलों में सभी आरक्षित रिक्तियां संस्तुत उम्मदवारों से ही भरी जा रही हैं।

पासपोर्ट कार्यालयों के कार्यकरण को सुचारु बनाना

4610. श्री ए. पी. जितेन्द्र रेड्डी :
श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पासपोर्ट जारी करने में अनावश्यक विलंब होता है जैसा कि दिनांक 24 जनवरी, 2001 के "स्टेट्समैन" समाचार–पत्र में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इससे संबंधित तथ्य क्या हैं;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा देश में पासपोर्ट कार्यालयों के कार्यकरण को सुचारु बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) जी, नहीं।

(ख) स्टेट्समैन में प्रकाशित इस मामले के तथ्य नीचे दिए अनुसार हैं :

(i) 1991 में नए पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय आवेदक ने आपात प्रमाण–पत्र पर अमरीका से अपनी वापसी के संबंध में जानकारी को छिपाया था। आपात प्रमाण–पत्र उसे तब दिया गया था जब उसे नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार के आरोप पर सिद्ध–दोष होने के बाद अमरीका से निष्कासित किया गया था।

(ii) पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के अनुसार जन–हित खण्ड के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रिक को पासपोर्ट दिए जाने से इन्कार किया जा सकता है और आवेदक का अपराध पासपोर्ट न दिये जाने के औचित्य को सिद्ध करता है।

(iii) आवेदक ने 1998 में नए पासपोर्ट के लिए पुनः आवेदन किया था और नए सिरे से जांच की गई थी।

(iv) चूंकि आवेदक के पास पिछले अनेक वर्षों से पासपोर्ट नहीं था और पुलिस रिपोर्ट में कोई आपत्ति नहीं थी इसलिए नरम दृष्टिकोण अपनाया गया था और सितम्बर, 2000 में उसे पासपोर्ट जारी किया गया था।

(ग) पासपोर्टों को जारी करने में विलम्ब प्रमुखतः पुलिस सत्यापन रिपोर्टों का नकारात्मक अथवा अपूर्ण होना, आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कमियों का होना, पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का आवेदकों द्वारा उत्तर न दिया जाना और आवेदकों द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी छिपा लेने के कारण होता है।

(घ) देश में पासपोर्ट कार्यालयों के क्रिया–कलापों को सुचारु बनाना मौजूदा और अनवरत प्रक्रिया है। सरकार का यह सतत् प्रयास रहा है कि जनता को त्वरित और कुशल सेवा प्रदान करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए देश भर में पासपोर्ट कार्यालयों और पासपोर्ट आवेदन संग्रहण केन्द्रों का नेटवर्क बढ़ाया जाए और आधुनिक बनाया जाए। पासपोर्ट कार्यालयों की कार्यकुशलता और सामर्थ्य बढ़ाने के लिए किए गए सुधारों में 28 में से 21 पासपोर्ट कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण, टेली–जांच प्रणाली लागू करना, केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन की वेबसाइट आरम्भ करना और चुने हुए कुछ पासपोर्ट कार्यालयों में भी वेबसाइट आरम्भ करना, सभी पासपोर्ट कार्यालयों में शिकायतों के समाधान की व्यवस्था की स्थापना करना, पासपोर्ट पुस्तिकाओं को मशीन से लिखने का कार्य शुरू करना और इन्डेक्स कार्डों की स्केनिंग आदि शामिल हैं। हाल में सरकार ने पासपोर्ट कार्यालयों में भीड़ को कम करने के लिए निर्धारित स्पीड पोस्ट केन्द्रों में पासपोर्ट आवेदन स्वीकार किए जाने की सुविधा लागू की है।

अंतर्राष्ट्रीय दंड न्यायालय की स्थापना

4611. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :
श्री सुशील कुमार शिंदे :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय दंड न्यायालय की स्थापना का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त प्रस्ताव को अस्वीकृत करने वाले देशों में भारत भी एक है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) और (ख) संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिनांक 17 दिसम्बर, 1996 को पारित अपने संकल्प 51/207 में एक अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना से संबद्ध एक अभिसमय को अंतिम रूप देने तथा पारित करने के मद्देनजर 1998 में पूर्णाधिकारी दूतों का एक राजनयिक अभिसमय आयोजित करने का फैसला किया। इस निर्णय के अनुसरण में और 15 जून से 17 जुलाई, 1998 तक रोम में सम्पन्न विचार–विमर्श के पश्चात् इस सम्मेलन द्वारा एक विधान पारित किया गया। अभी तक लगभग 140 देशों ने इस विधान पर हस्ताक्षर किए हैं, जबकि 15 मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार 29 देशों ने इसका अनुसमर्थन किया था। इस न्यायालय की स्थापना के लिए 60 देशों के अनुसमर्थन आवश्यक हैं।

(ग) और (घ) भारत ने जुलाई 1998 में रोम में पूर्णाधिकारी दूतों के सम्मेलन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के विधान पर मतदान में भाग नहीं लिया था। भारत ने इस न्यायालय के विधान पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं चूंकि यह न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार में उन कई अपराधों को शामिल करता है जो राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार के अध्यधीन हैं, और यह न्यायालय के संतोष के अध्यधीन राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार की प्रमुखता को मानता है, यह आतंकवाद को मानवता के विरुद्ध अपराध के रूप में शामिल नहीं करता है। यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को न्यायालय द्वारा विचारणीय या मामलों की सुनवाई को अवरुद्ध करने के संबंध में विशेष और भेदभावपूर्ण शक्तियां प्रदान करता है।

भारत-इज़राइल वार्ता

4612. श्री जी. एस. बसवराज :
श्री इकबाल अहमद सरडगी :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और इज़राइल दोनों देशों के विदेश कार्यालय के अधिकारियों के बीच दिसम्बर, 2000 में लंबी वार्ता हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो किन मुद्दों पर चर्चा हुई और इसके क्या परिणाम निकले?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) और (ख) इज़राइल के साथ विदेश कार्यालय परामर्श का पांचवां दौर दिसम्बर, 2000 में संपन्न हुआ था और इन वार्ताओं में विदेश मंत्रालय के सचिव (पूर्व) के नेतृत्व में भारतीय शिष्टमण्डल ने भाग लिया। परामर्श के दौरान, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने

संबंधी तौर–तरीकों पर चर्चा करने के अलावा, महत्वपूर्ण सार्वभौमिक और क्षेत्रीय मसलों पर भी चर्चा हुई थी।

धनराशि का वितरण

4613. श्री पी. आर. खूंटे : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को भेषजीय उद्योग हेतु 150 करोड़ रुपये की अनुसंधान और विकास निधि के वितरण के लिए "नोडल एजेंसी" के रूप में नियुक्त किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त निधि के वितरण हेतु निर्धारित मानदंड और ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) जी, नहीं

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अवसंरचनात्मक विकास

4614. श्री अजय सिंह चौटाला : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) पिछले तीन वर्षो के प्रत्येक वर्ष के दौरान 12 दिसम्बर, 2000 तक अवसंरचनात्मक विकास की प्रगति तालिका क्या है और इस संबंध में संभावति लक्ष्य क्या है;

(ख) उक्त अवधि में अवसंरचनात्क क्षेत्र में धीमी प्रगति के कारण यदि कोई है तो क्या है; और

(ग) सरकार का भविष्य में अवसंरचनात्मक विकास को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान अवसंरचनात्मक विकास के संबंध में प्रगति तालिका संभावित लक्ष्य के साथ संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) संलग्नक से यह देखा जा सकता है कि यद्यपि, कुछ क्षेत्रकों में वार्षिक योजना लक्ष्यों की तुलना में वास्तविक में गिरावट आई है, अवसंरचनात्मक क्षेत्रक में अवधि के दौरान समग्र रूप से कोई कमी नहीं आई है। वास्तव में, अप्रैल–सितंबर की अवधि के दौरान संलग्नक में दिए गए वास्तविक आंकड़े अग्रगामी प्रवृति दर्शाते हैं।

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना अवसंरचना के महत्व को पहचानती है, विशेषकर विकास प्रक्रिया के लिए विद्युत, दूरसंचार, रेलवे, सड़क तथा बंदरगाह। अवसंरचना की निवेश आवश्यकताएं संभावित उपलब्ध संसाधनों को अधिकतर पार कर जाती हैं। अतः नौवीं पंचवर्षीय योजना अवसंरचनात्मक क्षेत्रों में दूरगामी सुधार, सार्वजनिक प्रयासों के अनुपूरक हेतु निजी निवेश के जुटाव, उच्चतर प्रचालनात्मक क्षमता की प्राप्ति तथा उपयुक्त उपभोक्ता प्रभार की प्रस्तावना पर बल दिया गया है।

विवरण

अवसंरचनात्मक क्षेत्रकों के निष्पादन में रुझान

क्षेत्रक	यूनिट	1998–99		1999–2000		2000–01	
		लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	अनंतिम	लक्ष्य	अप्रैल–दिस.
1	2	3	4	5	6	7	8
I. ऊर्जा							
1. कोयला उत्पादन	मिलियन टन	306.50	292.16 (206.7)	301.80	300.00 (207.3)	308.07	218.20
2. विद्युत सृजित (केवल उपयोगिता)	बिलियन यूनिट	450.00	448.37 (330.8)	469.00	480.01 (355.7)	499.00	372.60
3. पेट्रोलियम (कच्चा तेल उत्पादन)	मिलियन टन	31.55	32.71 (24.40)	33.02	32.00 (24.30)	31.99	24.50

1	2	3	4	5	6	7	8
II. परिवहन एवं संचार							
1. रेलवे राजस्व आय वाले माल यातायात	मिलियन टन	450.00	420.90 (306.3)	450.00	456.40 (330.7)	475.00	347.80
2. मुख्य बंदरगाहों पर उतारे–चढ़ाने वाले कार्गो (स्थोरा)	मिलयन टन	258.00	251.72 (184.3)	258.00	271.90 (201.4)	290.00	209.20
3. दूरसंचार (उपलब्ध कराई गई टेलीफोन लाईनें–डीइएल)	लाख लाइन	36.00	37.92 (16.50)	45.50	49.18 (21.99)	57.90	28.55

स्रोत : आर्थिक सर्वेक्षण 2000–2001 (अध्याय–9, तालिका 9.1, पेज नं. 171)

योजना आयोग वार्षिक योजना दस्तावेज 1998–99, 1999–2000, 2000–2001 तथा नौवीं पंचवर्षीय योजना का मध्यावधि मूल्यांकन।

टिप्पणी : ( ) कोष्टक में दिए गए आंकड़े संबंधित वर्ष के अप्रैल–दिसम्बर के दौरान वास्तविक दर्शाते हैं।

[हिन्दी]

खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा रोजगार सृजन कार्यक्रम

4615. श्री मनसुखभाई डी. वसावा : क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में किन–किन जिलों में खादी ग्रामोद्योग आयोग के रोजगार सृजन कार्यक्रम क्रियान्वित किए जा रहे हैं; और

(ख) खादी और ग्रामोद्योग आयोग के इन कार्यक्रमों के क्रिन्यान्वयन के लिए जिलों के चयन हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) खादी और ग्रामोद्योग आयोग के ग्रामीण रोजगार के अवसर सृजित करने सम्बन्धी कार्यक्रमों का कार्यान्वयन देश के सभी जिलों में किया जा रहा है।

[अनुवाद]

समेकित औद्योगिक विकास योजना

4616. श्री टी. टी. वी. दिनाकरन : क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिडबी द्वारा दिए गए ऋण के माध्यम से तमिलनाडु को समेकित औद्योगिक विकास योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है।

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हां। संदर्भ संभवतः एकीकृत आधारभूत विकास (आई आई डी) योजना से है जो भारत सरकार ने 7.3.1994 में शुरू की थी। अभी तक तमिलनाडु में 5 परियोजनाएं संस्वीकृत की गई हैं। यह उरगमपत्ती जिला मदुरै, किट्टमपलयम जिला कोयम्बटूर, थ्रीम्यूडिब्क्कम, चिंगई, एम जी आर जिला, कुटटुर अवधी ब्लाक, चिंगई एम जी आर जिला तथा बिच्चोर, जिला थिरूवेल्लूर।

(ख) और (ग) एकीकृत आधारभूत विकास (आई आई डी) योजना, देश में लघु उद्योग इकाइयों के संवर्धन में मूल आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराती है। योजना के अंतर्गत, प्रत्येक केन्द्र को 2.00 करोड़ रु. तक केन्द्रीय अनुदान (4.00 करोड़ रु. पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए) तथा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) से 3.00 करोड़ रु. तक ऋण (एक करोड़ रु. पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए) उपलब्ध कराया जाता है। राज्य सरकारों को उचित स्थान का चुनाव करना, प्रस्ताव को पक्का करना, तकनीकी आर्थिक संभाव्यता हेतु इसे सिडबी से मूल्यांकित कराना तथा एक क्रियान्वयन अभिकरण नियुक्त करना अनिवार्य होता है। सिडबी को, मियादी ऋण के समान केन्द्रीय अनुदान

जारी करने का अधिकार है। कार्यान्वयन अभिकरण, केन्द्रीय सरकार से अग्रिम की राशि, केवल परियोजना के नाम से बैंक में बराबर के शेयर जमा करा कर प्राप्त कर सकती हैं या केन्द्रीय अनुदान, उनके द्वारा किए गए आवर्ती व्यय के विपरीत प्रतिपूर्ति आधार पर जारी किया जाता है। यह योजना उत्तरोत्तर पूरे देश को कवर करेगी जिसमें 50 प्रतिशत आरक्षण ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है।

अखिल भारतीय सेवा संबंधी समिति

4617. श्री मनोज सिन्हा : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के राज्य–संवर्ग में आबंटन द्वारा प्रभावित अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की ओर से उनके जायज परेशानियों से संबंधित मामलों के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त करने हेतु एक समिति गठित की गई है.

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की ओर से उक्त समिति द्वारा कोई अभ्यावेदन प्राप्त किए गए हैं;

(ग) क्या अन्य पिछड़ी जाति के अधिकारियों को गलत ढंग से सामान्य सूची में शामिल किए जाने के संबंध में भी अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का विचार है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) केन्द्र–सरकार ने अलग–अलग अधिकारियों की वास्तविक कठिनाई के मामलों और अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के आबंटन से उत्पन्न अन्य सम्बद्ध मुद्दों की जांच–पड़ताल करने के लिए एक समिति गठित की है।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, हां।

(घ) से (च) जी, हां। इस बारे में मिले अभ्यावेदनों पर विचार, इस उत्तर के ऊपर भाग (क) में संदर्भित, उपर्युक्त समिति द्वारा किया जाना है।

औषधियों की गुणवत्ता

4618. श्री दिन्शा पटेल : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औषधियां खराब गुणवत्ता वाली होती हैं और इसी कारण ये विदेशों में निर्मित औषधियों से प्रतियोगिता करने में समर्थ नहीं हैं;

(ख) क्या यह भी सही है कि खराब गुणवत्ता वाली औषधियों के कारण ही भारतीय कंपनियों को अविकसित देशों से भी निर्यात हेतु पर्याप्त आदेश नहीं मिल रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा भारतीय कंपनियों से उच्च गुणवत्ता वाली औषधियों का निर्माण सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) निर्यात के उद्देश्य के लिए गुणवत्ता के पालन को आगे और सरल बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

(1) निर्यात करने वाले राष्ट्रों को यह सलाह दी गई है कि वे भारत के औषध नियंत्रक से यह आश्वासन प्राप्त करें कि विनिर्माण संयंत्र जिसमें उत्पाद विनिर्मित किया जाता है वह विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा संस्तुत औषध गुणवत्ता नियंत्रण और विनिर्माण के लिए अच्छी पद्धतियों की अपेक्षाओं के समनुरूप है। यह सलाह ऐसे प्रकरण प्राप्त होने पर प्रदान की जा रही है।

(2) जहां कहीं औषध गुणवत्ता में गंभीर कमी ध्यान में आती है तो आयातक देश को इसके बारे में सूचित करने की सलाह दी गई है ताकि उक्त कमी को दूर करने की कार्रवाई की जा सके।

(3) केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन के अंचल अधिकारियों/पतन अधिकारियों को निर्यात की जाने वाली औषधों की गुणवत्ता की वैधता का यादृच्छिक नमूने लेने की सलाह दी गई है।

(4) अच्छी विनिर्माण पद्धति की अपेक्षाओं का उन्नयन और अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के साथ इनका अनुकूलन किया जा रहा है।

अंतरिक्ष केन्द्रों में अनियमितताएं

4619. श्री राम मोहन गाड्डे :
श्री के. ई. कृष्णमूर्ति :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने "शार" उपग्रह प्रक्षेपण केन्द्र में बरती जा रही तथाकथित अनियमितताओं की जांच के लिए सी.बी.आई. को आदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या विभिन्न घोटालों में "शार" के कर्मचारियों के साथ केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के वरिष्ठ अधिकारियों की मिलीभगत है जैसा कि दिनांक 5 मार्च, 2001 के "ईनाडु" क्षेत्रीय तेलुगु समाचार-पत्र में प्रकाशित हुआ है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं;

(ङ) क्या "शार" केन्द्र में सुरक्षा प्रबंध अपर्याप्त हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(छ) इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) और (घ) इस मामले की जांच की जा रही है। जांच पड़ताल के पूरा होने तक दो कर्मचारियों को शार केन्द्र से बाहर स्थानान्तरित कर दिया गया है।

(ङ) जी, नहीं। शार केन्द्र, श्रीहरिकोटा की सुरक्षा व्यवस्था का केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी.आई.एस.एफ.) द्वारा पर्याप्त रूप में ध्यान रखा जा रहा है। शार केन्द्र में सुरक्षा व्यवस्था की अन्तरिक्ष विभाग और आसूचना ब्यूरो (आई.बी.) द्वारा भी समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

(च) और (छ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

डी.आर.डी.ओ. कर्मचारियों के घरों में सेंधमारी

4620. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोनाराम चौधरी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 3 मार्च, 2001 के "टाइम्स ऑफ इंडिया" समाचार-पत्र में "हाई सेक्यूरिटी हाउसेज ऑफ डी.आर.डी.ओ. स्टाफ बर्गल्ड, आफिशियल्स फियर सेन्शीटीव पेपर्स वेयर एक्सेस्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो सुरक्षा एजेंसियों को चुस्त करने हेतु क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का विचार है; और

(ग) चार वैज्ञानिकों के आवासों में सेंधमारों को किस तरह के संवेदनशील कागजात प्राप्त हुए और इसका क्या प्रभाव पड़ा?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) सुरक्षा एजेंसी को चुस्त बनाए रखने के लिए आवधिक आकस्मिक जांच की जा रही है। अब सुरक्षा एजेंसी के कार्मिक प्रवेश स्थलों पर सभी आगन्तुकों और वाहनों की निगरानी करते हैं।

(ग) न तो कोई संवेदनशील कागजात गुम हुए थे और न ही निकाले गए थे।

सी.बी.आई. जांच

4621. श्री पी. एस. गढ़वी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी.बी.आई. कई आई.ए.एस. और आई.पी.एस. अधिकारियों के विरुद्ध अपराध करने और अपने दायित्व के प्रति लापरवाही बरतने जैसे मामलों की जांच कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का विचार है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निवारणात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य

मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) केन्द्रीय अन्वेषण–ब्यूरो द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी के अनुसार, वर्ष 1998, 1999 और 2000 के दौरान भारतीय पुलिस सेवा के 13 तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा के 49 अधिकारियों के विरुद्ध विभिन्न अपराधों और अपने कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही बरते जाने के मामले दर्ज किए गए हैं। इन मामलों का वर्ष–बार ब्यौरा निम्नानुसार दिया जा रहा है

वर्ष	1998	1999	2000
भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध मामले	26	8	15
भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध मामले	5	3	5

(ग) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा उपर्युक्त मामलों में की गई वर्ष–वार कार्रवाई नीचे दी जा रही है।

की गई कार्रवाई	1998		1999		2000	
	भा.प्र.से.	भा.पु.से.	भा.प्र.से.	भा.पु.से.	भा.प्र.से.	भा.पु.से.
आरोप पत्र दायर किया गया और मामला न्यायालयों में सुनवाई के लिए लम्बित	1	–	1	–	1	1
नियमित विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की गई	7	3	1	2	1	–
उपयुक्त समझी गई कार्रवाई संस्तुत की गई	4	–	1	–	1	–
जांच के पश्चात मामला समाप्त कर दिया गया	5	2	4	–	1	–
जांच के अधीन	9	–	1	1	11	4

(घ) सरकार, लोक–सेवाओं के सभी स्तरों पर स्वच्छ प्रशासन सुलभ करवाने और भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान एक सतत चलती रहने वाली प्रक्रिया है तथा इस बारे में तैयार की गई नीतियाँ, बदलते परिवेश के प्रति अपेक्षाकृत अधिक कारगर और संवेदनशील बनाने की दृष्टि से समय–समय पर आशोधित की जाती हैं। इस बारे में सरकार, निगरानी, निवारण तथा दण्डात्मक/निवारक कार्रवाई की एक त्रिसूत्रीय रणनीति अपनाती है। यह मानते हुए नागरिक चार्टर लाने और सुविधा–केन्द्र स्थापित करने जैसे प्रशासनिक सुधार के उपाय किए जाने आरम्भ कर दिए गए हैं कि निवारक सतर्कता का एक महत्वपूर्ण पहलू लोक प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। कानूनों, नियमों और प्रक्रियाओं की समीक्षा और उनके सरलीकरण का कार्य भी आरम्भ कर दिया गया है। लोक सेवकों की सेवा–शर्तें नियंत्रित करने वाले नियमों के अनुसार, भ्रष्टाचार–निवारण अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत उनके विरुद्ध की जा रही दण्डात्मक कार्रवाई भी एक निवारक के रूप में कार्य करती है। इसके अतिरिक्त इस बारे में महत्वपूर्ण पहलकदमी के तौर पर, सरकार द्वारा हाल ही में उठाए गए कुछ कदमों में, अन्य बातों के साथ–साथ केन्द्रीय सतर्कता–आयोग को सांविधिक दरजा देने की दृष्टि से लोक–सभा में 20.12.1999 को केन्द्रीय सतर्कता–आयोग विधेयक, 1999 और 25.07.2000 को सूचना का स्वातन्त्र्य विधेयक, 2000 पेश किया जाना है।

प्रतिनियुक्ति पर तैनात अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के अधिकारी

4622. डॉ. एन. वेंकटस्वामी :
श्री रामदास आठवले :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय मंत्रालय उसके विभागों और उसके अधीनस्थ कार्यालयों, सांविधिक, अधीनस्थ/संबद्ध कार्यालयों में विभिन्न वर्गों और श्रेणियों के पदों का कार्मिक और प्रशिक्षण–विभाग द्वारा अन्य सेवाओं और संगठनों के अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर तैनात करके भरा जाता है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रतिनियुक्ति पदों पर व्यक्तियों के चयन के लिए गठित की गई चयन–समितियों/बोर्डों का क्या स्वरूप और संरचना है;

(ग) क्या ऐसे चयन/नियुक्ति–समितियों और बोर्डों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को नियुक्त करने/उन्हें संबद्ध करने के लिए कोई प्रावधान किया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उप सचिव/निदेशक, संयुक्त सचिव, अतिरिक्त सचिव

और सचिव श्रेणी के उपरोक्त पदों पर कितने व्यक्तियों को प्रतिनियुक्ति आधार पर तैनात किया गया और गत पांच वर्षों के दौरान तैनात व्यक्तियों में से कितने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) संगठित समूह 'क' सेवाओं में ही विशेष रूप से संवर्ग–बद्ध पदों अथवा संघ–लोक–सेवा–आयोग के माध्यम से भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों को छोड़कर, केन्द्र में वरिष्ठ प्रशासनिक पदों पर नियुक्तियां, कार्मिक और प्रशिक्षण–विभाग द्वारा केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के अंतर्गत, अखिल भारतीय सेवाओं और समूह 'क' केन्द्रीय सेवाओं के अधिकारियों की सेवाएं प्रतिनियुक्ति के आधार पर लेकर की जाती हैं। स्वायत्त निकायों और सांविधिक संगठनों के पदों पर नियुक्तियां, संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा की जाती हैं और ऐसी नियुक्तियां, निर्धारित नियमों, विनियमों और प्रक्रियाओं ...त्रित की जाती हैं।

(ख) केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के अंतर्गत उप सचिवों, निदेशकों और संयुक्त सचिवों/समकक्ष स्तर के पदों पर नियुक्तियां, सिविल सेवा–बोर्ड नाम के एक बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर की जाती हैं जिसमें निम्नलिखित पदाधिकारी होते हैं :

(क) मंत्रिमण्डल–सचिव	अध्यक्ष (पदेन)
(ख) सचिव (कार्मिक)	सदस्य (पदेन)
(ग) एक समय में एक वर्ष के लिए नियुक्त किए जाने वाले, भारत सरकार के एक सचिव	सदस्य
(घ) स्थापना–अधिकारी	सदस्य–सचिव (पदेन)
(ङ) संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/ विभाग के सचिव	सहयोजित सदस्य

इन पदों पर नियुक्तियां, केन्द्र–सरकार के प्रत्येक मंत्रालय/ विभाग द्वारा सूचित रिक्तियों और संबंधित संवर्ग–प्राधिकारियों द्वारा, प्रतिनियुक्ति की पेशकश के लिए अधिकारी सुलभ करवाए जाने के आधार पर की जाती हैं।

(ग) और (घ) सिविल सेवा–बोर्ड में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के हिस्सा लेने/उन्हें शामिल किए जाने के कोई भी सुस्पष्ट और सुनिश्चित प्रावधान नहीं हैं।

(ङ) 01.03.2001 को मौजूद स्थिति के अनुसार, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में उप सचिव, निदेशक, संयुक्त सचिव, अपर सचिव और सचिव के स्तर के पदों पर निम्नलिखित अधिकारी कार्य कर रहे थे :

सचिव और समकक्ष स्तर के पदों पर कार्यरत अधिकारी	: 141
अपर सचिव और समकक्ष स्तर के पदों पर कार्यरत अधिकारी	: 104
संयुक्त सचिव के स्तर के पदों पर कार्यरत अधिकारी	: 490
निदेशक के स्तर के पदों पर कार्यरत अधिकारी	: 590
उप सचिव के स्तर के पदों पर कार्यरत अधिकारी	: 563

चूंकि उपर्युक्त पदों पर नियुक्तियां करने में जाति/जनजाति पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता, अतः उपर्युक्त स्तरों के पदों पर नियुक्त अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों की संख्या से संबंधित आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते।

[हिन्दी]

छत्तीसगढ़ में कालेज की स्थापना

4623. श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य में चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने हेतु किसी निजी संस्थान को अनुमति दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और संस्थान के क्या नाम हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर से बिलासपुर में एक नया मेडीकल कालेज खोलने के लिए केन्द्रीय सरकार की अनुमति प्राप्त करने के बारे में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव को स्वीकृति ढांचागत सुविधाओं की उपलब्धता और इस बारे में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की सिफारिशों पर निर्भर करती है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य में किसी प्राइवेट संस्थान को ऐसी कोई अनुमति नहीं दी गई है।

[अनुवाद]

'दक्षेस' को पुनरूज्जीवित किया जाना

4624. श्री सुरेश रामराव जाधव :
डा. जसवंत सिंह यादव :
श्री अजय सिंह चौटाला :
श्री रूपचन्द पाल :
श्री किरीट सोमैया :
श्री के. पी. सिंह देव :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षेस को उपेक्षा से उबारने के लिए श्रीलंका के निवेदन पर भारत ने अपनी सहमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस वर्ष मई महीने में उक्त संगठन की स्थायी समिति की होने वाली बैठक में भारत के भाग लेने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या दक्षेस के सदस्य देशों के बीच लंबे अंतराल तक बातचीत न होने के कारण पूर्व के दक्षेस सम्मेलन में लिए गए निर्णय उपेक्षित पड़ गए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में विशेष रूप से भारत द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(छ) क्या सरकार ने लंबित दक्षेस सम्मेलन के आयोजन हेतु कोई पहल की है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) से (घ) पिछले माह श्रीलंका की राष्ट्रपति श्रीमती चंद्रिका कुमारतुंगा की भारत यात्रा के दौरान इस बात पर सहमति हुई कि सार्क सदस्य राज्यों के साथ परामर्श करके अगले कुछ महीनों के भीतर विदेश सचिवों की सार्क स्थायी समिति की बैठक का कार्यक्रम बनाया जाए। इस बैठक के जून, 2001 के आरंभ में होने की संभावना है।

(ङ) और (च) हालांकि ग्यारहवें सार्क शिखर सम्मेलन को स्थगित करना पड़ा तथापि, सार्क के अन्तर्गत तकनीकी और क्रियात्मक संपर्क जारी रहा है।

सार्क समन्वित कार्य योजना (सीपा) के आरंभिक तंत्र सार्क तकनीकी समितियों की कई बैठकें पहले ही पिछले वर्ष से होती रही हैं। संचार और परिवहन से संबद्ध सार्क तकनीकी समिति की पहली बैठक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबद्ध तकनीकी समिति की प्रथम बैठक तथा पर्यावरण, मौसम विज्ञान और वानिकी से संबद्ध तकनीकी समिति की पहली बैठक क्रमशः 5–6 जनवरी 2001 तक इस्लामाबाद में, 23–25 जनवरी 2001 तक दिल्ली में और 20–21 फरवरी 2001 तक थिम्पु में हुई। इन बैठकों में सभी सदस्य राज्यों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त विशेषज्ञ स्तर की कई बैठकें हो चुकी हैं जिनमें 22–23 मार्च, 2001 तक नई दिल्ली में आयोजित वैश्विक वित्तीय और आर्थिक मसलों से संबद्ध शोधकर्त्ताओं के सार्क नेटवर्क और 10–11 अप्रैल, 2001 तक काठमांडू में आयोजित खाद्य सुरक्षा भंडार बोर्ड की आठवीं बैठक शामिल है। दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र (साप्टा) की दूसरी बैठक 11–12 मई, 2001 को होनी है।

(छ) और (ज) अगला सार्क शिखर सम्मेलन आयोजित करने के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

हल्के लड़ाकू विमान के लिए रूसी सहायता

4625. श्री रामपाल सिंह :
डा. अशोक पटेल :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूसी सरकार ने हल्के लड़ाकू विमान परियोजना के लिए भारत को सहायता देने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बच्चों में गुर्दा संबंधी रोग

4626. मोहम्मद शहाबुद्दीन : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बच्चों के बीच गुर्दा संबंधी बीमारी में प्रति वर्ष बढ़ोत्तरी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान इस रोग से ग्रसित बच्चों की संख्या, राज्य–वार कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने बच्चों में गुर्दा संबंधी बीमारियों की रोकथाम हेतु कोई ठोस कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

वित्तीय सहायता

4627. डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

नौवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान, केन्द्र सरकार द्वारा न्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत राज्यवार कितनी सहायता उपलब्ध कराई गई; और

(ख) उक्त योजनावधि के दौरान प्रत्येक राज्य द्वारा राज्यवार कितनी वित्तीय सहायता का उपयोग किया गया?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) कॉयर क्षेत्र में सहकारिताकरण की केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत, केन्द्र सरकार अपनी निधियों का भाग सरकार द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं को प्रदान करती है। नौवीं योजनावधि के दौरान योजना के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित राज्य सरकारों को 278.63 लाख रूपये की राशि जारी की गई है।

राज्य का नाम	जारी की गई राशि (रु. लाख में)
उड़ीसा	3.62
केरल	145.35
तमिलनाडु	84.24
कर्नाटक	42.90
पश्चिमी बंगाल	2.52

—

लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज का स्तरोन्नयन

4628. डा. रमेश चन्द तोमर :
श्री ए. पी. जितेन्द्र रेड्डी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और उससे संबद्ध अस्पतालों को स्तरोन्नत करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और उससे संबद्ध अस्पताल आधुनिकतम चिकित्सा–शिक्षा और उपचार उपलब्ध नहीं करा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा कौन से सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) अस्पतालों का विकास और उन्नयन एक सतत प्रक्रिया है। लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं संबद्ध अस्पतालों का चरणवार ढंग से उन्नयन और सुदृढ़ीकरण करने के लिए सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो फार मेडिकल एंड हेल्थ बिल्डिंग, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने एक बृहद पुनर्विकास योजना तैयार की है।

(ग) से (ङ) लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं संबद्ध अस्पतालों से प्राप्त सूचना के अनुसार लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज, दिल्ली विश्वविद्यालय जिसके साथ वह संबद्ध है, द्वारा निर्धारित की गई पाठ्यचर्या का अनुपालन कर रहा है।

[हिन्दी]

"धन्वंतरि" आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति

4629. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को "धन्वंतरि" आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति द्वारा विकसित की गई औषधि, जिसे देश में एड्स की घातक बीमारी से सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है, की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने एड्स के उपचारार्थ उक्त चिकित्सा पद्धति का व्यवहार कर रहे चिकित्सकों से सहायता मांगी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (ग) यह दावा किया गया है कि कुछ एड्स रोगी आयुर्वेदिक इलाज से ठीक हो गए हैं। केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली ने दावा करने वालों को सलाह दी है कि वे अध्ययनों, उपलब्धियों, उपचारित रोगियों की संख्या, किए गए प्रयोगशाला जांचों, इस्तेमाल की गई औषधियों और दावों के आधार का पता लगाने के लिए उनके ब्यौरा प्रदान करें।

[अनुवाद]

स्वास्थ्य नीति

4630. श्रीमती संगीता कुमारी सिंहदेव : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय आयोग के उच्चाधिकारियों ने हाल ही में ब्रुसेल्स में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ देश की स्वास्थ्य नीति और भारत में चल रही उनकी परियोजना (अर्थात् ई.सी.–एच. एण्ड एफ.डब्ल्यू) के विषय में विचार–विमर्श किया;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा; और

(ग) इस पर सरकार का क्या निर्णय है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) श्री जे.डी. ओलिवेरा ई सोसा, निदेशक (एआईडीसीओ) यूरोपीय कमीशन ब्रुसेल्स ने 4–7 दिसम्बर, 2000 को इस देश का दौरा किया और सचिव (परिवार कल्याण) के साथ बैठक की। इस बैठक की कोई विशिष्ट कार्यसूची नहीं थी। दौरा करने वाले अधिकारी को चल रहे क्षेत्र निवेश कार्यक्रम की स्थिति से अवगत कराया गया। देश की स्वास्थ्य नीति के बारे में कोई विशिष्ट विचार–विमर्श नहीं हुआ है। यूरोपीय कमीशन ने स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रति अपनी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता दोहराई है।

(ग) विचार–विमर्श के दौरान सरकार के निर्णय लेने की आवश्यकता से संबंधित कोई मामला नहीं उठा।

विषाणु संबंधी यू.एन.-एड्स की रिपोर्ट

4631. श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री जी. एस. बसवराज :
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सन् 2000 के लिए यू.एन.–एड्स की विषाणु संबंधी अद्यतन रिपोर्ट में भारत को छोड़ दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो 'यू.एन.–एड्स' द्वारा भारत का उल्लेख छोड़ दिए जाने के प्रमुख कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने यू.एन.–एड्स की पूर्ववर्ती रिपोर्ट की आलोचना की थी; और

(घ) भारत द्वारा यू.एन.–एड्स की पिछली रिपोर्ट पर आपत्ति जताने के क्या कारण थे?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (घ) जी, नहीं।

कम्प्यूटर सूचना केन्द्र

4632. श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन :
श्री अन्नासाहेब एम. के पाटील :

क्या **सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में कम्प्यूटर सूचना केन्द्रों को स्थापित करने के लिए एक योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और इस योजना के क्रियान्वयन की समय सीमा क्या रखी गई है;

(ग) इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है और इसके अनुवर्तन में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में कठिन भौगोलिक पहाड़ी क्षेत्रों में, जहां मूल संरचनात्मक तथा संचार संबंधी सुविधाएं कम हैं, समुदाय के सामाजिक एवं आर्थिक विकास को तेज करने की दृष्टि से 220 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से दो वर्षों के अन्दर अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा तथा सिक्किम के सभी ब्लाक मुख्यालयों में सामुदायिक सूचना केन्द्र (सीआईसी) स्थापित करके सम्पर्क उपलब्ध कराने की एक योजना अनुमोदित की गई।

उपर्युक्त राज्यों में राज्य सरकार द्वारा चुने गए स्थानों पर 30 सामुदायिक सूचना केन्द्र स्थापित करके 15 करोड़ रुपये की

अनुमानित लागत से अगस्त, 2000 में एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की गई। इससे प्राप्त अनुभव के आधार पर इन राज्यों के शेष 457 ब्लाकों में सामुदायिक सूचना केन्द्र स्थापित किए जाएंगे।

जम्मू और कश्मीर राज्य, जिसके लक्षण तथा विकास का स्तर पूर्वोत्तर क्षेत्र के समान है, में भी ब्लाक स्तर पर सम्पर्क उपलब्ध कराने के लिए इस योजना को लागू करने का निर्णय किया गया है।

डेयरी उत्पादों में खाद्य अपमिश्रण

4633. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ डेयरी–उत्पादों के मानकों के संबंध में खाद्य अपमिश्रण रोकथाम नियम, 1995 के प्रावधानों में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपभोक्ताओं को साफ–सुथरा और पौष्टिक खाद्य उपलब्ध हो, अन्य और क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम 1955 के नियम 20 का 1995 में यह शर्त लगाने के लिए संशोधन किया गया था कि "आईस–क्रीम" और "मिश्रित आईस–क्रीम" के नमूनों के मामले में आम तौर पर फोर्मेलिन के रूप में जाना जाने वाला एक तरल, अर्थात जलीय घोल में 100 मि.ली. या 100 ग्राम के लिए 0.6 मि.ली. के अनुपात में एक तरल में लगभग 40 प्रतिशत फार्मलडेहीड का उपयोग खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के अन्तर्गत विश्लेषण के प्रयोजन के लिए नमूनों को परिलक्षित करने के लिए किया जाएगा।

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपभोक्ताओं को साफ–सुथरा और पौष्टिक आहार मिले, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, जिनके पास देश में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व है, द्वारा खाद्य पदार्थों के नमूने लिए जाते हैं और जब मानकों अथवा दिशानिर्देशों के उल्लंघन करने का मामला ध्यान में आता है, तो अभियोग शुरू किया जाता है।

नवसृजित राज्यों में अधिकारियों की कमी

4634. श्री राजीव प्रताप रूडी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के राज्यों और नवसृजित राज्यों में अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की किसी प्रकार की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं; और

(ग) अधिकारियों की इस प्रकार की कमी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) तीन अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में नवसृजित राज्यों के अधिकारियों की प्राधिकृत संख्या, उन्हें आबंटित अधिकारियों की संख्या, अवशिष्ट राज्यों में अधिकारियों की प्राधिकृत संख्या और उनमें शेष रह गए अधिकारियों की संख्या निम्नानुसार है :

	अधिकारियों की निम्मानुसार प्राधिकृत संख्या			आबंटित अधिकारियों की संख्या		
	भा.प्र.से.	भा.पु.से.	भा.व.से.	भा.प्र.से.	भा.पु.से.	भा.व.से.
उत्तर प्रदेश	467	375	199	485	359	180
उत्तरांचल	68	42	84	72	42	75
मध्य प्रदेश	296	219	270	315	219	270
छत्तीसगढ़	100	59	115	93	59	110
बिहार	264	163	43	250	161	40
झारखण्ड	129	87	130	120	86	120

2. संवर्ग–आबंटन के मामले में, सीधे भर्ती तथा पदोन्नत अधिकारियों और आरक्षित तथा सामान्य श्रेणी के अधिकारियों के संबंध में अविभाजित संवर्ग की मुख्य विशेषताएं, जहां तक संभव हुआ है, उपर्युक्त अविभाजित राज्य में से बने दोनों राज्यों के संवर्गों में प्रतिबिम्बित की गई हैं। इसके अलावा, अविभाजित संवर्गों के अधिकारियों के आबंटन में हुई किसी प्रकार की अधिकता अथवा रही कमी, उनसे बने नवसृजित राज्यों के संवर्गों के बीच आनुपातिक रूप से बांट दी गई है।

द्विपक्षीय समझौते

4635. श्री चन्द्रकांत खैरे :
श्री पी. डी. एलानगोवन :
श्री थावरचन्द गेहलोत :
श्री जसवंत सिंह बिश्नोई :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान और आज तक केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किन–किन देशों के साथ समझौते किए गए; और

(ख) तत्संबंधी क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अफगानिस्तान स्थित उपासना-स्थलों को संरक्षण

4636. श्री जे. एस. बराड़ : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अफगानिस्तान में कितने हिन्दू, जैन मंदिर और सिख गुरुद्वारे हैं; और

(ख) सरकार द्वारा इन उपासना–स्थलों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) और (ख) सरकार को जानकारी मिली है कि अफगानिस्तान में गुरुद्वारे और मन्दिर हैं। तथापि, किसी आधिकारिक प्रतिनिधित्व के अभाव में इन गुरुद्वारों और मन्दिरों की मौजूदा हालत सहित इनके ब्यौरों का पता लगाना संभव नहीं है। साथ ही, सरकार को धार्मिक अल्प संख्यकों और उनके पूजा स्थलों के विरुद्ध तालिबान की दकियानूसी विचारधाराओं और कठोर अनुशासनात्मक प्रथाओं का पता है। इन नीतियों की ओर सरकार ने विदेशी वार्ताकारों का ध्यान आकृष्ट किया है।

[हिन्दी]

जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां

4637. डा. अशोक पटेल : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक कश्मीरी संगठनों के पाकिस्तान स्थित बहुदलीय गठबंधन ने अपनी नई रणनीति के तहत, जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा बलों के विरुद्ध अपनी गतिविधियां तेज करने की धमकी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में पाकिस्तान सरकार से कोई विरोध दर्ज कराया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) से (घ) पाकिस्तान आधारित अनेक आतंकवादी समूह के नेता, जिन्हें पाकिस्तानी आसूचना एजेंसियों का समर्थन प्राप्त है, लगातार अपने साथियों से आह्वान कर रहे हैं कि वे जम्मू और कश्मीर तथा भारत के अन्य भागों में आतंकवादी गतिविधियां तेज करें।

सरकार ने पाकिस्तान को अनेक अवसरों पर बताया है कि भारत में सीमा–पार आतंकवाद का उसका समर्थन शिमला समझौते और लाहौर घोषणा, जो हमारे द्विपक्षीय संबंधों का आधार स्तम्भ है, की बाध्यताओं और वचनबद्धताओं के विपरीत है। पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध अपना राज्य समर्थित आतंकवाद जारी रखा है।

[अनुवाद]

मानव जीन के संबंध में अनुसंधान

4638. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आई. सी. एम. आर.) ने मानव जीन के अनुसंधान से संबंधित 120 से अधिक प्रस्तावों को मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आई. सी. एम. आर. द्वारा मानव जीन के अनुसंधान से संबंधित परियोजनाओं को मंजूरी देने में क्या मापदंड अपनाए गए तथा इनकी वित्तीय आवश्यकताएं व वित्तपोषण का स्वरूप क्या है और इन प्रस्तावों के क्रियान्वयन से देश को क्या लाभ होंगे;

(ग) क्या इस क्षेत्र में अधिकांश मौलिक अनुसंधान दूसरे देशों द्वारा पहले ही किया जा चुका है;

(घ) यदि हां, तो जीन अनुसंधान के क्षेत्र में आई. सी. एम. आर. किस प्रकार का मौलिक व अनन्य योगदान करेगी; और

(ङ) जो अनुसंधान पूर्व में ही अन्यत्र किया जा चुका हो, उसे पुनः दोहराने से होने वाले लाभों का आकलन करने के लिए क्या कदम उठाया जाना प्रस्तावित है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (ङ) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने मानव जिनोम अनुसंधान पर अब तक 120 प्रस्तावों पर विचार किया है। विशेषज्ञों की तीन विशेष समितियों द्वारा इन प्रस्तावों की जांच की गई है जिनकी बैठक 14.2.2001 को हुई है और तत्पश्चात 28/29 मार्च, 2001 को एक विशेषज्ञ समिति की बैठक हुई है और अब अन्तिम मंजूरी से पहले मई, 2001 में एक शीर्षस्थ समिति द्वारा इनकी आगे और जांच की जाएगी। निकट भविष्य में अन्वेषकों के लिए परियोजना मंजूर की जाएगी। अनुसंधान कार्मिक, आकस्मिक व्यय और अपेक्षित उपस्कर प्रदान करते हुए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा धन देने के लिए अपनाए जाने वाले सामान्य पैटर्न को ही इनके लिए भी अपनाया जाएगा।

इन प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए अपनाया गया मानदण्ड, अनुसंधान प्रकाशनों, मूल संस्थान में ढांचे की उपलब्धता और अन्य अभिकरण द्वारा इस कार्य के लिए धन प्रदान नहीं किए जाने की शर्त के जरिए अन्वेषकों का प्रमाणित ट्रेक रिकार्ड है। परिषद जिनोम अनुसंधान के क्षेत्र में पिछले दशक अथवा ऐसी अवधि से कार्य कर रही है जहां परिषद ने पहले ही कुछ हद तक प्रगति की है जिससे बढ़त को आगे और तार्किक निष्कर्ष तक लाया जा सका है। इसके अलावा औषध विकास जनसंख्या आनुवंशिकी, कैंसर जिनोमिक्स माइक्रोवायल जिनोमिक्स, वेक्टर जिनामिक्स, प्रजनन, न्यूरोजेनेटिक्स, फार्मोको जिनोमिक्स और न्यूट्रीसन जिनोमिक्स से संबंधित कार्य भी प्रगति पर हैं।

मानव जिनोम एवं मानव आनुवंशिकी के विषय में अनुसंधान संयुक्त राज्य अमरीका, जापान, फ्रांस, जर्मनी और चीन द्वारा शुरू किया गया वैश्विक प्रयास है। संबंधित देशों में स्वास्थ्य परिचर्या, प्रणाली में सुधार के लिए समुचित विश्लेषण हेतु इस सूचना के उपयोग के लिए विश्व में पूरे वैज्ञानिक समुदाय के लिए पहला मानव जिनोम नक्शा (मैप) जून, 2000 में जारी किया गया था और अन्तिम नक्शा फरवरी, 2001 में जारी किया गया जिनोम का ढांचा उद्घोषित किया गया है और प्रत्येक देश से संबंधित प्रत्येक जीन का कार्य सभी देशों द्वारा शुरू किया जाना होता है। मानव में जटिल रोगों के लिए नई जीनों और रोगों के प्रति सुप्रभाव्यता/प्रतिरोधिता वाली जीनों का पता लगाने के लिए पृथक-पृथक जनसंख्या से लिए गए कई व्यक्ति विशेषों के विषय में आंशिक जिनोमिक सिक्वेंसिज के आंकड़े (डाटाबेस) एकत्र और तैयार करने जरूरी हैं। किसी भी स्थान पर किए गए अध्ययन, जिनका परिणाम पहले से पता है, को दोहराया नहीं जाएगा। यहां तक कि देश में भी दोहराव से बचने पर ध्यान देते हुए भारतीय जनसंख्या के लिए विनिर्दिष्ट सूचना को धन दिया जाएगा।

विषाक्त भोजन

4639. श्री विजय गोयल : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में विषाक्त भोजन संबंधी मामले बढ़ते जा रहे हैं;

(ख) पिछले एक वर्ष के दौरान दिल्ली में विषाक्त भोजन संबंधी कितने मामले हुए;

(ग) प्रत्येक मामले में दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(घ) इस बुराई को फैलने से रोकने के लिए कौन से एहतियाती कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) दिल्ली सरकार का खाद्य अपमिश्रण निवारण विभाग, सब डिवीजनल मजिस्ट्रेटों, जिन्हें खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के अन्तर्गत एल एच ए की शक्तियां प्रदान की गई हैं, के पर्यवेक्षण में नियमित तौर पर दिल्ली राज्य के सभी नौ जिलों से विभिन्न खाद्य पदार्थों के नमूने उठा रहा है। इन नमूनों का खाद्य अपमिश्रण निवारण की खाद्य प्रयोगशाला में अधिसूचित जन विश्लेषकों द्वारा विश्लेषण किया जाता है। पिछले एक वर्ष के दौरान उठाए गए सभी नमूनों का विश्लेषण कर लिया गया है और इन नमूनों में से किसी में भी जहरीला पदार्थ नहीं पाया गया है।

प्रोटीन चूर्ण

4640. श्री रघुनाथ झा : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वजन घटाने के नाम पर कृत्रिम प्रोटीन चूर्ण को बाजार में बेचा जा रहा है;

(ख) क्या इस चूर्ण का स्वास्थ्य पर घातक प्रभाव पड़ता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस बारे में कोई जांच की गई है;

(ङ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला;

(च) क्या इस तरह के प्रोटीन चूर्ण की बिक्री को रोकने का सरकार का विचार है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (छ) बाजार में कुछ चूर्ण पूरक आहार के रूप में बेचे जाने की सूचना मिली है जिनसे वजन कम होने का दावा किया गया है। चूंकि ये उत्पाद खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के अन्तर्गत नियमित आहार की श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आते हैं, इसलिए अब तक स्वास्थ्य पर उनके प्रभाव के बारे में कोई जांच नहीं की गई है। ऐसे चूर्ण की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, इन उत्पादों की बिक्री और गुणवत्ता नियंत्रण को विनियमित करने के लिए औषध अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के अन्तर्गत गठित एक सांविधिक तकनीकी सलाहकार समिति ने हाल ही में यह सिफारिश की है कि इस मामले की जांच–पड़ताल करने के लिए स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक द्वारा एक विशेषज्ञ समिति गठित की जाए।

रक्षा विभाग के एच. एस. के. श्रेणी-I तथा मास्टर क्राफ्ट्समैन के वेतनमान में संशोधन

4641. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग के तत्स्तरीय कार्मिकों के समान रक्षा विभाग के अतिकुशल (हाइली स्किल्ड) कर्मी श्रेणी–I तथा मास्टर क्राफ्ट्समैन के वेतनमान में संशोधन करने, औद्योगिक कर्मचारियों को इण्टरग्रेड देने और पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार 300 दिनों तक की अर्जित छुट्टी का संचयन तथा उसका नकदीकरण कर सकने संबंधी मांगों का निपटान कर लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन मांगों का निपटान कब तक किए जाने की संभावना है?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (ग) अति कुशल कर्मी श्रेणी–I और मास्टर क्राफ्ट्समैन के वेतनमान संशोधन के लिए रेलवे के कर्मचारियों के बराबर किए जाने की रक्षा सिविलियन कर्मचारियों की मांग पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार नहीं है जबकि अन्तरग्रेड अनुपात और 300 दिन तक की अर्जित छुट्टी का संचयन करने के बारे में अन्य दो मांगें पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का हिस्सा हैं। सभी तीन मांगों का निपटारा अभी तक नहीं किया गया है क्योंकि इन मुद्दों की आर्थिक और कार्मिक पहलुओं दोनों के सन्दर्भ में व्यापक शाखाएं हैं और इसके लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श किया जाना अपेक्षित है। इन मांगों के निपटारे के लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं दी जा सकती।

[हिन्दी]

थल सेना भर्ती में तथाकथित भ्रष्टाचार

4642. डा. मदन प्रसाद जायसवाल : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को थल सेना के क्षेत्रीय भर्ती केन्द्रों में व्याप्त भ्रष्टाचार और घूसखोरी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान क्षेत्र–वार ऐसी कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं और इसमें थल सेना के कितने अधिकारी लिप्त पाए गए;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार ने सशस्त्र बलों में भर्ती में पारदर्शिता लाने के लिए क्या ठोस प्रबंध किए हैं?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (घ) यह सही नहीं है कि सेना के क्षेत्रीय भर्ती केन्द्रों में भारी भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी व्याप्त है। तथापि, सेना में भर्ती के बारे में समय–समय पर कुछ शिकायतें मिलती रही हैं।

2. आमतौर पर क्षेत्रीय भर्ती कार्यालयों/शाखा भर्ती कार्यालयों के विरुद्ध शिकायतें मिलती हैं। क्षेत्रीय भर्ती कार्यालय/शाखा भर्ती कार्यालयवार ब्यौरे नहीं रखे जा रहे हैं। तथापि, वर्ष 1999 में कुल 82 शिकायतें तथा वर्ष 2000 में 102 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। सभी शिकायतों की तत्काल जांच–पड़ताल की गई थी और विभिन्न प्रकार के दंड जैसे फटकार, जुर्माना, रैंक घटाना, कठोर कारावास, सेवा से बर्खास्तगी दिए गए थे। दोषी पाए गए सेना के अधिकारियों की संख्या का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

वर्ष	क्षेत्रीय भर्ती कार्यालय का नाम	दोषी पाए गए सेना के अधिकारियों की संख्या
1	2	3
1999	मुख्यालय भर्ती क्षेत्र, कोलकाता	1
1999	मुख्यालय भर्ती क्षेत्र, अंबाला	1
1999	मुख्यालय भर्ती क्षेत्र, जालंधर	2

1	2	3
2000	मुख्यालय भर्ती क्षेत्र, चेन्नई	1
2000	मुख्यालय भर्ती क्षेत्र, कोलकाता	3
2000	महार रेजिमेंटल केन्द्र, सागर	1

3. प्राप्त शिकायतों की तत्काल जांच–पड़ताल करने तथा दोषी पाए गए व्यक्तियों को उपयुक्त दंड देने के अलावा भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के प्रयोजन से भर्ती प्रक्रिया को सरल एवं कारगर बनाने के लिए कई उपाय किए गए हैं।

4. दिनांक 01 अप्रैल, 1998 से लागू की गई नई भर्ती प्रणाली आम जनता के लिए ज्यादा पारदर्शी है। इस नीति की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :

(1) भर्ती संबंधी संपूर्ण प्रक्रिया अधिकारी–बोर्ड की उपस्थिति में भर्ती के स्थान पर ही पूरी की जाती है।

(2) जिस शाखा भर्ती कार्यालय के अधिकार में आने वाले स्थान/क्षेत्र में भर्ती का आयोजन किया जाता है, उसे भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाता है। अपितु, समस्त भर्ती अन्य शाखा भर्ती कार्यालय से तैनात किए गए भर्ती दल द्वारा की जाती है।

(3) उम्मीदवारों को शाखा भर्ती कार्यालय के स्थानों के बार–बार चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं।

(4) यह प्रणाली खुली, पारदर्शी, पूर्णतया निष्पक्ष एवं उम्मीदवारों के अनुकूल है।

(5) लिखित परीक्षा का मूल्यांकन अधिकारी बोर्ड द्वारा किया जाता है।

[अनुवाद]

चिकित्सकों के लिए कानून

4643. श्री ए. नरेन्द्र : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त समेकित उपाधियों/डिप्लोमा (प्राचीन तथा नवीन चिकित्सा पद्धति के अन्तर्गत आने वाले) धारी चिकित्सकों के हितों के संरक्षण करने के लिए किसी विधान का अधिनियमन करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ कोई नया कानून कब तक बनाया जाएगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) भारतीय चिकित्सा के राज्य रजिस्टर अथवा भारतीय चिकित्सा के केन्द्रीय रजिस्टर में दर्ज कोई भी व्यक्ति भारतीय चिकित्सा पद्धति में चिकित्सक का पेशा कर सकता है। तथापि, श्री मुख्तियार चन्द और अन्य बनाम पंजाब राज्य के मुकदमे के बारे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 13.9.1998 के आदेश के अनुसार भारतीय चिकित्सा पद्धति के चिकित्सक, जिन्होंने समन्वित उन पाठ्यक्रमों में डिग्री प्राप्त की हुई है, जो किसी राज्य अधिनियम द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, वे राज्य मेडिकल रजिस्टर में पंजीकरण के लिए योग्य होने के नाते भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम 1956 की धारा 15(2)(बी) में विहित मनाही से प्रभावित नहीं होंगे। तथापि, विभिन्न राज्यों में व्याप्त स्थिति की सूचना एकत्र की जा रही है।

भुज में भूकम्प से नष्ट रिहायशी इकाइयां

4644. श्री चन्द्रविजय सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वायुसेना स्टेशन, भुज में रक्षा विभाग के ठेकेदार द्वारा निर्मित ऐसी कितनी आवासीय इकाइयां थीं, जो वहां हाल में आए भूकम्प से नष्ट हो गईं; और

(ख) त्रुटिकर्ता रक्षा विभाग के ठेकेदार के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है और वायुसेना कर्मियों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए तथा रक्षा विभाग के आवासीय–प्रतिष्ठानों में इस प्रकार की घटना की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) और (ख) वर्ष 1966 में स्थापित वायुसेना स्टेशन, भुज में जनवरी, 2001 में हाल ही में आए भूकम्प में लगभग 194 रिहायशी इकाइयां ध्वस्त हो गई थीं जो रक्षा विभाग के संविदाकारों द्वारा बनाई गई थीं।

वर्ष 1966 से सेना इंजीनियर सेवा के अर्हताप्राप्त इंजीनियरों द्वारा तैयार और अनुमोदित किए गए भवनों के डिजाइन मानदंडों के अनुसार विभिन्न श्रेणियों की रिहायशी इकाइयां चरणबद्ध रूप से तैयार की गई थीं। निर्माण कार्य अनुमोदित अर्हताप्राप्त संविदाकारों द्वारा सेना इंजीनियर सेवा के पर्यवेक्षण में निष्पादित किया गया था।

संविदागत विनिर्देशनों का सत्यापन करने और विशेष रूप से, गारंटी अवधि समाप्त होने के बाद भवनों को एक बार अधिकार में ले लेने पर संविदाकारों पर थोपे जाने योग्य निर्माण संबंधी चूकों का उल्लेख करना मुश्किल होता है और इसलिए संविदाकारों के

विरुद्ध कार्रवाई किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इस संबंध में सरकार ने कोई मुआवजा नहीं दिया है।

भारतीय राष्ट्रीय भवन निर्माण–संहिता, जिसमें भूकम्परोधी रिहायशी इकाइयां बनाने संबंधी विनिर्देश हैं, केवल 1984 में बनाई गई थी। तब से निर्माण के समय उपलब्ध प्रौद्योगिकी और सामग्री के अनुसार संभवतः एहतियात बरती गई है ताकि इन इकाइयों को भूकम्परोधी बनाया जा सके।

सी. जी. एच. एस. दवाखाने

4645. डा. विजय कुमार मल्होत्रा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार, दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत कितने एलोपैथिक, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक दवाखाने काम कर रहे हैं;

(ख) केन्द्र सरकार के कितने सेवानिवृत्त कर्मचारी ऐसे क्षेत्रों में रह रहे हैं, जहां सी. जी. एच. एस. के उक्त ऐसे दवाखाने नहीं हैं और समुचित सी. जी. एच. एस. सुविधाओं के बदले में चिकित्सा भत्ता प्राप्त कर रहे हैं;

(ग) प्रत्येक दवाखाने में सी. जी. एच. एस. दवाखानों व लाभार्थियों की संख्या के बीच अनुपात कितना है;

(घ) प्रत्येक दवाखाने में चिकित्सक मरीज अनुपात कितना है; और

(ङ) सरकार का अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को समुचित चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उनके लिए सी. जी. एच. एस. के दवाखानों का कार्यक्षेत्र बढ़ाने के लिए क्या योजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) पद्धतिवार सूचना इस प्रकार है :

क्र.सं.	पद्धति	औषधालय
1.	एलोपैथी	87
2.	होम्योपैथी	3
3.	आयुर्वेदिक	5

(ख) संख्या के. स. स्वास्थ्य योजना में उपलब्ध नहीं है। केवल सी. जी. एच. एस. कार्ड धारकों की संख्या उपलब्ध है।

(ग) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों की तुलना में के. स. स्वा. योजना लाभार्थियों का औसत अनुपात 1 : 20988.5 है। के. स. स्वा. योजना के औषधालयवार लाभार्थियों की संख्या विवरण–I में दी गई है।

(घ) सूचना विवरण–II में दी गई है।

(ङ) यद्यपि 9वीं पंचवर्षीय योजना के बचे हुए शेष समय में दिल्ली में के. स. स्वा. योजना के अंतर्गत और औषधालय खोलने के प्रस्ताव हैं। फिर भी कर्मचारी निरीक्षण एकक की नवम्बर, 1999 की रिपोर्ट लागू होने तक तथा संसाधनों और जनशक्ति की कठिनाइयों के कारण इस समय दिल्ली में नए औषधालय खोलना सम्भव नहीं होगा।

विवरण-I

प्रत्येक औषधालय में पंजीकृत के. स. स्वा. यो. लाभार्थियों की संख्या का विवरण 31.12.2000 की स्थिति

क्र.सं.	औषधालय का नाम	लाभार्थियों की संख्या
1	2	3
1.	एन्ड्रूज गंज	16569
2.	दक्षिणपुरी	57747
3.	हौजखास	18660
4.	जंगपुरा	7590
5.	कालकाजी–I	22610
6.	कालकाजी–II	18438
7.	कस्तूरबानगर–I	17392
8.	कस्तूरबानगर–II	14112
9.	किदवई नगर	29102
10.	लक्ष्मीबाई नगर	11792
11.	लाजपत नगर	8193
12.	मोती बाग	11474
13.	मुनिरका	17990
14.	मालवीय नगर	11732
15.	नानकपुरा	14060

1	2	3
16.	नौरोजीनगर	12064
17.	नेताजी नगर	17231
18.	आर के पुरम–I	26282
19.	आर के पुरम–II	20823
20.	आर के पुरम–III	28951
21.	आर के पुरम–Iv	16972
22.	आर के पुरम–v	22508
23.	आर के पुरम–vI	14151
24.	सरोजनी नगर–I	10750
25	सरोजनी नगर–II	7428
	रोजनी नगर मार्किट	7914
27.	सादीक नगर	16406
28.	श्री निवासपुरी	36622
29.	एम बी रोड	35095
30.	विवेक विहार	17382
31.	जी के जी	3562
32.	राजपुर रोड	18259
33.	लक्ष्मीनगर	43259
34.	शाहदरा	46397
35.	मयूर विहार	64750
36.	यमुना विहार	52663
37.	पुल बंगश	7973
38.	सब्जी मंडी	13209
39.	दरियागंज	11595
40.	किंग्जवे कैम्प	90031
41.	तिमार पुर	24060
42.	चांदनी चौक	6081

1	2	3
43.	दिलशाद गार्डन	10701
44.	अशोक विहार	18779
45.	दिल्ली कैंट	28119
46.	देव नगर	15013
47.	हरि नगर	27200
48.	इन्द्र पुरी	17928
49.	जनकपुरी–I	58124
50.	जनकपुरी–II	17522
51.	करोल बाग	4522
52.	नारायणा	14147
53.	न्यू राजेन्द्र नगर	9761
54.	नांगल राय	37525
55.	ईस्ट पटेल नगर	11270
56.	वेस्ट पटेल नगर	17125
57.	पूसा रोड	5486
58.	पालम कालोनी	45819
59.	पीतम पुरा	27172
60.	राजौरी गार्डन	19748
61.	रोहिणी	19526
62.	पश्चिम विहार	24183
63.	शकूरबस्ती	28207
64.	सुन्दर विहार	15668
65.	तिलक नगर	21121
66.	त्री नगर	5971
67.	अली गंज	23016
68.	चाणक्यपुरी	8658
69.	चित्रगुप्ता रोड	21645

1	2	3
70.	कांस्टिट्यूशन हाउस	9321
71.	गोल मार्किट	26682
72.	काली बाड़ी	22193
73.	लोदी रोड	17279
74.	मिन्टो रोड	23010
75.	नार्थ एवेन्यू	12106
76.	पहाड़ गंज	16064
77.	पंडारा रोड	10668
78.	प्रगति विहार	10703
79.	प्रेसिडेंट एस्टेट	9641
80.	साउथ एवेन्यू	16991
81.	टेलीग्राफ लेन	9220
82.	डॉ. जाकिर हुसैन रोड	11311
83.	फरीदाबाद	19209
84.	गाजियाबाद	41000
85.	गुड़गांव	27568
86.	नोएडा	31991
87.	मोती नगर	आवास न मिलने के कारण अस्थाई रूप से बंद

विवरण-II

31.12.2000 तक प्रत्येक औषधालय में पंजीकृत के. स. स्वा. योजना लाभार्थियों की संख्या और डाक्टर रोगी अनुपात

क्र.सं.	औषधालय का नाम	लाभार्थियों की संख्या	तैनात डाक्टरों की सं.	अनुमानित डाक्टर–रोगी अनुपात
1	2	3	4	5
1.	एन्ड्रूज गंज	16569	7	2367
2.	दक्षिणपुरी	57747	6	9625
3.	हौजखास	18660	6	3110
4.	जंगपुरा	7590	5	1518
5.	कालकाजी–I	22610	7	3230
6.	कालकाजी–II	18438	5	3688
7.	कस्तूरबानगर–I	17392	8	2174
8.	कस्तूरबानगर–II	14112	5	2822
9.	किदवई नगर	29102	8	3638
10.	लक्ष्मीबाई नगर	11792	6	1965
11.	लाजपत नगर	8193	6	1366
12	मोती बाग	11474	6	1912
13.	मुनिरका	17990	6	2998
14.	मालवीय नगर	11732	5	2346
15.	नानकपुरा	14060	6	2343
16.	नौरोजीनगर	12064	6	2010
17.	नेताजी नगर	17231	7	2462
18.	आर के पुरम–I	26282	8	3285
19.	आर के पुरम–II	20823	5	4165
20.	आर के पुरम–III	28951	7	4136
21.	आर के पुरम–Iv	16972	7	2425
22.	आर के पुरम–v	22508	6	3751
23.	आर के पुरम–vI	14151	5	2830
24.	सरोजनी नगर–I	10750	5	2150
25.	सरोजनी नगर–II	7428	5	1486
26.	सरोजनी नगर मार्किट	7914	6	1319
27.	सादीक नगर	16406	6	2734
28.	श्रीनिवासपुरी	36622	9	4069
29.	एम. बी. रोड	35095	8	4387

1	2	3	4	5
30.	विवेक विहार	17382	5	3476
31.	जी के जी	3562	5	7124
32.	राजपुर रोड	18259	3	6090
33.	लक्ष्मीनगर	43259	7	6180
34.	शाहदरा	46397	6	7733
35.	मयूर विहार	64750	7	9250
36.	यमुना विहार	52663	5	10533
37.	पुल बंगश	7973	4	1993
38.	सब्जी मंडी	13209	6	2202
	दरियागंज	11595	7	1656
	किंग्जवे कैम्प	90031	12	7503
41.	तिमार पुर	24060	12	2005
42.	चांदनी चौक	6081	4	1520
43.	दिलशाद गार्डन	10701	5	1402
44.	अशोक विहार	18779	8	2347
45.	दिल्ली कैंट	28119	6	4687
46.	देव नगर	15013	6	2502
47.	हरि नगर	27200	7	3886
48.	इन्द्र पुरी	17928	6	2933
49.	जनकपुरी–I	58124	9	6458
50.	जनकपुरी–II	17522	6	2920
51.	करोल बाग	4522	4	1131
52.	नारायणा	14147	4	3537
53.	न्यू राजेन्द्र नगर	9761	5	1952
54.	नांगल राय	37525	7	5361
55.	ईस्ट पटेल नगर	11270	6	1878
56.	वैस्ट पटेल नगर	17125	5	3425
57.	पूसा रोड	5486	4	1372
58.	पालम कोलोनी	45819	7	6546
59.	पीतम पुरा	27172	5	5434
60.	राजौरी गार्डन	19748	8	2469
61.	रोहिणी	19526	5	3905
62.	पश्चिम विहार	24183	7	3455
63.	शकूरबस्ती	28207	7	4030
64.	सुन्दर विहार	15668	5	3134
65.	तिलक नगर	21121	8	2640
66.	त्री नगर	5971	5	1194
67.	अली गंज	23016	5	4603
68.	चाणक्यपुरी	8658	4	2165
69.	चित्रगुप्ता रोड	21645	6	3608
70.	कांस्टिट्यूशन हाउस	9321	5	1864
71.	गोल मार्किट	26682	5	5336
72.	काली बाड़ी	22193	4	5548
73.	लोदी रोड	17279	6	2880
74.	मिन्टो रोड	23010	6	3835
75.	नार्थ एवेन्यू	12106	6	2018
76.	पहाड़ गंज	16064	5	3213
77.	पंडारा रोड	10668	5	2134
78.	प्रगति विहार	10703	4	2676
79.	प्रेसिडेंट एस्टेट	9641	4	2410
80.	साउथ एवेन्यू	16991	5	3398
81.	टेलीग्राफ लेन	9220	5	1844
82.	डॉ. जाकिर हुसैन रोड	11311	6	1885
83.	फरीदाबाद	19209	5	3842

1	2	3	4	5
84.	गाजियाबाद	41000	6	6833
85.	गुड़गांव	27568	6	4595
86.	नोएडा	31991	6	5332
87.	मोती नगर	आवास न मिलने के कारण अस्थाई रूप से बंद।	—	—

जनसंख्या नियंत्रण

4646. श्री चन्द्रनाथ सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से "एक ही संतान" मानक को जनप्रचारित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो जनसंख्या में हो रही विस्फोटक बढ़ोत्तरी को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा अन्य और कौन से वैकल्पिक उपाय किए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 अपनाई है जो देश में जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए एक बहुक्षेत्रीय कार्यसूची प्रदान करती है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 में 14 राष्ट्रीय जनांकिकीय लक्ष्य बताए गए हैं जिन्हें 2010 तक हासिल करना है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 का सबसे प्रमुख उद्देश्य गर्भ निरोधकों, स्वास्थ्य परिचर्या ढांचा और स्वास्थ्य परिचर्या कार्मिक एवं बुनियादी प्रजनन तथा बाल स्वास्थ्य परिचर्या हेतु समन्वित सेवा प्रदानगी के लिए अपूरित आवश्यकताओं को पूरा करने पर ध्यान केन्द्रित करना है। इसका मध्यावधि उद्देश्य सन 2010 तक कुल प्रजनन दर में कमी लाकर उसे पुनः स्थापन स्तर तक लाना है और दीर्घकालीन उद्देश्य सन् 2045 तक भारत में जनसंख्या स्थिरीकरण हासिल करना है।

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 में ग्रामीण स्तर पर सेवा प्रदानगी के विकेन्द्रीकरण और सम्मिलन, बेहतर स्वास्थ्य और पोषण के लिए महिलाओं को शक्ति प्रदान करना, परिवार कल्याण सेवाओं के लिए अपूरित आवश्यकताओं की पूर्ति, विविध स्वास्थ्य परिचर्या प्रदायकों के लिए प्रावधान गैर सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्रों से सहयोग एवं वचनबद्धता, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी की मुख्य धारा में लाना, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य में गर्भनिरोधक प्रौद्योगिक को बढ़ाने और सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण को बढ़ाने के 12 कार्यनीतिक विषयों के अंतर्गत 100 से अधिक कार्यकलाप बताए गए हैं।

क्योंकि 32 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में जनांकिकीय स्थिति में बहुत विविधता है, इसलिए आठ राज्यों—उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में एक अधिकार प्राप्त कार्रवाई दल बनाया गया है।

[हिन्दी]

लघु उद्योगों के लिए विशेष पैकेज

4647. श्री थावर चन्द गेहलोत : क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने हाल में लघु उद्यागों के लिए किसी विशेष पैकेज की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त पैकेज के कार्यान्वयन के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(घ) इस पैकेज से लघु उद्योगों को किस प्रकार लाभ पहुंचने की संभावना है; और

(ङ) उक्त पैकेज के अंतर्गत कितने राज्यों को शामिल किए जाने की संभावना है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) लघु क्षेत्र को सुदृढ़ करने तथा घरेलू एवं विश्वव्यापी तौर पर इसकी प्रतियोगितात्मकता में वृद्धि करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने 30 अगस्त, 2000 को एक व्यापक नीति पैकेज की घोषणा की है। नीति पैकेज में अन्य बातों के साथ—साथ राजकोषीय प्रोत्साहन, क्रेडिट की सुगम पहुंच, 2.5 लाख रु. तक समपार्श्विकता मुक्त मिश्रित ऋणों की

उपलब्धता, प्रौद्योगिकी उन्नयनीकरण एवं सुधरे हुए आधारभूत संरचना के लिए पूंजीगत आर्थिक् सहायता शामिल है।

(ग) पैकेज के कार्यान्वयन के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इनमें उत्पादशुल्क छूट सीमा को बढ़ाना, प्रौद्योगिकी उन्न्यनीकरण के लिए 12 प्रतिशत की पूंजी आर्थिक सहायता, उद्योग से संबंधित सेवा एवं व्यापार उद्यमों के संबंध में निवेश सीमा में वृद्धि करना, समपार्श्विक मुक्त मिश्रित ऋणों की सीमा में वृद्धि करना, सभी क्षेत्रों में एकीकृत आधारभूत विकास योजना का विस्तार करना, सिडबी की राष्ट्रीय इक्विटी निधि योजना के अंतर्गत वित्तपोषण की सीमा को 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये करना, आदि शामिल है।

(घ) पैकेज से लघु क्षेत्र की प्रतियोगितात्मकता बढ़ाने में सहायता मिलेगी तथा यह इसे उदारीकरण और विश्वव्यापीकरण की चुनौतियों को पूरा करने के लिए तैयार करेगा।

(ङ) नीति पैकेज समग्र रूप से देशभर में लागू है।

स्वैच्छिक संगठन

4648. श्री सुकदेव पासवान : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत कई स्वैच्छिक संगठनों को शौचालयों के निर्माण के लिए धन राशि दी गई है;

(ख) यदि हां, तो उन स्वैच्छिक संगठनों के नाम क्या हैं और उनके संस्थापकों के नाम और ब्यौरे क्या हैं, उन्हें कितनी अग्रिम राशि का भुगतान किया गया है, और कौन-कौन से संसदीय चुनाव क्षेत्रों में निर्माण कार्य की जिम्मेद[illegible] गई है;

(ग) क्या इन संगठनों ने सौंपे गए शौचालय निर्माण कार्य को समय पर और संतोषजनक ढंग से पूरा कर दिया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) निर्माण कार्य में अनियमितताओं के कारण कुछ राज्य सरकारों द्वारा काली-सूची में शामिल किए गए स्वैच्छिक संगठनों का ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि हां तो इन संगठनों को शौचालयों के निर्माण का कार्य पुनः सौंपे जाने के क्या कारण हैं?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) और (ख) दिशा निर्देशों में दिए गए प्रावधानों के अनुसार सरकारी अथवा पंचायती राज संस्थान अथवा कोई अन्य प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठन, जो कार्यों का कार्यान्वयन संतोषजनक रूप से करने में जिलाध्यक्षों द्वारा सक्षम माने जाते हों, कार्यकारी अभिकरण हो सकते हैं। इसलिए सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत ऐसे गैर सरकारी संगठन को सौंपे जा सकते हैं जो उपरोक्त अपेक्षाओं को पूरा करते हों।

(ग) से (च) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों, तथा कार्यकारी अभिकरणों का ब्यौरा, जिला प्राधिकारियों द्वारा रखा जाता है तथा उनके पास उपलब्ध होता है।

[अनुवाद]

डाक्टरों की लापरवाही

4649. श्री सी. श्रीनिवासन :
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :
श्री तिरूनावकरसू :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार डाक्टरों द्वारा लापरवाही संबंधी मामलों की जांच करने का अधिकार भारतीय चिकित्सा परिषद को दिए जाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (ग) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद/राज्य आयुर्विज्ञान परिषदों में पंजीकृत चिकित्सकों को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा निर्धारित चिकित्सा नीतिशास्त्र की संहिता का पालन करना होता है। चिकित्सकों द्वारा चिकित्सा आचरण, शिष्टाचार और चिकित्सा आचार संहिता की संहिता के मानकों के पालन करने से संबंधित सभी विषयों पर कार्रवाई करने के लिए एक आचार संहिता एवं अनुशासनिक समिति स्थापित करने हेतु भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 में संशोधन के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने केन्द्र सरकार को एक प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया है। यह समिति राज्य अनुशासनिक समिति के ऊपर एक अपीलीय प्राधिकरण के रूप में भी कार्य करेगी।

पाकिस्तान द्वारा पोत-भेदी मिसाइल का परीक्षण

4650. श्री माधवराव सिंधिया : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अग्नि–2, सहित मिसाइल परीक्षणों के मद्देनजर पाकिस्तान ने हाल में खरीदी गई फ्रांसीसी पनडुब्बी से पोत–भेदी मिसाइल का परीक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो इस मिसाइल की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या पाकिस्तान द्वारा मिसाइल परीक्षण किए जाने से भारत की सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ी हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना से यह पता चलता है कि पाकिस्तान ने मार्च, 2001 में सेवा से हटाए गए एक पाकिस्तानी पोत पर एस एम–39 प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण किया था।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति खतरे का सामना करने के लिए आवश्यक उपाय किए गए हैं।

रिक्त आधारित रोस्टरों के स्थान पर पद आधारित रोस्टर

4651. श्री ए. कृष्णास्वामी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वास्थ्य मंत्रालय और उसके नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्तशासी/निकायों/संबद्ध कार्यालयों/अधीनस्थ संगठनों के अंतर्गत सेवाओं अर्थात I, II, III और Iv श्रेणी/ग्रेड में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व आरक्षण के निर्धारित प्रतिशत तक पहुंच गया है और इसके कारण "रिक्त आधारित रोस्टरों" के स्थान पर "पद आधारित रोस्टर" शुरू किए गए हैं; और

(ख) उन श्रेणियों की सेवाओं में भी "रिक्त आधारित रोस्टर" के स्थान पर पद आधारित रोस्टर शुरू किए जाने के क्या कारण हैं जिनमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व का प्रतिशत आरक्षण की निर्धारित सीमा तक नहीं पहुंचा है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

इंडियन नर्सिंग काउंसिल

4652. डॉ. मन्दा जगन्नाथ : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि "अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के संसद सदस्यों ने दिनांक 17 दिसम्बर 1996, 1 सितंबर 1997 और जुलाई, 1998 को प्रधान मंत्री को दिए गए अभ्यावेदनों में यह मांग की है कि भारत सरकार के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और उद्यमों के प्रबंधन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी, कार्यकारी निदेशकों, अंशकालिक अध्यक्षों और सरकारी/गैर–सरकारी सदस्यों जैसे पदों पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की नियुक्ति/तैनाती की जाए;

(ख) यदि हां, तो इन अभ्यावेदनों पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन भारतीय नर्सिंग काउंसिल में उपर्युक्त पदों पर कुल कितने व्यक्तियों की नियुक्ति/तैनाती की गई;

(घ) इनमें से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की संख्या कितनी थी और कुल उपर्युक्त पदों की तुलना में उनका प्रतिशत कितना था; और

(ङ) यदि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के संसद सदस्यों की उपर्युक्त मांग को संतोषजनक ढंग से पूरा नहीं किया गया है तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (ङ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

ऑपरेशन नॉलेज

4653. श्री लक्ष्मण सेठ : क्या **सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऑपरेशन नॉलेज को बढ़ावा देने के लिए कोई व्यापक कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो इन कार्यक्रमों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इससे अर्थव्यवस्था को किस प्रकार लाभ पहुंचने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) से (ग) ऐसा अनुमान है कि वर्ष 2008 तक उच्च विशेषज्ञता वाले 7.77 लाख सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों की आवश्यकता होगी। भारत तथा विश्व में सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों की मांग तथा आपूर्ति के बीच अंतर समाप्त करने के लिए ज्ञान अभियान अवश्य ही एक ऐसी रणनीति है जिसका उद्देश्य सूचना प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग विषयों में भर्ती को वर्ष 2001 तक दुगुना तथा वर्ष 2003 तक तिगुना करना है। वर्ष 1999 को आधार वर्ष माना गया है जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित इंजीनियरिंग विषयों में 70,000 दाखिले हुए थे। इसके परिणामस्वरूप, इस संख्या को दुगुना करके वर्ष 2001 में, 1,40,000 तथा वर्ष 2003 में 2,10,000 करने का प्रस्ताव है। इस लक्ष्य को हासिल करने के उद्देश्य से सरकार ने इस मुद्दे का समाधान ढूंढ़ने के लिए एक कार्यदल का गठन किया है। इस कार्यदल ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है जिसमें सूचना [illegible]की क्षेत्र के लिए आवश्यक पर्याप्त जनशक्ति की आपूर्ति करने [illegible] सैंतालीस (47) विशिष्ट सिफारिशें की गई हैं। इन सिफारिशों का उद्देश्य देश में बढ़िया क्वालिटी की सूचना प्रौद्योगिकी जनशक्ति की उपलब्धता में वृद्धि करना और भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग को अपनी उत्पादकता बढ़ाने और मूल्य श्रृंखला में आगे बढ़ने में सहायता करना है ताकि देश वर्ष 2008 तक 87 बिलियन अमरीकी डालर के वार्षिक राजस्व का लक्ष्य हासिल कर सके, जिसमें सॉफ्टवेयर तथा सेवा क्षेत्र में निर्यात से 50 बिलियन अमरीकी डालर का राजस्व शामिल है।

अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का दौरा

4654. श्री प्रभात सामन्तराय :
डॉ. (श्रीमती) सुधा यादव :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में अमेरिकी कांग्रेस के किसी प्रतिनिधिमंडल ने भारत का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रतिनिधिमंडल के साथ किन मुद्दों पर चर्चा की गई; और

(घ) इस प्रतिनिधिमंडल के दौरे से दोनों देशों के संबंध कितने मजबूत होने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) और (ख) जी, हां। 17–21 फरवरी, 2001 तक अमरीकी कांग्रेस के चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने भारत की यात्रा की। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य गुजरात में आए भूकम्प के बाद भारत के साथ एकजुटता प्रकट करना था।

(ग) इस प्रतिनिधिमंडल ने गुजरात के मुख्य मंत्री तथा गुजरात में राहत और पुनर्वास का कार्य कर रहे राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुलाकात की। उन्होंने नई दिल्ली में प्रधान मंत्री से भी मुलाकात की। इस वार्ता के दौरान उन्होंने प्रधान मंत्री को घनिष्ठ भारत–अमरीकी संबंधों के लिए द्विदलीय सहायता जारी रखने का आश्वासन दिया। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि प्राकृतिक आपदाओं के लिए अमरीका में मौजूद संघीय आपात्कालीन प्रणाली भारत के लिए हितकर हो सकती है।

(घ) यह यात्रा भारत और अमरीका के बीच चल रहे सभी स्तरों पर क्रियाकलापों का एक भाग थी जो दोनों देशों के बीच संबंध सुधारने में मददगार हुई।

आम आदमी द्वारा खरीदी जाने योग्य एच.आई.वी./एड्स की दवाएं

4655. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर :
कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी :
श्री एम. के. सुब्बा :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एच. आई. वी./एड्स जैसी बीमारियों के लिए आवश्यक दवाओं को विश्व व्यापार संगठन के अधीन बौद्धिक सम्पदा संबंधी अधिकारों (आई. पी. आर.) के दायरे से बाहर रखे जाने के लिए इंगलैंड से सहायता मांगी है ताकि ये दवाएं ऐसे मूल्य पर उपलब्ध हो सकें कि उन्हें आम आदमी भी खरीद सके;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में इंगलैंड की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या सरकार को एड्स नियंत्रण के लिए विदेशों से अधिक सहायता प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी देशवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य को इस संबंध में कुल कितनी धनराशि दी गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) जी, हां। सरकार को एड्स नियंत्रण के लिए विदेश से वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है और देशवार ब्यौरा इस प्रकार है :

रुपये मिलियन में

आई. डी. ए. ऋण (1999–2004)	11550
यू. एस. एड	1660
डी. एफ. आई. डी.	1040

इसके अतिरिक्त सीडा 12 मिलियन कनाडियान डालर की वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य को प्रदान की गई कुल धन राशि का विवरण संलग्न है।

विवरण

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम
धन का उपयोग

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ क्षेत्र	1998–99 जारी किया गया अनुदान	1999–2000 जारी किया गया अनुदान	2000–01 जारी किया गया अनुदान
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	650	1219.67	824.50
2.	अरुणाचल प्रदेश	30.00	159.00	111.00
3.	असम	100.00	322.00	375.00
4.	बिहार	110.00	55.00	196.00
5.	गोवा	35.00	98.00	72.73
6.	गुजरात	230.00	721.00	347.17
7.	हरियाणा	160.00	270.00	246.50
8.	हिमाचल प्रदेश	115.00	318.00	262.50
9.	जम्मू व कश्मीर	25.00	25.00	152.00
10.	कर्नाटक	335.00	801.67	398.65
11.	केरल	65.00	280.00	350-63
12.	मध्य प्रदेश	315.00	352.31	542.00
13.	महाराष्ट्र	800.00	998.35	852.00
14.	मणिपुर	245.00	352.38	415.30
15.	मेघालय	30.00	70.14	87.50
16.	मिजोरम	100.00	168.00	179.00
17.	नागालैंड	227.00	380.00	250.50
18.	उड़ीसा	100.00	200.00	358.50
19.	पंजाब	150.00	312.39	321.50
20.	राजस्थान	100.00	150.00	380.00
21.	सिक्किम	50.00	25.00	66.00
22.	तमिलनाडु	800.00	883.09	1108.30
23.	त्रिपुरा	20.00	50.00	92.00
24.	उत्तर प्रदेश	200.00	851.00	1175.00
25.	पश्चिम बंगाल	350.00	425.00	643.15
26.	दिल्ली	110.00	283.00	239.00
27.	पांडिचेरी	40.00	25.00	21.50
28.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	20.00	50.00	66.44
29.	चंडीगढ़	60.00	115.00	93.11
30	दादरा एवं नगर हवेली		25.00	9.00
31.	दमन व दीव	15.00	95.00	9.00
32.	लक्षद्वीप		25.00	9.16
33.	एमडीएसीएस, मुम्बई	350.00	670.00	431.65
34.	अहमदाबाद एम सी	5.00	75.00	84.61
35.	चेन्नई सीसी		125.00	101.50
	योग	5942.00	10975.00	10872.40

भारत-चीन संबंध

4656. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापार, उद्योग, कृषि और अन्य क्षेत्रों का अध्ययन करने के लिए कई चीनी प्रतिनिधिमंडलों ने भारत का दौरा किया है और कुछ प्रतिनिधिमंडलों द्वारा किया जाना है;

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष के दौरा करने वाले चीनी अध्ययन दलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनके दौरों के बाद विभिन्न क्षेत्रों में चीन का सहयोग प्राप्त करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा चीन भेजे जाने के लिए दल प्रायोजित किए गए हैं और किए जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) जी,

(ख) निम्नलिखित शिष्टमंडलों ने इस वर्ष भारत का दौरा किया :

भारत और चीन में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए 6–12 फरवरी, 2001 तक चीन के कृषि उप मंत्री श्री लिड चेंगोउ के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने भारत का दौरा किया।

आर्थिक सहयोग के अवसरों का पता लगाने के लिए सिचुआन प्रांत के एक चीनी शिष्टमंडल ने पार्टी सचिव श्री झोउ योंगकांग के नेतृत्व में 27 फरवरी से 2 मार्च, 2001 तक भारत का दौरा किया।

हवेई प्रांत के वाइस गवर्नर श्री हे शाओकुन के नेतृत्व में एक चीनी शिष्टमंडल ने आर्थिक सहयोग के असवरों का पता लगाने के लिए 9–14 अप्रैल, 2001 तक भारत का दौरा किया।

(ग) और (घ) भारत और चीन ने विविध क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों का विस्तार करने के लिए कई तंत्रों की स्थापना की है। इनमें भारत–चीन संयुक्त आर्थिक समूह (जे ई जी) जे ई जी के अंतर्गत विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबद्ध भारत–चीन उप–समिति, सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रम, कोयला और इस्पात से संबद्ध कार्यकारी समूह, फिक्की तथा चीन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संवर्धन परिषद (सी सी पी) तथा भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ (एफ आई ई ओ) और सी सी पी आई टी के बीच संस्थागत आदान–प्रदान शामिल हैं।

[हिन्दी]

शैक्षिक कॉलेजों में अनियमितताएं

4657. डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने मेडिकल कॉलेजों को मान्यता प्रदान की गई है;

(ख) क्या कुछ ऐसे मेडिकल कॉलेजों को मान्यता प्रदान की गई है जो निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन कॉलेजों के खिलाफ की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) उत्तर प्रदेश में पिछले तीन वर्षों के दौरान एक मेडिकल कॉलेज को मान्यता प्रदान की गई थी। इसी अवधि में मध्य प्रदेश में किसी मेडिकल कॉलेज को मान्यता प्रदान नहीं की गई।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पदों की संख्या में कटौती

4658. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) इस समय इन मंत्रालयों/विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार द्वारा समूह 'क' 'ख' 'ग' और 'घ' के कर्मचारियों की संख्या में कटौती और समान स्वरूप के कार्य वाले मंत्रालयों और विभागों का विलयन किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य

मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) 28 फरवरी, 2001 की स्थिति के अनुसार, भारत सरकार में 41 मंत्रालय और 56 विभाग थे। इन 56 विभागों में वे 48 विभाग भी शामिल हैं जो 17 मंत्रालय के हिस्से हैं।

(ख) वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार 1 मार्च, 2000 को संघ शासित क्षेत्र के कर्मचारियों सहित केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों की समूहवार अनुमानित संख्या निम्न प्रकार है :

समूह	अनुमानित संख्या
'क'	77,680
'ख'	1,74,675
'ग'	23,87,625
'घ'	11,36,686
जोड़	37,76,666

(ग) और (घ) वित्त मंत्रालय (व्यय वि[illegible] द्वा[illegible] योजनागत तथा गैर–योजनागत पदों के सृजन पर निय[illegible] खने हेतु समय–समय पर अनुदेश जारी किये जाते रहे हैं त[illegible] स्थापना संबंधी व्यय को कम किया जा सके। अगस्त, 1999 में उस मंत्रालय द्वारा सभी मंत्रालयों/विभागों को, अन्य बातों के साथ–साथ, इस आशय के अनुदेश जारी किए गए थे कि वे वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के साथ परामर्श करके, मंत्रालयों/विभागों तथा उनके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों आदि में रिक्त पड़े सभी पदों की समीक्षा करें। इन अनुदेशों में यह व्यवस्था की गई है कि इस समीक्षा के पूर्ण होने तक वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के अनुमोदन के बिना कोई भी खाली पद नहीं भरा जाएगा। इसके अतिरिक्त, ऐसे मंत्रालयों/विभागों को, जिन्होंने (1.1.1992 की स्थिति के अनुसार) पदों की संख्या में 10 प्रतिशत कटौती करने संबंधी सरकार के निर्णय को पूर्ण रूप से कार्यान्वित नहीं किया है, उस निर्णय को तत्काल कार्यान्वित करने के लिए कहा गया है। वित्त मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार इस कार्रवाई के फलस्वरूप विभिन्न मंत्रालयों/विभागों ने विभिन्न समूहों से संबंधित लगभग 1.83 लाख पद समाप्त किए गये हैं। अभी हाल में, तीन विभाग, अर्थात औद्योगिक विकास विभाग, चीनी और खाद्य तेल विभाग तथा पूर्ति विभाग समाप्त किये गये हैं/मिला दिये हैं। इसके अतिरिक्त, दूर–संचार सेवा और दूर–संचार प्रचालन विभाग 1 अक्तूबर, 2000 से निगमित कर दिये गये हैं।

[अनुवाद]

सॉफ्टवेयर कम्पनियों पर अमेरिकी अर्थव्यवस्था का प्रभाव

4659. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्री चन्द्रनाथ सिंह :

क्या **सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण प्रमुख भारतीय सॉफ्टवेयर कम्पनियों के प्रभावित होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या सुधारात्मक कदम उठाए हैं।

(घ) सॉफ्टवेयर क्षेत्र में अनुसंधान और विकास कार्य के लिए कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ङ) इस क्षेत्र में देश को विश्व में अग्रणी बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) से (ग) भारत की अग्रणी सॉफ्टवेयर कम्पनियों पर संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था में व्याप्त मंदी के प्रभाव के बारे में निर्णय लेना अभी संभव नहीं है। लेकिन रुझानों से यह प्रतीत होता है कि ऑन–साइट सेवाओं का निर्यात कुछ सीमा तक प्रभावित होने की संभावना है। तथापि, संयुक्त राज्य अमेरिका की कम्पनियों द्वारा सॉफ्टवेयर सेवाओं का कार्य बाहर से करवाने में वृद्धि होने की संभावना है। संतुलित दृष्टिकोण से यह आशा की जाती है कि भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग जगत में भविष्य में भी विकास की अच्छी दर बनी रहेगी।

(घ) पूरे विश्व में, सॉफ्टवेयर क्षेत्र अपनी आय का 10 प्रतिशत हिस्सा अनुसंधान एवं विकास पर व्यय करता है। किन्तु, भारत के मामले में यह आंकड़ा काफी कम है।

(ङ) सरकार द्वारा किए गए उपाय संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
सॉफ्टवेयर क्षेत्र के लिए प्रोत्साहन

1. पूंजीगत वस्तु निर्यात संवर्धन (ईपीसीजी) योजना को तर्क

संगत बनाया गया है और 5 प्रतिशत शुल्क के भुगतान पर किसी देहरी सीमा के बिना इसे सभी क्षेत्रों में एक समान रूप से लागू किया गया है।

2. व्यवसाय से उपभोक्ता (B2C) ई–वाणिज्य को छोड़कर सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सभी विदेशी प्रत्यक्ष पूंजी निवेश के प्रस्तावों को स्वचालित मार्ग के अंतर्गत अनुमोदन।

3. एसटीपी योजना के कार्यान्वयन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के पदनामित अधिकारियों के अनुमोदन की शक्तियों को और 20 मिलियन अमरीकी डॉलर तक बढ़ाया गया है।

4. निर्यात उन्मुखी योजनाओं (ई. ओ. यू./ई. पी. जेड./एस. टी. पी./ई. एच. टी. पी.) के अंतर्गत इकाईयों के लिए कम्प्यूटरों एवं पेरिफेरलों पर वृद्धिमान मूल्यहास मानदंडों में बढ़ोत्तरी की गई है। अब ये मूल्यहास पहले के लगभग 5 वर्ष के स्थान पर 3 वर्ष में 90 प्रतिशत तक की समय सीमा तक होंगे। कम्प्यूटरों पर 60 प्रतिशत की दर से मूल्यहास की अनुमति दी गई है।

5. निर्यातोन्मुखी इकाई (ई. ओ. यू.)/सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एस. टी. पी.) योजनाओं के अंतर्गत सॉफ्टवेयर इकाइयों के लिए निर्यात के लदान पर्यंत निःशुल्क मूल्य के 50 प्रतिशत तक घरेलू शुल्क क्षेत्र (डी. टी. ए.) अभिगम की अनुमति दी गई है।

6. वर्ष 2000–2001 के बजट में कम्प्यूटर एवं पेरिफेरलों पर सीमा शुल्क 20 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया था तथा यह जारी रहेगा। सभी भंडारण युक्तियों, एकीकृत परिपथों, सूक्ष्म संसाधकों, रंगीन मॉनीटरों के डेटा प्रदर्श ट्यूबों एवं विक्षेपण संघटक–पुर्जों पर भी सीमा शुल्क शून्य प्रतिशत जारी रहेगा। वर्ष 2001–02 के बजट में, विश्व व्यापार संगठन (सूचना प्रौद्योगिकी तथा दूरसचांर उत्पाद) के सूचना प्रौद्योगिकी समझौते (आई. टी. ए–I) की मदों पर 20–25 प्रतिशत के वर्तमान सीमा शुल्क को घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है।

7. सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर को सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है।

8. निर्यातोन्मुखी इकाइयों/निर्यात संसाधन क्षेत्र/इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क की इकाइयों को निर्यात लाभ पर आयकर अधिनियम की धरा 10A तथा 10B के तहत वर्ष 2010 तक आयकर के भुगतान से छूट दी गई है। कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर तथा सेवाओं के ऑनसाइट विकास को कर से छूट की पात्रता होगी।

9. आयकर अधिनियम की धारा 80 एच. एच. ई. में दी गई कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर की परिभाषा में डेटा संप्रेषण को शामिल कर लिया गया है।

10. धारा 80 एच. एच. ई. के लाभ सहायक सॉफ्टवेयर विकासकर्ताओं को भी उपलब्ध होंगे।

11. बाह्य व्यावसायिक उधारियों (ई. सी. बी.) पर ब्याज पर कर के अवरोधन से छूट सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को भी उपलब्ध कराई गई है।

12. उद्यम पूंजी निधि अथवा उद्यम पूंजी कंपनी, जिसमें सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को शामिल कर लिया गया है, में इक्विटी शेयर के रूप में उद्यम पूंजी उपक्रम किए गए निवेश से प्राप्त लाभांशों अथवा दीर्घकालीन पूंजीगत प्राप्तियों से आय को अब कुल आय की गणना करने के प्रयोजन से शामिल नहीं किया जाएगा।

13. उद्यम पूंजी वित्त को बढ़ावा देने के लिए, घरेलू तथा विदेशी दोनों ही उद्यम पूंजी निधियों के पंजीकरण तथा विनियमन के लिए सेबी को एकमात्र केन्द्रीय अभिकरण बनाया गया है।

14. उद्यम पूंजी निधि की संवितरित और असंवितरित आय पर कोई कर नहीं लगेगा। उद्यम पूंजी निधियों से वितरित आय पर कर, आय की प्रवृति के अनुसार लागू दरों के आधार पर निवेशकर्ता पर लगेगा। जिस उद्यम पूंजी उपक्रम में उद्यम पूंजी निधि के प्रारम्भिक निवेश किए गए हैं, उसके शेयर यदि भारत में किसी पंजीकृत स्टॉक एक्सचेंज में बाद में सूचीबद्ध हो जाते हैं, तब भी उद्यम पूंजी निधि कर से छूट की पात्र होगी।

15. पोर्ट फोलियो निवेश नीति के अंतर्गत विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफ. आई. आई.) को किसी कम्पनी में साम्यपूंजी के कुल 24 प्रतिशत तक निवेश की अनुमति दी गई है, जिसे अनुमोदन के आधार पर 40 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है। वर्ष 2001–02 के बजट में इस सीमा को 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत कर दिया गया है।

16. कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना के तहत, आई. टी. सॉफ्टवेयर एवं सेवा कम्पनियों के निवासी कर्मचारी द्वारा

विदेशी मुद्रा में खरीदे गए जी. डी. आर. से हुई आय पर 10 प्रतिशत के रियायती दर पर आयकर देय होगा।

17. धारा 80–1क (मूलसंरचनात्मक स्थिति) के उपबंधों के अंतर्गत प्रदत्त कराधान अवधि से छूट इंटरनेट सेवा प्रदानकर्ताओं (आई. एस. पी.) तथा ब्रॉडबैन्ड नेटवर्क प्रदानकर्ताओं को दी गई है।

18. ए. डी. आर./जी. डी. आर. के लिए द्वि–मार्गी प्रतिमोच्यता की अनुमति दी गई है। खंडीय पूंजी के शर्ताधीन स्थानीय शेयरों को अब ए. डी. आर./जी. डी. आर. में पुनः परिवर्तित किया जा सकेगा।

19. अनुसंधान एवं विकास संबंधी कार्यकलापों में और अधिक पूंजी निवेश आकर्षित करने के लिए किसी विश्वविद्यालय, विद्यालय या संस्थान या वैज्ञानिक शोध संघों को वैज्ञानिक, सामाजिक या सांख्यकीय शोध के प्रयोजन से दी गई रकम पर 125 प्रतिशत की भारित कटौती उपलब्ध कराई गई है।

20. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 को अधिनियमित किया है। यह अधिनियम साइबर सुरक्षा, साइबर अपराध और सूचना सुरक्षा से संबंधित विधिक पहलुओं से संबंधित है। इससे इंटरनेट के माध्यम से ई–वाणिज्य के विस्तार को प्रोत्साहन मिलेगा।

दवे समिति की सिफारिशें

4660. श्री विकास चौधरी : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दवे समिति ने कर्मचारियों के लिए वर्तमान सामाजिक सुरक्षा लाभों में कटौती किए जाने की सिफारिश की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ई. पी. एफ. के केन्द्रीय त्रिपक्षीय न्यासी मंडल ने दवे समिति (विशेषज्ञ समिति) की रिपोर्ट को एकमत से अस्वीकार कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ङ) क्या दवे समिति की सिफारिशों को ई. पी. एफ., श्रम मंत्रालय के न्यासी मंडल द्वारा अस्वीकार कर दिए जाने के बावजूद सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इन सिफारिशों को लागू कर रहा है; और

(च) यदि हां, तो सामाजिक लाभों में कटौती किए जाने के खिलाफ सरकार क्या कदम उठा रही है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) जी, नहीं। दवे समिति ने सरकारी कर्मचारियों के लिए वर्तमान आय सुरक्षा व्यवस्था में सुधार और असंगठित क्षेत्र में कामगारों के लिए एक नई वृद्धावस्था आय सुरक्षा प्रणाली के लिए कुछ उपायों की सिफारिश की है।

(ग) और (घ) जी, हां। केन्द्रीय न्यास बोर्ड, ई. पी. एफ. ने 8.2.2000 को सम्पन्न हुई अपनी बैठक में कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी पेंशन योजना के संबंध में दवे समिति द्वारा की गई सभी सिफारिशों को नामंजूर कर दिया।

(ङ) वृद्ध व्यक्तियों के कल्याण के लिए नोडल मंत्रालय होने के नाते सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, इस संबंध में दवे समिति द्वारा की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए एक सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था का गठन करने की संभावना का पता लगा रहा है जिसका सभी कामगारों को अपनी वृद्धावस्था में लाभ मिल सके।

(च) भाग (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

भ्रष्टाचार निरोधक इकाई की स्थापना

4661. श्री शिवराज सिंह चौहान :
श्री चन्द्रकांत खैरे :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री कार्यालय में कोई भ्रष्टाचार निरोधक इकाई स्थापित की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस इकाई की स्थापना किस तारीख को की गई और इसकी स्थापना के समय से अब तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं और उनका वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अभी तक इन शिकायतों पर कोई कार्रवाही की गई है;

(घ) यदि हां, तो अब तक वर्षवार और राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक माह में शिकायतों के निपटान का प्रतिशत कितना था; और

(ङ) अभी तक लंबित मामलों का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) प्रधान मंत्री के कार्यालय में भ्रष्टाचार निरोधी एकक 17.08.1997 को स्थापित किया गया था। उपर्युक्त भ्रष्टाचार निरोधी एकक को इसके स्थापित किए जाने के समय से अप्रैल 16, 2001 तक कुल 6669 शिकायतें मिली हैं।

(ग) से (ङ) भारत-सरकार से संबंधित शिकायतें, प्रत्येक मंत्रालय/विभाग में इस दृष्टि से नामित किए गए संयुक्त सचिव के स्तर के उन नोडल अधिकारियों को भेज दी जाती हैं जिन्हें ऐसी शिकायतों के बारे में कार्रवाई समन्वित करने का दायित्व सौंपा गया है। ऐसे मामलों/शिकायतों के संबंध में संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा, समय-बद्ध जांच-पड़ताल और छान-बीन के जिम्मेदार, प्रशासनिक सचिव के स्तर पर अनुमोदित प्रतिपुष्टिपरक (फीड बैक) रिपोर्ट पाक्षिक रूप से प्रधान मंत्री के कार्यालय को प्रस्तुत की जाती है। राज्य सरकारों के कर्मचारियों से संबंधित शिकायतें, संबंधित राज्य के मुख्य सचिव को संबोधित पत्रों के माध्यम से भेज दी जाती हैं। ऐसे मामलों में राज्य-सरकारों को ही आवश्यक जांच-पड़ताल करनी होती है।

प्राप्त हुई कुल 6669 शिकायतों में से 1657 शिकायतें संबंधित राज्य-सरकारों को भेज दी गई हैं। इनमें से 504 मामलों के बारे में राज्य-सरकारों से प्रतिपुष्टिपरक (फीड बैक) रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। शेष 1153 मामलों के बारे में प्रतिपुष्टिपरक (फीड बैक) रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। राज्य-सरकारों को भेजे गए मामलों का ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	राज्य को भेजी गई शिकायतों की संख्या	ऐसे मामलों की संख्या जिनमें प्रतिपुष्टि (फीड बैक) प्राप्त हो गई	(समाप्त) (जांच-पड़ताल की प्रक्रिया में चल रही)	ऐसे मामलों की संख्या जिनमें प्रतिपुष्टि (फीड बैक) प्राप्त नहीं हुई
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार	21	9	2	10
2.	आंध्र प्रदेश	53	5	15	33
3.	असम	15	3	1	11
4.	बिहार	172	1	28	143
5.	चंडीगढ़	13	4	1	8
6.	दिल्ली	198	67	36	95
7.	दादरा और नगर हवेली	2	2	0	0
8.	गोवा	7	1	2	4
9.	गुजरात	19	3	2	14
10.	हरियाणा	71	11	19	41
11.	हिमाचल प्रदेश	15	0	0	15
12.	जम्मू कश्मीर	8	1	1	6
13.	कर्नाटक	22	5	15	2

1	2	3	4	5	6
14.	केरल	9	1	1	7
15.	लक्षद्वीप	1	0	0	1
16.	महाराष्ट्र	69	5	3	61
17.	मेघालय	2	0	1	1
18.	मिजोरम	4	0	0	4
19.	मणिपुर	7	1	1	5
20.	मध्य प्रदेश	162	10	29	123
21.	उड़ीसा	65	7	40	18
22.	पांडिचेरी	3	1	0	2
23.	पंजाब	114	9	9	96
24.	राजस्थान	116	17	10	89
25.	सिक्किम	4	0	0	4
26.	तमिलनाडु	53	10	22	21
27.	त्रिपुरा	1	1	0	0
28.	उत्तर प्रदेश	411	34	50	327
29.	पश्चिम बंगाल	20	2	6	12
		1657	210	294	1153

[अनुवाद]

सी. जी. एच. एस. की डिस्पेंसरियां

4662. श्री अशोक ना. मोहोल : क्या स्वास्थ्य और कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सी. जी. एच. एस. की कुछ डिस्पेंसरियों को स्थानांतरित किए जाने का प्रस्ताव है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या डिस्पेंसरी सं. 48 भी स्थानांतरित की जाने वाली डिस्पेंसरियों में शामिल है;

(ग) सी. जी. एच. एस. की नई डिस्पेंसरी खोले जाने के लिए लाभार्थियों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए और दिल्ली डिस्पेंसरी संख्या 48 सहित प्रत्येक डिस्पेंसरी के साथ संबद्ध लाभार्थियों की कुल संख्या कितनी है;

(घ) क्या यह सही है कि उक्त डिस्पेंसरी (सं. 48) को वर्तमान सरकारी फ्लैटों में बनाए रखने से पहले सी.जी.एच.एस. निदेशालय ने समूचे क्षेत्र का व्यापक सर्वेक्षण किया और केन्द्र में स्थित होने के कारण इस स्थान को सबसे अधिक उपयुक्त पाया गया;

(ङ) क्या यह भी सही है कि यह डिस्पेंसरी पिछले 20 वर्षों से अपने वर्तमान स्थान पर है और लाभार्थियों की एक पीढ़ी अब वृद्ध हो चुकी है और लोग स्थानान्तरण के प्रस्तावित स्थान पर जाकर सी.जी.एच.एस. के लाभ नहीं उठा सकेंगे क्योंकि उन्हें एक व्यक्ति को अपने साथ ले जाना पड़ेगा; और

(च) यदि हां, तो वृद्धों और लाभार्थियों की समस्याओं को कम

करने के लिए कौन से सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) इस समय पुष्प विहार, मिन्टो रोड और देवनगर में कार्य कर रहे केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों को स्थानांतरित करने के प्रस्ताव हैं।

पुष्प विहार में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय इस समय सम्पदा निदेशालय द्वारा आबंटित सरकारी आवास में कार्य कर रहा है। जब केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा इमारत को सौंप दिया जाएगा तो इसे केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की अपनी इमारत में स्थानांतरित कर दिया जाएगा जोकि दिल्ली नगर निगम द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किए जाने के बाद कब्जा पाने के लिए लगभग तैयार है। मिन्टो रोड के वर्तमान केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय को गिराया जाना है और देव नगर के केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय को खतरनाक घोषित कर दिया इसलिए इन दोनों औषधालयों को सम्पदा निदेशालय द्वारा ...क स्थान आबंटित कर दिए जाने पर वैकल्पिक परिसरों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

(ख) पहले दिल्ली विकास प्राधिकरण आवास मायापुरी में कार्यरत केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना संख्या 48 को पहले ही इसी क्षेत्र में फरवरी 2001 में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की अपनी इमारत में स्थानांतरित कर दिया गया है।

(ग) कार्मिक निरीक्षण एकक की नवम्बर 1999 की रिपोर्ट में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का नया एलोपैथिक औषधालय खोलने के लिए क्षेत्र मे कम से कम 2000 कार्डधारी होने चाहिए जिनके अन्तर्गत लगभग 10,000 लाभार्थी आते हैं। दिल्ली में प्रत्येक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय से जुड़े लाभार्थियों की संख्या के बारे में सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) और (ङ) जी, हां। परन्तु मायापुरी में दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैट में कार्यरत केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय को औषधालय उद्देश्य के लिए निर्मित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की अपनी इमारत का कब्जा मिल जाने के परिणामस्वरूप उक्त औषधालय को नई जगह पर स्थानांतरित कर दिया गया है। औषधालय का नया परिसर औषधालय के लिए निर्धारित क्षेत्र के भीतर है तथा औषधालय से जुड़े सभी लाभार्थियों की पहुंच के भीतर है इसलिए इस संबंध में किसी प्रकार की असुविधा होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(च) उपरोक्त (घ) और (ङ) को देखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

प्रत्येक औषधालय में पंजीकृत के.स्वा.यो. लाभार्थियों की संख्या का विवरण 31.12.2000 की स्थिति

क्र.सं.	औषधालय का नाम	लाभार्थियों की संख्या
1	2	3
1.	एन्ड्रूज गंज	16569
2.	दक्षिणपुरी	57747
3.	हौजखास	18660
4.	जंगपुरा	7590
5.	कालकाजी–I	22610
6.	कालकाजी–II	18438
7	कस्तूरबानगर–I	17392
8.	कस्तूरबानगर–II	14112
9.	किदवई नगर	29102
10.	लक्ष्मीबाई नगर	11792
11.	लाजपत नगर	8193
12.	मोती बाग	11474
13.	मुनिरका	17990
14.	मालवीय नगर	11732
15.	नानकपुरा	14060
16.	नौरोजीनगर	12064
17	नेताजी नगर	17231
18.	आर के पुरम–I	26282
19.	आर के पुरम–II	20823
20.	आर के पुरम–III	28951
21.	आर के पुरम–Iv	16972
22.	आर के पुरम–v	22508
23.	आर के पुरम–vI	14151

1	2	3
24.	सरोजनी नगर–I	10750
25.	सरोजनी नगर–II	7428
26.	सरोजनी नगर मार्किट	7914
27.	सादीक नगर	16406
28.	श्रीनिवासपुरी	36622
29.	एम बी रोड	35095
30.	विवेक विहार	17382
31.	जी के जी	3562
32.	राजपुर रोड	18259
33.	लक्ष्मीबाई नगर	43259
34.	शाहदरा	46397
35.	मयूर विहार	64750
36.	यमुना विहार	52663
37.	पुल बंगश	7973
38.	सब्जी मंडी	13209
39.	दरियागंज	11595
40.	किंग्जवे कैम्प	90031
41.	तिमारपुर	24060
42.	चांदनी चौक	6081
43.	दिलशाद गार्डन	10701
44.	अशोक विहार	18779
45.	दिल्ली कैंट	28119
46.	देव नगर	15013
47.	हरि नगर	27200
48.	इन्द्र पुरी	17928
49.	जनकपुरी–I	58124
50.	जनकपुरी–II	17522

1	2	3
51.	करोल बाग	4522
52.	नारायणा	14147
53.	न्यू राजेन्द्र नगर	9761
54.	नांगल राय	37525
55.	ईस्ट पटेल नगर	11270
56.	वेस्ट पटेल नगर	17125
57.	पूसा रोड	5486
58.	पालम कालोनी	45819
59.	पीतम पुरा	27172
60.	राजौरी गार्डन	19748
61.	रोहिणी	19526
62.	पश्चिम विहार	24183
63.	शकूरबस्ती	28207
64.	सुन्दर विहार	15668
65.	तिलक नगर	21121
66.	त्री नगर	5971
67.	अली गंज	23016
68.	चाणक्यपुरी	8658
69.	चित्रगुप्ता रोड	21645
70.	कांस्टिट्यूशन हाउस	9321
71.	गोल मार्किट	26682
72.	काली बाड़ी	22193
73.	लोदी रोड	17279
74.	मिन्टो रोड	23010
75.	नार्थ एवेन्यू	12106
76.	पहाड़गंज	16064
77.	पंडारा रोड	10668

1	2	3
78.	प्रगति विहार	10703
79.	प्रेसिडेंट एस्टेट	9641
80.	साउथ एवेन्यू	16991
81.	टेलीग्राफ लेन	9220
82.	डॉ. जाकिर हुसैन रोड	11311
83.	फरीदाबाद	19209
84.	गाजियाबाद	41000
85.	गुड़गांव	27568
	नोएडा	31991
	मोती नगर	आवास न मिलने के कारण अस्थाई रूप से बन्द

आंध्र प्रदेश में श्रमिकों की स्वास्थ्य समस्याएं

4663. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑक्यूपेशनल हैल्थ की भूमिका क्या है;

(ख) क्या एन.आई.ओ.एच. (आई.सी.एम.आर.) ने श्रमिकों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के विषय में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ग) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण के परिणामों का राज्यवार, विशेष तौर पर आंध्र प्रदेश के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इंस्टीट्यूट ने इन बीमारियों की निगरानी करने के लिए कोई शिविर भी लगाया था; और

(ङ) यदि हां, तो लगाए गए कैम्पों का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान, अहमदाबाद का उद्देश्य बहुविषयक दृष्टिकोण के माध्यम से कार्य करने और रहन–सहन के लिए सुरक्षित, स्वास्थ्य और आरामदायक माहौल प्रदान करना है। इस प्रयोजन के लिए संस्थान ने अनुसंधान, शिक्षा और सेवाएं आरम्भ की हैं।

(ख) राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान ने विभिन्न उद्योगों में कामगारों की स्वास्थ्य समस्याओं पर बहुत से सर्वेक्षण किए हैं।

(ग) सर्वेक्षण और उनके परिणामों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) यह संस्थान स्वास्थ्य शिविर आयोजित नहीं करता है। लेकिन व्यावसायिक स्वास्थ्य समस्याओं तथा निवारक उपाय किस तरह किए जाएं, इस बारे में जागरूकता लाने के लिए उद्योगों में कामगारों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है।

विवरण

राज्य/जिला	जानपदिक रोग विज्ञानीय अध्ययन	परिणाम/निष्कर्ष	नियंत्रण संबंधी उपाय/सिफारिशें
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश :			
(1) कुडप्पा जिले में एस्बेस्टोज खानें	एस्बेस्टोज खानों में एस्बेस्टोसिस की व्याप्तता	टी.एल.बी. (2 फिवर/मि.ली.) से 2–244 गुणा अधिक धूल के स्तर एस्बेस्टोसिस की व्याप्तता–11.5 प्रतिशत मिलिंग–21.1 प्रतिशत माइनिंग–3.3 प्रतिशत	एस्बेस्टोसिस मिलिंग यूनिट में इंटरवेंशन उपाय अनुकूलन बनाए गए। श्वसनी मास्क और सुरक्षात्मक कपड़ों के उपयोग के बारे में स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम में प्रशिक्षण के साथ जाव क्रुसियसर, एज रनर, वाइब्रेटर एंड कनवेयर के आंशिक संलग्नक।

1	2	3	4
		खुले में धूल से प्रभावित होने की अवधि में वृद्धि से व्याप्तता दर में वृद्धि पाई गई थी।	धूल के स्तर 2 फाइबर/मिली. के थ्रेसहोल्ड लिमिट वेल्यू (टीएलवी) से नीचे आए।
(2) कुडप्पा जिले में एस्बेस्टोज खानें	एस्बेस्टोज वाले कार्यकर्ताओं की रोगप्रतिरक्षण स्थिति	एस्बेस्टोसिस और नान–एस्बेस्टोसिस मामले में एंटीन्यूक्लियर फैक्टरों (ए.एन.एफ), आई.जी.जी. आई.जी.ए., आई.जी.एच. की सी.आई.सी. काफी अधिक	
(3) पूर्वी गोदावरी जिला	वर्जीनिया तम्बाकू 6, 7, 8, 9 का कार्य करने वाले कामगारों में व्यावसायिक स्वास्थ्य समस्याएं	तम्बाकू उत्पादों में ग्रीन सिम्पटम प्रमुख व्यावसायिक स्वास्थ्य समस्या पाई गई। लक्षणों में कमजोरी, चक्कर आना, उदर दर्द, जी मिचलाना, उल्टी आदि हैं। 289 तम्बाकू कामगारों द्वारा सूचित व्याप्तता दर उच्च (5329 प्रतिशत) थी। निकोटीन की मूत्र मार्ग से उत्सर्जन दर और इसके प्रमुख मेटाबोलिक कोलिन ग्रीन सिम्पटम्स से पीड़ित बीमारों में काफी अधिक थे।	कामगारों को फसल तैयार करते समय/खेती करते समय दस्ताने पहनने की सलाह दी गई है।
(4) ओरनोफोसफेट मेनुफक्चरिंग एंड फार्मूलेटिंग प्लांट्स मेडक जिला	(क) हेल्थ मानीटरिंग आफ वर्कर्स मेनुफेक्चरिंग एंड फार्मूलेटिंग इनसेक्टीसाइड्स 4	रुग्णता प्रभाव : –तंत्रिका संबंधी 21.21 प्रतिशत –नेत्र 20.6 प्रतिशत –चर्म विकार –34.5 प्रतिशत बड़े जोड़ों का दर्द–64.84 प्रतिशत प्रोडक्शन एंड फार्मूलेशन वर्कर्स में प्लाज्मा कोलिनेस्टेरास में कमी दिखाई दी। एक्स–रे में कमी जोड़ों के दर्द वाले कामगारों में सीरम आई.जी.ए. की कमी, आई.जी.जी. का सी.आई.जी. में वृद्धि	इस्तेमाल के लिए उपयुक्त वैयक्तिक सुरक्षा उपस्करों की संस्तुति की गई।
	(ख) पेस्टीसाइड मेनुफेक्चरिंग प्लांट वर्कर्स 5 में जोड़ों की समस्या का मूल्यांकन	एक्सपोज्ड लार्ज ज्वाइंट एफेक्शन में मल्टीपल ज्वाइंट एफेक्शन नियंत्रण में –शारीरिक कार्यकलाप–गंभीर कारक –होल ब्लड ए.सी.एच.ई. का अवरोधन –कम सीरम आई.जी.डी.	

1	2	3	4
		–एक्सपोज्ड ग्रुप में अधिक सीरम –यूरीनरी और सीरम फ्लोराइड स्तरों से पता चला कि फ्लूरोसिस कारण होने का घटक नहीं हो सकता है।	
गुजरात राज्य (5)	तम्बाकू की फसल पैदा करने वालों का स्वास्थ्य सर्वेक्षण	तम्बाकू की खेती और फसल पैदा करने में लगे तम्बाकू कामगार तम्बाकू की पत्तियों और तम्बाकू के पौधों के सम्पर्क में होते हैं और त्वचा से निकोटीन ग्रहण करते हैं। निकोटीन गेंगलीन के रूप में कार्य करता है और तीव्र या चिरकारी विषाक्त प्रभाव पैदा करता है। निकोटीन की तीव्र विषाक्तता के कारण तम्बाकू उत्पादक जी–मिचलाने, उल्टी, उबकाई, सिर–दर्द, थकान आदि से पींड़ित होते हैं जिसे 'ग्रीन टोबाकू सिकनेस' कहा जाता है।	ग्रीन टोबाको सिकनेस रोकने के लिए उपयुक्त दस्तानों की सिफारिश की जाती है जिनमें त्वचा के द्वारा निकोटीन कम ग्रहण होती है। विभिन्न प्रकार के दस्तानों (कॉटर, नाइलॉन, रबड़ वाले पोलिस्टर) का परीक्षण चल रहा है जिससे उनकी कारगरता का पता लग सके।
हिमाचल प्रदेश (6)	सीमेंट कारखानों में पर्यावरणिक चिकित्सीय सर्वेक्षण	अप्रभावित लोगों तथा सामुदायिक नियंत्रण की तुलना में प्रभावित कामगारों में चिरकारी दमा, डिस्पनोइया और श्वसनी मार्ग संक्रमण की व्याप्तता। प्लुमोनरी फंक्शन टेस्टिंग आब्जरवेशन्स (पी. एफ.टी.) की व्याप्तता, समुदाय नियंत्रण की तुलना में प्रभावित और अप्रभावित कामगारों में अधिक थी। कुल धूल के औसत मूल्यों कोल यार्डों में संयंत्र–I खोदने के कार्य में अनुमत्य स्तर से (10 मि.ग्रा./एम3) से कम था लेकिन खंगर वाहक और थैले में भरने वाले विभाग में संयंत्र–II में ये स्तर अधिक थे। इन दोनों संयंत्रों में रॉ मिल, कर्मशाला और सीमेंट मिल में शोर के स्तर 85 डी. बी.ए. से बढ़ गए और शेष परिसरों में ये स्तर निर्धारित सीमाओं से अधिक थे। समुदाय में 1.5 किमी. के घेरे की दूरी तक टी.एस.पी. के स्तर 200 यू.जी.एम./एम³ से अधिक थे और 1 किमी. के घेरे की दूरी तक आर.एस.पी. के स्तर 100 यू.जी.एम./एम³ से अधिक थे।	इलेक्ट्रो–स्टेटिक प्रेसिपिटेटर जैसी अभियांत्रिकी नियंत्रण संबंधी युक्तियों और मांजन प्रणाली संस्थापित की गई।
मध्य प्रदेश मैसूर (7)	स्लेट पेंसिल कामगारों 12, 13 के स्वास्थ्य	बड़ी, मध्यम और छोटी इकाईयों में कटर के सांस लेने वाले आंचलों में धूल के स्तर में	वायु को शुद्ध करने की प्रणाली सहित स्थानीय वायु निकासी प्रणाली का

1	2	3	4
	संबंधी जोखिम	प्रद रूप से अधिक थे। कुल–39.78, 66.38, 33.25 मिलीग्राम/एम³ अंतःश्वसनीय–0.04, 6.78, 15.4 एम.जी./एम³ 55.5 प्रतिशत कामगारों में श्वसनात्मक प्रणालियां	विकास किया गया है और उसे संस्थापित किया गया है।
गुजरात आनन्द (8)	गोमेद औद्योगिक कामगारों की स्वास्थ्य स्थिति	1987 में एक अध्ययन और 1993 में अनुवर्ती अध्ययन ने सुझाया कि इस कामगार में सिलिकोसिस की उच्च व्याप्तता (36 प्रतिशत) और उच्च श्वसनात्मक रुग्णता थी। 2000–2001 में वर्तमान गोमेद जांतों (ग्राइन्डर), पहले के गोमेद जांतों, परिवार के सदस्यों और सामुदायिक व्यक्तियों और नियंत्रण समेत एक अध्ययन शुरू किया गया है। इस समय एक नई पीसने वाली मशीन तैयार की जा रही है।	गुजरात ग्रामीण प्रौद्योगिकी संस्था के सहयोग से धूल के उत्पादन को कम करने के लिए उपयुक्त नियंत्रण संबंधी उपायों का विकास किया गया। कुल और श्वसनीय धूल के स्तरों (70–80 प्रतिशत) की महत्वपूर्ण कमी प्राप्त कर ली गई है। एक नई गोमेद जांता मशीन (एगेट ग्राइंडिंग मशीन) का विकास किया जा रहा है और इसकी प्रभावकारिता के मूल्यांकन ने उत्साहजनक परिणाम दर्शाए हैं।

कम्प्यूटरों के लिए एक-मुश्त लाइसेंस प्रणाली

4664. श्री पी. डी. एलानगोवन : क्या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार द्वारा देश में कम्प्यूटरों और सॉफ्टवेयर के प्रयोग के संबंध में एक–मुश्त लाइसेंस प्रणाली शुरू किए जाने की कोई योजना है;

(ख) क्या वर्तमान सॉफ्टवेयर पेटेंट प्रणाली से सॉफ्टवेयर उद्योग का बड़ा भाग समान रूप से लाभान्वित हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह सही है कि भारत में कुछ महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर कम्पनियां बहुत अधिक प्रचालनात्मक आधिक्य और लाभ कमा रही हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सॉफ्टवेयर अनुसंधान और विकास और सॉफ्टवेयर विपणन के क्षेत्र में पूर्ण 'एकाधिकार' को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) सरकार कम्प्यूटरों तथा सॉफ्टवेयर के उपयोग के लिए लाइसेंस नहीं देती है। सॉफ्टवेयर के मामले में लाइसेंस का समझौता विक्रेता और ग्राहक के बीच होता है।

(ख) और (ग) इस समय, भारत में सॉफ्टवेयर का पेटेंट नहीं किया जा सकता है तथा यह प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम के तहत संरक्षित है।

(घ) जी, नहीं। इस समय 37 कम्पनियों का वार्षिक निर्यात करोबार 100 करोड़ रुपये से अधिक है, 60 कम्पनियों का कारोबार 50 से 100 करोड़ रुपये के बीच है तथा 180 कम्पनियों का कारोबार 10 से 50 करोड़ रुपये के बीच है।

(ङ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(च) सरकार को सॉफ्टवेयर अनुसंधान तथा विकास अथवा सॉफ्टवेयर विपणन में किसी एकाधिकार की जानकारी नहीं है।

अनुशासनात्मक कार्रवाई

4665. श्री राम नायडू दग्गुबाटि : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वह समय–सीमा निर्धारित कर दी है कि जिसके भीतर अनुशासनात्मक प्राधिकारी को दोषी अधिकारी के विरुद्ध जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर अंतिम निर्णय लेना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने अनुशासनात्मक प्राधिकारी को दोषी अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निर्णय करने में अपनी निरंकुश शक्तियों का उपयोग करने का अधिकार नहीं दिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो यह समुचित अवधि क्या है जिसके भीतर सरकार को जांच अधिकारी की रिपोर्ट पर अपना निर्णय लेना होगा?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (च) अनुशासनिक मामलों में संघ–लोक–सेवा–आयोग और केन्द्रीय सतर्कता–आयोग से परामर्श किए जाने की अपेक्षा के मद्देनजर, नियमों में ऐसी कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। फिर भी, कार्यकारी अनुदेशों के माध्यम से यह निर्धारित किया गया है कि उन मामलों में अनुशासनिक प्राधिकारी सामान्यतः तीन मास के भीतर ही जांच–रिपोर्ट पर अन्तिम निर्णय ले लें जिनमें केन्द्रीय सतर्कता–आयोग और संघ–लोक–सेवा–आयोग से परामर्श किया जाना अपेक्षित नहीं हो। जिन मामलों में इस समय–सीमा का पालन कर पाना संभव नहीं लगे, उनमें अपेक्षित अतिरिक्त अवधि और उसके कारण बताते हुए एक रिपोर्ट अगले उच्चतर प्राधिकारी को प्रस्तुत कर दी जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि केन्द्रीय सतर्कता–आयोग और संघ–लोक–सेवा–आयोग से परामर्श किए जाने से जुड़े मामले यथाशीघ्र निबटा दिए जाएं।

हेपेटाइटिस "बी" प्रतिरक्षा कार्यक्रम

4666. श्री किरीट सोमैया : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अपने प्रतिरक्षा कार्यक्रम में हेपेटाइटिस "बी" को शामिल करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ अविकसित देशों ने अपने प्रतिरक्षा कार्यक्रम में हेपेटाइटिस "बी" को शामिल किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने रक्त बैंकों में हेपेटाइटिस "सी" की जांच कराई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या अनुदेश जारी किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने व्यापक प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत हेपेटाइटिस–बी के टीके को शामिल करने के लिए एक प्रायोगिक परियोजना तैयार की है। इस परियोजना को महानगरों की मलिन बस्तियों और देश में चुनिंदा ग्रामीण जिलों में लागू करने का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ) विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार चीन, इंडोनेशिया, थाइलैंड, मालदीप, भूटान और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों सहित 100 से अधिक देशों ने उनके राष्ट्रीय प्रतिरक्षण कार्यक्रम में हेपेटाइटिस–बी टीके को शामिल किया है। नेपाल, पाकिस्तान और भूटान अपने कार्यक्रम में इस टीके को शामिल करने पर विचार कर रहे हैं।

(ङ) और (च) जी, हां। सरकार ने औषध और प्रसाधन नियम के अन्तर्गत रक्त बैंकों में हेपेटाइटिस "सी" की जांच को अनिवार्य बनाया है। इस संबंध में अधिसूचना सा.का.नि. (जी एस आर) संख्या 40(इ) 29 जनवरी, 2001 को जारी कर दी गई है।

जनसंख्या नियंत्रण

4667. श्री एम. के. सुब्बा : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में की गई जनगणना के बाद राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग ने विभिन्न राज्यों के सभी जिलों को उनके सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय संकेतकों के आधार पर वर्गीकृत कर जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण हेतु ऐसे जिलों की पहचान की है जिनमें गहन प्रयासों की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो विशेषतः असम और पूर्वोत्तर राज्यों में पहचान किए गए जिलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन जिलों को इस उद्देश्य हेतु निर्धारित वांछित

जनसांख्यिकीय स्तर, यदि कोई हो, पर लाने के लिए क्या कार्य–योजना तैयार की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) जनगणना 2001 के डेटा रिलीज होने से भी पूर्व राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग ने ऐसे क्षेत्रों/जिलों जो देश के शेष भागों की तुलना में अत्यधिक उच्च प्रजनन दर के कारण जनसांख्यिकीय रूप से संवेदनशील हैं, की पहचान करने के लिए प्रयत्न किए थे।

(ख) यद्यपि कई अन्य क्षेत्रों में भी अवसंरचना तथा अन्य सहयोगी सेवा की आवश्यकता हो सकती है, ऊपर (क) को देखते हुए, असम तथा अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में उच्च प्राथमिकता वाले जिलों की संख्या इस प्रकार है :

1.	असम	4
2.	अरुणाचल प्रदेश	9
3.	मणिपुर	3
4.	मेघालय	5
5.	मिजोरम	1
6.	बंगलादेश	6

(ग) पहचान किए गए जिलों को वांछित जनसांख्यिकी स्तर तक लाने के लिए कार्य–योजना राज्य/जिला प्रशासनों से परामर्श करके तैयार की जा रही है।

[हिन्दी]

भारी जल संयंत्रों का कार्यनिष्पादन

4668. श्री रामदास आठवले : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारी जल संयंत्र अपने लक्ष्य से कम उत्पादन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/प्रस्तावित हैं; और

(ग) गत तीन वर्ष के दौरान हुए वास्तविक उत्पादन और प्रत्येक संयंत्र की अधिष्ठापित क्षमता का ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, नहीं। पिछले तीन वर्षों के दौरान सभी परिचालनरत भारी पानी संयंत्रों का उत्पादन संबंधी कार्य–निष्पादन उत्कृष्ट रहा है।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) चूंकि भारी पानी एक सामरिक महत्व की सामग्री है, इसलिए इसके वास्तविक उत्पादन से संबंधित आंकड़े नहीं बताए जाते हैं। परिचालनरत भारी पानी संयंत्रों की स्थापित क्षमता निम्नानुसार है :

मानुगुरु	—	185 मीटरी टन
कोटा	—	80 मीटरी टन
हजीरा	—	80 मीटरी टन
थाल	—	78 मीटरी टन
तूतीकोरिन	—	49 मीटरी टन

[अनुवाद]

जैव चिकित्सा अनुसंधान हेतु नैतिक दिशानिर्देश

4669. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने मानकों पर जैव चिकित्सा अनुसंधान में नैतिक दिशा निर्देशों संबंधी प्रथम व्यापक अध्ययन की रिपोर्ट जारी कर दी है जिसमें विशेषकर प्रतिकृति (क्लोनिंग) अनुसंधान पर प्रतिबंध लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो जारी किए गए दिशा निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन दिशा निर्देशों से आनुवंशिकी क्षेत्र सहित जैव चिकित्सा और जैव प्रौद्योगिकीय अनुसंधान में नए क्षितिजों का तेजी से विस्तार करने में कितनी सहायता मिलने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार ने इन दिशा निर्देशों को अपना लिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (च) मानव विषयों पर जैव–चिकित्सीय अनुसंधान के लिए परिषद के संशोधित नैतिक दिशानिर्देशों को माननीय स्वास्थ्य मंत्री डा. सी. पी. ठाकुर ने 18.10.2000 को जारी किया। ये संशोधित दिशानिर्देश मानव सहभागियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में वर्तमान उन्नति को देखते हुए हैं। वर्तमान में भारत में मानव क्लोनिंग संबंधी अनुसंधान पर प्रतिबंध है। नैतिक दिशानिर्देशों में नैतिक सोच–समझ संबंधी सामान्य नियमों के विवरण के अलावा गर्भ टिश्यू प्रत्यारोपण और एसिसटिड प्रजनन प्रौद्योगिकी सहित नैतिक समीक्षा प्रक्रियाओं, सामान्य नैतिक विषयों पर अध्याय, औषधों, युक्तियों/नैदानिक साधनों/वैक्सीनों/हर्बल औषधों का वितरण, जानपदिक रोग विज्ञान अध्ययन, मानव आनुवंशिक (जेनेटिक) अनुसंधान, प्रत्यारोपण में अनुसंधान शामिल हैं। इन दिशानिर्देशों में मानव आनुवंशिक अनुसंधान के क्षेत्र भी कवर हैं और रिकोम्बीनेंट जीन और जीन थिरेपी के ऐसे अनुसंधान के लिए परामर्श किया चाहिए।

ये दिशानिर्देश सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं।

भारतीय वायुसेना के पुराने विमानों का बदला जाना

4670. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायुसेना के 40 प्रतिशत युद्धक विमान पुराने पड़ गए हैं और इन्हें आगामी दशक में बदलना होगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय रक्षा समीक्षा (आई डी आर) में सिफारिश की गई है कि इन विमानों को बदलने की योजना बनाते समय नई किस्म के विमानों से बचा जाए;

(घ) क्या समीक्षा में सुखोई–30, मिराज–2000–5 और जगुआर विमानों के लाइसेंसयुक्त उत्पादन के संबंध में भी टिप्पणी की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पुराने बेड़े में नए विमान लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं और आई डी आर में कौन–कौन सी अन्य सिफारिशें की गई हैं?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) और (ख) भारतीय वायु सेना को कुछ वायुयानों और उपस्करों के पुराने पड़ जाने के कारण कुछ ही वर्षों में उनकी कमी का सामना करना पड़ सकता है।

(ग) और (घ) जी, हां।

(ङ) भारतीय वायु सेना ने अपनी युद्धक वायुयान शक्ति को बढ़ाने के लिए एक आधुनिकीकरण योजना बनाई है। भारतीय रक्षा समीक्षा (आई डी आर) में दिए गए सुझावों को ध्यान में रखा गया है।

इलेक्ट्रानिकी लेन-देन

4671. श्री अनन्त नायक : क्या **सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास इलेक्ट्रानिकी लेन–देन को प्रोत्साहन देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इलेक्ट्रानिकी लेन–देन को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) से (ग) सरकार देश में ई–वाणिज्य के एक भाग के रूप में किए गए इलेक्ट्रानिक लेन–देन के संवर्धन के लिए मुख्यतः एक सुविधा प्रदानकर्ता के रूप में कार्य करती है। इस संबंध में, इलेक्ट्रानिक लेन–देन को वैध मान्यता देने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 अधिनियमित किया गया है। इस अधिनियम में इलेक्ट्रानिक अनुबंधों की मान्यता, कम्प्यूटर अपराधों के निवारण, इलेक्ट्रानिक फाइलिंग/प्रलेखन के लिए वैध ढांचा प्रदान किया गया है तथा अंकीय हस्ताक्षर को वैध मान्यता दी गई है। इस अधिनियम के कार्यान्वयन को सुकर बनाने के लिए एक प्रमाणन प्राधिकारी नियंत्रक की नियुक्ति कर दी गई है।

डीसीजीआई और स्वास्थ्य महानिदेशक द्वारा भेषज कम्पनी का दौरा

4672. डा. बलिराम :
श्री पी. आर. खूंटे :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डीसीजीआई और स्वास्थ्य महानिदेशक ने भेषज कम्पनियों को लाभ पहुंचाने के लिए साथ–साथ उनका दौरा किया;

(ख) क्या यह भी सच है कि डीसीजी आई ने परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के तीन दिन के भीतर ही 'क्लापिडोग्रिल' नामक नई दवा के विपणन की अनुमति दे दी;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अनुमोदन देने की एवज में डीसीजीआई ने कम्पनी से विशेष अनुग्रह प्राप्त किए हैं;

(घ) वर्ष 2000 के दौरान कौन–कौन सी नई औषधियों को मान्यता दी गई और प्रत्येक औषधि के नैदानिक परीक्षण की रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद प्रथम अनुमोदन दिए जाने में कितना समय लगा;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या मंत्रालय इस मामले को सीबीआई को सौंपना चाहेगा; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं। इस औषध के स्तर III परीक्षण और अनुमोदन के लिए मैसर्स टोरेन्ट फार्मास्यूटिकल्ज लिमिटेड, अहमदाबाद, जिसको इस औषध के विनिर्माण और विपणन की अनुमति प्रदान की गई है, से आवेदन 5.7.2000 को प्राप्त हुआ। इस फर्म को केन्द्रीय औषध प्रयोगशाला से नैदानिक परीक्षण और गुणवत्ता के लिए प्रयोगशाला जांच कराने की अनुमति 3.10.2000 को दी गई।

परीक्षणों के परिणामों, जो 5.1.2001 को प्राप्त हुए, केन्द्रीय औषध प्रयोगशाला द्वारा की गई जांचों के परिणामों जो 4.12.2000 को प्राप्त हुए, विशेषज्ञों की सिफारिशों और नैदानिक आंकड़ों के मूल्यांकन के आधार पर क्लोपीडागरेल के विनिर्माण और विपणन का अनुमोदन मैसर्स टोरेन्ट फार्मास्यूटिकल्ज को 1.2.2001 को दिया गया।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रदान किए गए प्रथम अनुमोदन की तारीख और नैदानिक परीक्षण की रिपोर्टों को सौंपने की तारीख सहित वर्ष 2000 के दौरान स्वीकृत की गई नई औषध की एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ङ) से (छ) प्रश्न के भाग (क), (ख) और (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

जनवरी 2000 से दिसम्बर 2000 की अवधि के दौरान औषध महानियंत्रक (भारत) द्वारा अनुमोदित नई औषधें

क्रमांक	औषध का नाम	श्रेणी	नैदानिक परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने की तारीख	अनुमोदन की तारीख	टिप्पण केन्द्रीय औषध प्रयोगशाला रिपोर्ट प्राप्त होने की तारीख
1	2	3	4	5	6
1	आक्सीकोनाजोल	फंगस रोधी	03.05.99	17.01.2000	07.12.99
2*	टेमोजोलामाइड	कैंसर रोधी		17.01.2000	
3	ओलंजापाइन	मनोविक्षिप्त रोधी	04.11.99	27.01.2000	
4	फ्लूवोक्सामीन मेलिएट	प्रत्यवसादक	07.01.2000	21.02.2000	
5	सेलेकोक्षिब	एन. एस एड	18.01.2000	22.02.2000	
6*	नेविरापिन	एच आई वी रोधी		06.03.2000	—
7	रिपैग्लीनाइड	मधुमेह रोधी	09.10.99	23.03.2000	09.03.2000
8*	गांसिक्लोवीर	प्रति वाइरस		05.04.2000	—
9*	ट्रापिडिल	एंजियोप्लास्टी में अनुषंगी		11.05.2000	—

1	2	3	4	5	6
10	रोफेगोजिब	एन एस एड	14.06.2000	26.06.2000	—
11	रोजिगजीटाजोन	मधुमेह रोधी	13.06.2000	28.06.2000	—
12	इरबेसारटन	अतिरिक्त दाबी रोधी	17.05.2000	26.06.2000	—
13	ग्रानीसेट्रान	वमन रोधी	02.05.2000	05.07.2000	—
14*	रिटुजिमब	कैंसर रोधी		10.07.2000	—
15*	ट्रास्टूजुमब	कैंसर रोधी		10.07.2000	—
16	मोक्लोबेमाइड	प्रत्यव सादक	26.06.2000	28.07.2000	—
17.	कैनडेसारटन	अतिरिक्त दाबी रोधी	28.07.2000	31.08.2000	—
	वेनलाफैक्जीन एचसीएल	प्रत्यव सादक	24.08.2000	18.09.2000	—
19	पैरेजेटिन एचसीएल	प्रत्यव सादक	25.08.2000	04.10.2000	—
20*	आइओमप्रोल	विभेदक माध्यम		05.10.2000	—
21*	कैपेसिटर्झिबन	कैंसर रोधी		12.10.2000	—
22*	डैक्लीजुमब	इम्यूनो सपरेसीव एजेंट		12.10.2000	—
23*	डाइडनोसिन	एच आई वी रोधी		15.10.2000	—
24	पिओगलिटाजोन एचसीएल	मधुमेह रोधी	29.08.2000	17.10.2000	—
25	आक्टी. लोनिअम ब्रोमाइड	आई.बी.एस. (इरीटेबल बाबवल सिन्ड्रोम) के लिए	11.09.2000	15.12.2000	—
26	पारवस. टाटीन	लाइपिड लोवरिंग एजेंट	19.09.2000	20.12.2000	04.12.2000

*उपरोक्त चिन्हित औषधें या तो कैंसर रोधी/एड्स रोधी हैं अथवा इम्यूनो सप्रैसीव एजेंट हैं जो जीवन रक्षक औषधें हैं और नैतिक कारणों के कारण ऐसी औषधों का नैदानिक परीक्षण करना भी मुश्किल है। इसलिए इन औषधों को विशेषज्ञों की सिफारिशों के आधार पर अनुमोदित किया गया है।

[हिन्दी]

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

4673. श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद सदस्यों द्वारा संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत अनुशंसित योजनाओं का काम पूरा करने के लिए कोई समय–सीमा निर्धारित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत योजनाओं का कार्य पूरा होने में विलम्ब के संबंध में सरकार को किसी मामले की जानकारी प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार इन योजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन हेतु कोई दिशानिर्देश जारी करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) और (ख) सभी जिलाध्यक्षों को कार्य की प्रकृति के आधार पर, दिए गए कार्य को निश्चित समय–सीमा में पूर्ण करने के लिए कार्यकारी अभिकरणों के कार्यादेशों में समय–सीमा निर्धारित करने के निदेश जारी किए जा चुके हैं।

(ग) से (च) संसद सदस्यों से सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के कार्यों के निष्पादन में विलंब से संबंधित कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। योजना के अंतर्गत कार्य की गति को तीव्र करने के लिए सरकार द्वारा कुछ कदम उठाए गए हैं। जिलाध्यक्षों को सांसदों द्वारा उनकी वार्षिक पात्रता की सीमा तक अनुशंसित कार्यों पर कार्यवाही करने एवं स्वीकृति प्रदान करने का परामर्श दिया गया है। सभी राज्य सरकारों को परामर्श दिया गया है कि वे जिलाध्यक्षों को सांसदों द्वारा अनुशंसित कार्यों पर शीघ्र कार्यवाही करने तथा 45 दिनों के अंदर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने तथा सभी संबंधितों द्वारा प्रबोधन प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन किए जाने संबंधी निर्देश जारी करें। माननीय अध्यक्ष, योजना के कार्यान्वयन पर सांसदों तथा जिला कलेक्टरों के साथ अन्योन्य क्रिया हेतु हैदराबाद और खजुराहो में बैठकें बुला चुके हैं। हैदराबाद की बैठक में, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की लोक सभा समिति के कुछ सदस्यों, आंध्र प्रदेश राज्य के कुछ संसद सदस्यों तथा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों तथा पांडिचेरी एवं लक्षद्वीप संघ शासित प्रशासनों के कुछ कलेक्टरों ने भाग लिया। खजुराहो की बैठक में, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की लोक सभा समिति के कुछ सदस्यों, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान के कुछ कलेक्टरों ने भाग लिया।

प्रतिबंधित औषधियों की बिक्री

4674. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :
श्री सुरेश कुरूप :
श्री सुन्दर लाल तिवारी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 27.1.2001 को 'राष्ट्रीय सहारा' में 'बिक्री की इजाजत नहीं फिर भी बिक रही हैं नई दवाईयां' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार के पास भारतीय वैकल्पिक औषधियों और औषधियों के मानक के अनुसंधान क्षेत्रों के निष्कर्षों का आकलन करने वाला कोई निगरानी तंत्र है; और

(घ) यदि हां, तो कितने संस्थान इन कार्यों को कर रहे हैं और इनके कार्यक्षेत्र क्या–क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

गुटखा की किस्म

4675. श्रीमती सुशीला सरोज : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुल उत्पादन के 93 प्रतिशत से अधिक ब्रांडों के गुटखे विनिर्माण की तारीख और वैधानिक चेतावनी 'पान मसाला चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है' और 'तम्बाकू चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है' के बिना बिक रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार गुटखे को 'पान मसाला' के अंतर्गत वर्गीकृत करती है या 'तम्बाकू' के तहत;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार जन स्वास्थ्य के मद्देनजर इस मुद्दे से निपटने का है;

(ङ) यदि हां, तो कब तक; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (च) खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के उपबंधों के अनुसार गुटखा सहित सभी खाद्य उत्पादों के लेबलों पर खाद्य उत्पाद के विनिर्माण अथवा प्रीपैकेड होने के महीने और वर्ष को मुद्रित करना आवश्यक है। उक्त उपबंध के उल्लंघन का कोई उदाहरण सरकार के ध्यान में नहीं लाया गया है।

खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के अंतर्गत यथानिर्धारित पान मसाला के मानक के अंतर्गत गुटखा कवर नहीं है। तथापि चबाने वाले तम्बाकू वाला पान मसाला एक प्रोपराइटरी उत्पाद के रूप में गुटखा के रूप में बेचा जाता है।

खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 में गुटखा सहित चबाने

वाले तम्बाकू के लेबल पर स्वास्थ्य के लिए इसके हानिकारक होने के संबंध में सांविधिक चेतावनी देने हेतु व्यवस्था है।

सरकार ने प्रस्ताव किया है कि चेतावनी की घोषणा द्विभाषी होनी चाहिए और अधिक स्पष्ट होनी चाहिए। खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 में संशोधन की अपेक्षा वाले प्रारूप नियमों को 7.2.2001 को अधिसूचित किया गया है।

[अनुवाद]

भारत-नेपाल संधि

4676. श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :
श्री राम मोहन गाड्डे :
श्री शिवाजी माने :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने अपने-अपने राज्यों में नेपाली नागरिकों के लगातार आगमन से स्वयं को बचाने के लिए केन्द्र सरकार से 1950 की भारत-नेपाल शांति और मैत्री संधि की समीक्षा करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) से (ग) मेघालय की सरकार ने मेघालय के लिए नेपाली देशायट पर चिंता व्यक्त की है और 1950 में संपन्न भारत-नेपाल शांति और मैत्री संधि की समीक्षा करने तथा भारत की यात्रा पर आने वाले नेपालियों के लिए यात्रा दस्तावेजों की शुरूआत करने का सुझाव दिया है।

दोनों देशों के बीच वायुयान यात्रा के लिए यात्रा दस्तावेजों की शुरूआत की गई है। भारत और नेपाल के बीच सीमा प्रबंधन से संबद्ध संयुक्त कार्यदल में सीमा प्रबंधन के तौर-तरीकों पर भी चर्चाएं चल रही हैं जिसकी चौथी बैठक शीघ्र ही संपन्न होने की संभावना है।

30 और 31 जनवरी, 2001 को नई दिल्ली में भारत-नेपाल विदेश सचिव वार्ता संपन्न हुई थी। इस बैठक में, दोनों पक्षों ने दोनों देशों के प्रधान मंत्रियों द्वारा यथा निर्देशित भारत-नेपाल शांति और मैत्री संधि से संबंधित मसलों पर उपयोगी विचारों का आदान-प्रदान किया गया। उन्होंने इस संधि के विभिन्न पहलुओं पर स्पष्ट और मुक्त चर्चा की और दोनों पक्षों के प्रत्यक्ष बोध, हित चिंताओं तथा हितों और अपने घनिष्ठ तथा मैत्री संबंधों को ध्यान में रखते हुए वे अपनी चर्चा को जारी रखने के लिए सहमत हुए।

औषधियों को मान्यता

4677. श्री राधा मोहन सिंह : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई औषधि विनिर्माताओं की ओर से औषधि नियंत्रक द्वारा नई औषधियों को मान्यता देने में विलम्ब की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो नई औषधियों के आवेदनों की प्रक्रिया को सरल और तीव्रगामी बनाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) औषधि नियंत्रक द्वारा औषधि मान्यता संबंधी आवेदनों के निपटान के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) औषध और प्रसाधन सामग्री नियमों और उक्त नियमों की अनुसूची 'म' के संबंधित उपबंधों के संदर्भ में नई औषधों को स्वीकृति देने की प्रक्रिया को और कारगर बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। आवेदकों द्वारा दिए गए आंकड़ों का गहन मूल्यांकन करने के लिए विशेषज्ञों का एक पैनल गठित किया गया है। रिकोमबिनेंट व्युत्पन्न उत्पादों का मूल्यांकन करने के लिए भी विशेषज्ञों के एक अलग पैनल का गठन किया गया है।

(ग) नई औषधों को स्वीकृति देने, क्लीयरिंग की प्रक्रिया को शीघ्र पूरी करने के लिए विभिन्न चरणों के दौरान प्रोटोकालों के अनुमोदन और नैदानिक परीक्षणों के परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए समय-सीमा निर्धारित की गयी है। तदनुसार विशेषज्ञों के पैनल के परामर्श से चरण-I अध्ययन क्लीयर करने के लिए 90 दिनों की अवधि और चरण-II को क्लीयर करने के लिए 45 दिनों की अवधि और चरण-III को क्लीयर करने के लिए 60 दिनों की अवधि उपलब्ध होगी।

[हिन्दी]

सरकारी कार्यालयों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की भर्ती

4678. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली :
श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव :
श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्ष के दौरान उनके मंत्रालय/विभागों/स्वायत्तशासी निकायों और अधीनस्थ कार्यालयों में प्रतिवर्ष अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ी जातियों के कितने व्यक्तियों को श्रेणी–वार रोजगार प्रदान किया गया;

(ख) आज की तारीख में उक्त कार्यालयों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ी जातियों के कितने पद रिक्त हैं; और

(ग) मंत्रालय द्वारा इन रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/प्रस्तावित हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) कार्मिक, लोक–शिकायत तथा पेंशन–मंत्रालय और इसके अधीनस्थ कार्यालयों के संबंध में अपेक्षित वर्ष, 1998, 1999 और 2000 की श्रेणी–वार जानकारी निम्नानुसार है :

वर्ष	अनु. जाति	अनु. जनजाति	अन्य पिछड़े वर्ग
1998	40	8	[illegible]
1999	6	2	12
2000	6	1	5

(ख) दिनांक 25.02.2001 को मौजूद स्थिति के अनुसार, उपर्युक्त कार्यालयों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों की श्रेणियों के लिए आरक्षित कुल पदों में से 284 पद रिक्त थे।

(ग) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रिक्त पद शीघ्रातिशीघ्र भरने के संगठित प्रयास किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

हज यात्रियों को राजसहायता

4679. श्री श्रीनिवास पाटील :
श्री विनय कुमार सोराके :
श्री जे. एस. बराड़ :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रेस में यथा प्रकाशित सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने हज यात्रियों को राजसहायता प्रदान करने को शरिअत के सिद्धांतों और भावना के विपरीत बताया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पाकिस्तान ने भी हज यात्रियों की राजसहायता बंद कर दी है; और

(घ) यदि हां तो क्या सरकार का विचार हज राजसहायता को चरणबद्ध तरीके से कम करने का है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) और (ख) सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने हज यात्रा के लिए सहायता प्रदान करने के मुद्दे का उल्लेख किया था तथा यह विचार व्यक्त किया था कि सामान्यतः उन्हीं हज यात्रियों को हज यात्रा करनी चाहिए जिनके पास उसके लिए साधन हों।

(ग) जी, हां।

(घ) मंत्रिमंडल ने 30 अक्टूबर, 2000 की अपनी बैठक में हज 2001 के लिए राजसहायता के प्रस्ताव का अनुमोदन करते समय निर्देश दिया था कि हज 2001 के तुरन्त बाद हज 2002 तथा उसके बाद की यात्राओं के लिए सहायता में चरणबद्ध तरीके से कमी का प्रस्ताव लाया जाए। तदनुसार नागर विमानन मंत्रालय आवश्यक कदम उठा रहा है।

[अनुवाद]

केन्द्र-सरकार के कार्यालयों में अन्य पिछड़ी जाति के व्यक्तियों की भर्ती

4680. श्री राम टहल चौधरी : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत–सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/अन्य अधीनस्थ कार्यालयों में कितने स्वीकृत पद हैं और खुली भर्ती के माध्यम से इन पदों पर अन्य पिछड़ी जातियों के कितने व्यक्तियों की श्रेणी–वार नियुक्ति हुई है;

(ख) नई आरक्षण–नीति के कार्यान्वयन के बाद से 30 मार्च, 2001 तक अन्य पिछड़े वर्गों के कितने अधिकारियों/कर्मचारियों की भर्ती की गई है;

(ग) क्या अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित पदों को नहीं भरे जाने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन रिक्तियों को भरने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/प्रस्तावित हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) इस बारे में जानकारी केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती।

(ख) सभी मंत्रालयों/विभागों से मिली जानकारी के अनुसार, 30.04.1998 तक, अन्य पिछड़े वर्गों के 1,24,003 व्यक्ति भर्ती किए गए। वर्ष, 1998 और वर्ष, 1999 के दौरान अन्य पिछड़े वर्गों के कुल 27,795 व्यक्ति भर्ती किए गए।

(ग) और (घ) आरक्षण की नीति कार्यान्वित करना, प्रत्येक प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग का उत्तदायित्व होता है। संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा आरक्षित पद नहीं भरे जाने के बारे में मिलने वाली शिकायतों की जांच–पड़ताल भी की जाती है।

पूंजीगत उपकरणों की खरीद

4681. डा. जसवंत सिंह यादव : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय आयुध कारखानों ने दसवीं पंचवर्षीय योजना में पूंजीगत उपकरणों की खरीद के लिए कोई निवेश योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ उपकरणों का आयात भी करना पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) इस योजना में 10वीं योजना के दौरान आयुध निर्माणियों के लिए अपेक्षित पूंजीगत उपस्करों की खरीद के वास्ते 1786 करोड़ रुपये का निवेश किए जाने पर विचार किया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) जिन उपस्करों का आयात किए जाने की संभावना है वे इस प्रकार हैं :

(i) विभिन्न प्रकार और क्षमताओं की प्रैसें जैसे फोर्जिंग; नोसिंग; स्ट्रेटनिंग; एक्ट्रयूशन और रेडियल फोर्जिंग;

(ii) विभिन्न प्रकार के सी एन सी मशीनिंग सेंटर्स;

(iii) सी एन सी लेजर प्लाजमा कटिंग मशीनें;

(iv) कोल्ड स्वेजिंग मशीनें;

(v) टी एन टी, पिकराइट और नाइट्रो सैल्यूलोज आदि के लिए रासायनिक संयंत्र;

(vi) लघु शस्त्र गोला–बारूद के लिए 'केस प्लांट'।

[हिन्दी]

कुटीर उद्योग बचाओ आंदोलन का अभ्यावेदन

4682. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुटीर उद्योग बचाओ आन्दोलन दिल्ली की ओर से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी प्रमुख मांगें क्या हैं; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) विभिन्न संगठनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें उन्होंने समस्याओं और अपने क्रियाकलाप के संबंध में सुझावों को उजागर किया है और जहां कहीं आवश्यक हुआ है उचित कार्यवाही की गई है। जो अभ्यावेदन इस मंत्रालय से संबंधित नहीं हैं उन्हें संबंधित मंत्रालय/विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित किया है। "कुटीर उद्योग बचाओ आंदोलन" दिल्ली से लघु उद्योग और कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय को कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

तम्मो-किलिमयो-कालवा सड़क

4683. श्री पी. आर. किन्डिया : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तम्मो–किलिमयो–कालवा सड़क सिंगापुर से म्यांमार और भारत होते हुए जाने वाले इस्तनबुल तर्क प्रस्तावित एशियाई राजमार्ग का महत्वपूर्ण खंड बन जाएगी; और

(ख) यदि हां, तो यह सड़क भारत और म्यांमार के आर्थिक विकास में किस तरह सहायक होगी?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) और (ख) प्रस्तावित ट्रांसएशियन हाईवे नेटवर्क में तम्मो–किलिमयो–कालवा सड़क को शामिल करने के परिणामस्वरूप भारत और म्यांमा के बीच एक मूल्यवान सीमा–पार संपर्क मुहैया करने के अलावा इस क्षेत्र में उसकी वही भूमिका बढ़ेगी जिसे वह इसके आर्थिक विकास संवर्धन में निभा सकता है तथा जिसके फलस्वरूप सीमा–पार व्यापार, पर्यटन और आर्थिक विकास बढ़ेगा।

गरीबी रेखा में गिरावट

4684. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :
श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी :
श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री जी. एस. बसवराज :
श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर्वेक्षण के अनुसार देश में 1993–94 और 1999–2000 के बीच गरीबी के स्तर में केवल 9 प्रतिशत गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और धीमी प्रगति के क्या कारण हैं?

(ग) क्या गरीबी स्तर का आकलन प्रति व्यक्ति मासिक खपत और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है;

(ङ) क्या सरकार का विचार गरीबी स्तर का आकलन करने की विधि को बदलने का है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी स्तर में कमी लाने के लिए सरकार ने कौन–कौन सी अन्य विशेष योजनाएं बनाई हैं?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (एन.एस.एस.ओ.) द्वारा कराए गए उपभोक्ता व्यय संबंधी वृहत प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 50वें दौर से परिकलित गरीबी के अनुमान वर्ष 1993–94 के लिए 35.97 प्रतिशत था। 30 दिन की प्रत्याह्वान अवधि के आधार पर 55वें दौर के नवीनतम वृहद् सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़े 1999–2000 के लिए गरीबी अनुपात 26.1 प्रतिशत दर्शाते हैं। गरीबी अनुपात में तेजी से गिरावट नहीं होने का कारण कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की वृद्धि दर नौवीं योजना के 3.9 प्रतिशत के लक्ष्य की तुलना में 1993–94 से 1999–2000 की अवधि के दौरान 3.1 प्रतिशत होना हो सकता है।

(ग) गरीबी के स्तर का आकलन प्रति–व्यक्ति मासिक उपभोग के रूप में व्यक्त गरीबी रेखा के समनुरूप किया जाता है ना कि प्रति व्यक्ति आय के समनुरूप।

(घ) प्रतिव्यक्ति उपभोग व्यय को जीवन–यापन और गरीबी के स्तर के विश्लेषण के लिए दो कारणों हेतु अधिक उपयुक्त समझा जाता है। प्रथम, व्यय आंकड़े लोगों के वास्तविक जीवन स्तर को अधिक सही रूप में परिलक्षित करते हैं जबकि आय के आंकड़े लोगों के जीवन के संभाव्य स्तर से अधिक संबंधित हैं। दूसरा, व्यय आंकड़े आय आंकड़ों से अधिक विश्वसनीय समझे जाते हैं। आय आंकड़े प्रायः लोगों के जीवन के संभाव्य स्तर को कम आकलित करते हैं क्योंकि आय सामान्य रूप से एक वर्ष की अवधि के लिए मापित की जाती है जो किसी की आय के सही प्रत्याह्वान के लिए एक लम्बी अवधि है उपभोक्ता के लिए टिकाऊ वस्तुओं पर व्यय को छोड़कर, व्यय की संदर्भ अवधि एक माह है। इसके अतिरिक्त, वस्तु के रूप में आय जैसे कि अपने उत्पाद का उपभोग प्रायः उत्पादकों की कीमतों पर मूल्यांकित किया जाता है जिसका परिणाम लोगों के वास्तविक जीवन स्तर को कम आकलित किए जाने के रूप में होता है।

(ङ) और (च) इस समय गरीबी स्तर के अनुमानन की पद्धति में परिवर्तन का कोई प्रस्ताव नहीं है चूंकि, यह गरीबों के अनुपात और संख्या के अनुमान संबंधी विशेषज्ञ दल, जिसमें देश के अग्रणी विशेषज्ञ शामिल हैं, की सिफारिशों पर आधारित है।

(छ) देश में गरीबी के उन्मूलन और उसमें कमी लाने के लिए त्रिपक्षीय कार्रवाई की जा रही है। यह है : (i) आर्थिक विकास की गति को तेज करना, (ii) साक्षरता, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने, समाज के कमजोर वर्गों के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर को उठाने आदि के माध्यम से मानव एवं सामाजिक विकास, तथा (iii) रोजगार एवं आय–सृजन कार्यक्रमों तथा गरीबों के लिए परिसम्पत्ति निर्माण के माध्यम से गरीबी पर सीधा प्रहार।

गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों की आय में वृद्धि, सामान्य

विकास प्रक्रिया और गरीबों के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए सरकार द्वारा समय–समय पर चलाए गए विभिन्न गरीबी विरोधी कार्यक्रमों से गरीबों को हुई प्रत्यक्ष आय सृजन के परिणामस्वरूप हुई। छठी पंचवर्षीय योजना (1980–85) से सरकार गरीबी रेखा से नीचे रह लोगों के जीवन–स्तर को ऊपर उठाने के लिए रोजगार एवं परिसम्पत्ति सृजन स्कीमें कार्यान्वित करती आ रही है। ये स्कीमें मुख्यतः दो प्रकार की हैं : स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार एकीकृत ग्रामीण कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी.) एक प्रमुख स्वरोजगार कार्यक्रम रहा है तथा 1980 से ही यह देश के सभी ब्लाकों में प्रचालित किया जा रहा है। छठी योजना अवधि के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन.आर.ई.पी.) प्रारम्भ में मजदूरी रोजगार कार्यक्रम था। सातवीं योजना में, ग्रामीण श्रम रोजगार गारण्टी कार्यक्रम (आर.एल.ई.जी.पी.) नाम से एक अन्य मजदूरी रोजगार कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। फिर 1989 में, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण श्रम रोजगार गारण्टी कार्यक्रम को मिलाकर जवाहर रोजगार योजना [illegible] वाई.) शुरू की गई और यह एक प्रमुख मजदूरी रोजगार [illegible]म बन गया। इसके अतिरिक्त, मार्च, 1999 तक गरीबों की मदद के लिए कई कार्यक्रम भी प्रचालन में थे। ये कार्यक्रम हैं : मिलियन वैल्स स्कीम (एम.डब्ल्यू.एस.), रोजगार आश्वासन स्कीम (ई.ए.एस.), ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं एवं बच्चों का विकास (डवाकरा), स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण (ट्राइसेम), ग्रामीण दस्तकारों को सुधरे हुए टूलकिट्स की पूर्ति (सिट्रा)।

1 अप्रैल, 1999 से ई.ए.एस. और जे.आर.वाई. को छोड़कर इन कार्यक्रमों की गरीबी उन्मूलन के संबंध में केन्द्रित दृष्टिकोण, वर्ग उधार के लोगों के पूंजीकरण और कार्यक्रमों की बहुलता के साथ जुड़ी समस्याओं पर काबू पाने के प्राथमिक उद्देश्य सहित, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना नामक एक स्व–रोजगार कार्यक्रम में पुनः सरंचना की गई है। 1 अप्रैल, 1999 से ही जवाहर रोजगार योजना (जे.आर.वाई.) की भी, ग्राम स्तर पर टिकाऊ परिसम्पत्तियों और सतत–रोजगार के लिए अवसर बढ़ाने के लिए ग्रामीण गरीबों को समर्थ बनाने के परिसम्पत्तियों सहित, मांग आधारित सामुदायिक ग्राम आधारिक संरचना के प्राथमिक उद्देश्य से जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जे.जी.एस.वाई.) के रूप में पुनः संरचना की गई है। इसका गौण उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार गरीबों के लिए अनुपूरक रोजगार सृजन है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मजदूरी, रोजगार गरीबी रेखा (बी.पी.एल.) से नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवारों को दिया जाता है।

दिनांक 1.12.1997 से, स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.) शहरी क्षेत्रों में मुख्य गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है। एस.जे.एस.आर.वाई., जिसमें पहले के सभी तीन शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नामतः नेहरू रोजगार योजना (एन.आर.वाई.), गरीबों हेतु मूल शहरी सेवाएं (यू.बी.एस.पी.), प्रधान मंत्री का एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (पी.एम.आई.यू.पी.ई.पी.) शामिल हो गए हैं, स्वरोजगार उद्यमों अथवा मजदूरी रोजगार के प्रावधान की स्थापना हेतु बेरोजगारों अथवा अल्परोजगार प्राप्त शहरी तथा नौवीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त लोगों को लाभ–प्रद रोजगार मुहैया कराना चाहती है। एस.जी.एस.आर.वाई., यू.बी.एस.पी. पैटर्न पर उपयुक्त सामुदायिक संरचनाओं पर आश्रित है और इस कार्यक्रम के अंतर्गत इनपुटों की डिलीवरी शहरी स्थानीय निकायों (यू.एल.बी.) और ऐसी सामुदायिक संरचना के माध्यम से होती है।

देह व्यापार में लिप्त लोगों के कल्याण संबंधी उपाय

4685. श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने समाज कल्याण विभाग से देह व्यापार में लिप्त लोगों के कल्याण के लिए उपाय करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो अब तक किए गए उपायों का क्या ब्यौरा है;

(ग) क्या न्यायालय ने राज्य महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग को नोटिस जारी करते हुए उनसे देह व्यापार में लिप्त लोगों के लिए कार्य करने वाली एजेंसियों को सहायता प्रदान करने के लिए भी कहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

खादी उत्पादन में कमी

4686. श्री राम प्रसाद सिंह : क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या खादी के उत्पादन में कमी आई है और बड़ी संख्या में खादी कामगारों को रोजगार से बाहर निकाल दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या के.वी.आई.सी. क्षेत्र के समक्ष आ रही समस्याओं के बारे में कोई ज्ञापन प्राप्त किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किये जाने का प्रस्ताव है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (घ) 1998–99 की तुलना में 1999–2000 के दौरान खादी उत्पादन में कमी आई। इसी प्रकार, खादी क्षेत्र में रोजगार के मामले में भी इस अवधि में आंशिक कमी आई थी। 1998–99 में 13.85 लाख की तुलना में 1999–2000 में 12.35 लाख रोजगारों का सृजन किया गया। खादी के उत्पादन में कमी मुख्यतया बिक्री में कमी के कारण हुई है।

वर्ष 1997–98 से वर्ष 1999–2000 के लिए मात्रा, कीमत दोनों और साथ ही साथ इसके अनुरूप रोजगार के संबंध में खादी और ग्रामोद्योगों का उत्पादन नीचे दिया गया है।

वर्ष	उत्पादन रु. करोड़ में				रोजगार संख्या लाख में		
		खादी	ग्रामोद्योग	कुल	खादी	ग्रामोद्योग	कुल
	मात्रा दस लाख वर्ग मी. में	मूल्य रुपये	रुपये	रुपये			
1997–98	104.20	624.10	3895.21	4519.31	14.01	42.49	56.50
1998–99	98.20	635.89	4476.48	5112.37	13.85	44.44	58.29
1999–00	83.98	551.94	5613.14	6165.35	12.35	46.88	59.23

सरकार को विभिन्न खादी संस्थानों से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें, अन्य बातों के साथ–साथ, छूट नीति तथा वित्तीय सहायता के पैटर्न के संबंध में सुझाव दिए गए हैं।

वित्तीय वर्ष 2000–2001 के लिए खादी छूट नीति 1.6. 2000 को घोषित की गई थी। छूट के भुगतान के दावों के मामले में के वी आई सी को पहल ही पर्याप्त निधि उपलब्ध करा दी गई है। खादी संस्थानों को बैंकों द्वारा वित्तीय सहायता खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा जारी "ब्याज राजसहायता योग्यता प्रमाणपत्र" (आई. एस.ई.सी.) के आधार पर दी जाती है। यह प्रमाण पत्र संस्थानों के कार्य निष्पादन पर आधारित होता है।

गुजरात में स्वास्थ्य संबंधी अवसंरचना

4687. श्री शिवाजी माने
श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेडक्रास द्वारा दी गई चेतावनी के अनुसार गुजरात में स्वास्थ्य संबंधी अवसंरचना को गंभीर नुकसान होने के कारण भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों में विशेषकर शहरी केन्द्रों में जन स्वास्थ्य को अभी भी बहुत अधिक खतरे की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो रेडक्रास द्वारा क्या सुझाव दिए गए और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा गुजरात में स्वास्थ्य क्षेत्र में पर्याप्त अवसंरचना उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ए. राजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) लागू नहीं होता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कैंसर और हृदय रोगी

4688. श्री पी. आर. खूंटे : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन के पूर्वानुमान के अनुसार वर्ष 2015 तक भारत में हृदय रोगियों की संख्या दोगुनी और कैंसर रोगियों की संख्या तीन गुनी हो जाएगी; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस समस्या से निपटने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) जी, हां।

(ख) देश में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में शहरी स्वास्थ्य परिचर्या संस्थाओं और ग्रामीण स्वास्थ्य परिचर्या प्रदानगी प्रणाली में विभिन्न स्तरों पर हृदवाहिका रोगों का उपचार किया जाता है। इसके अतिरिक्त द्वितीयक स्तरीय स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं प्रदान करने वाले कई जिला स्तरीय अस्पताल, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ जैसी प्रमुख सरकारी और स्वायत्त संस्थाएं इस क्षेत्र में विशिष्ट क स्तरीय परिचर्या सुविधाएं प्रदान करती हैं।

देश में जागरूकता, कैंसर की शीघ्र पहचान और उपचार के लिए राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन निम्नलिखित स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं :

1. क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों को अनुदान।
2. सरकारी मेडिकल कालेजों में ऑन्कोलॉजी विंगों के विकास के लिए सहायता।
3. सरकारी संस्थाओं/पंजीकृत चैरिटेबल संगठनों में स्थित कोबाल्ट यूनिटों के लिए सहायता।
4. जिला कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के लिए सहायता।
5. स्वास्थ्य शिक्षा और शीघ्र पहचान कार्यकलापों के लिए गैर सरकारी संगठनों को सहायता।

घटिया स्टेशनरी

4689. श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री ए. पी. जितेन्द्र रेड्डी :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिनांक 16 फरवरी, 2001 के 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में "पुअर स्टेशनरी ऑबलिटरेटिंग रिकार्डस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकारी विभागों में घटिया स्टेशनरी का उपयोग चिंता का विषय है;

(ग) क्या राष्ट्रीय अभिलेखागार के अधिकारियों ने सरकारी विभागों से आई. एस. आई. प्रमाणित कागज और रोशनाई का ही इस्तेमाल करने का ही अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ङ) दिनांक फरवरी 16, 2001 के 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में छपे समाचार के अनुसार भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार मंत्रालयों/विभागों आदि से स्थाई प्रकृति के अभिलेखों (रेकॅर्डस्) के संबंध में मानक गुणवत्ता के कागज और उम्दा रोशनाई का इस्तेमाल करने का अनुरोध करता आ रहा है और उसने भारत–सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से स्थाई प्रकृति के सार्वजनिक अभिलेखों को लम्बे अरसे तक कायम रखा जाना सुनिश्चित करने की दृष्टि से भारतीय मानक संस्थान (आई. एस. आई.), अब भारतीय मानक ब्यूरो (बी. आई. एस.) मार्का कागज और रोशनाई का इस्तेमाल करने का अनुरोध करते हुए दिसम्बर, 1999 में और अक्तूबर, 2000 में दो परिपत्र जारी किए। इससे पहले इस बारे में जुलाई, 1999 में प्रशासनिक सुधार–विभाग में हुई बैठक में भी मंत्रालयों/विभागों को यह पहलू जोर देकर बताया गया था। इस क्रम में भारत–सरकार के कुछ मंत्रालयों/विभागों ने अपने नियंत्रण के अधीन कार्य कर रहे सभी कार्यालयों को इस आशय के निर्देश जारी कर दिए हैं।

लघु उद्योगों में रुग्णता

4690. श्री नवल किशोर राय :
श्री रामजीलाल सुमन :

क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नब्बे के दशक के दौरान लघु उद्योग क्षेत्र में रुग्णता में तेजी से वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान रुग्ण उद्योगों में कितनी वार्षिक वृद्धि हुई;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई नवीन सर्वेक्षण कराया है;

(घ) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण के क्या परिणाम निकले; और

(ङ) इस संबंध में क्या निवारणात्मक उपाय किए गए हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक लघु औद्योगिक क्षेत्र में रुग्णता पर नियमित रूप से आंकड़े संकलित करता है। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार रुग्ण लघु उद्योगों की संख्या तथा नब्बे के दशक के दौरान रुग्णता में वार्षिक वृद्धि/कमी निम्न प्रकार है :

मार्च के अंत में	रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों की कुल संख्या	लघु क्षेत्र में रुग्णता के पिछले वर्ष की तुलना में वार्षिक वृद्धि/कमी का प्रतिशत
1991	221472	1.21
1992	245575	10.88
1993	238176	(–) 3.01
1994	256452	7.67
1995	268815	4.82
1996	262376	(–) 2.40
1997	235032	(–) 10.42
1998	221536	(–) 5.74
1999	306221	38.23
2000	304235	(–) 0.65

(–) पिछले वर्ष की तुलना में रुग्णता में कमी दर्शाता है।

(ग) और (घ) लघु उद्योग क्षेत्र में रुग्णता पर कोई नया सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार लघु उद्योग इकाईयों में रुग्णता के विविध कारण हैं। यह घटिया प्रबंध, परियोजना का विलम्ब से कार्यान्वयन, निधियों का विषयान्तरण, कच्ची सामग्री का उपलब्ध न होना, अनियमित बिजली आपूर्ति, विपणन कठिनाईयां, श्रमिक समस्याएं, करों की उच्च दरें, उदारीकरण एवं विश्वव्यापीकरण के कारण बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा का सामना करने में इकाईयों की असमर्थता, घटिया एवं अप्रचलित प्रौद्योगिकी, सरकारी नीतियों में परिवर्तन आदि हैं।

(ङ) सरकार को लघु उद्योग इकाईयों के बीच औद्योगिक रुग्णता की समस्या की पूरी जानकारी है और सरकार ने सम्भाव्य जीवनक्षम रुग्ण उद्योगों की समय पर पहचान करने और उनके पुनर्वास के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ राज्य स्तरीय अंतःसंस्थानिक समितियों के रूप में संस्थानिक तंत्र, बैंकों और राज्य वित्तीय संस्थानों में विशेष पुनर्वास कक्ष तथा पात्र इकाईयों को पुनर्वास सहायता देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए विस्तृत माग–निर्देश शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, लघु क्षेत्र को सुदृढ़ करने और घरेलू एवं विश्वव्यापी तौर पर इसकी प्रतियोगितात्मकता में वृद्धि करने के लिए सरकार ने एक विस्तृत नीति पैकेज की घोषणा की है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ बढ़ा हुआ राजकोषीय एवं क्रेडिट समर्थन, बेहतर आधारभूत संरचना और विपणन सुविधाएं तथा प्रौद्योगिकी उन्नयनीकरण के लिए प्रोत्साहन देना शामिल है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग की सिफारिशें

4691. श्री रामजीलाल सुमन :
डा. वी. सरोजा :
डा. सुशील कुमार इन्दौरा :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान की गई सिफारिशें कार्यान्वित करने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना को कब तक कार्यान्वित कर दिए जाने की संभावना है;

(ग) सरकार द्वारा स्वीकार नहीं की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (घ) पिछले तीन वर्षों में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग ने वर्ष 1998–99 के लिए अपनी 5वीं रिपोर्ट तथा उत्तर प्रदेश राज्य में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन और मार्च, 2001 में मध्य प्रदेश राज्य में इस अधिनियम

के प्रावधान के अंतर्गत स्थापित विशेष न्यायालयों के कार्यकरण पर विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

5वीं रिपोर्ट में 106 सिफारिशें हैं जो विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा राज्यों से संबंधित हैं। इन रिपोर्टों को संबंधित मंत्रालय/विभाग/राज्य को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। इसे यथा सम्भव शीघ्र कार्यान्वयन के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों तथा राज्यों के साथ उठाया जा रहा है।

[अनुवाद]

पुलिस सत्यापन समाप्त करना

4692. श्री सुरेश रामराव जाधव :
श्री थावरचन्द गेहलोत :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ऐसे मामलों में जहां सत्यापन प्रमाणपत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया है; पासपोर्ट जारी करने के लिए पुलिस द्वारा सत्यापन की प्रणाली को समाप्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

आतंकवादी हमलों में मारे गये सैनिकों के परिवारों को मुआवजा देना

4693. श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक जम्मू और कश्मीर और पूर्वोत्तर क्षेत्र में आतंकवादियों के हमले में कुल कितने सैनिक मारे गए;

(ख) क्या मारे गए सैनिकों के परिवारों को सभी मामलों में राहत, मुआवजा आदि मिल गया है;

(ग) यदि नहीं तो मारे गये और घायल हुए सैनिकों के परिवारों की ओर से उक्त अवधि के दौरान पुनर्वास संबंधी कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं; और

(घ) इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह) (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है।

पूर्व मंत्री पर विमान यात्रा प्रभार

4694. श्री राम मोहन गाड्डे : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने 24 मार्च, 1995 को नई दिल्ली से तिरुअनन्तपुरम जाने हेतु तत्कालीन केंन्द्रीय मंत्री द्वारा रक्षा मंत्रालय के किराए पर लिए गए विमान के 14.45 लाख रुपये के किराया प्रभार को चुकाने से संबंधित अपने निर्णय की समीक्षा की है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस राशि की वसूली किस प्रकार किए जाने का विचार है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने अन्य लोगों से भी इस प्रकार की बकाया राशि वसूलनी है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार भविष्य में रक्षा मंत्रालय के विमानों को किराए पर देने से पहले ही उसका किराया अग्रिम रूप से वसूलने का है?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (ग) जी, नहीं। केरल सरकार से 14.69 करोड़ रुपये की बकाया धनराशि को अप्रैल, 2001 के अंत तक चुकाने का अनुरोध किया गया है। यदि वे इस संबंध में सकारात्मक कार्रवाई करने में असफल रहते हैं तो मंत्रालय, कानूनी सलाह के अनुसार समुचित कार्रवाई करने के लिए बाध्य हो जाएगा।

(घ) और (ङ) जी, नहीं।

आई. एस. ओ. 9000 प्रमाण पत्र

4695. श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उस प्रत्येक लघु इकाई, जो अगले पांच वर्षों के लिए आई.एस.ओ. 9000 प्रमाणन प्राप्त करती है, को 75000 रुपये अनुदान राशि के रूप में देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो उन यूनिटों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने आज तक आई.एस.ओ.–9000 प्रमाणन और अनुदानों का लाभ उठाया है;

(ग) क्या सरकार ने प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए लघु उद्यागों को अनुसंधान और विकास संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोई योजना बनाई है?

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) आई.एस.ओ.–9000 प्रमाणन प्राप्त करने वाली प्रत्येक लघु उद्योग इकाई के संबंध में 75000/–रुपये तक की प्रतिपूर्ति प्रदान करने संबंधी मौजूदा स्कीम को 31 मार्च, 2007 तक बढ़ा दिया गया है।

(ख) स्कीम के अंतर्गत 31 मार्च, 2001 तक 1384 लघु उद्योगों को 8.45 करोड़ रुपये की राशि की प्रतिपूर्ति स्वीकृत की गई है।

(ग) से (ङ) लघु उद्योगों को टेक्नो मैनेजिरयल कन्सल्टेंसी, प्रशिक्षण, परीक्षण और आई.एस.ओ.–9000 प्रमाणन की अधिप्राप्ति हेतु केलिब्रेशन जैसी सुविधाओं की आवश्यकता है। देश में इस समय अनेक सरकारी और गैर–सरकारी संगठन ऐसी सुविधाएं प्रदान करते हैं।

[हिन्दी]

गरीबी रेखा के निर्धारण संबंधी मानदण्ड

4696. श्री मनसुखभाई डी. वसावा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गरीबी रेखा को निर्धारित करने वाले मानदण्डों में हाल ही में संशोधन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो भोजन में कैलोरी, वस्त्र, आवास और स्वच्छता सुविधाओं की उपलब्धता और जीवन स्तर हेतु निर्धारित मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संशोधित मानदंडों के तहत निर्धारित एक मात्र मानदंड दिन में दो बार भोजन उपलब्ध कराना है;

(घ) यदि हां, तो अन्य मानदंडों को नजरंदाज करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में राज्यवार अनुमानतः कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे हैं; और उनकी प्रतिशतता क्या है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) और (ख) जी, नहीं गरीबी रेखा से अर्थ है, खाद्य पदार्थों के उपभोग के मिलने वाली कैलोरी की न्यूनतम मात्रा प्राप्त करने के लिए और साथ ही वस्त्र, आश्रय, परिवहन आदि की जरूरतों को पूरा करने के लिए गैर–खाद्य पदार्थों पर किया जाने वाला न्यूनतम प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय। इन गरीबी रेखाओं की मूलरूप से सिफारिश न्यूनतम आवश्यकताओं तथा प्रभावी उपभोग मांग से संबंधित कृतिक बल ने 1979 में की। इसके बाद 1993 में गरीबों के अनुपात एवं संख्या के अनुमान से संबंधित विशेषज्ञ दल ने राज्य विशिष्ट मूल्य सूचकांकों तथा अंतर्राज्यीय मूल्य विभेदक का प्रयोग करते हुए इन राष्ट्रीय गरीबी रेखाओं को राज्य विशिष्ट रेखाओं में विभाजित करने की सिफारिश की।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) योजना आयोग राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले लोगों के प्रतिशत का अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एन. एस. एस. ओ.) द्वारा कराए गए उपभोक्ता व्यय संबंधी वृहत् प्रतिदर्श सर्वेक्षणों से लगाता है। इस प्रकार का पिछला सर्वेक्षण जुलाई, 1999 से जून, 2000 तक की अवधि को कवर करते हुए एन. एस. एस. के 55वें दौर में आयोजित करवाया गया था। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा भारत में पारिवारिक उपभोक्ता व्यय के वृहत् प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 55वें दौर के मुख्य परिणामों में 30 दिन प्रत्याह्वान अवधि के आधार पर 1999–2000 में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या व प्रतिशत के राज्यवार अनुमान संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

के प्रावधान के अंतर्गत स्थापित विशेष न्यायालयों के कार्यकरण पर विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

5वीं रिपोर्ट में 106 सिफारिशें हैं जो विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा राज्यों से संबंधित हैं। इन रिपोर्टों को संबंधित मंत्रालय/विभाग/राज्य को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। इसे यथा सम्भव शीघ्र कार्यान्वयन के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों तथा राज्यों के साथ उठाया जा रहा है।

[अनुवाद]

पुलिस सत्यापन समाप्त करना

4692. श्री सुरेश रामराव जाधव :
श्री थावरचन्द गेहलोत :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ऐसे मामलों में जहां सत्यापन प्रमाणपत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया है; पासपोर्ट जारी करने के लिए पुलिस द्वारा सत्यापन की प्रणाली को समाप्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

आतंकवादी हमलों में मारे गये सैनिकों के परिवारों को मुआवजा देना

4693. श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक जम्मू और कश्मीर और पूर्वोत्तर क्षेत्र में आतंकवादियों के हमले में कुल कितने सैनिक मारे गए;

(ख) क्या मारे गए सैनिकों के परिवारों को सभी मामलों में राहत, मुआवजा आदि मिल गया है;

(ग) यदि नहीं तो मारे गये और घायल हुए सैनिकों के परिवारों की ओर से उक्त अवधि के दौरान पुनर्वास संबंधी कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं; और

(घ) इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है।

पूर्व मंत्री पर विमान यात्रा प्रभार

4694. श्री राम मोहन गाड्डे : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने 24 मार्च, 1995 को नई दिल्ली से तिरुअनन्तपुरम जाने हेतु तत्कालीन केंन्द्रीय मंत्री द्वारा रक्षा मंत्रालय के किराए पर लिए गए विमान के 14.45 लाख रुपये के किराया प्रभार को चुकाने से संबंधित अपने निर्णय की समीक्षा की है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस राशि की वसूली किस प्रकार किए जाने का विचार है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने अन्य लोगों से भी इस प्रकार की बकाया राशि वसूलनी है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार भविष्य में रक्षा मंत्रालय के विमानों को किराए पर देने से पहले ही उसका किराया अग्रिम रूप से वसूलने का है?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (ग) जी, नहीं। केरल सरकार से 14.69 करोड़ रुपये की बकाया धनराशि को अप्रैल, 2001 के अंत तक चुकाने का अनुरोध किया गया है। यदि वे इस संबंध में सकारात्मक कार्रवाई करने में असफल रहते हैं तो मंत्रालय, कानूनी सलाह के अनुसार समुचित कार्रवाई करने के लिए बाध्य हो जाएगा।

(घ) और (ङ) जी, नहीं।

आई. एस. ओ. 9000 प्रमाण पत्र

4695. श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील : क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उस प्रत्येक लघु इकाई, जो अगले पांच वर्षों के लिए आई.एस.ओ. 9000 प्रमाणन प्राप्त करती है, को 75000 रुपये अनुदान राशि के रूप में देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो उन यूनिटों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने आज तक आई.एस.ओ.–9000 प्रमाणन और अनुदानों का लाभ उठाया है;

(ग) क्या सरकार ने प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए लघु उद्यागों को अनुसंधान और विकास संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोई योजना बनाई है?

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) आई.एस.ओ.–9000 प्रमाणन प्राप्त करने वाली प्रत्येक लघु उद्योग इकाई के संबंध में 75000/–रुपये तक की प्रतिपूर्ति प्रदान करने संबंधी मौजूदा स्कीम को 31 मार्च, 2007 तक बढ़ा दिया गया है।

(ख) स्कीम के अंतर्गत 31 मार्च, 2001 तक 1384 लघु उद्योगों को 8.45 करोड़ रुपये की राशि की प्रतिपूर्ति स्वीकृत की गई है।

(ग) से (ङ) लघु उद्योगों को टेक्नो मैनेजिरयल कन्सल्टेंसी, प्रशिक्षण, परीक्षण और आई.एस.ओ.–9000 प्रमाणन की अधिप्राप्ति हेतु केलिब्रेशन जैसी सुविधाओं की आवश्यकता है। देश में इस समय अनेक सरकारी और गैर–सरकारी संगठन ऐसी सुविधाएं प्रदान करते हैं।

[हिन्दी]

गरीबी रेखा के निर्धारण संबंधी मानदण्ड

4696. श्री मनसुखभाई डी. वसावा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गरीबी रेखा को निर्धारित करने वाले मानदण्डों में हाल ही में संशोधन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो भोजन में कैलोरी, वस्त्र, आवास और स्वच्छता सुविधाओं की उपलब्धता और जीवन स्तर हेतु निर्धारित मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संशोधित मानदंडों के तहत निर्धारित एक मात्र मानदंड दिन में दो बार भोजन उपलब्ध कराना है;

(घ) यदि हां, तो अन्य मानदंडों को नजरंदाज करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में राज्यवार अनुमानतः कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे हैं; और उनकी प्रतिशतता क्या है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) और (ख) जी, नहीं गरीबी रेखा से अर्थ है, खाद्य पदार्थों के उपभोग के मिलने वाली कैलोरी की न्यूनतम मात्रा प्राप्त करने के लिए और साथ ही वस्त्र, आश्रय, परिवहन आदि की जरूरतों को पूरा करने के लिए गैर–खाद्य पदार्थों पर किया जाने वाला न्यूनतम प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय। इन गरीबी रेखाओं की मूलरूप से सिफारिश न्यूनतम आवश्यकताओं तथा प्रभावी उपभोग मांग से संबंधित कृतिक बल ने 1979 में की। इसके बाद 1993 में गरीबों के अनुपात एवं संख्या के अनुमान से संबंधित विशेषज्ञ दल ने राज्य विशिष्ट मूल्य सूचकांकों तथा अंतर्राज्यीय मूल्य विभेदक का प्रयोग करते हुए इन राष्ट्रीय गरीबी रेखाओं को राज्य विशिष्ट रेखाओं में विभाजित करने की सिफारिश की।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) योजना आयोग राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले लोगों के प्रतिशत का अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एन. एस. एस. ओ.) द्वारा कराए गए उपभोक्ता व्यय संबंधी वृहत् प्रतिदर्श सर्वेक्षणों से लगाता है। इस प्रकार का पिछला सर्वेक्षण जुलाई, 1999 से जून, 2000 तक की अवधि को कवर करते हुए एन. एस. एस. के 55वें दौर में आयोजित करवाया गया था। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा भारत में पारिवारिक उपभोक्ता व्यय के वृहत् प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 55वें दौर के मुख्य परिणामों में 30 दिन प्रत्याह्वान अवधि के आधार पर 1999–2000 में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या व प्रतिशत के राज्यवार अनुमान संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) जी, हां। तमिलनाडु में कुडानकुलम नामक स्थान पर 2x1000 मेगावाट क्षमता के यूनिटों की स्थापना के लिए भारत तथा रूसी परिसंघ के बीच हुए अन्तर्सरकारी सहकार करार (आई जी ए) की शर्तों के अनुसार, एक ब्यौरेवार परियोजना रिपोर्ट (डी पी आर) तैयार की जा रही है और यह काम पूरा होने वाला है। ब्यौरेवार परियोजना रिपोर्ट को और तकनीकी–वाणिज्यिक पेशकश को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिए जाने के बाद, निवेश के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।

(ग) से (ङ) हालांकि, हमारे परमाणु विद्युत कार्यक्रम के अन्तर्गत हल्का पानी किस्म के रिएक्टर (एल डब्ल्यू आर) यूनिटों की परिकल्पना हमारे देशीय कार्यक्रम में परिवर्धन स्वरूप की गई है, तथापि, वर्तमान में कोई अन्य निश्चित प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों का विकास

4698. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोनाराम चौधरी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या पिछले तीन वर्षो के दौरान केन्द्र सरकार ने राजस्थान के पिछड़े रेगिस्तानी/आदिवासी क्षेत्रों के विकास की किसी योजना को स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान वर्षवार कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(घ) आज तक राजस्थान सरकार द्वारा केन्द्र सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु भेजी गई अन्य योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है और इन योजनाओं को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कार्यान्वयनाधीन तीन स्कीमों हेतु जारी निधियों का उल्लेख नीचे दिया गया है :

(रुपये लाख में)

स्कीम का नाम	1998–99	1999–2000	2000–2001
एकीकृत बंजर भूमि विकास परियोजना	107.76	489.19	589.20
सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम	173.00	386.00	971.00
रेगिस्तान विकास कार्यक्रम	5064.00	3901.00	7854.00

(घ) और (ङ) राजस्थान के बारन जिले की एक एकीकृत बंजर भूमि विकास योजना लंबित है जिस पर चालू वर्ष के दौरान विचार किया जाएगा। वर्ष 2000–01 के दौरान गौसेवा आयोग के लिए 1 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता स्वीकृत की गई थी।

भारत-म्यांमार संबंध

4699. श्री राजीव प्रताप रूडी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या म्यांमार की उनकी हाल की यात्रा से म्यांमार के प्रति भारत के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) और (ख) भारत और म्यांमार के बीच उच्च स्तरीय यात्राओं का आदान–प्रदान मित्र पड़ोसी देशों के नेताओं के बीच व्यक्तिगत संपर्क की परंपरा के अनुरुप है।

विदेश वाणिज्यिक सेवा कार्यालयों की स्थापना

4700. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न देशों में वाणिज्यिक सेवा कार्यालय स्थापित किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान–वार ब्यौरा क्या है और उनमें से प्रत्येक कार्यालय द्वारा क्या सेवाएं प्रदान की जा रही हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) जी, हां।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

सफदरजंग अस्पताल का विकास और उन्नयन

4701. डा. अशोक पटेल : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सफदरजंग अस्पताल द्वारा बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने और इस उद्देश्य हेतु उसे पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उसे स्वायत्त संगठन का दर्जा देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

सशस्त्र बलों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना शुरू करना

4702. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना शुरू करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या सशस्त्र बलों की कुछ श्रेणियों के लिए ऐसी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना पहले से चल रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस योजना के तहत 2001–2002 में कितने अधिकारियों के सेवानिवृत्त हो जाने की संभावना है;

(ङ) क्या प्रत्येक सशस्त्र बल में इस संबंध में स्वैच्छिक योजना के अन्तर्गत पहले से ही किए गए आवेदन लंबित पड़े हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो सशस्त्र बलों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को प्रचारित करने हेतु सरकार कौन–सा तरीका अपनाएगी?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (छ) प्रश्न नहीं उठते।

चिकित्सीय पादप बोर्ड

4703. श्री टी. टी. वी. दिनाकरन : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चिकित्सीय पादप बोर्ड की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो बोर्ड की संरचना, शक्तियां और कार्य क्या होंगे;

(ग) क्या सिद्ध, आयुर्वेद और अन्य पद्धतियों द्वारा प्रयुक्त 29 चिकित्सीय पादप संकटाग्रस्त श्रेणी में हैं;

(घ) यदि हां, तो वे कौन–कौन से हैं; और

(ङ) इन पादपों के संरक्षण और अनुसंरक्षण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना की गई है जिसमें विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, संगठनों, राज्य सरकारों, विभिन्न संबंधित क्षेत्रों तथा संगठनों इत्यादि के विशेषज्ञ सदस्य हैं। औषधीय पादप बोर्ड औषधीय पादपों के संरक्षण, खेती, विपणन तथा निर्यात इत्यादि से संबंधित कार्यकलापों का समन्वय करेगा।

(ग) और (घ) 29 औषधीय पादपों की पहचान लुप्तप्राय/संकटाग्रस्त पादपों के रूप में की गई है। ऐसे पादपों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ङ) वन से प्राप्त किए गए इन पादपों, पादप के भागों, इन पादपों से तैयार किए गए व्युत्पन्न पदार्थों तथा सत्वों का निर्यात किए जाने की अनुमति नहीं दी गई है। इसके अतिरिक्त, किसी वन्य भूमि या विशिष्ट क्षेत्र से वन्यजीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची IV के अन्तर्गत कवर किए गए पादपों की कुछ किस्मों के संग्रहण पर कानून द्वारा प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। ऐसी पादप किस्मों के फैलाव तथा खेती को बढ़ावा देने के लिए उन्हें विभिन्न योजनाओं जैसे कि इन सीटू/एक्स–सीटू संरक्षण, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों, जीन–बैंकों की स्थापना, कृषि–तकनीकों में शामिल कर, कदम उठाए जा रहे हैं।

विवरण

निर्यात के लिए प्रतिबद्ध लुप्तप्राय/संकटापन्न के रूप में पहचान किए गए पादपों की सूची

1. बेड्डोमेस साइकेड (साइकस बेड्डोमेई)
2. ब्लू वंडा (वंडा क्यूरूलिया)
3. साससुरिया कोस्टस
4. लेडिज स्लिपर आर्किड (पेफियोपेडिलियम स्पीशिज)
5. पिचर प्लांट (नेपेन्थम खासियाना)
6. रेड वंडा (रेनान्थेरा इमस्कुटियाना)
7. राउवोल्फिया सर्पेनटाइना (सर्पगंधा)
8. सिरोपेजिया स्पीशिज
9. फ्रेरिया इंडिका (शिंडल मनकुंडी)
10. पोडोफाइलम हेक्सानडर्म (इमोडि) (इंडियन पोडोफाइलम)
11. सायथिसिया स्पीशिज (ट्री फर्न)
12. साइकाडेसिया स्पीशिज (साइकैड)
13. डायस्को डेल्टोइडिया (एलिफेंटफुट)
14. यूफोर्बिया स्पीशिज (यूफोर्बियाज)
15. आर्किडीसिया स्पीशिज (आर्किड)
16. टिरोकोअरपस सैंटलिनस (रैड सैन्डर्स)
17. टैक्सस वल्लिचियाना (कामन यू या बिर्नी लिव्स)
18. एक्वीलैरिया मलासेनसिस (अगरवुड)
19. एकोनिटम स्पीशिज
20. कोपटिस टीटा
21. कोसिनियम फेनेस्ट्रम (केलुम्ब वुड)
22. डैक्टीलारहिजा हेटागिरिया
23. जेनटियाना कुर्रू (कुरू, कुतकी)
24. नेटम स्पीशिज
25. कमफैरिया गेलंग
26. नाडोस्टाचिस ग्रैन्डीफ्लोरा
27. पेनाक्स स्यूडोजिनसेंग
28. पिक्रोर्हिजा कुर्रूआ
29. स्वर्टिया चिरात (चरायता)

फेफड़े का कैंसर

4704. श्री विजय गोयल : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में फेफड़े के कैंसर से ग्रस्त रोगियों की संख्या में तीव्र वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस वृद्धि के मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस रोग को फैलने से रोकने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकार निम्नलिखित स्कीमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है :

(i) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों का उन्नयन।

(ii) पहचान किए गए मेडिकल कालेजों/अस्पतालों में आंकोलाजी स्कंधों का विकास।

(iii) सरकारी/धर्मार्थ संस्थाओं में कोबाल्ट थिरेपी सुविधाओं की स्थापना।

(iv) कैंसर के निवारण तथा शीघ्र पहचान के लिए जिला कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम, संबद्ध जिला के मौजूदा चिकित्सा तथा परा–चिकित्सा स्टाफ का प्रशिक्षण तथा अन्त्य (टर्मिनल) बीमार रोगियों के लिए प्रशामक उपचार।

(v) शीघ्र पहचान तथा जागरूकता कार्यकलापों के लिए गैर–सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता।

फिजियोथेरपी की सुविधाएं

4705. श्री सईदुज्जमा : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि और अन्य स्वास्थ्य संबंधी अशक्तता के कारण ऐसे अशक्त रोगियों की संख्या बढ़ रही है जिनका उपचार किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में तत्संबंधी अनुमानित संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि सरकारी और गैर–सरकारी अस्पतालों में और इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकली हैंडीकैप्ड, नई दिल्ली में फिजोयोथेरपी की सुविधाओं में कमी के कारण समाज के कमजोर वर्गों के रोगियों का इलाज नहीं हो पाता है; और

(घ) यदि हां, तो सभी संस्थाओं में फिजियोथेरपी केन्द्र स्थापित करने और कम आय और बेरोजगार लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) सरकार के नोटिस में अब तक ऐसे कोई तथ्य/अध्ययन या आकलन नहीं लाए गए हैं।

(ग) और (घ) विकलांगता क्षेत्र में इस मंत्रालय के तत्वावधान के अन्तर्गत छह राष्ट्रीय संस्थान/शीर्ष स्तरीय संस्थाओं में से तीन राष्ट्रीय संस्थान अर्थात राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, कटक, राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान, कलकत्ता और विकलांग जन संस्थान, नई दिल्ली मुख्यतः शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के कल्याण में लगी हुई हैं। ये संस्थान अन्य बातों के साथ–साथ पुनर्वास के लिए सुविधाएं प्रदान करते हैं जिनमें विकलांग व्यक्तियों, विशेषकर समाज के कमजोर वर्ग के संबद्ध रोगियों की फिजियोथेरपी शामिल है। सरकार भारतीय मेरूदंड क्षति केन्द्र, नई दिल्ली को निर्धनों और दीनहीन व्यक्तियों को प्रदान किए जाने वाले निःशुल्क बिस्तरों पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति भी करती है।

इसके अलावा सरकार ने विकलांग व्यक्तियों को पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण पहल की है। फिजियोथेरेपी सहित प्राथमिक संयुक्त पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए सौ से अधिक जिलों की पहचान की गई है। विकलांग व्यक्तियों को व्यापक पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य/जिला/ब्लाक और ग्राम पंचायत स्तर पर अवसंरचना के निर्माण के उद्देश्य से राज्य क्षेत्र में कार्यान्वयन हेतु विकलांग व्यक्तियों को पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम नाम की एक चार स्तरीय योजना का अनुमोदन किया गया है। विभिन्न तरह की विकलांगताओं के लिए सेवाएं प्रदान करने और प्रशिक्षण और जनशक्ति विकास हेतु अवसंरचना के निर्माण के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में विकलांग व्यक्तियों के लिए संयुक्त क्षेत्रीय केन्द्रों (सी आर सी) के गठन हेतु एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना को अनुमोदित किया गया है। मेरूदंड और अन्य अस्थि विकलांगताओं वाले व्यक्तियों के लिए चार क्षेत्रीय पुनर्वास केन्द्रों (आर आर सी) के गठन के लिए एक केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना भी अनुमोदित की गई है।

रक्षा मंत्रालय द्वारा फोर्कलिफ्टों की खरीद

4706. श्री रघुनाथ झा : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महालेखा नियंत्रक परीक्षक ने 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष के अपने प्रतिवेदन में मार्च, 1988 में 60.10 लाख रुपये की लागत से बगैर सोचे–समझे खरीदे गए सभी दस फोर्कलिफ्टों का उपयोग न करने और अन्य फोर्कलिफ्टों को भाड़े पर लेने में हुए 97.29 लाख रुपये के खर्च पर प्रतिकूल टिप्पणी की है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य को आर्थिक क्षति पहुंचाने वाली फोर्कलिफ्टों को भाड़े पर लेने की जांच–पड़ताल की गई थी;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम हुए और इस मामले में क्या कार्रवाई की गई;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इसमें शामिल व्यक्तियों की पहचान करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (ङ) एक विवरण–पत्र सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

4707. श्री सुबोध मोहिते : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के कुशल कार्यकरण में बाधा डालने वाले ढांचागत तथा जनशक्ति के बीच विद्यमान बड़े अंतराल की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) यद्यपि एक व्यापक स्वास्थ्य आधारभूत ढांचे का सृजन किया गया है तथापि प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली के भीतर स्वास्थ्य आधारभूत ढांचे और जनशक्ति के बीच कुछ अन्तराल है और यह इष्टतम स्तर से कम कार्य कर रहा है। ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या संस्थाओं के इष्टतम स्तर से कम कार्य करने के जिम्मेवार कुछ कारण इस प्रकार हैं :

- संस्थाओं का मल्टीपलटीयर जो समय-समय पर सृजित किया गया है, को एक निश्चित जनसंख्या की स्वास्थ्य परिचर्या की देखभाल करने के लिए संगठित नहीं किया जा रहा है।
- अनुपयुक्त अवस्थिति, कम पहुंच और कम रखरखाव।
- महत्वपूर्ण जनशक्ति में अन्तराल।
- अनिवार्य औषधों/नैदानिक साधनों की कमी।
- कम रैफरल लिंकेजिज।

(ग) प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या संस्थाओं के कार्यकरण में सुधार के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं

- उपकेन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण/उचित स्थान निर्धारण।
- ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पतालों/औषधालयों का विलय, पुनर्संरचना, पुनः निर्धारण और मौजूदा आधारभूत ढांचे के साथ एकीकृत करना।
- कुछ राज्यों में मौजूदा ब्लाक स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तालुका, उप-प्रभागीय अस्पतालों की पुनर्संरचना।
- जनशक्ति और सुविधाओं में महत्वपूर्ण अन्तरालों को भरने के लिए बी एम एस और ई ए पी के लिए बी एम एस ए सी ए निधियों का उपयोग करना।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अन्तरालों को भरने के लिए और सहायक नर्स धात्रियों/लेडी डाक्टरों/विशेषज्ञों की संविदा पर नियुक्ति/सेवाएं किराए पर लेने के लिए अपेक्षित अर्हताओं वाले चिकित्सकों की नियुक्ति के लिए जिला स्तरीय वाक-इन इन्टरव्यू।
- मोबाइल हैल्थ क्लीनिकों का उपयोग।

*इस समय प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के वित्त पोषण से जनशक्ति, उपस्कर, उपभोज्य और औषधों में महत्वपूर्ण अन्तरालों को कवर करते हुए स्वास्थ्य आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण में केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रमों में सुधार कार्य हो रहा है। औषधों और अनावश्यक उपभोज्यों के प्रापण और सहायक नर्स धात्रियों की यात्रा लागत, आवश्यक उपस्करों की मरम्मत, फर्नीचर की मरम्मत/बदलना और उप-केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में आधारभूत ढांचे की मरम्मत और रखरखाव के कार्य को सुदृढ़ करने के लिए होने वाले आकस्मिक व्ययों के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के अधीन प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत निधियों को परिनियोजित किया जा सकता है।

*प्रजनन और बाल स्वास्थ्य परिचर्या कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को छोटी मरम्मत और भवनों विशेषतः आपरेशन थिएटरों, प्रसव कक्षों के रखरखाव और पानी और बिजली की आपूर्ति में सुधार के लिए राज्यों को प्रति जिला 10 लाख रुपये जारी किए गए हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और जिला अस्पतालों में आपरेशन थिएटर, प्रसव कक्षों के निर्माण/मरम्मत अथवा पानी/बिजली की आपूर्ति के लिए सुविधाओं में सुधार के माध्यम से आवश्यक प्रसूति सेवाओं के लिए सुविधाओं को सुधारने के लिए मुख्य सिविल कार्यों हेतु सभी राज्यों को प्रति सामुदायिक केन्द्र/जिला अस्पताल के लिए 10 लाख रुपये भी जारी किए गए हैं।

हैपेटाइटिस 'बी' हेतु प्रायोगिक परियोजना

4706. श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री चन्द्र नाथ सिंह :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्री दिलीप कुमार मनसुख लाल गांधी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग पांच करोड़ व्यक्ति हैपेटाइटिस 'बी' से प्रभावित हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई प्रायोगिक परियोजना शुरू की है;

(घ) क्या सरकार का विचार प्रत्येक राज्य के सरकारी अस्पतालों और औषधालयों में निःशुल्क हैपेटाइटिस 'बी' का टीका और औषधियां उपलब्ध कराने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस पर अनुमानित कितना व्यय किया जाएगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (च) यद्यपि सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा यह अनुमान लगाया जाता है कि हैपेटाइटिस 'बी' वाइरस करीब 4 प्रतिशत जनसंख्या को चिरकारी रूप से संक्रमित करता है जो कि चार करोड़ लोगों के करीब होगी।

देश के चुनिंदा शहरों एवं जिलों में शिशुओं में खुराक के प्रभाव का अध्ययन करने हेतु हैपेटाइटिस–बी वैक्सीन का प्रयोग शुरू करने के लिए एक प्रायोगिक परियोजना सरकार के सक्रिय विचाराधीन है किन्तु इस संबंध में अन्तिम निर्णय लिए जाने के लिए कोई भी नियत समय सीमा नहीं बताई जा सकती है।

यद्यपि राज्यों के सरकारी अस्पतालों तथा औषधालयों में रोगियों के लिए निःशुल्क हैपेटाइटिस–बी टीकाकरण की आपूर्ति करने का कोई प्रावधान नहीं है, सरकार ने हैपेटाइटिस–बी के फैलाव को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

- उच्च जोखिम वाले केन्द्रीय सरकारी अस्पताल के कार्मिकों को हैपेटाइटिस–बी के लिए प्रतिरक्षित किया जा रहा है। राज्य सरकारों को भी ऐसे ही कदम उठाने हेतु सलाह दी गई है।
- सभी रक्त बैंकों में अनिवार्य रक्त जांच के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
- राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत सुरक्षित यौन संबंध को बढ़ावा देना।
- राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत गैर–विसंक्रमित सिरिंजों तथा नीडलों के प्रयोग के खतरे से संबंधित स्वास्थ्य जागरूकता अभियान तथा
- प्रत्येक इंजेक्शन के लिए अलग विसंक्रमित सिरिंजों तथा नीडलों के प्रयोग हेतु राज्य प्राधिकारियों को दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

सी.जी.एच.एस. के औषधालय

4709. डा. विजय कुमार मल्होत्रा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कौन–कौन से क्षेत्र सी.जी.एच.एस. औषधालयों से लाभान्वित नहीं हैं;

(ख) क्या सरकार को संसद सदस्यों के जरिए केन्द्र सरकार कल्याण संगठनों से उक्त क्षेत्रों में बड़ी संख्या में रह रहे सरकारी कर्मचारियों को सी.जी.एच.एस. सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कोई मांग प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा रखी गई सूचना से दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों द्वारा कवर किए गए क्षेत्रों का ही पता चलता है किन्तु उन क्षेत्रों के नामों का पता नहीं चलता जो दिल्ली के केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों द्वारा कवर नहीं हैं।

(ख) सरकार को केन्द्रीय सरकार कल्याण संघों तथा संसद सदस्यों से दिल्ली/नई दिल्ली के विभिन्न स्थानों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों को खोलने हेतु मांगें प्राप्त हुई हैं तथा ऐसे स्थानों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) यद्यपि नौवीं पंचवर्षीय योजना के शेष भाग में दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत और अधिक औषधालयों को खोलने के प्रस्ताव हैं, किन्तु नवम्बर, 1999 की एस आई यू रिपोर्ट के लम्बित कार्यान्वयन तथा संसाधनों एवं कार्मिकों की तंगी के कारण भी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लिए इस समय दिल्ली में नए औषधालय खोलना संभव नहीं होगा।

विवरण

उन स्थानों के नाम जहां एलोपैथिक औषधालयों को खोलने के लिए मांगें प्राप्त की गई हैं

1. हिंडन एयरफील्ड, गाजियाबाद
2. योजना विहार
3. प्रशान्त विहार
4. शास्त्री नगर, पश्चिम दिल्ली
5. सी.पी.डब्ल्यू.डी. काम्प्लेक्स, तिलक मार्ग

6. उत्तम नगर

7. शांति विहार/किरन विहार

8. तिलक लेन

9. चित्रा विहार, ट्रांस–यमुना लोकलिटी

10. आई.ए.आर.आई. काम्प्लेक्स

11. दूरदर्शन भवन, मंडी हाउस

12. लारेंस रोड

13. आनन्द विहार

14. डी आई जैड एरिया, गोल मार्किट

15. मंदाकिनी काम्प्लेक्स

16. चितरंजन पार्क

17. विजय विहार, रीठाला

18. कीर्ति नगर

19. सुब्रतो पार्क

20. सोनीपत

21. वसुन्धरा एन्क्लेव

22. द्वारका

23. वैशाली काम्प्लेक्स

24. सैक्टर नं. 16, फरीदाबाद

25. डी एल एफ कालोनी, कुतब एन्क्लेव, गुड़गांव

26. वसन्त विहार

27. वसन्त कुंज

28. विकासपुरी

29. साहिबाबाद

30. सुल्तानपुरी

31. सरिता विहार

32. नजफगढ़

33. अलीपुर गांव

34. आई. पी. एक्सटेंशन, पटपड़गंज

[हिन्दी]

सी.बी.आई. में चयन बोर्ड का गठन

4710. श्री थावरचन्द गेहलोत : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सी.बी.आई. में नियुक्ति और कार्यरत अधिकारी के कार्यकाल के निर्धारण हेतु एक चयन बोर्ड गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे सरकार और सी.बी.आई. को किस तरह लाभ मिलने की संभावना है;

(घ) क्या इस बोर्ड के गठन के पश्चात सी.बी.आई. कार्मिकों में असंतोष है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) विनीत नारायण के मामले में उच्चतम न्यायालय के दिनांक 18.12.97 के निदेशों के अनुसरण में सरकार ने अपने दिनांक 20.05.98 के कार्यालय–ज्ञापन संख्या–202/8/98–ए.वी.डी.–II(क) द्वारा केन्द्रीय अन्वेषण–ब्यूरो में संयुक्त निदेशक और उससे ऊपर के स्तर के पदों पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु अधिकारियों के चयन, उनका कार्यकाल बढ़ाए जाने तथा उपर्युक्त संगठन से उनके समयपूर्व स्थानांतरण के बारे में सिफारिशें करने के लिए केन्द्रीय अन्वेषण–ब्यूरो–चयन–बोर्ड गठित किया। बाद में जारी किए गए अपने दिनांक 20.05.98 के कार्यालय–ज्ञापन संख्या–202/8/98–ए.वी.डी.–II(ख) द्वारा सरकार ने केन्द्रीय अन्वेषण–ब्यूरो–चयन–बोर्ड को, केन्द्रीय अन्वेषण–ब्यूरो के पुलिस–अधीक्षक और उप पुलिस महानिरीक्षक के स्तर के अधिकारियों का कार्यकाल बढ़ाए जाने/उनका समयपूर्व स्थानांतरण किए जाने (उनका कार्यकाल समयपूर्व समाप्त कर दिए जाने) और इन पदों पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकारियों का चयन किए जाने के बारे में, निर्णय लेने के अधिकार भी प्रदान कर दिए हैं। केन्द्रीय अन्वेषण–ब्यूरो–चयन–बोर्ड के अध्यक्ष, केन्द्रीय सतर्कता–आयुक्त तथा गृह–सचिव और कार्मिक–सचिव इसके सदस्यों के रूप में शामिल हैं। केन्द्रीय अन्वेषण–ब्यूरो–चयन–बोर्ड द्वारा, संगत नियमों, नीति और मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार ही, मामलों के बारे में अपनी

सिफारिशें की जानी/अपना निर्णय लिया जाना अपेक्षित है। केन्द्रीय अन्वेषण–ब्यूरो–चयन–बोर्ड के गठन से, अत्यधिक सत्यनिष्ठा और व्यावसायिक दक्षता वाले अधिकारियों का चयन किया जाना सुकर और सहज हो गया है।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय अन्वेषण–ब्यूरो के अधिकारियों में ऐसे रोष का कोई भी दृष्टान्त सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

[अनुवाद]

अंतरिक्ष में एक्सोबायोलाजी परियोजनाएं

4711. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतरिक्ष आयोग अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में किए जाने वाले प्रोटीन सिंथेसिस, एरोबिक सैल कल्टीवेशन और योग व्यायाम की प्रभाविता समेत एक्सोबायोलाजी पर कुछ परियोजनाओं को शुरू करने का विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई ठोस प्रस्ताव बनाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनके कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने इस संबंध में प्रारंभिक अध्ययनों की शुरूआत की है।

(ख) भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों से प्रारंभिक प्रस्ताव प्राप्त किए गए हैं और इन प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जा रहा है।

(ग) — प्रोटीन संश्लेषण (सिंथेसिस) प्रयोग पर किए गए प्रस्ताव का उद्देश्य जैवविज्ञानीय (बायोलॉजिकल) प्रणालियों में उसकी भूमिका के बारे में बेहतर अन्तर्दृष्टि और जानकारी प्राप्त करने हेतु मेटलोथियोनिन प्रोटीनों का विकास करना है।

— एरोबिक सैल कल्टीवेशन पर प्रायोगिक प्रस्ताव का उद्देश्य सूक्ष्मगुरूत्वीय स्थितियों में जैवविज्ञानीय प्रतिक्रिया की उत्पादकता में सुधार लाने की प्रक्रिया का अध्ययन करना है।

— अंतरिक्ष में योग व्यायामों के आयोजन पर किए गए प्रस्ताव का उद्देश्य सूक्ष्मगुरूत्व के कारण उत्पन्न होने वाले शरीर क्रियाविज्ञानीय प्रभावों को कम करने हेतु ऐसे व्यायामों की प्रभाविता का अध्ययन करना है।

— 2005–2006 में अन्तर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के प्रचालनात्मक हो जाने के बाद अंतरिक्ष केन्द्र पर प्रयोग करना उड़ान अवसरों की उपलब्धता पर निर्भर है। अन्तर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर आयोजित किए जाने वाले भारतीय प्रयोगों का समय ढांचा तय किया जाना अभी बाकी है, क्योंकि इसके लिए अन्तर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के अन्तर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ सहयोगी करार की आवश्यकता होगी।

उच्च-प्रौद्योगिकीय पार्क

4712. श्री के. येरननायडू :
श्री त्रिलोचन कानूनगो :
श्री राम नायडू दग्गुबाटि :

क्या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में, विशेषकर आंध्र प्रदेश में केन्द्रीय सहायता से उच्च–प्रौद्योगिकीय पार्क स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे उच्च–प्रौद्योगिकीय पार्कों की स्थापना किए जाने वाले स्थानों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने उक्त पार्कों के लिए आवश्यक उपकरण उपलब्ध करा दिए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इन्हें कब तक उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

लघु उद्योग की गणना

4713. श्री चन्द्र नाथ सिंह :
श्री राजनारायण पासी :

क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में पंजीकृत लघु उद्योग एककों का बड़े पैमाने पर नमूना सर्वेक्षण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे सर्वेक्षण कार्य में शामिल किए जाने वाले संगठनों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई समिति गठित की है;

(ङ) यदि हां, तो इसकी संरचना का ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार को सर्वेक्षण से इस क्षेत्र के विकास हेतु नीतियां तैयार करने में किस सीमा तक मदद मिलने की संभावना है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार का मार्च, 2001 तक पंजीकृत लघु उद्योग इकाइयों की गणना करवाने का प्रस्ताव है।

(ग) विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के उद्योग निदेशालयों के सहयोग से गणना करवाने हेतु जिम्मेवार होगा। इस उद्देश्य के लिए औद्योगिक संघों का सहयोग भी लिया जाएगा।

(घ) और (ङ) जी, हां। लघु उद्योग, कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय में 18 अन्य सदस्यों वाली एक विषय निर्वाचन समिति स्थापित की गई है, जिसमें संबंधित मंत्रालयों/विभागों, चार राज्य सरकारों, भारतीय रिजर्व बैंक, सिडबी, उद्योग संघों आदि के प्रतिनिधि शामिल हैं।

(च) गणना उत्पादन, रोजगार, बिक्री बंद होना, रुग्णता, क्षेत्रीय विसर्जन इत्यादि पर जानकारी उपलब्ध कराएगी। यह जानकारी लघु उद्योग क्षेत्र के विकास के लिए नीतियां बनाने में सरकार की सहायता करेगी।

एस.बी.ई.ए.

4714. डा. वी. सरोजा : क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लघु उद्योगों के विकास के लिए "स्माल बिजनेस इस्टाब्लिशमेंट एक्ट" बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह अधिनियम कब तक लागू कर दिए जाने की संभावना है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) फिलहाल, लघु उद्योगों के विकास के लिए लघु बिजनेस स्थापना अधिनियम बनाने का कोई निर्णय नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम

4715. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1999–2000 और 2000–2001 के दौरान राज्य–वार पोलियो के कितने मामलों का पता लगाया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान पोलियो उन्मूलन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा उपलब्ध कराई गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सन् 2000 तक पोलियो के पूर्ण उन्मूलन के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया था; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपलब्धि हासिल की गई?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) विवरण संलग्न है।

(ख) विश्व स्वास्थ्य संगठन पोलियो उन्मूलन तथा पोलियो निगरानी कार्यकलापों के लिए कार्यनीतियों के कार्यान्वयन में तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करता आ रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन विभिन्न दाता एजेंसियों से संसाधनों की सुलभता में भारत सरकार की सहायता भी करता आ रहा है।

(ग) और (घ) विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सन् 2002 तक शून्य पोलियो घटना हासिल करने और 2005 तक पोलियो उन्मूलन के सत्यापन के अपने लक्ष्य में संशोधन कर दिया है।

विवरण

वाइल्ड पोलियो रोगी 1999–01 (7/4/01 तक)

क्र.सं. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	99	00	01
1 2	3	4	5
1. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0
2. आंध्र प्रदेश	21	0	0
3. अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
4. असम	0	0	0
5. दादरा और नगर हवेली	0	0	0
6. दमन और दीव	0	0	0
7. गोवा	0	0	0
8. हिमाचल प्रदेश	0	0	0
9. जम्मू एवं कश्मीर	0	0	0
10. लक्षद्वीप	0	0	0
11. मणिपुर	0	0	0
12. मेघालय	0	0	0
13. मिजोरम	0	0	0
14. नागालैंड	0	0	0
15. उड़ीसा	0	0	0
16. पांडिचेरी	0	0	0
17. पंजाब	4	0	0
18. राजस्थान	18	0	0
19. सिक्किम	0	0	0
20. तमिलनाडु	7	0	0
21. त्रिपुरा	0	0	0
22. चंडीगढ़	2	1	0
23. केरल	0	1	0
24. गुजरात	9	2	0
25. मध्य प्रदेश	17	2	0
26. दिल्ली	73	3	1
27. हरियाणा	19	4	1
28. महाराष्ट्र	18	7	0
29. कर्नाटक	21	8	0
30. पश्चिम बंगाल	21	8	0
31. बिहार	123	50	0
32. उत्तर प्रदेश	773	179	6
33. छत्तीसगढ़	—	—	0
34. झारखंड	—	—	0
35. उत्तरांचल	—	—	0
कुल	1126	265	8

[हिन्दी]

मनोरोगी

4716. मोहम्मद शहाबुद्दीन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मनोरोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान मनोरोगियों की संख्या कितनी थी;

(ग) क्या सरकार का विचार मनोरोगों के कारणों की जांच करने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो सरकार द्वारा मनोरोगों की रोकथाम के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) जी, हां। मानसिक रोग वाले व्यक्तियों की संख्या जनसांख्यिकीय परिवर्तनों जैसे कि जनसंख्या में वृद्धि तथा विश्वभर में अवसाद की दर में समग्र वृद्धि के कारण बढ़

रही है। मानसिक विकारों से पीड़ित व्यक्तियों से संबंधित वर्षवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। जानपदिक रोग विज्ञानी अध्ययनों से पता चला है कि जनसंख्या के 1 से 2 प्रतिशत में गम्भीर मानसिक विकार है तथा 5 से 10 प्रतिशत जनसंख्या हल्के मानसिक विकार से पीड़ित है।

(ग) सरकार देश भर में अनेक मनश्चिकित्सीय संस्थान चलाती हैं जो विशेषज्ञों को प्राशिक्षण प्रदान करते हैं तथा मानसिक रोग के विविध पहलुओं पर अनुसंधान कार्यकलाप करते हैं। विभिन्न संस्थाओं जैसे कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलौर, सभी मेडिकल कालेजों के मनश्चिकित्सा विभागों ने मानसिक विकारों की उत्पत्ति से संबंधित विविध पहलुओं को समझने हेतु अनुसंधान परियोजनाएं शुरू की हैं। जो भी सुविदित हैं वह यह है कि मानसिक विकारों की उत्पत्ति बहुक्रमगुणित (मल्टीफेक्टोरियल) है। जैविक, मनश्चिकित्सीय तथा सामाजिक सांस्कृतिक कारकों की पारस्परिक क्रिया से मानसिक विकार उत्पन्न होते हैं।

(घ) सरकार ने देश के चुनिंदा जिलों में मानसिक विकार वाले व्यक्तियों के लिए परिचर्या प्रदान करने हेतु पहले ही एक प्रायोगिक कार्यक्रम शुरू किया है। इस समय 20 राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को कवर करते हुए 25 जिलों में जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। इसका लक्ष्य विभिन्न मानसिक विकारों तथा मिरगी (एपिलेप्सी) से पीड़ित लोगों की पहचान कर तथा प्रशिक्षित डाक्टरों एवं परिवारों तथा समुदाय जिसमें रोगी रहते हैं के सक्रिय सहयोग से प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या केन्द्र तथा जिला स्तर पर उनका उपचार प्रबन्ध करना है।

[अनुवाद]

वैश्वीकरण का प्रभाव

4717. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या **लघु उद्योग, कृषि एवं ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वैश्वीकरण के कारण लघु उद्यमियों और कामगारों पर पड़ने वाले कुप्रभावों की जानकारी है क्योंकि लघु उद्योग उत्पादकता की उच्च लागत के कारण अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ हैं;

(ख) यदि हां, तो इस समस्या का मुकाबला करने के लिए क्या समाधान निकाला गया है;

(ग) क्या विश्व व्यापार संगठन के मामलों के लिए अलग मंत्रालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार का मूलभूत ढांचे के आरक्षण, सुविधाओं, धनराशि आबंटन, बाजार शेयर इत्यादि के सन्दर्भ में महिला उद्यमियों को विशेष प्रोत्साहन प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) ऋण गारंटी योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु सरकार और वाणिज्यिक बैंकों में समन्वयन के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हां। विश्वव्यापीकरण और मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाने से लघु उद्योगों को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है।

(ख) सरकार ने हमारे उद्योगों को विश्वव्यापी स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने में सहायता के लिए कई उपाय किए हैं। व्यापारिक उदारीकरण की, उभरती हुई चुनौतियों का सामना करने के लिए इनमें प्रौद्योगिकी उन्नयन कलस्टर एप्रोच के माध्यम से आधारभूत संरचना में सहायता ऋण की समय पर उपलब्धता, आधुनिक प्रबंध पद्धति को अपनाना, इलैक्ट्रानिक आधारभूत संरचना एवं अन्य आई.टी. एप्लीकेशन का उपयोग जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाना शामिल है।

(ग) विश्व व्यापार संगठन से संबंधित मामले वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अन्तर्गत आते हैं।

(घ) से (च) प्रधान मंत्री की रोजगार योजना, जिसका उद्देश्य, अशिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्व–रोजगार जोखिम स्थापित करने में सहायता प्रदान करना है, के अन्तर्गत कमजोर वर्गों जिसमें महिलाएं शामिल हैं, को प्राथमिकता दी जाती है।

(छ) लघु उद्योगों हेतु ऋण गारन्टी निधि योजना अगस्त, 2000 को प्रारम्भ की गई थी। सरकार ने उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु लघु उद्योगों के लिए क्रेडिट गारन्टी फंड ट्रस्ट स्थापित किया है। यह न्यास योजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए सरकार और वाणिज्यिक बैंकों के समन्वय से कार्य करता है।

क्रय नीति

4718. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भण्डार के निदेशक–बोर्ड द्वारा संस्वीकृत नवीनतम क्रय–नीति में वस्तुओं के पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं से निविदा–आमंत्रण के रूप में दरों के कोटेशन मांगने का कोई प्रावधान नहीं है;

(ख) यदि हां, तो पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं से निविदाएं आमंत्रित करने के क्या कारण हैं और निविदा–दस्तावेज/दरों के कोटेशन–पत्र में इस तरह की दर–कोटेशन मांगने की वजहों को स्पष्ट न करने के क्या कारण हैं जिससे आपूर्तिकर्ताओं को अंधेरे में रखा जाता है;

(ग) यदि हां, तो क्या पूर्व स्थिति बहाल करने के लिए अब तक आमंत्रित की गई ऐसी सभी निविदाओं/दरों के कोटेशनों को रद्द करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) क्या लेखन सामग्री और अन्य वस्तुओं के व्यापारिक मामलों संबंधी किसी निर्णय के पूर्व अथवा पश्चात निदेशक–बोर्ड की स्वीकृति सदैव नहीं ली जाती है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) क्रय नीति में नियमित अंतराल पर निविदाएं आमंत्रित करने की अनुमति है।

(ख) और (ग) पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं से निविदाएं आमंत्रित करने का कारण, मदों की सर्वाधिक प्रतियोगी दरें प्राप्त करना है।

(घ) और (ङ) नीति से जुड़े मामलों में निदेशक–बोर्ड का अनुमोदन लिया जाता है। लेखन–सामग्री और अन्य मदों से संबंधित नीति का कार्यान्वयन/निष्पादन उन विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है, जिन्हें उपर्युक्त बोर्ड द्वारा इसके अधिकार दिए गए हैं।

केन्द्रीय भण्डार में उच्च दरें

4719. श्री शीश राम सिंह रवि : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी.जी.एस. एंड डी. ने अनेक लेखन सामग्री और अन्य कार्यालय स्वचलन उपकरणों के संबंध में विनिर्माताओं के साथ दरों को लेकर कोई संविदा तय की है और क्या उन मदों को काफी उच्च दरों पर केन्द्रीय भंडार में बेचा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या डी.जी.एस. एंड डी. के साथ दर संविदा वाली मदों को केवल विनिर्माताओं से खरीदने के लिए सरकारी कार्यालयों को निवेश देने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) 'अन्य मदों' की श्रेणी के अंतर्गत आने वाली मदों का ब्यौरा क्या है और क्या नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने सरकारी विभागों को आपूर्ति करने के लिए इन एजेंसियों को प्राधिकृत करने वाले सरकारी आदेश के संबंध में प्रतिकूल टिप्पणी की है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इन पर क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जहां पूर्ति और निपटान–महानिदेशालय ने दर–आधारित सौदा किया हो, वहां केन्द्रीय भंडार आपूर्तिकर्त्ताओं से उद्धृत की गई दर से मेल खाती कीमत पर ही सामान की आपूर्ति करने का आग्रह करता है। जहां पूर्ति और निपटान–महानिदेशालय ने दर–आधारित सौदा नहीं किया हो, वहां केन्द्रीय भंडार निम्नलिखित उपायों द्वारा सर्वाधिक प्रतिस्पर्धात्मक कीमत पर सामान खरीदने के प्रयास करता है :

(i) जहां कहीं संभव हो, वहां निर्माताओं से सीधे सामान खरीद कर।

(ii) पंजीकृत आपूर्तिकर्त्ताओं से दर–सूची मंगवा कर।

(iii) आपूर्तिकर्त्ताओं से अपेक्षाकृत कम कीमत पर सामान नहीं बेचने के बारे में कीमत की गारंटी का वचन–पत्र लेकर।

(ख) ऐसा कोई भी प्रस्ताव कार्मिक और प्रशिक्षण–विभाग में विचाराधीन नहीं है।

(ग) और (घ) "अन्य वस्तुएं" विनिर्दिष्ट/परिभाषित नहीं हैं।

नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने संघ–सरकार (रक्षा–सेवाएं–वायु सेना और नौ सेना) की अपनी 1999 की रिपोर्ट संख्या 8 में अन्य बातों के साथ–साथ यह टिप्पणी की है कि सरकार एन. सी. सी. एफ. द्वारा अपेक्षाकृत अधिक ऊंची दरों के कारणों की जांच करे और मौजूदा अनुदेशों की समीक्षा करे। जबकि एन. सी. सी. एफ. अपेक्षाकृत अधिक ऊंची दरों के मुद्दे की जांच कर रही है, कार्मिक और प्रशिक्षण–विभाग ने अपने मौजूदा अनुदेशों की समीक्षा करनी आरंभ कर दी है।

वियाग्रा

4720. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वियाग्रा के भारतीय विकल्प की भारतीय औषध नियंत्रक द्वारा स्वीकृति दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गुणवत्ता और लागत की दृष्टि से आयातित वियाग्रा के मुकाबले भारतीय विकल्प की स्थिति क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) जी, हां। 'वियाग्रा के भारतीय प्रतिस्थापी' के रूप में लोकप्रिय सिल्डेनाफिल साइट्रेट और इसके फार्मूलेशनों का विनिर्माण करने हेतु 10 विनिर्माताओं को स्वीकृति प्रदान की गई है।

(ग) भारतीय फार्मूलेशन गुणवत्ता की दृष्टि से आयातित फार्मूलेशनों से मेल खाते हैं क्योंकि उनका नैदानिक परीक्षण, जैव समतुल्यता अध्ययन और प्रयोगशाला में रासायनिक जांच की गई होती है। लागत की दृष्टि से भारतीय फार्मूलेशन 25 मि.ग्रा. की प्रत्येक गोली 12 रुपये, 50 मि.ग्रा. की प्रत्येक गोली 18 रुपये और 100 मि. ग्रा. की प्रत्येक गोली 27 रुपये के मूल्य पर उपलब्ध है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय सचिवालय सेवा में पदोन्नति रोध

4721. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दस वर्षों के दौरान वर्ष–वार केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी संवर्ग में सीधी भर्ती, विभागीय परीक्षा और चयन सूची की अधिसूचित रिक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या 1995 से रिक्तियों की संख्या में लगातार कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या रिक्तियों में कटौती के कारण सहायक संवर्ग में पदोन्नति रोध उत्पन्न हो गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पदोन्नति रोध को दूर करने के लिए अनुभाग अधिकारी और अवर सचिव जैसे पदों पर अलग–अलग आधार पर स्वःस्थाने पदोन्नति देने के प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) इस बारे में विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) वर्ष, 1997 से, केन्द्रीय सचिवालय–सेवा के अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड में रिक्तियों की संख्या घटने की प्रवृत्ति चली आ रही है। केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारियों के एक विकेन्द्रीकृत ग्रेड की रिक्तियों के बारे में जानकारी कार्मिक और प्रशिक्षण–विभाग द्वारा सभी 33 संवर्ग–नियंत्रक प्राधिकारियों से एकत्र की जाती है। नोडल प्राधिकारी के रूप में यह विभाग इन संवर्ग–नियंत्रक प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत जानकारी के आधार पर, भर्ती/पदोन्नति आदि की प्रक्रिया में समन्वय ही करता है, अतः उपर्युक्त ग्रेड की रिक्तियों की संख्या घटने की प्रवृत्ति का कोई सुनिश्चित कारण बता पाना संभव नहीं है। फिर भी, उपर्युक्त प्रवृत्ति, कम अधिकारियों के सेवानिवृत्त होने/प्रतिनियुक्ति पर जाने के कारण हो सकती है। इसके अलावा, सरकार ने पांचवें केन्द्रीय वेतन–आयोग की सिफारिश के आधार पर मई, 1998 से अधिवर्षिता की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी। इसके परिणामस्वरूप भी, मई, 1998 से 2 वर्ष तक कोई भी सेवानिवृत्ति नहीं हुई।

(घ) उपर्युक्त कारणों से, अनुभाग अधिकारी के पदों की रिक्तियों की संख्या में कमी होने के परिणामस्वरूप सहायकों की पदोन्नति के अवसरों में थोड़ी सी ही कमी हुई है।

(ङ) सहायकों को स्वस्थाने पदोन्नति दिए जाने का ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है। फिर भी, सरकार ने केन्द्रीय सचिवालय–सेवा के संवर्ग के ढांचों की जांच–पड़ताल करने की दृष्टि से वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति गठित की है जो कि अन्य बातों के साथ–साथ, केन्द्रीय सचिवालय–सेवा के सहायक ग्रेड में प्रगति–रोध की गम्भीरता भी आंकेगी और सुधारात्मक उपाय सुझाएगी।

विवरण

क्र.सं.	प्रवर सूची का वर्ष	सीधी भर्ती	सीमित विभागीय** प्रतियोगी परीक्षा	वरिष्ठता–* कोटा
1	2	3	4	5
1.	1990	39	164	164

1	2	3	4	5
2.	1991	45	153	154
3.	1992	28	94	95
4.	1993	54	119	120
5.	1994	50	117	116
6.	1995	55	102	103
7.	1996	45	115	129
8.	1997	26	58	70
9.	1998	14	16	18
10.	1999	18	10	18

*वरिष्ठता–कोटा

**सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा

[अनुवाद]

लघु उद्योगों का सर्वेक्षण

4722. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल : क्या **लघु उद्योग, कृषि एवं ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योगों, कृषि और ग्रामीण उद्योगों का कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निर्यात की संभावना वाले इन उद्योगों के लिए आधुनिकीकरण की कोई योजना है; और

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) जी, हां। पंजीकृत लघु उद्योगों की अब तक दो अखिल भारतीय गणनाएं की जा चुकी हैं। दूसरी अखिल भारतीय गणना 1998–1991 की अवधि के दौरान संचालित की गई थी। समय–समय पर नमूना सर्वेक्षण भी संचालित किए जाते हैं। पंजीकृत लघु उद्योग इकाइयों का अंतिम सर्वेक्षण 1994–95 के दौरान संचालित किया गया था। वर्तमान में एक और अखिल भारतीय नमूना सर्वेक्षण प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान में, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एन. एस. एस. ओ.) असंगठित विनिर्माण पर एक सर्वेक्षण संचालित कर रहा है।

(ग) और (घ) जी, हां। सरकार ने प्रौद्योगिकी उन्नयन और प्रबंधन कार्यक्रम पर 1998 मे अपटेक नाम से एक योजना प्रारम्भ की है, जो उद्योगों के समूहों के आधुनिकीकरण एवं प्रौद्योगिकीय आवश्यकताओं का ध्यान रखती है? इसमें निर्यात की संभावनाओं से युक्त उद्योग भी शामिल हैं।

प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम

4723. श्री के. पी. सिंह देव : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 2000–2001 के दौरान सफलतापूर्वक किए गए प्रक्षेपास्त्र परीक्षणों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इनमें से किसी प्रक्षेपास्त्र को वायु सेना में शामिल किया गया है अथवा निकट भविष्य में शामिल किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस दिशा में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) वर्ष 2000–2001 के दौरान प्रक्षेपास्त्रों के आठ सफल उड़ान परीक्षण किए गए हैं, जिनमें अग्नि–ii और पृथ्वी के एक–एक परीक्षण और त्रिशूल, आकाश तथा नाग के दो–दो परीक्षण शामिल हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) पृथ्वी प्रक्षेपास्त्रों को वायुसेना में शामिल किया जा रहा है।

अपूर्ण दस्तावेजों पर रक्षा संविदाएं

4724. श्री सी. श्रीनिवासन : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उन अनके फर्मों के बारे में जानकारी है जिन्हें संबधित आयकर कागजात पूर्ण नहीं होने अथवा अपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने पर भी देश के विभिन्न भागों में स्थित आयुध डिपुओं द्वारा रक्षा संविदाएं दी गई थीं;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान जानकारी में आए ऐसे मामलों का डिपो–वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं और स्थिति को ठीक करने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) सेना मुख्यालय/रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दस्तावेजों के साथ आयकर समाशोधन प्रमाण-पत्र की एक प्रति प्रस्तुत करते हैं। इस उपबंध के पूरा किए जाने की जांच विभिन्न विरचनाओं/अफसर बोर्ड द्वारा विभिन्न स्तरों पर की जाती है।

(ख) केन्द्रीय आयुध डिपो, कानपुर द्वारा सिविल परिवहन को भाड़े पर लिए जाने का एक मामला सामने आया है।

(ग) जांच के उपरांत यह पाया गया था कि यह कुछ व्यक्तियों की चूक के परिणामस्वरूप हुआ था। उक्त मामले में जांच अदालत ने अपनी कार्यवाही पूरी कर ली है और जांच अदालत की सिफारिशों के अनुसार चूक के लिए जिम्मेदार ठहराए गए व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जा रही है।

बोफोर्स तोप के लिए कलपुर्जे

4725. श्री रामजी मांझी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स बोफोर्स, जिसे स्वीडन सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में ले लिया गया है, ने इस बात की स्वीकृति दी है कि भारत दिनांक 24 मार्च, 1986 को हुई आपूर्ति संविदा में किए गए ठेके के अनुसार अपनी आवश्यकताओं, प्रौद्योगिकी सेवाओं और सहायता का लाभ उठा सकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रस्ताव का लाभ उठाया है और बोफोर्स तोपों, जो कलपुर्जों के अभाव के कारण बेकार पड़ी थीं, को कार्यशील बनाने के लिए कलपुर्जों की खरीद की है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या बोफोर्स तोप प्रणाली के अनुरक्षण और ओवरहाल के कलपुर्जों का स्वदेशी उत्पादन शुरू करने की दिशा में कोई प्रगति की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (ग) सरकार ने 15 जून, 1999 को आयोजित एक बैठक में मैसर्स बोफोर्स के साथ व्यापारिक लेन-देन पर लगाए गए प्रतिबंध की बदली हुई परिस्थितियों के मद्देनजर पुनरीक्षा की और जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ इस बात का अनुमोदन किया कि सरकार द्वारा 31.1.1990 को तत्कालीन मैसर्स ए. बी. बोफोर्स, स्वीडन के साथ लेन-देन पर लगाया गया प्रतिबंध उसकी उत्तराधिकारी स्वीडन की कंपनी 'सेल्सियस', जो राज्य द्वारा नियंत्रित कंपनी है पर लगाए जाने की आवश्यकता नहीं है।

तथापि, उपर्युक्त निर्देश चल रही जांचों, की जाने वाली कार्रवाइयों, अपरिहार्य उपायों एवं गैरकानूनी तरीके से अदा की गई राशि की प्रतिपूर्ति का अधिकार सरकार के पास सुरक्षित रखे जाने पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना लागू होंगे।

तदंतर, 155 मि.मि एफ. एच. 77 बी तोप प्रणाली के अतिरिक्त हिस्से-पुर्जों की खरीद के लिए तीन संविदाओं पर मैसर्स सेल्सियस, स्वीडन के साथ हस्ताक्षर किए गए थे।

(घ) से (च) स्वदेशीकरण की प्रक्रिया निरंतर चल रही है और तोपप्रणाली के स्वदेशीकरण और अतिरिक्त हिस्से-पुर्जों के विकास के लिए रक्षा उत्पादन एवं पूर्ति विभाग के अधीन आयुध निर्माणी बोर्ड, वैद्युत एवं यांत्रिक इंजीनियर और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित विभिन्न एजेंसियों को लेकर एक कार्यबल का गठन किया गया है। अभी तक अतिरिक्त हिस्से-पुर्जों की 1314 मदों का स्वदेशीकरण किया जा चुका है।

'स्मार्ट कार्ड' प्रणाली

4726. श्री राम नायडू दग्गुबाटि : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग का विचार सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की वक्त की पाबंदी को सुनिश्चित करने हेतु स्मार्ट कार्ड प्रणाली लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना को कब तक लागू कर दिए जाने की संभावना है; और

(ग) योजना के कार्यान्वयन पर कुल कितना वार्षिक व्यय होने का अनुमान है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) जी, हां।

(ख) इस प्रणाली को अगले एक-दो महीनों में प्रचालन में लाये जाने की संभावना है।

(ग) इस प्रणाली को प्राप्त करने पर लगने वाली लगभग 1,20,000 रुपये की प्रारम्भिक लागत के अतिरिक्त, एक वर्ष की वारंटी अवधि की समाप्ति के बाद, इस प्रणाली के रखरखाव पर कुल वार्षिक खर्च लगभग 10,000 रुपये के आसपास होने की संभावना है।

एच. आई. वी.

4727. श्री किरीट सोमैया : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि देश में एच. आई. वी. संक्रमण महामारी के स्तर तक पहुंच चुका है;

(ख) यदि हां, तो क्या गर्भावस्था के दौरान एच. आई. वी. पोजीटिव का पता चलने वाली नवविवाहिता महिलाओं की संख्या बढ़ रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार एच. आई. वी. संक्रमण को रोकने हेतु विवाह से पूर्व एच. आई. वी. जांच को अनिवार्य बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) जी, नहीं। सरकार का विवाह से पूर्व अनिवार्य एच. आई. वी. जांच करने का प्रस्ताव नहीं है।

शिशु मृत्यु दर

4728. श्री एम. के. सुब्बा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा, असम और कुछ अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में शिशु मृत्यु दर अखिल भारतीय औसतन शिशु मृत्यु दर से नीचे चली गई है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में और गत तीन वर्षों के अखिल भारतीय औसत की तुलना में असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों व सिक्किम में यह दर कितनी नीचे आयी है और इसके तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उससे संबंधित योजनाओं पर कितना व्यय हुआ है; और

(घ) वर्ष 2001-2002 के लिए क्या प्रावधान किया गया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) असम को छोड़कर सभी अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में शिशु मृत्यु दर अखिल भारतीय औसत से कम है।

(ख) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है।

शिशु मृत्यु दर

(प्रति 1000 जीवित जन्मों पर)

	1997	1998	1999
असम	76	76	76
अरुणाचल प्रदेश	47	44	43
मणिपुर	30	25	25
मेघालय	54	52	56
मिजोरम	19	23	19
नागालैण्ड	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
सिक्किम	51	52	49
त्रिपुरा	51	49	42
भारत	71	72	73

(ग) शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित करने हेतु किए गए उपायों पर हुए खर्च को समग्र प्रजनन और बाल स्वास्थ्य (प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम) बजट से वहन किया जाता है। प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया वर्षवार खर्च नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	किया गया खर्च
1998-1999	542.02
1999-2000	657.48
2000-2001	856.41

(घ) प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (प्रतिरक्षण सुदृढ़ीकरण परियोजना सहित) के लिए वर्ष 2001-2002 के लिए प्रावधान 1180.95 करोड़ रुपये है जिसमें पूर्वोत्तर राज्यों का प्रावधान शामिल है।

प्रबोधन कार्यक्रम

4729. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय हज समिति ने जेद्दाह स्थित भारत के महाकांसुलावास (कांसुलेट जनरल ऑफ इंडिया) के सहयोग से दो प्रबोधन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें स्थान–वार कितने प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया;

(ग) क्या कुछ राज्यों में इन कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया गया था;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का ऐसे कार्यक्रम जारी रखने हेतु राज्य हज समितियों को दिशानिर्देश जारी करने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) जी, हां।

(ख) दक्षिणी राज्यों के प्रशिक्षकों के लिए अनुकूल कार्यक्रम 11 से 13 सितंबर, 2000 तक मुम्बई में और उत्तरी राज्यों के लिए 18–20 सितंबर तक आयोजित किया गया। भागीदारों की स्थान वार संख्या निम्नलिखित है :

मुम्बई		दिल्ली	
महाराष्ट्र	37	हरियाणा	1
गोवा	2	असम	6
उड़ीसा	30	उड़ीसा	1
आंध्र प्रदेश	12	उत्तर प्रदेश	37
तमिलनाडु	14	बिहार	6
केरल	14	पश्चिमी बंगाल	7
लक्षद्वीप	1	जम्मू और कश्मीर	16
कर्नाटक	21	हिमाचल प्रदेश	1
मध्य प्रदेश	31	दिल्ली	7
		राजस्थान	17
		कुल	261

(ग) जी, हां।

(घ) इसके फलस्वरूप प्रशिक्षकों ने जिला स्तर पर पूरे भारत में हज यात्रियों को प्रशिक्षित किया। तथापि यदि किसी जिले में हज यात्रियों की संख्या 150 से कम थी तो उन्हें नजदीकी जिलों में हज यात्रियों के साथ प्रशिक्षण दिया गया।

(ङ) और (च) केन्द्रीय हज समिति पूर्व की तरह की उन कार्यक्रमों को जारी रखने के लिए राज्य हज समितियों को अनुदेश जारी करती रहेगी जो सतत आधार पर प्रति वर्ष आयोजित किये जा रहे हैं।

नदी संयोजन को खोलना

4730. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल ही में अपने म्यांमार के दौरे के दौरान म्यांमार में मिजोरम और सितवे के बीच एक नदी संयोजन खोलने का प्रस्ताव रखा था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस नदी संयोजन को खोलने के क्या आर्थिक प्रभाव होंगे?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) से (ग) विदेश मंत्री की हाल की म्यांमांर यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने अन्य बातों के साथ–साथ प्रस्तावित कलादान नदी परियोजना, जो एक नदी एवं सड़क संपर्क द्वारा दक्षिणी मिजोरम को सिटवी से जोड़ेगी, पर चर्चा की। इस परियोजना से उत्तर पूर्वी राज्यों को कोलकाता से जोड़ने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग मिलेगा। इससे भारत और म्यांमार के बीच सीमापार व्यापार, पर्यटन तथा अन्य क्रियाकलाप भी संवर्धित होंगे।

[हिन्दी]

आरक्षण पर कार्यालय ज्ञापन की समीक्षा

4731. श्री रामदास आठवले :
श्री रतन लाल कटारिया :
श्री टी. गोविंदन :

क्या **प्रधान** मंत्री 08.12.99 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1566 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आरक्षण के संबंध में आज तक कितने कार्यालय ज्ञापनों की समीक्षा की गई है;

(ख) क्या सरकार का विचार संसद के चालू सत्र के दौरान आरक्षण से संबंधित बाकी ज्ञापनों पर एक विधेयक लाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (घ) ऐसे कार्यालय–ज्ञापनों में से दो कार्यालय–ज्ञापनों की समीक्षा के परिणामस्वरूप, संविधान के इक्यासीवें संशोधन अधिनियम, 2000 और संविधान के बयासीवें संशोधन अधिनियम, 2000 द्वारा संविधान संशोधित किया गया तथा उपयुक्त दोनों संशोधनों के अनुसरण में अपेक्षित अनुदेश क्रमशः दिनांक 20.07.2000 और दिनांक 03.10.2000 को जारी कर दिए गए। दिनांक 13.08.1997 का कार्यालय–ज्ञापन जारी किए जाने का अभिप्राय, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को पदोन्नति में आरक्षण, 15.11.1997 के पश्चात भी मुहैया करवाया जाना कायम रखना था और इससे अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण मुहैया करवाए जाने पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। उच्चतम न्यायालय के एक अन्य निर्णय के परिप्रेक्ष्य में कानूनी और संवैधानिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए शेष रहे दो कार्यालय–ज्ञापनों की समीक्षा चल रही है।

[अनुवाद]

औषधियों को स्वीकृति देना

4732. डा. बलिराम :
श्री पी. आर. खूंटे :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी. जी. स्वास्थ्य डी. सी. जी. आई. की सहमति के बिना ही अब नई औषधियों को स्वीकृति दे रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या डी. जी. स्वास्थ्य ने मैसर्स निकोलास पीरामल ग्रुप की दो औषधियों को दो दिन में स्वीकृति देकर उनका समर्थन किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या अंगीकृत की गई प्रक्रिया के तहत नई औषधियों के लिए विशेषज्ञों की राय ली गई थी;

(घ) क्या डी. जी. स्वास्थ्य ने औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम का उल्लंघन करके उक्त कंपनी का समर्थन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) जी, नहीं। औषध और प्रसाधन सामग्री नियमों के उपबंधों के अनुसार नई औषधियों के लिए अनुमोदन भारत के औषध नियंत्रक द्वारा दिया गया है।

(ख) और (ग) मैसर्स निकोलस पिरामल इंडिया का प्रार्थनापत्र 2 औषधियों के आयात और विपणन के लिए 24.4.2000 को प्राप्त हुआ था। देश के अग्रणी ऑन्कोलोजिस्टों के मूल्यांकन और सिफारिशों के पश्चात औषध महानियंत्रक (भारत) डी. सी. जी. (I) द्वारा 10. 7.2000 को अनुमति दी गई।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त ख और ग को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

मुख्य सतर्कता-आयोग-विधेयक

4733. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुख्य सतर्कता–आयुक्त (सी.वी.सी.) ने सरकार को लिखकर कहा है कि यदि संयुक्त संसदीय समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर मुख्य सतर्कता आयोग विधेयक को संशोधित किया जाता है तो देश में "भ्रष्टाचार रहित वातावरण" नहीं बनेगा;

(ख) यदि हां, तो सी.वी.सी. द्वारा उठाई गई मुख्य आपत्तियां क्या हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) विधेयक प्रस्तुत किए जाने के बारे में अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) केन्द्रीय सतर्कता–आयुक्त ने संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट के संदर्भ में, मुख्यतः निम्नलिखित मुद्दे उठाए हैं :

(i) उपर्युक्त विधेयक के खंड 8(1)(छ) में उल्लिखित, केन्द्रीय सतर्कता–आयोग के, 'सतर्कता–प्रशासन की देख–रेख' करने के अधिकारों का सीमित किया जाना;

(ii) उपर्युक्त विधेयक में 'एकल निदेश' का समाविष्ट किया जाना; और

(iii) राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा के अंतर्गत, अधिपत्र द्वारा किए जाने हेतु अपेक्षित, राजनय से संबद्ध किसी भी सुपुर्द कार्य के निर्वहन हेतु नियोजन, संघ–राज्य–क्षेत्र के प्रशासक के रूप में नियुक्ति और ऐसे ही किसी सुपुर्द कार्य के निर्वहन हेतु नियोजन अथवा नियुक्ति के संबंध में, केन्द्रीय सतर्कता–आयुक्त और अन्य प्रत्येक सतर्कता–आयुक्त द्वारा अपने पद का कार्यभार छोड़ दिए जाने के उपरांत, उनकी अपात्रता।

केन्द्रीय सतर्कता–आयुक्त द्वारा उठाए गए उपर्युक्त मुद्दों पर सरकार ने ध्यान दिया है।

उपर्युक्त संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों पर लोक–सभा द्वारा, उस समय विचार किया जाएगा जबकि उपर्युक्त संसदीय समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट में यथा संस्तुत विधेयक पर विचार किया जाएगा।

धनराशि का उपयोग

4734. श्री अनन्त नायक : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान (टी. आई. एस. एस.) को महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित धनराशि के उपयोग का अध्ययन कराने की सलाह दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) अभी तक अध्ययन में कितनी प्रगति हुई है;

(घ) क्या अन्य राज्यों में भी ऐसा ही अध्ययन कराया जाएगा;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) यदि नहीं, तो अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु आबंटित धनराशि का उचित उपयोग सुनिश्चित करने हेतु अन्य क्या उपाय किए जा रहे हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (ग) अनुसूचित जातियों के विकास के लिए अखिल भारतीय अंतर्राज्यीयस्वरूप (अनुसंधान और प्रशिक्षण) की समर्थक परियोजनाओं की केन्द्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत टाटा समाज विज्ञान संस्थान, मुम्बई को कर्नाटक, गुजरात, गोवा तथा महाराष्ट्र में अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता की केन्द्रीय योजना का मूल्यांकन संचालित करने का कार्य सौंपा गया था। इस अध्ययन का उद्देश्य अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के सामाजिक आर्थिक विकास पर विशेष केन्द्रीय सहायता के साथ शुरू की गई गरीबी उन्मूलन योजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन करना है।

इस संस्थान ने मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(घ) और (ङ) अनुसंधान कार्यकलापों में लगे संस्थानों के माध्यम से आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, तमिलनाडु, त्रिपुरा तथा उत्तरांचल में इसी प्रकार के अध्ययनों को संचालित करने के लिए कार्रवाई शुरू की गई है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विश्व व्यापार संगठन का कृषि क्षेत्र पर प्रभाव

4735. श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे प्रधान मंत्री ने कृषि से संबंधित मामलों और कृषि क्षेत्र पर विश्व व्यापार संगठन के प्रभाव को चर्चा करने हेतु राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक का आयोजन किया है;

(ख) यदि हां, तो किन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की गई;

(ग) क्या इस बैठक में "कृषि उत्पादों के मूल्यों में भारी गिरावट को रोकने हेतु की जाने वाली कार्यवाही" पर चर्चा की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) कृषि क्षेत्र पर विश्व व्यापार संगठन के प्रभाव सहित कृषि से संबंधित कुछेक मुद्दों पर चर्चा करने हेतु मुख्यमंत्रियों की एक बैठक दिनांक 23 अप्रैल, 2001 को आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

वित्तीय सहायता में कमी

4736. श्री श्रीनिवास पाटील : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में रोगियों के लिए 2000–2001 की 6 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता में भारी कमी करके इसे 2001–2002 में केवल 4 करोड़ रुपये कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके कारणों सहित तत्संबंधी तथ्य क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) जी, नहीं।

2000–2001 की वार्षिक योजना के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के अधीन विभिन्न एजेंसियों की चिकित्सा और जन स्वास्थ्य सेक्टर की प्लान योजनाओं को लागू करने के लिए 327.50 करोड़ रुपये का अनुमोदित परिव्यय था। इसके परिव्यय के मुकाबले वर्ष 2000–2001 के संशोधित अनुमान में 266.14 करोड़ रुपये रखे गये थे। 2000–2001 के संशोधित अनुमान के प्रावधानों में 28 प्रतिशत अभिवृद्धि करते हुए वर्ष 2001–2002 के लिए 341.20 करोड़ रुपये के परिव्यय का अनुमोदन किया गया है।

रक्षा विभाग में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच

4737. श्री अशोक ना. मोहोल : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 24 मार्च, 2001 के 'द एशियन एक्सप्रैस' में 'फार आर्मी, एम.ओ.डी. प्रोव ए शैम' शीर्षक से प्रकाशित समाचार के अनुसार सरकार ने रक्षा सौदों में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने हेतु एक संयुक्त सचिव स्तर की एक सदस्यीय समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह समिति अपने वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध आरोपों की जांच करने में सक्षम है; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त समिति के गठन का क्या औचित्य है?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (ग) सरकार ने 13 मार्च, 2001 को प्रदर्शित वीडियो टेपों में तहलका कॉम. द्वारा रक्षा मंत्रालय के सिविल अधिकारियों के खिलाफ रक्षा उपस्करों/सामान की खरीद को प्रभावित किए जाने के संबंध में लगाए गए आरोपों संबंधी तथ्यों का पता लगाने के लिए संयुक्त सचिव (ई/पी जी) तथा मुख्य सतर्कता अधिकारी की अध्यक्षता में एक सदस्यीय तथ्य खोजी समिति का गठन किया है। इस समिति के विचारार्थ विषयों में यह जांच करना कि क्या उक्त वीडियो टेपों में उल्लिखित रक्षा उपस्करों/सामान की खरीद से संबंधित लेन–देन निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया गया है या नहीं तथा इसमें इस तरह की खरीद प्रक्रिया और सरकारी लेन–देन संबंधी प्रक्रिया में समुचित संशोधन शामिल है।

मुख्य सतर्कता अधिकारी की हैसियत से उक्त अधिकारी मंत्रालय के किसी भी अधिकारी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जांच करने में सक्षम है।

सी. जी. एच. एस. औषधालयों पर अचानक दौरा

4738. श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति :
श्री रामजी मांझी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के अधिकारियों ने उनके साथ हाल ही में राजधानी के कुछ सी. जी. एच. एस. औषधालयों का अचानक दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो इन औषधालयों के कार्यकरण में दौरा करने वाले दल द्वारा पाई गई अनियमितताओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके लाभार्थियों की राय भी मांगी गई थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या अन्य औषधालयों में भी इसी प्रकार अचानक दौरा किए जाने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) जी, हां।

(ख) देखी गई कमियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(i) शिकायत रजिस्टर में प्रविष्टियां नियमित रूप से दर्ज नहीं की जा रही हैं।

(ii) स्थानीय खरीद वाली औषधों की सप्लाई में विलंब हो रहा है।

(iii) स्थानीय खरीद वाली औषधों के वितरण का समय स्पष्ट रूप से उल्लिखित करने की आवश्यकता है।

(iv) वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंजीकरण काउंटर और जब वे बहिरंग रोगी विभाग में डाक्टर से परामर्श करें, के लिए एक अलग लाईन द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष शिष्टाचार।

(ग) जी, हां।

(घ) लाभार्थियों ने सुझाव दिया कि स्थानीय खरीद वाली औषधों के वितरण का समय दोपहर 1.30 बजे तक जारी रहना चाहिए और अगले कार्य दिवस पर स्थानीय खरीद वाली औषधें उन्हें दी जानी चाहिए, पंजीकरण काउंटर और डाक्टर के कमरे के बाहर वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग लाईन बनाई जानी चाहिए।

(ङ) और (च) यदि ये पहले ही तय कर लिए जाएंगे और लोगों को बता दिए जाएंगे तो "अचानक" वाली बात खत्म हो जाएगी।

[हिन्दी]

प्रति व्यक्ति आय की दर

4739. श्री नवल किशोर राय :
श्री जोरा सिंह मान :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग को प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर पर वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के स्थान पर दसवीं पंचवर्षीय योजना की तैयारी के आधार पर विचार करने का कोई सुझाव मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) और (ख) प्रधान मंत्री ने योजना आयोग को अगले दस वर्षों में राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने की संभाव्यता का पता लगाने का निर्देश दिया है।

(ग) योजना आयोग ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रतिपादन की प्रक्रियाएं प्रारम्भ कर दी हैं।

तंबाकू कंपनियों द्वारा खेल/सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रायोजित करने पर प्रतिबंध

4740. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :
श्री सुन्दर लाल तिवारी :
श्री विजय गोयल :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू सत्र के दौरान सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद कंपनियों द्वारा खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रायोजित करने पर रोक लगाने संबंधी विधेयक लाने का है;

(ख) क्या 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों द्वारा ऐसे उत्पादों की बिक्री किए जाने पर प्रतिबंध लगाने संबंधी विधेयक लाने का भी विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध करने हेतु विधेयक अधिनियमित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (ङ) एक व्यापक कानून जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ तम्बाकू कंपनियों द्वारा तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापनों और खेलों तथा सांस्कृतिक कार्यकलापों को प्रायोजित करने पर रोक लगाने और सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान तथा नाबालिगों को तम्बाकू उत्पादों की बिक्री करने पर रोक लगाने के लिए उपबंध शामिल हैं, राज्य सभा में 7 मार्च, 2001 को पुरःस्थापित किया गया है।

[अनुवाद]

सी. जी. एच. एस. औषधालय

4741. श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में कितने सी. जी. एच. एस. औषधालय हैं;

(ख) इन सी. जी. एच. एस. औषधालयों में उपलब्ध सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) तमिलनाडु में सी. जी. एच. एस. के कुल कितने लाभार्थी हैं;

(घ) क्या तमिलनाडु में विशेषकर शिवगंगा और रामनद जिलों में और अधिक सी. जी. एच. एस. औषधालय शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) तमिलनाडु में सभी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय केवल चेन्नई में स्थित हैं और उनकी संख्या नीचे दी गई है :

(i)	एलोपैथिक औषधालय	14
(ii)	आयुर्वेदिक औषधालय	1
(iii)	होम्योपैथिक औषधालय	1
(vi)	सिद्ध	1
(v)	पॉलिक्लिनिक	2
(vi)	प्रयोगशालाएं	2
(vii)	दन्त चिकित्सा एकक	1

(ख) औषधालयों में परामर्श और उपचार सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। विशेषज्ञ की सेवाएं पॉलिक्लिनिकों में उपलब्ध हैं। इसके अलावा पॉलिक्लिनिकों और विकृति विज्ञानी प्रयोगशालाओं में विकृतिविज्ञानी जांचें, एक्स–रे, अल्ट्रासाउंड और नेमी जांचें की जाती हैं। दंत चिकित्सा एकक लाभार्थियों को दंत चिकित्सा परिचर्या सेवाएं प्रदान करता है।

(ग) तमिलनाडु में 42,791 केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना कार्डधारी और 1,68,576 केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना लाभार्थी हैं।

(घ) और (ङ) यद्यपि 9वीं पंचवर्षीय योजना के शेष भाग में चेन्नई में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन एक एलोपैथिक औषधालय, एक आयुर्वेदिक एकक, एक होम्योपैथि एकक और एक सिद्ध एकक खोलने के प्रस्ताव हैं, लेकिन नवम्बर, 1999 की कर्मचारी निरीक्षण एकक रिपोर्ट का कार्यान्वयन होने तक और संसाधनों और कार्मिक शक्ति की कठिनाइयों के कारण केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लिए इस समय तमिलनाडु में और औषधालय खोलना संभव नहीं होगा।

हैदराबाद आव्रजन कार्यालय में वेबसाइट खोलना

4742. श्री राम मोहन गाड्डे : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद आव्रजन कार्यालय में वेबसाइट शुरू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) वेबसाइट में

– विभिन्न प्रकार की पासपोर्ट संबंधी सेवाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया

– पासपोर्ट आवेदक फार्म (जिसे वेबसाइट से डाउन लोड किया जा सकता है)

– पासपोर्ट आवेदन फार्मों की स्थिति से संबंधित सूचना उपलब्ध होगी।

यह वेबसाइट मई 2001 से शुरू होने की संभावना है।

वरिष्ठ नागरिकों को सी.जी.एच.एस. सुविधा

4743. डा. जसवंत सिंह यादव :
श्री नरेश पुगलिया :
श्री रामजी मांझी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश के वरिष्ठ नागरिकों को सी. जी. एच. एस. के अंतर्गत न आने के बावजूद इस योजना की सुविधा देने का है;

(ख) यदि हां, तो वरिष्ठ नागरिक इस सुविधा का उपयोग किस सीमा तक कर सकेंगे व इसके मानदंड सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना को कब तक क्रियान्वित कर दिये जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) ऊपर (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

संचारी/असंचारी रोग

4744. श्री अब्दुल रशीद शाहीन :
श्री थावरचन्द गेहलोत :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोगों को संचारी और असंचारी रोगों से बचाने हेतु सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान मलेरिया, हैजा, डेंगू, प्लेग, तपेदिक, कुष्ठ, अंधता, एड्स और कैंसर जैसे रोगों की राज्यवार स्थिति कैसी है और इस संबंध में राज्यवार कितनी सहायता दी गई है;

(ग) संचार और असंचारी रोगों से कितने व्यक्तियों की मौतें हुईं; और

(घ) इन बीमारियों की रोकथाम हेतु गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा प्राप्त विदेशी सहायता और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठनों द्वारा प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) भारत सरकार राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम, संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम और राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम आदि जैसे विभिन्न प्रमुख रोग नियंत्रण कार्यक्रम देश के लोगों के लाभ के लिए वर्षों से चलाती आ रही है। इसके अलावा, जब कभी बड़ा प्रकोप होता है प्रभावित लोगों के लिए तत्काल आपात चिकित्सा राहत उपाय किए जाते हैं।

(ख) विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्यों को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण-। में दिया गया है।

(ग) मलेरिया/डेंगू, एच. आई. वी./एड्स से हुई मौतों का ब्यौरा विवरण-II पर दिया गया है। अन्य संचारी/गैर-संचारी रोगों के कारण हुई मौतों के संबंध में सूचना केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत सरकार द्वारा प्राप्त बाह्य सहायता तथा अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठनों की सहायता का ब्यौरा विवरण-III पर दिया गया है।

विवरण-I

राज्यों को विमुक्त की गई निधि-क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	विमुक्त अनुदान		
		1998-99	1999-2000	2000-2001
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	241.11	298.14	105.61
2.	असम	67.16	87.53	93.73
3.	अरुणाचल प्रदेश	11.59	2.38	83.05
4.	बिहार	581.90	425.38	23.08
5.	गोवा	3.33	0.00	9.98
6.	गुजरात	545.20	165.69	270.98
7.	हरियाणा	53.06	161.02	67.47
8.	हिमाचल प्रदेश	92.66	60.00	239.03
9.	जम्मू एवं कश्मीर	25.68	35.00	92.08
10.	कर्नाटक	327.93	164.24	262.82
11.	केरल	336.30	147.64	84.06
12.	मध्य प्रदेश	243.29	244.67	87.09
13.	महाराष्ट्र	408.59	473.98	1,101.92
14.	मणिपुर	24.84	23.88	133.93
15.	मेघालय	6.89	8.07	7.54
16.	मिजोरम	12.21	3.26	4.29
17.	नागालैंड	11.74	2.60	60.70
18.	उड़ीसा	96.02	182.46	99.67

1	2	3	4	5
19.	पंजाब	64.09	0.00	48.67
20.	राजस्थान	215.54	541.27	627.54
21.	सिक्किम	11.17	1.78	48.30
22.	तमिलनाडु	377.35	494.90	617.24
23.	त्रिपुरा	10.01	12.54	11.56
24.	उत्तर प्रदेश	535.67	768.94	158.26
25.	पश्चिम बंगाल	485.96	546.65	330.76
26.	अंडमान एवं निकोबार	10.75	1.17	0.99
27.	चंडीगढ़	12.20	3.52	18.05
28.	पांडिचेरी	11.75	3.11	3.35
29.	दादरा एवं नगर हवेली	0.44	0.63	0.70
30.	दमन व दीव	0.32	0.45	0.56
31.	लक्षद्वीप	0.16	0.23	2.11
32.	दिल्ली	71.16	194.03	108.47
	कुल	4,896.0	5,055.16	4,803.49

संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम की उपर्युक्त सामग्रीगत सहायता के अतिरिक्त एन टी पी क्षेत्र के लिए औषध एवं स्पुटम पोजिटिव औषधों तथा राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को बायनोकुलर सूक्ष्मदर्शियों की भी आपूर्ति की गई।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम निधियों का समुपयोजन

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	विमुक्त अनुदान		
		1998–99	1999–2000	2000–2001
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	650.00	1219.67	824.50
2.	अरुणाचल प्रदेश	30.00	159.00	111.00
3.	असम	100.00	322.00	375.00
4.	बिहार	110.00	55.00	196.00
5.	गोवा	35.00	98.00	72.73
6.	गुजरात	230.00	721.00	347.17
7.	हरियाणा	160.00	270.00	246.50
8.	हिमाचल प्रदेश	115.00	318.00	262.50
9.	जम्मू एवं कश्मीर	25.00	25.00	152.00
10.	कर्नाटक	335.00	801.67	398.65
11.	केरल	65.00	280.00	350.63
12.	मध्य प्रदेश	315.00	352.31	542.00
13.	महाराष्ट्र	800.00	998.35	852.00
14.	मणिपुर	245.00	352.38	415.30
15.	मेघालय	30.00	70.14	87.50
16.	मिजोरम	100.00	168.00	179.00
17.	नागालैंड	227.00	380.00	250.50
18.	उड़ीसा	100.00	200.00	358.50
19.	पंजाब	150.00	312.39	321.50
20.	राजस्थान	100.00	150.00	380.00
21.	सिक्किम	50.00	25.00	66.00
22.	तमिलनाडु	800.00	883.09	1108.30
23.	त्रिपुरा	20.00	50.00	92.00
24.	उत्तर प्रदेश	200.00	851.00	1175.00
25.	पश्चिम बंगाल	350.00	425.00	643.15
26.	दिल्ली	110.00	283.00	239.00
27.	पांडिचेरी	40.00	25.00	21.50
28.	अंडमान व निकोबार द्वीप	20.00	50.00	66.44
29.	चंडीगढ़	60.00	115.00	93.11
30.	दादरा एवं नगर हवेली		25.00	9.00

1	2	3	4	5
31. दमन व दीव		15.00	95.00	9.00
32 लक्षद्वीप			25.00	9.16
33 एम.डी.ए.सी.एस., मुम्बई		350.00	670.00	431.65
34 अहमदाबाद एम.सी.		5.00	75.00	84.61
35 चेन्नई एम.सी.			125.00	101.50
कुल		5942.00	10975.00	10872.40

राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम के अंतर्गत 1998–99 से 2000–2001 के दौरान राज्यवार व्यय को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपये में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1998–99 (व्यय)	1999–2000 (व्यय)	2000–2001
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	482.93	663.50	553.25
अरुणाचल प्रदेश	186.61	229.22	305.53
असम	2170.42	2616.73	2227.29
बिहार	403.05	578.66	1217.25
गोवा	7.72	4.54	0.47
गुजरात	611.11	349.95	170.53
हरियाणा	260.39	160.95	73.36
हिमाचल प्रदेश	51.77	92.45	83.49
जम्मू एवं कश्मीर	72.57	103.40	80.00
कर्नाटक	264.47	229.29	234.33
केरल	102.73	49.63	47.53
मध्य प्रदेश	450.49	443.28	821.30
महाराष्ट्र	260.26	181.51	444.65
मणिपुर	377.34	219.53	236.79
मेघालय	231.55	212.27	308.54
मिजोरम	172.53	190.05	240.46
नागालैंड	183.34	308.33	279.95
उड़ीसा	385.14	436.17	513.69
पंजाब	290.67	148.45	133.76
राजस्थान	1994.15	1075.71	368.42
सिक्किम	8.47	7.90	8.00
तमिलनाडु	240.72	114.91	138.14
त्रिपुरा	356.97	379.31	463.95
उत्तर प्रदेश	1121.92	527.80	547.37
पश्चिम बंगाल	330.90	501.99	601.95
दिल्ली	37.21	20.10	90.17
पांडिचेरी	6.15	11.28	23.83
अंडमान व निकोबार	155.68	111.28	223.75
चंडीगढ़	44.30	34.55	38.77
दादरा व नगर हवेली	24.90	34.85	40.61
दमन व दीव	10.08	12.97	15.91
लक्षद्वीप	5.24	5.82	8.96
	11305.48	10055.84	10542.00*
काला–आजार	1000.00	1000.00	
ई.एस.टी.टी./अनुसंधान/प्रचार	571.10	541.35	624.00
ई.ए.सी.	3517.39	6064.95	8230.00
एन.डी.सी.पी.	–	–	4.00
महायोग	16393.97	17662.14	19400.00

*काला–आजार नियंत्रण के लिए प्रावधान सहित।

राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों को विमुक्त निधियां

(लाख रुपये में)

राज्य	1998–1999	1999–2000	2000–2001	कुल अनुदान
1	2	3	4	5
विश्व बैंक परियोजना राज्य				
आंध्र प्रदेश	533.50	434.40	417.25	1,385.15
मध्य प्रदेश	976.67	740.81	473.00	2,190.48
महाराष्ट्र	449.25	664.88	437.00	1,551.13
उड़ीसा	551.08	420.25	1,087.00	2,058.33
राजस्थान	324.50	314.18	759.00	1,397.68
तमिलनाडु	866.85	1,009.82	523.25	2,399.92
उत्तर प्रदेश	806.75	789.32	414.50	2,010.57
उप–योग	4,508.60	4,373.66	4,111.00	12,993.26
अन्य राज्य				
अरुणाचल प्रदेश	9.50	18.00	26.89	54.39
असम	107.15	86.75	139.14	333.04
बिहार	204.00	165.00	251.31	620.31
दिल्ली	24.70	42.52	31.27	98.49
गोवा	63.15	14.50	38.65	116.30
गुजरात	154.14	396.52	255.22	805.88
हरियाणा	101.00	170.27	135.50	406.77
हिमाचल प्रदेश	83.53	86.25	109.50	279.28
जम्मू एवं कश्मीर	92.00	40.75	94.64	227.39
कर्नाटक	258.01	352.20	241.90	852.11
केरल	91.57	222.59	210.80	524.96
मणिपुर	25.91	7.00	37.70	70.61
मेघालय	26.83	24.00	41.09	91.92
मिजोरम	25.75	29.50	36.95	92.20
नागालैंड	64.10	14.00	34.70	112.80
पंजाब	56.60	199.61	90.60	346.81
सिक्किम	38.30	18.25	23.09	79.64
त्रिपुरा	50.89	35.39	55.47	141.75
पश्चिम बंगाल	141.70	204.10	187.25	533.05
अंडमान व निकोबार द्वीप	7.80	10.67	3.75	22.22
चंडीगढ़	10.60	11.24	11.00	32.84
दादरा व नगर हवेली	6.70	2.50	3.75	12.95
दमन व दीव	7.70	9.40	3.75	20..85
लक्षद्वीप	17.70	5.72	3.75	27.17
पांडिचेरी	5.30	20.82	7.09	33.21
उप–योग	1,674.63	2,187.55	2,074.76	5,936.94
महायोग	6,183.23	6,561.21	6,185.76	18,930.20

कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को विमुक्त निधियां

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	1998-99	1999-00	2000-01
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	282.50	203.50	00
2.	असम	00	3.00	00
3.	अरुणाचल प्रदेश	00	00	00
4.	बिहार	30.00	75.00	83.00
5.	गोवा	00	00	00
6.	गुजरात	78.30	175.00	75.00
7.	हरियाणा	00	00	325.00
8.	हिमाचल प्रदेश	00	73.00	75.00

1	2	3	4	5
9.	जम्मू एवं कश्मीर	150.00	36.00	00
10.	कर्नाटक	82.50	175.00	475.00
11.	केरल	251.65	686.50	82.50
12.	मध्य प्रदेश	57.50	170.00	395.00
13.	महाराष्ट्र	75.00	175.00	325.00
14.	मणिपुर	–	30.00	–
15.	मेघालय	–	–	–
16.	मिजारेम	–	–	–
17.	नागालैंड	–	–	–
18.	उड़ीसा	82.50	75.00	75.00
19.	पंजाब	149.00	51.00	–
20.	राजस्थान	300.00	225.00	75.00
21.	सिक्किम	–	–	30.00
22.	तमिलनाडु	86.00	194.00	401.00
23.	त्रिपुरा	-	-	-
24.	उत्तर प्रदेश	82.50	160.50	85.50
25.	पश्चिम बंगाल	460.00	675.00	468.71
26.	अंडमान व निकोबार	–	–	–
27.	चंडीगढ़	–	–	200.00
28.	पांडिचेरी	–	–	–
29.	दादरा व नगर हवेली	–	–	–
30.	दमन व दीव	–	–	–
31.	लक्षद्वीप	–	–	–
32.	दिल्ली	770.00	470.00	1828.50

विवरण-II

1998, 1999 तथा 2000 के दौरान मलेरिया से हुई मौतों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1998	1999	2000*
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	12	11	6
2.	अरुणालच प्रदेश	2	1	0
3.	असम	34	111	41
4.	बिहार	34	131	3
5.	गोवा	19	17	9
6.	गुजरात	3	7	0
7.	हरियाणा	0	0	0
8.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0
9.	जम्मू व कश्मीर	0	0	0
10.	कर्नाटक	3	11	12
11.	केरल	7	7	4
12.	मध्य प्रदेश	26	50	22
13.	महाराष्ट्र	32	46	16
14.	मणिपुर	1	8	0
15.	मेघालय	2	5	0
16.	मिजारेम	56	73	33
17.	नागालैंड	0	12	0
18.	उड़ीसा	349	399	315
19.	पंजाब	0	0	0
20.	राजस्थान	0	0	0
21.	सिक्किम	0	0	0

1	2	3	4	5
22.	तमिलनाडु	2	2	0
23.	त्रिपुरा	5	11	0
24.	उत्तर प्रदेश	0	0	0
25.	पश्चिम बंगाल	77	144	60
	संघ राज्य क्षेत्र			
26.	अंडमान व निकोबार	0	2	1
27.	चंडीगढ़	0	0	0
28.	दादरा व नगर हवेली	0	0	0
29	दमन व दीव	0	0	0
31.	दिल्ली	0	0	0
32.	लक्षद्वीप	0	0	0
	कुल	664	1048	522

*अनंतिम

1998, 1999 तथा 2000 के दौरान डेंगू से हुई मौतों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1998	1999	2000
1.	हरियाणा	0	0	0
2.	आंध्र प्रदेश	–	–	0
3.	पंजाब	0	1	1
4.	कर्नाटक	3	0	0
5.	गुजरात	0	0	0
6.	महाराष्ट्र	5	12	0
7.	तमिलनाडु	5	2	1
8.	दिल्ली	5	2	2
9.	उड़ीसा	0	0	–
10	राजस्थान	0	0	–
11.	उत्तर प्रदेश	0	0	–
	कुल	18	17	4

एच. आई. वी./एड्स से हुई मौतें (दिसंबर 1999 के अंत तक सूचित किए गए अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एड्स से हुई सूचित मौतें							
		1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	1	–	4	4	–	6	–	–
2.	असम	1	–	6	–	–	1	–	1
3.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	–
4.	अं. व नि. द्वीपसमूह	30	–	–	–	–	–	–	7
5.	बिहार	–	–	30	40	–	12	5	7
6.	चण्डीगढ़	–	–	–	–	–	–	–	13
7.	पंजाब	23	12	46	8	5	4	–	–
8.	दिल्ली	–	–	–	–	–	–	–	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	दमन व दीव	—	—	—	—	—	—	—	—
10.	दादरा व नगर हवेली	8	1	—	—	3	1	2	—
11.	गोवा	3	—	4	—	—	4	—	3
12.	गुजरात	3	—	4	—	—	—	12	—
13.	हरियाणा	—	1	4	—	1	—	—	5
14.	हिमाचल प्रदेश	10	2	—	—	29	34	6	—
15.	जम्मू व कश्मीर	40	—	10	—	13	4	—	—
16.	कर्नाटक	14	—	—	21	4	12	9	17
17.	केरल	37	35	32	31	110	82	13	—
18.	लक्षद्वीप	6	13	7	39	71	—	4	—
19.	मध्य प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	50
20.	महाराष्ट्र	—	—	—	—	—	—	—	57
21.	मणिपुर	—	1	2	4	7	—	2	17
22.	मिजोरम	—	1	1	—	2	—	—	7
23.	मेघालय	6	—	40	—	18	4	1	—
24.	नागालैंड	—	—	—	1	—	1	12	25
25.	उड़ीसा	—	—	—	—	—	—	—	—
26.	पांडिचेरी	10	23	60	40	—	18	71	—
27.	राजस्थान	—	—	—	—	—	—	—	—
28.	सिक्किम	6	—	4	—	24	—	1	—
29.	तमिलनाडु	12	2	13	—	—	2	—	119
30.	त्रिपुरा	—	—	—	—	—	—	—	—
31.	उत्तर प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	4
32.	पश्चिम बंगाल	—	—	—	—	—	—	—	—
	कुल 1722	210	91	267	188	287	185	138	356

विवरण-III

संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए विश्व बैंक के साथ 142.2 मिलियन अमरीकी डालर (604 करोड़ रुपये) के उदार शर्तों वाले ऋण की बातचीत की गई है। अन्तर्राष्ट्रीय विकास विभाग (डीएफआईडी) 109.93 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर पूरे आन्ध्र प्रदेश राज्य में संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए कार्यक्रम में सहयोग कर रहा है। डेनिडा 31.95 करोड़ रुपये की लागत पर उड़ीसा के 14 जिलों में चरणबद्ध तरीके से संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है।

गत तीन वर्षों के दौरान कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्राप्त बाह्य सहायता तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन की सहायता का ब्यौरा इस प्रकार है :

(आंकड़े करोड़ में)

संगठन	1998–99	1999–00	2000–01
वर्ड बैंक	39.90	46.88	50.00
डब्ल्यू.एच.ओ.	20.00	18.00	16.00
डेनिडा	1.10	1.17	2.00
कुल	61.00	66.05	68.00

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्विवर्षीय 1998–99 में मलेरिया और अन्य वेक्टर वाहित रोगों के अधीन कार्यकलापों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन से 29,22,000 रुपये की सहायता प्राप्त हुई है। द्विवर्षीय 2000–2001 में विश्व स्वास्थ्य संगठन से 74,11,316 रुपये की सहायता प्राप्त हुई।

पिछले तीन वर्षों के दौरान दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक परियोजना और देनिश सहायता के अन्तर्गत आबंटित निधियां इस प्रकार हैं :

(रुपये करोड़ में)

विश्व बैंक	डेनिडा	राशि
1998–99	53	5
1999–00	60	5
2000–01	65	10

एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के लिए सरकार द्वारा प्राप्त बाह्य सहायता तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की सहायता का ब्यौरा इस प्रकार है :

(रुपये मिलियन में)

आई डी ए क्रेडिट (1999–2000)	11550
यू एस ए आई डी	1660
डी एफ आई डी	1040

हमारे अतिरिक्त सीडा 12 मिलियन कनेडियन डालर की वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्विवर्षीय 2000–2001 के अधीन राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल निधियां लगभग 6.00 लाख डालर थीं और ये 1998–99 के दौरान 3.53 लाख डालर थीं। इसके अतिरिक्त 5.75 करोड़ रुपये की राशि वर्ष 1999–2000 के दौरान जीका के अन्तर्गत कैंसर अनुसंधान संस्थान, चेन्नई को सहायता अनुसंधान के रूप में प्रदान की गई।

[अनुवाद]

धूम्रपान पर प्रतिबंध

4745. श्री टी. टी. वी. दिनाकरन :
श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान और तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार तम्बाकू की खेती करने वाले किसानों और तम्बाकू उद्योग में कार्यरत मजदूरों की आजीविका का संरक्षण के उद्देश्य से एक विधान बनाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो तम्बाकू की खेती करने वाले किसानों और मजदूरों का किस तरह पुनर्वास करने और उन्हें मुआवजा देने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) एक व्यापक कानून जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान और तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन पर रोक लगाने के लिए उपबंध शामिल हैं; 7 मार्च, 2001 को राज्य सभा में पुरःस्थापित किया गया है।

इस विधेयक में ऐसे कोई उपबंध नहीं हैं जो तम्बाकू उत्पादकों और तम्बाकू उद्योग में रोजगार प्राप्त श्रमिकों की आजीविका को सीधे प्रभावित करते हों।

(ग) और (घ) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

किशोर न्याय अधिनियम

4746. श्री सईदुज्जमा : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 16 नवंबर, 2000 को टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित खबर के अनुसार किशोर कल्याण परिषद ने लगभग दो वर्ष पूर्व एक 11 वर्षीय बालक की हिरासत में हुई मौत की जांच के आदेश दिए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस संबंध में क्या निवारक उपाय किये गये और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार अडिग नियमित पुलिस को किशोर मामलों से अलग रखने हेतु अधिनियम बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त कानून को कब तक बनाए जाने की संभावना है; और

(ङ) क्या सरकार की योजना उक्त मामलों की देखभाल करने हेतु एक्शन इंडिया ट्रस्ट, क्राई, एम. ए. एफ. आर. ई. जैसे अन्य गैर सरकारी संगठनों को प्रोत्साहित करने का है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार ने पहले ही किशोर न्याय अधिनियम, 1986 के स्थान पर किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 अधिनियमित कर दिया है। इस नए अधिनियम के उपबंध 1 अप्रैल, 2000 से लागू हुए हैं। इस नए अधिनियम में अन्य बातों के साथ--साथ पुलिस के साथ समन्वय से किशोर या बच्चों की देखभाल के लिए "किशोर या बाल कल्याण अधिकारी" के रूप में प्रत्येक पुलिस स्टेशन में कम से कम एक अधिकारी और विशेष किशोर पुलिस इकाइयों के गठन का प्रावधान है।

(ङ) नए अधिनियम में देश में किशोर न्याय प्रणाली के बेहतर कार्यान्वयन के लिए गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी का प्रावधान है।

परिवार नियोजन कार्यक्रम

4747. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में परिवार नियोजन कार्यक्रम को महिलाओं पर केन्द्रित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू करने हेतु पुरुषों में जागरूकता लाने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश की बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए स्वास्थ्य कार्यक्रमों को अधिक सफल बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) देश में परिवार नियोजन कार्यक्रमों को मातृस्वास्थ्य, सुरक्षित मातृत्व तथा 1997 से प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य पर संकेन्द्रित किया गया है। इसके अतिरिक्त फरवरी, 2000 में भारत सरकार द्वारा अंगीकार की गई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 में महिलाओं/शिशु बालिकाओं के लाभ हेतु निम्नलिखित योजनाओं का उल्लेख है :

* बालिका समृद्धि योजना जिसके अंतर्गत पहले या दूसरे जन्म क्रम की बालिका के जन्म पर 500 रुपये का नकद प्रोत्साहन प्रदान किया गया है, को जारी रखना।
* मातृत्व लाभ योजना जिसके अंतर्गत सिर्फ पहले या दूसरे बच्चे के जन्म के लिए उन माताओं जिन्होंने 19 वर्ष की आयु के पश्चात अपने पहले बच्चे को जन्म दिया है, को 500 रुपये का नकद प्रोत्साहन दिया जाता है, को जारी रखना।
* ग्रामीण क्षेत्रों तथा शहरी मलिनावासों में शिशु सदनों तथा शिशुपरिचर्या केन्द्रों को चलाना।
* सुरक्षित गर्भपात के लिए सुविधाएं सुदृढ़ तथा विस्तृत की जाएंगी।
* बालिकाओं के लिए अधिक व्यावसायिक प्रशिक्षण योजनाएं जिससे स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा।

(ग) परिवार कल्याण कार्यक्रम में पुरुष की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए देश में नो–स्केलपल वैसेक्टॉमी परियोजना कार्यान्वित

की जा रही है। इस परियोजना के अंतर्गत, देश भर के 1500 चिकित्सा कार्मिकों को नो स्केलपल वैसेक्टॉमी तकनीकी में प्रशिक्षित किया जा रहा है। परिधीय स्तर तक इस नई तकनीक की उपलब्धता सुनिश्चित करने से देश में पुरुष बन्ध्यीकरण की स्वीकृति बढ़ाने में मदद मिलेगी।

(घ) छोटे परिवार के मानदण्ड के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करने/शिक्षा देने हेतु सरकार द्वारा अब तक उठाए गए कदम इस प्रकार हैं :

(i) इलेक्ट्रानिक तथा प्रिंट मीडिया के जरिए हिन्दी क्षेत्रीय दोनों भाषाओं में छोटे परिवार के मानदंड, जन्म में अंतराल रखने, प्रतिरक्षण इत्यादि से संबंधित व्यापक प्रचार किया जा रहा है। सूचना, शिक्षा एवं संचार के प्रयत्नों के सुदृढ़ीकरण में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का मीडिया एकक तथा अनेक सामाजिक विपणन संगठन एवं गैर-सरकारी संगठन शामिल हैं।

(ii) महिला स्वास्थ्य संघों, राज्य स्तरीय सेमिनारों, सांस्कृतिक प्रदर्शनियों, प्रदर्शनी, रोड साइड होर्डिंगों इत्यादि के सुदृढ़ीकरण सहित कई अन्य सूचना, शिक्षा एवं संचार कार्यकलाप साथ-साथ किए जाते हैं। इस कार्यक्रम के लिए सूचना, शिक्षा एवं संचार में स्थानीय विशिष्ट विषयों का पता जिला साक्षरता समितियों वाली योजना के जरिए लगाया जाता है। इसके अंतर्गत 227 जिलों को कवर किया गया है।

(iii) परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य मेलों के आयोजन द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सभी विभागों की समाभिरूपता (कन्वर्जेन्स) कार्यान्वित की जाती है। जनसांख्यिकीय रूप से कमजोर राज्यों में अनेक मेले आयोजित किए गए हैं। यह मेला एक ही स्थान पर तथा एक ही समय में व्यापक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाओं को समाभिरूपता प्रदान करता है। यह जनसंख्या के विभिन्न वर्गों में अपूर्ण आवश्यकताओं पर ध्यान देने में मदद करता है। लोगों की जोरदार अनुक्रिया रही है एवं इसकी प्रशंसा की गई है।

(iv) देश के अल्पसेवित क्षेत्रों के लिए, नियमित अन्तरालों पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आधारित प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।

'दास' संवर्ग-I

4748. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सचिवों की फास्ट ट्रैक समिति ने सिफारिश की है कि 'दास संवर्ग-I के वेतनमान को बढ़ाने हेतु पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है और उन्हें केवल 1640-2900 रुपये (पूर्व संशोधित), 5500-9000 (संशोधित) को पुनर्स्थापित वेतनमान दिया जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त सिफारिश के बावजूद 'दास' संवर्ग-I को 6500-10,500 रुपये का वेतनमान प्राप्त करने की अनुमति प्रदान की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की सिफारिशों के आधार पर, केन्द्रीय सरकार ने दास, ग्रेड-I का वेतनमान, इस बारे में आदेश के जारी किए जाने की तारीख अर्थात दिनांक मार्च 19, 1996 से 1640-2900/-रुपये से संशोधित करके 2000-3200/-रुपये का कर दिया जाना, पहले ही अनुमोदित कर दिया था। उपर्युक्त वेतनमान का संशोधन इस शर्त पर किया गया था कि इस पर होने वाला व्यय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के बजट-अनुदान में से वहन किया जाएगा और केन्द्रीय सरकार द्वारा दास के ग्रेड-I का वेतनमान संशोधित कर दिए जाने के कारण होने वाले व्यय को वहन करने के संबंध में कोई सहायता मुहैया नहीं करवाई जाएगी। ऐसी स्थिति में, दास के ग्रेड-I को, जनवरी 30, 1997 को पांचवें केन्द्रीय वेतन-आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट पेश कर दिए जाने से बहुत समय पहले ही संशोधन से पहले का 2000-3200/- रुपये का 6500-10,500/- रुपये का संशोधित वेतनमान दे दिया गया था।

जहां तक सत्वरता से विचार किए जाने हेतु अपेक्षित मदों के बारे में गठित समिति (फास्ट ट्रैक समिति) की सिफारिशों का संबंध है, दास के ग्रेड-I का वेतनमान, इस समिति के विचारार्थ विषयों में से एक विषय के रूप में शामिल नहीं था। फिर भी, जैसा कि वेतनमानों से संबद्ध मसलों की जांच-पड़ताल करने वाले किसी भी विशेषज्ञ-निकाय से अपेक्षित है, सत्वरता से विचार किए जाने हेतु अपेक्षित मदों के बारे में गठित समिति ने अपने विचारार्थ विषयों में से एक विषय के रूप में दानिक्स और दानिप्स के बारे में पांचवें केन्द्रीय वेतन-आयोग की सिफारिश स्वीकार कर लिए जाने की मांग की जांच-पड़ताल करते समय, दानिक्स और दानिप्स

संवर्ग और उनके फीडर ग्रेडों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विभिन्न पदों की समस्तरीय और खड़ी सापेक्षता की भी जांच पड़ताल की और संशोधन से पहले का 1640–2900/– रुपये का 5500–9000/– रुपये का संशोधित प्रतिस्थापन वेतनमान संस्तुत किया। चूंकि दास के ग्रेड–I को 2000-3200 रुपये का वेतनमान, मार्च 19, 1996 से पहले ही दिया जा चुका था, अतः उन्हें इसका प्रतिस्थापन वेतनमान 6500–10,500/– रुपये दे दिया गया।

सी. जी. एच. एस. के भवन

4749. **डा. विजय कुमार मल्होत्रा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में सी. जी. एच. एस. के अपने भवन न होने के कारण कितने सी. जी. एच. एस. औषधालय सरकारी आवासों में कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी क्षेत्र–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे प्रत्येक औषधालय के लिए किराए की कितनी धनराशि का भुगतान किया जा रहा है;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों के लिए भवनों के निर्माण हेतु शहरी विकास मंत्रालय द्वारा भूमि आबंटित की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) सरकार का विचार दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के ऐसे औषधालयों के लिए भवनों को कब तक बनाने का है जो सरकारी आवासों में कार्य कर रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (ग) दिल्ली में सरकारी रिहायशी क्वार्टरों में कार्य कर रहे केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों के नामों को दर्शाने वाली एक सूची संलग्न विवरण–I में दी गई है। इन भवनों के लिए कोई किराया अदा नहीं किया जा रहा है।

(घ) से (च) शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जिन केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों के लिए भूमि आबंटित की गई है, को दर्शाने वाली एक सूची संलग्न विवरण–II में दी गई है।

(छ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों के लिए भवनों के निर्माण के लिए समय अनुसूची नहीं बताई जा सकती क्योंकि यह संसाधनों की उपलब्धता और अपेक्षित प्रशासकीय औपचरिकताओं के पूरा होने पर निर्भर करती है।

विवरण-I

दिल्ली में सरकारी रिहायशी क्वार्टरों में कार्य कर रहे केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों की सूची

1. पण्डारा रोड
2. किदवई नगर (आयुर्वेदिक औषधालय)
3. मिन्टो रोड
4. पहाड़गंज
5. लोदी रोड–II
6. सरोजनी नगर
7. देव नगर
8. चाणक्यपुरी
9. प्रेसीडेन्ट ईस्टेट
10. नौरोजी नगर
11. नार्थ एवेन्यू
12. साउथ एवेन्यू
13. कान्सटीट्यूशन हाऊस
14. टेलीग्राफ लेन
15. सरोजनी नगर मार्केट
16. एंड्रयूज गंज,
17. जंगपुरा
18. मालवीय नगर
19. आर. के. पुरम
20. चित्रगुप्ता रोड
21. इन्दरपुरी
22. आर. के. पुरम–V
23. राजपुर रोड
24. किंग्जवे कैम्प

25. सादिक नगर

26. गाजियाबाद

27. आर. के. पुरम–VI

28. फरीदाबाद

29. मुनीरका

30. कस्तूरबा नगर–II

31. दक्षिणपुरी

32. पीतम पुरा

33. प्रगति विहार

34. कालकाजी–II

35. मयूर विहार

36. पश्चिम विहार

37. सरोजनी नगर (यूनानी औषधालय)

विवरण-II

शहरी विकास मंत्रालय के अधीन दिल्ली विकास प्रधिकरण/ भूमि व विकास कार्यालय द्वारा दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, औषधालयों को आबंटित प्लाटों की सूची

पहले ही कब्जा ले लिया है :

1. अशोक विहार

2. दिलशाद गार्डन

3. कमला नेहरू नगर, गाजियाबाद

4. पुष्प विहार, सेक्टर–I/II, एम. बी. रोड

5. मोती विहार

6. मयूर विहार

7. मालवीय नगर

8. पीतमपुरा

9. नोएडा

10. शकूरबस्ती

11. शालीमार बाग

12. टैगोर गार्डन

13. वसंत विहार

14. विकासपुरी

जिन पर कब्जा लिया जाना है :

1. अलकनन्दा (कालका जी–II)

2. पटेल नगर/ईस्ट पटेल नगर

3. पटपड़गंज

4. रोहिणी

5. त्यागराज नगर

6. यमुना विहार

7. मोतिया खान

8. ए. बी. ब्लाक जनकपुरी

9. माडल टाऊन/धीरपुर

10. आर. के. पुरम, सेक्टर–XIII

गरीबी रेखा के नीचे जी रहे लोग

4750. श्री सुबोध मोहिते : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल का प्राक्कलन बताता है कि नौवीं योजना में गरीबी रेखा के नीचे रह रहे लोगों की संख्या और अनुपात की कमी से संबंधित अनुमान योजना अवधि की प्रथम दो वर्षों में पूरे नहीं हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अनुमानों के पूरा नहीं होने के क्या कारण हैं; और

(घ) इसके लिए संरचनात्मक सुधार नीतियां कितनी जिम्मेदार हैं?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण

शौरी) : (क) नौवीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के अनुपात और संख्या के वार्षिक अनुमान नहीं लगाए गए हैं। तथापि, नौवीं पंचवर्षीय योजना ने नौवीं पंचवर्षीय योजना (2001–2002) के अंतिम वर्ष तक गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के प्रतिशत का अनुमान 17.98 प्रतिशत लगाया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

पशुओं पर किए जाने वाले प्रयोगों पर प्रतिबंध

4751. श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री जय प्रकाश :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पशु प्रजनन और प्रयोग (नियंत्रण और पर्यवेक्षण) नियम, 1998 में संशोधन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या सरकार पशुओं पर किए जाने वाले प्रयोगों पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके परिणामस्वरूप शोध/प्रायोगिक कार्यों पर क्या संभावित प्रभाव पड़ेगा?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) पशु प्रजनन और प्रयोग (नियंत्रण और पर्यवेक्षण) नियम 2001 को भारत के राजपत्र में का. आ. सं. 134(ई), दिनांक 15.2.2001 के तहत प्रकाशित कर दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

चिकित्सा पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों का प्रवेश

4752. श्री रामजीलाल सुमन :
डा. मंदा जगन्नाथ :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान स्पेशलिटिज और सुपर स्पेशलिटी पाठ्यक्रमों में सभी चिकित्सा महाविद्यालयों (केन्द्र सरकार से सहायता–अनुदान प्राप्त करने वाले) के विभिन्न संकायों/विषयबद्ध विभागों में कितनी सीटें प्रवेश हेतु उपलब्ध कराई गईं;

(ख) विभिन्न संकायों/पाठयक्रमों में अनुसूचित जाति/अनूसूचित जनजाति समुदाय के कितने विद्यार्थियों को प्रवेश प्रदान किया गया और तीन वर्षों के दौरान कुल सीटों की तुलना में इन विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना था; और

(ग) उपरोक्त सिफारिश को संतोषजनक रूप से कार्यान्वित न करने के क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

इंटरनेट पर औषधियां

4753. श्रीमती सुशीला सरोज : क्या **सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इंटरनेट के जरिए औषधियों की बिक्री और खरीद की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सिंथेटिक औषधियों के उत्पादन से संबंधित सूचना इंटरनेट पर उपलब्ध है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) इंटरनेट विभिन्न विषयों पर सूचनाओं का अथाह भंडार भी प्रदान करता है। इंटरनेट पर सिंथेटिक औषधियों के विनिर्माण से संबंधित सूचनाओं के उपलब्ध होने की उम्मीद करना सही है।

(ग) इंटरनेट पर उपलब्ध किसी भी सूचना के अभिगम को पूरी तरह रोकना तकनीकी रूप से संभव नहीं है।

[अनुवाद]

लघु उद्योग की रुग्ण इकाइयों का पुनर्वास

4754. डा. वी. सरोजा : क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) सरकार द्वारा लघु उद्योग की रुग्ण इकाइयों की पहचान और पुनर्वास हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इस संबंध में राज्यस्तरीय अंतर-संस्थानात्मक समिति को मजबूत करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) सरकार ने सम्भाव्य जीवनक्षम रुग्ण उद्योगों की समय पर पहचान करने और उनके पुनर्वास के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों की परिभाषा में आशोधन करना, पुनर्वास के लिए घटी हुई ब्याज दर, पहचान की गई रुग्ण इकाइयों के लिए तत्काल जीवनक्षमता अध्ययन/उपचार कार्यक्रम, राज्य स्तरीय अन्तःसंस्थानिक समितियों के रूप में संस्थानिक तंत्र, बैंकों और राज्य वित्तीय संस्थानों में विशेष पुनर्वास कक्ष तथा पात्र इकाइयों को पुनर्वास सहायता देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए विस्तृत मार्ग-निर्देश शामिल हैं।

(ख) से (घ) राज्य स्तरीय अन्तःसंस्थानिक समितियों को सुदृढ़ करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने कई कदम उठाए हैं। इनमें नियमित रूप से बैठकें आयोजित करना, राज्य स्तरीय अन्तःसंस्थानिक समितियों की बैठकों की अध्यक्षता के लिए केवल वरिष्ठ अधिकारियों को ही नामित करना, राज्य स्तरीय अन्तःसंस्थानिक समितियों की उप-समितियों द्वारा विशिष्ट व्यक्तिगत मामलों को देखा जाना तथा सम्भाव्य जीवनक्षम रुग्ण इकाइयों के पुनर्वास के लिए चरणबद्ध कार्यक्रम तैयार करना, राज्य स्तरीय अन्तःसंस्थानिक समितियों की बैठकों में स्थानीय लघु उद्योग एसोसिएसनों की भागीदारी शामिल है।

संक्रमित तरल आधान का दुष्प्रभाव

4755. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अनेक अस्पतालों में संक्रमित तरल आधान किया जा रहा है जिसके फलस्वरूप रोगियों की मौत हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान और आज तक ऐसे कितने मामले सरकार के ध्यान में आए हैं;

(ग) क्या डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में एल. वी. पी. की संक्रमित बोतलों की पहचान के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की विशेषज्ञ समिति ने रोगियों के लिए स्वास्थ्य परिचर्या में उत्पादों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए कतिपय सिफारिशें की थीं;

(घ) यदि हां, तो उक्त सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सभी सरकारी अस्पतालों द्वारा इसे लागू नहीं किए जाने के क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) पिछले दो वर्षों के दौरान ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है।

(ग) से (ङ) जी, हां। सिफारिशों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

1. औषधों के प्रापण और इन्वेंटरी नियंत्रण, प्राप्ति, हथालन, भंडारण, गुणवत्ता-नियंत्रण, संवितरण और प्रदान करने आदि के लिए नीतियां और प्रक्रियाएं तैयार करना।

2. गुणवत्ता से संबद्ध शिकायतों, सभी उपचार त्रुटियों और प्रतिकूल औषध प्रभावों के निपटान के लिए नीतियां और प्रक्रियाएं तैयार करना।

3. कृन्तक नियंत्रण सहित उत्तम अस्पताल गोदाम विकसित करना और उत्तम गोदाम पद्धति दिशानिर्देश तैयार करना। यह उत्तम गोदाम पद्धतियों में अस्पताल स्टाफ को प्रशिक्षण प्रदान करेगा और दोषपूर्ण स्टाकों के रिकार्ड एक जगह रखने को सुनिश्चित करेगा। यह दिशानिर्देश तैयार करेगा और विनियामक प्राधिकरणों द्वारा उठाए गए दोषपूर्ण नमूनों को सुरक्षित रखना सुनिश्चित करेगा।

4. रोगियों को अन्तःशिरा द्रव देने से पहले विविक्त मामले का स्पष्ट रूप से निरीक्षण करने फार्मासिस्टों, नर्सों, डाक्टरों सहित अस्पताल स्टाफ को अविच्छिन्न शिक्षा प्रदान करना।

5. दोषपूर्ण और रद्द की गई वस्तुओं के तेजी से निपटान के लिए शिकायत निपटान प्रक्रिया तथा विनिर्माताओं और विनियामक अभिकरणों के भीतर नेटवर्किंग के लिए भागीदारी हेतु फ्लोचार्ट तैयार करना।

6. अनुमोदित जांच प्रयोगशालाओं द्वारा ली जाने वाली सही मात्रा, नमूना लेने के लिए जिम्मेदारी नियत करने का ब्यौरा देते हुए शिकायत नमूनों सहित स्टाकों की सैंपलिंग के संबंध में दिशानिर्देश तैयार करना।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी अन्तःशिरा द्रवों के विनिर्माण भण्डारण, संवितरण और गोदाम में रखने के लिए उत्तम विनिर्माण पद्धतियों के संवर्धन के लिए औषध और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 की अनुसूची ड की समीक्षा से संबंधित सिफारिश की थी।

इस संबंध में सरकार ने मौजूदा अनुसूची ड के अधीन फार्मास्युटिकल उत्पादों के लिए परिसरों, संयंत्र, उपकरणों और क्षेत्रों के संदर्भ में अपेक्षाओं को संवर्धन के लिए उपाय शुरू किए हैं। प्रारूप संवर्धित अनुसूची ड में अब प्रारूप अधिसूचना संख्या सा. का.नि. 8(अ), दिनांक 4.1.2001 के द्वारा शीशे और प्लास्टिक पात्रों दोनों में एलवीपी के विनिर्माण के कड़े नियंत्रण, भवन और सिविल कार्य, एयर हैंडलिंग पद्धति (केन्द्रीय वातानुकूलन), पर्यावरण मानीटरिंग, सफाई उपकरणों, जल पद्धति, विनिर्माण और विसंक्रमण प्रक्रियाओं, प्रलेखन, जरूरी क्षेत्र आदि के संदर्भ में विशिष्ट अपेक्षाओं वाला एक अलग भाग शामिल है।

सरकार ने प्रस्ताव और औषध और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के अधीन अनुसूची ड में संशोधनों को अन्तिम रूप देने से पहले विनिर्माताओं को अपने विचार देने के लिए प्रारूप अधिसूचना परिपत्रित की है।

फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की स्थापना

4756. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या और अधिक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) जी, हां। पहली बार में 500 मेगावाट क्षमता वाला एक प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (पी. एफ. बी. आर.) स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। ब्यौरेवार परियोजना रिपोर्ट (डी. पी. आर.) जुलाई, 2001 तक तैयार हो जाएगी और आशा है कि आवश्यक अनुमोदन दिसम्बर, 2001 तक प्राप्त कर लिए जाएंगे ताकि उसके बाद निर्माण–कार्य शुरू किया जा सके। अन्य फास्ट ब्रीडर रिएक्टर स्थापित किया जाना 500 मेगावाट क्षमता वाले पहले प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के सफल परिचालन पर निर्भर करेगा।

केन्द्रीय खादी और ग्रामोद्योग आयोग के लिए समग्र नीति पैकेज

4757. श्री जी. एस. बसवराज : क्या **लघु उद्योग, कृषि एवं ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र के लिए एक समग्र नीति पैकेज की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह देश के लिए कितना लाभकारी होगा;

(घ) क्या खादी और ग्रामोद्योग आयोग को गांव के प्रत्येक उद्योग के लिए उद्योग–वार राष्ट्रीय योजना तैयार करने को कहा गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

भारत विरोधी आतंकवादी गिरोह

4758. श्री के. येरननायडू : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने ब्रिटेन से वहां शरण ले कर रह रहे भारत विरोधी आतंकवादी गिरोहों के विरुद्ध कार्रवाई करने को कहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर ब्रिटेन सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री यू. वी. कृष्णमराजू) : (क) और (ख) सरकार ने, नियमित रूप से, उन संगठनों की गतिविधियों के संबंध में ब्रिटिश सरकार को अपनी हित–चिंताओं से अवगत कराया है जो भारत में आतंकवाद में लिप्त हैं और जिनका यू. के. में किसी रूप में प्रतिनिधित्व है। ब्रिटिश प्राधिकारियों के साथ ऐसी कार्रवाई के संबंध में संवाद जारी है जो इस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों के विरुद्ध की जा सकती है, विशेष रूप से

यू. के. के आतंकवाद अधिनियम, 2000 के उन प्रावधानों के तहत जो 28 मार्च, 2001 को प्रवृत्त हुआ था। ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया उत्साहवर्धक रही है। अधिनियम के तहत निर्धारित संगठनों में से यू. के. ने ऐसे पांच संगठनों हरकत–उल–मुजाहिदीन, लश्कर–ए तोयबा, जेश–ए–मोहम्मद, इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन, बब्बर खालसा और एल.टी.टी.ई. को शामिल किया है।

अस्पतालों के भंडारों की औचक जांच

4759. श्री रघुनाथ झा : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2000 की प्रथम छमाही में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने औषध नियंत्रक कार्यालय और भारतीय मानक ब्यूरो के अधिकारियों के सहयोग से सफदरजंग अस्पताल के विभिन्न भंडारों की कोई औचक जांच की थी;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की गई औचक जांच के क्या परिणाम निकले और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) यदि जांच कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है तो इसे कब तक अंतिम रूप दिये जाने की संभावना है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) विशेष रूप से गॉज घानों और हैंडलूम रोल्ड बैंडेज आदि के भंडार की जांच करने के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दिनांक 25.1.2000 को एक आकस्मिक निरीक्षण किया गया था।

(ख) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने दो प्रथम सूचना रिपोर्ट के तहत इस प्रकरण में एक नियमित मामला दर्ज किया है। उनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या आर. सी–डी ए I–2000–ए–0016, दिनांक 18.4.2000

मैसर्स संदीप गुप्ता, द्वारा मैसर्स फार्मा सर्ज इम्पैक्स, 1/56, गली नं. 3, विश्वासनगर, शाहदरा, दिल्ली।

मैसर्स फार्मा सर्ज इम्पैक्स, 1/56, गली नं. 3, विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली।

सफदरजंग अस्पताल के कुछ अधिकारी।

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या, आर. सी–डीए–1–2000–ए–0017, दिनांक 18.4.2000

जगदीश लाल माहेश्वरी, 5ए, जैन नगर, मेरठ।

मैसर्स जैनिथ कारपोरेशन, 5ए, जैन नगर, मेरठ।

सफदरजंग अस्पताल के कुछ अधिकारी।

(ग) इस मामले की केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा छानबीन की जा रही है।

(घ) सरकारी अनुमोदित प्रयोगशाला द्वारा मानक किस्म के पाए गए गॉज और बैंडेजिज को इस्तेमाल में लाया जाता है।

डिजीटलीकृत पुस्तकालय की स्थापना

4760. श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :
श्री शिवाजी माने :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास जड़ी–बूटी पर आधारित उत्पादों संबंधी दावों की उचित जांच में विदेशों में स्थित पेटेंट कार्यालयों की सहायता करने के उद्देश्य से आयुर्वेद में समृद्ध जानकारी के लिए डिजीटलीकृत पुस्तकालय बनाने हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में एक अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (ग) अमौलिक आविष्कारों पर पेटेंटों की मंजूरी देने से रोकने के लिए आसानी से सुलभ और पुनःप्रापणीय अवस्था में प्रकाशित रूप में पहले से उपलब्ध औषधीय पादपों के प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान और इस्तेमाल की जानकारी के लिए एक परंपरागत ज्ञान डिजिटल पुस्तकालय स्थापित करने के लिए आवश्यक स्वीकृति प्राप्त की गई है।

[हिन्दी]

उड़ानों के परिचालन हेतु उपग्रह

4761. श्री चन्द्रनाथ सिंह : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) उड़ानों के परिचालन हेतु उपग्रह के प्रयोग पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उपग्रह के प्रयोग से प्राप्त होने वाली सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा उपग्रह पर आधारित मौजूदा प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए.ए.आई.) ने सचिव, नागर विमानन की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय संचालन समिति के तत्वावधान में सिविलियन वायुयानों के उपग्रह आधारित मार्ग–निर्देशन के लिए संयुक्त रूप में एक राष्ट्रीय योजना तैयार की है।

किसी वायुयान के अभिगमन और अवतरण चरणों के लिए अपेक्षित उच्चतर परिशुद्धता को निरूपित करने हेतु प्रथम चरण के रूप में एक प्रौद्योगिकी निरूपण प्रणाली की योजना बनाई गई है। यह योजना सरकारी अनुमोदन के अंतिम चरणों में है। प्रौद्योगिकी निरूपण प्रणाली के सफलतापूर्वक पूरा होने के पश्चात, एक पूर्ण प्रचालनात्मक क्षमता वाली प्रणाली क्रियान्वित की जाएगी।

(ग) प्रचालनात्मक हो जाने के बाद, यह प्रणाली सिविलियन वायुयानों के मार्ग–निर्देशन के लिए आवश्यक परिशुद्धता और अपेक्षित विश्वसनीयता प्रदान करेगी और इसके परिणामस्वरूप निम्नलिखित प्रचालनात्मक लाभ प्राप्त होंगे :

(i) वांतरिक्ष क्षमता में वृद्धि, अर्थात भीड़भाड़ उत्पन्न किए बिना अधिक संख्या में वायुयान उसी वांतरिक्ष का उपयोग कर सकेंगे।

(ii) उड़ान और ईंधन की बचत होगी, क्योंकि वायुयानों के लिए मूलस्थान और निर्धारित स्थान के बीच सीधे मार्ग का उपयोग करना संभव होगा।

(घ) इस समय, वायुयान के मार्ग में विमानसंचालन के लिए ग्लोबल अवस्थिति प्रणाली (जी. पी. एस.) का विश्वव्यापी रूप में उपयोग किया जाता है। प्रौद्योगिकी निरूपण प्रणाली जी.पी.एस. संकेतों के संवर्धन के लिए एक पूर्ण प्रचालनात्मक क्षमतावाली अन्तरिक्ष–आधारित संवर्धन प्रणाली की दिशा में अनिवार्य रूप में पहला कदम है। प्रचालनात्मक हो जाने के बाद, यह प्रणाली अंतिम अभिगमन और अवतरण के दौरान वायुयान को मार्ग–निर्देशन प्रदान करेगी।

[अनुवाद]

आधुनिकीकरण निधि योजना

4762. श्री आनंदराव विठोबा अडसुल : क्या लघु उद्योग, कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि और ग्रामीण उद्योगों के लिए प्रौद्योगिकी विकास और आधुनिकीकरण निधि योजना के क्षेत्र और पर्याप्त के विस्तार हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्द मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) सभी लघु उद्योग, जिसमें कृषि एवं ग्रामीण उद्योग भी शामिल हैं, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की प्रौद्योगिकी विकास एवं आधुनिकीकरण निधि योजना के अंतर्गत कवर किए गए हैं, बशर्ते कि वे योजना की शर्तों को पूरा करते हों।

सी. ओ. डी. के पास अतिरिक्त स्टाक

4763. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी.ओ.डी. आगरा, दिल्ली छावनी, जबलपुर और सी.ए.एफ.वी.डी. किर्की की यादृच्छिक चयनित 437 वस्तुओं की मात्रा के स्टाक के बारे में चौंकाने वाली बात उजागर हुई है कि यह 10 वर्षों, 10–50 वर्षों, 50–100 वर्षों और इससे भी अधिक समय तक समाप्त नहीं होगा और स्टाक की पर्याप्त उपलब्धतता और उचित बजटीय सहायता के बावजूद उपभोक्ताओं की संतुष्टि के संदर्भ में कार्य–निष्पादन संतोषजनक स्थिति से बहुत दूर है;

(ख) यदि हां, तो क्या मामले की जांच कराने हेतु कोई प्रस्ताव है; और

(ग) स्थिति में सुधार हेतु क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (ग) यह प्रश्न भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की वर्ष 2000 में प्रकाशित रिपोर्ट के एक अंश से संबंधित है। रिपोर्ट जो केवल सीमित मदों से संबंधित है, में इंगित सामान की अधिक मात्रा अन्य

बातों के साथ-साथ इसलिए भी हो सकती है कि हो सकता है कि उपस्कर को प्रथमवार शामिल किए जाते समय विभिन्न संघटकों व अतिरिक्त कलपुर्जों की विफलता दर विनिर्माता द्वारा बताए गए पूर्वानुमान से कम हो। इसके अतिरिक्त, शांति काल में खपत कम रही है और अतिरिक्त कलपुर्जों को भी स्टॉक में रखे रहना होता है। प्रायः उपस्कर में मूल निर्माता देश से ऐसी सूचना प्राप्त होने पर कि उत्पादन बंद किया जाने वाला है, सेना को उपस्कर के उपयोगिता काल तक के लिए अतिरिक्त कलपुर्जों की खरीद करनी पड़ती है। इस स्थिति के मद्देनजर किसी जांच का प्रस्ताव नहीं है।

2. प्रयोक्ता की संतुष्टि के संबंध में उल्लेखनीय है कि पर्याप्त मात्रा में रखी जाने वाली उपर्युक्त मदों के संबंध में प्रयोक्ता संतुष्टि का स्तर ऊंचा है। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ये टिप्पणियां कि उन्हीं डिपुओं में प्रयोक्ता संतुष्टि का स्तर निम्न है, इन मदों से नहीं अपितु अन्य मदों से संबद्ध आंकड़ों के बारे में है। सेना ने उपभोक्ता संतुष्टि के स्तरों में सुधार लाने के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सिफारिशें स्वीकार किए जाने का निर्णय लिया है।

ए.सी.पी. योजना

4764. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1999 के दौरान सरकारी कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित पदोन्नति योजना कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक उक्त योजना द्वारा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायक संवर्ग में कुल स्वीकृत पदों में से कितने सहायक लाभान्वित हुए हैं;

(घ) क्या कुल स्वीकृत पदों में से प्रोन्नत सहायकों के कुछ प्रतिशत का उनकी 12-18 वर्षों की सेवा के बावजूद सुनिश्चित पदोन्नति योजना से वंचित रह जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार प्रगतिरोध को दूर करने के लिए इन सहायकों को स्वस्थाने ही प्रशाखा अधिकारियों के रूप में प्रोन्नति देने का है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) जी, हां। भावी प्रभाव से, दिनांक 09.08.1999 से लागू सुनिश्चित-करिअॅर-प्रोन्नयन की योजना के अनुसार, केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को दो वित्तीय उन्नयन दिए जाते हैं। निर्धारित शर्तें पूरी करने पर, उन्हें पहला उन्नयन, 12 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर लेने पर दिया जाता है और दूसरा उन्नयन पहला उन्नयन दिए जाने की तारीख से, 12 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर लेने के बाद दिया जाता है।

(ग) केन्द्रीय सचिवालय-सेवा का सहायक-ग्रेड, 33 संवर्गों में विभाजित एक विकेन्द्रीकृत ग्रेड है। विभिन्न संवर्गों में दिए गए वित्तीय उन्नयन से संबंधित आंकड़े केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखे जाते/सुलभ नहीं हैं।

(घ) पदोन्नत सहायक, सामान्यतः अवर श्रेणी-लिपिकों के रूप में सेवा करना आरम्भ करते हैं। ऐसे सहायकों ने इस प्रकार, अपने सेवा-काल में अवर श्रेणी-लिपिक के पद से उच्च श्रेणी-लिपिक के पद पर और उच्च श्रेणी-लिपिक के पद से सहायक के पद पर, पहले ही दो पदोन्नतियां अर्जित कर ली हैं, अतः वे सुनिश्चित करिअॅर-प्रोन्नयन की योजना के अन्तर्गत कोई और लाभ प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं। उपर्युक्त योजना में किसी कर्मचारी को उसके सेवा-काल के दौरान, क्रमशः 12 और 24 वर्ष की सेवा के पश्चात् दो वित्तीय उन्नयन दिए जाने का प्रावधान है।

(ङ) जी, नहीं।

केन्द्रीय भण्डार में अनियमितताएं

4765. श्री शीशराम सिंह रवि : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भण्डार में लेखन-सामग्री और अन्य वस्तुओं की बिक्री और खरीद और आपूर्तिकर्ताओं के चयन में भारी अनियमितताएं और भ्रष्टाचार बरता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या संगठन के मुख्य निकाय से लेखन-सामग्री विभाग को अलग करने और सरकार के सीधे नियंत्रण और पर्यवेक्षण के लिए इसके निगमीकरण हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान, केन्द्रीय भंडार में खराब गुणवत्ता वाली वस्तुओं/सामग्रियों, उच्च दर, उपभोक्ता की असंतुष्टि इत्यादि से संबंधित सरकारी विभागों से सरकार को कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य

मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) केन्द्रीय भण्डार को मिलने वाली अनियमितता और भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच उसके मुख्य सतर्कता–अधिकारी द्वारा की जाती है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय भण्डार के बहुराज्यीय सहकारी समिति–अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत होने और इसके अपने उपनियमों से युक्त उपभोक्ता सहकारी समिति होने के कारण, यह प्रस्ताव व्यवहार्य नहीं है।

(घ) सरकार को सामान्य किस्म की शिकायतें मिली हैं। ऐसी शिकायतों का सांख्यिकीय ब्यौरा अलग से नहीं रखा जाता। फिर भी, केन्द्रीय भण्डार को अधिक कीमत लेने, घटिया कागज देने इत्यादि के बारे में विभिन्न सरकारी विभागों से 7 खास शिकायतें मिली थीं। ऐसी शिकायतों की उसके द्वारा जांच की गई और उन पर कार्रवाई की गई जिसमें संबंधित कर्मचारियों पर शास्ति लगाया जाना शामिल था।

पूर्वोत्तर राज्यों में एड्स

4766. श्री एम. के. सुब्बा : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में ऐसी जनसंख्या का प्रतिशत क्या है जिन्हें एच.आई.वी. तथा एड्स का खतरा है तथा इनकी अनुमानित जनसंख्या कितनी है; और

(ख) इनमें से कितने लोगों की एड्स परीक्षण जांच की गई है और उनमें से कितने लोगों को एच.आई.वी और पूर्ण रूप से एड्स से पीड़ित पाया गया?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) प्रहरी निगरानी से प्राप्त हुए डेटा के अनुसार अनुमान है कि देश में सन् 2000 तक 38.6 लाख लोग एच.आई.वी. से संक्रमित हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में 31 मार्च, तक की स्थिति के अनुसार एड्स के रोगियों की सूचित की गई संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, भारत
भारत में एड्स रोगी (नाको को सूचित किए गए)

(31 मार्च, 2001 तक की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एड्स रोगी
1	2	3
1.	असम	110
2.	अरुणाचल प्रदेश	0
3.	नागालैंड	103
4.	मणिपुर	790
5.	मिजोरम	16
6.	मेघालय	8
7.	त्रिपुरा	0

वाणिज्य दूतावास की स्थापना

4767. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने म्यांमार से मांडले में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलने की अनुमति मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री यू. बी. कृष्णमराजू) : (क) और (ख) म्यामांर के साथ आर्थिक, सांस्कृतिक तथा अन्य प्रकार के संपर्क बढ़ाकर द्विपक्षीय सहयोग को सघन बनाने की अपनी नीति के अनुसरण में सरकार ने म्यामांर की सरकार को माण्डले तथा कोलकाता में अन्योन्यता के आधार पर कोंसली कार्यालय खोलने का प्रस्ताव रखा है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम

4768. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम को निधियां निर्गत करता रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम द्वारा राज्यों की वर्ष–वार कुल कितनी निधियां आबंटित की गई हैं;

(ग) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम ने पूर्व में निर्गत निधियों के उपयोग नहीं किए जाने के कारण राज्य अल्पसंख्यक विकास वित्त निगमों को निधियां निर्गत करना बंद कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उन्हें निधियां निर्गत करना पुनः आरम्भ कर दिया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) से (च) एनएमडीएफसी द्वारा राज्य माध्यम एजेंसियों को निधियों की निर्मुक्ति उनके अपेक्षित मानदंडों को पूरा करने तथा पहले निर्मुक्त निधियों के उपयोग की शर्त पर की जाती है। पहले निर्मुक्त निधि का उपयोग न करने के कारण विनिर्दिष्ट वर्षों में निम्नलिखित राज्यों की राज्य माध्यम एजेंसियों को निधियों की निर्मुक्ति रोक दी गई थी :

वर्ष 1998–99 — तमिलनाडु

वर्ष 1999–2000 — बिहार, जम्मू और कश्मीर (एस.सी./एस.टी. डी.सी.) तथा तमिलनाडु

वर्ष 2000–2001 — उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश (एम.पी.बी.सी. तथा एम.एफ.डी.सी.) तथा त्रिपुरा।

चूंकि बिहार तथा जम्मू और कश्मीर (जे.के.एस.सी./एस.टी. डी.सी.) की राज्य माध्यम एजेंसियों की उपयोगिता स्थिति में सुधार हुआ है इसलिए वर्ष 2000–2001 के दौरान निधियां निर्मुक्त की गई हैं।

गत तीन वर्षों के दौरान एन.एम.डी.एफ.सी. द्वारा राज्यों को निर्मुक्त निधियों का ब्यौरा

(रुपये लाख में)

राज्य का नाम	1998–99	1999–2000	2000–01
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	376.81	589.00	100.00
असम	77.93	28.18	80.47
बिहार	242.55	0.00	326.00
चंडीगढ़	14.94	9.36	7.51
गुजरात	481.64	633.23	400.00
हिमाचल प्रदेश	91.03	56.90	0.00
हरियाणा	238.99	225.00	134.78
जम्मू और कश्मीर			
जे.के.एस.सी./एस.टी.डी.सी.*	299.77	0.00	100.00
जे.के.डब्ल्यू.डी.सी.*	21.25	95.00	77.11
केरल	699.39	949.50	1209.36
कर्नाटक	641.89	632.00	600.00
मणिपुर	124.22	0.00	0.00
मध्य प्रदेश			
एम.पी.बी.सी/एम.एफ.डी.सी.*	235.18	125.00	0.00
एम.पी.एच.डी.सी.*	17.91	55.05	111.00
मिजोरम	134.43	244.63	942.43
नागालैंड	52.10	124.00	350.00
उड़ीसा	199.70	300.00	0.00
पंजाब	175.74	204.00	455.00
राजस्थान	99.12	100.00	30.00
तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00
त्रिपुरा	66.79	36.00	0.00
उत्तर प्रदेश	855.67	1030.00	1500.00
पश्चिम बंगाल	791.94	641.00	80.00
पांडिचेरी	0.00	0.00	20.00

*जे. एण्ड के. एस.सी./एस.टी.डी.सी.—जम्मू और कश्मीर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विकास निगम

जे. एण्ड के. डब्ल्यू.डी.सी.—जम्मू और कश्मीर महिला विकास निगम

एम.पी.बी.सी. एण्ड एम.एफ.डी.सी.—मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम

एम.पी.एच.डी.सी.—मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम

दवाइयों की खरीद

4769. डा. बलिराम : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी.ए.डी.जी. दिल्ली और डी.ए.डी.जी. मुख्यालय जिनके विरुद्ध सी.बी.आई. द्वारा जांच लम्बित है को स्थानान्तरित कर दिया गया है;

(ख) क्या उक्त डी.ए.डी.जी. का स्थानान्तरण डी.जी. के अनुरोध पर किया गया है;

(ग) क्या भ्रष्टाचार के मामले पाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (घ) दिल्ली चिकित्सा सामग्री भण्डार डिपो अथवा चिकित्सा सामग्री भण्डार संगठन के मुख्यालय के किसी उप सहायक महानिदेशक को स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में तैनात नहीं किया गया है। तथापि, चिकित्सा सामग्री भण्डार संगठन के किन्हीं अन्य अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियां शुरू करने के बाद उनकी सेवाएं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में गैर–संवेदनशील कार्यों में ली जा रही हैं। यह प्रशासन के हित में और न कि महानिदेशक के अनुरोध पर किया गया है। कार्रवाई जांच कार्यवाहियों के परिणाम के आधार पर की जाएगी।

नेशनल इंस्टिट्यूट आफ स्मार्ट गवर्नमेन्ट

4770. श्री राम नायडू दग्गुबाटि :
श्री के. येरननायडू :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कहीं भी नेशनल इंस्टिट्यूट आफ स्मार्ट गवर्नमेन्ट की स्थापना करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में किसी राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) और (ख) हैदराबाद में नेशनल इंस्टिट्यूट आफ स्मार्ट गवर्नमेंट की स्थापना से संबंधित एक प्रस्ताव आंध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त हुआ था। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा इस संबंध में नियुक्त परामर्शदाता की एक रिपोर्ट भी प्राप्त हुई थी। परामर्शदाता की रिपोर्ट और इस विषय पर हुए विचार–विमर्श के आधार पर राष्ट्रीय साफ्टवेयर एण्ड सर्विस कंपनीज़ एसोसियेशन (नासकॉम) ने ऐसे संस्थान की स्थापना हेतु प्रस्ताव तैयार करने के लिए एक आंतरिक अध्ययन किया था। नासकॉम से रिपोर्ट 14 मार्च, 2001 को प्राप्त हुई थी। इस संबंध में आगे कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

(ग) और (घ) आंध्र प्रदेश सरकार के अलावा, कर्नाटक सरकार ने भी एक संक्षिप्त पत्र में संस्थान की स्थापना के लिए अपने विचार भेजे हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एड्स टीके को विकसित करने संबंधी पहल

4771. श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी :
श्री रतन लाल कटारिया :
श्री विजय गोयल :
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 21 मार्च, 2001 के 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में "इंडिया जोएन्स ग्लोबल ऑफर फॉर एड्स वैक्सीन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार के अनुसार एन.ए.सी.ओ. और आई.सी.एम.आर. ने भारतीय परिवेश के अनुकूल टीके को विकसित करने के उद्देश्य से अमेरिका के एक गैर–सरकारी संगठन इंटरनेशनल एड्स वैक्सीन इनीशियेटिव (आई.ए.वी.आई.) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार हस्ताक्षरित समझौते का क्या ब्यौरा है;

(ग) इस टीके को विकसित करने के लिए आई.ए.वी.आई. द्वारा कितनी धनराशि प्रदान किए जाने की सम्भावना है;

(घ) क्या आई.ए.वी.आई. द्वारा विकसित नवीनतम टीके का केन्या में परीक्षण किया जा रहा है;

(ङ) प्रयोगशालाओं में अन्य कितने संभाव्य एड्स टीके विकसित किए गए और परीक्षणाधीन टीकों का क्या ब्यौरा है; और

(च) एच.आई.वी./एड्स के इलाज के संबंध में नवीनतम स्थिति क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) जी, हां।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने इंटरनेशनल एड्स वैक्सीन इनीशिएटिव, न्यूयार्क, संयुक्त राज्य अमरीका के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन की शर्तों के अन्तर्गत, प्रत्येक पक्ष भारत में विद्यमान एच.आई.वी. सबटाईप सी संबंधी एड्स वैक्सीन के विकास के लिए विभिन्न एप्रोचों पर सहयोगी अनुसंधान हेतु मौलिक विज्ञान अनुसंधान निर्माण में सहयोग को शामिल करने के लिए वैक्सीन के विकास में अपने अनुभव एवं संशोधनों का योगदान करेगा।

(ग) सहायता की राशि निर्दिष्ट नहीं की गई है।

(घ) जी, हां।

(ङ) विश्व में 26 विभिन्न वैक्सीन कैंडिडेटों के लिए कुल 49 नैदानिक परीक्षण नैदानिक परीक्षणों के विभिन्न चरणों में हैं।

(च) इस समय एच.आई.वी./एड्स की कोई रोगमुक्ति नहीं है।

सैन्य कर्मियों का लापता होना

4772. श्री श्रीनिवास पाटील : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कई वर्षों के दौरान बड़ी संख्या में रक्षा कर्मियों के लापता होने की सूचना मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी रैंकवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे कर्मियों का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई किए जाने का विचार किया जा रहा है और अब तक इसके क्या परिणाम निकले हैं?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है।

सैन्य बलों के आधुनिकीकरण से संबंधित निधियों का अनुपयोग

4773. श्री अशोक ना. मोहोल : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा बल सैन्य बलों के आधुनिकीकरण और वर्तमान रक्षा कार्यक्रमों के उन्नयन से संबंधित निधियों का उपयोग नहीं कर पाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका औचित्य क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उन निर्णयों को शीघ्र लेने के लिए खरीद प्रक्रिया की समीक्षा करने का कोई निर्णय लिया है जिनका कि देश की रक्षा तैयारी पर सीधा प्रभाव पड़ता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) और (ख) रक्षा सेनाओं के लिए बजट प्राक्कलन 2000–01 में 58587 करोड़ रुपये के प्रावधान के बदले 54460.91 करोड़ रुपये का संशोधित प्रावधान किया गया था। 4126.09 करोड़ रुपये की यह कमी विभिन्न चालू/नई योजनाओं और परियोजनाओं की स्थिति के आधार पर वित्त वर्ष 2000–01 के दौरान प्रत्याशित नकद व्यय को दृष्टिगत रखते हुए की गई थी।

(ग) और (घ) रक्षा प्रबंधन की समीक्षा के लिए कार्य दल और राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली की समग्र समीक्षा हेतु गठित मंत्रियों के समूह ने अन्य बातों के साथ–साथ खरीद संबंधी प्रक्रियाओं की समीक्षा के मामले की भी जांच–पड़ताल की है।

अपर्याप्त स्वच्छता, स्वास्थ्यज्ञान और जलापूर्ति द्वारा बीमारियां

4774. श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री एन. जनार्दन रेड्डी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष एक मिलियन लोग अपर्याप्त स्वच्छता, स्वास्थ्यज्ञान और जलापूर्ति द्वारा होने वाली बीमारियों के कारण मौत के शिकार होते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में विश्व स्वास्थ्य संगठन की विश्व जल आयोग रिपोर्ट का अध्ययन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार की विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा की गई ऐसी टिप्पणियों पर आगे क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधि ने यह बतलाया है कि उन्हें भारत में अपर्याप्त सफाई, स्वच्छता तथा जल के कारण एक मिलियन लोगों की होने वाली कथित मौतों के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने बतलाया है कि कोई "डब्ल्यू एच ओ वर्ल्ड वाटर कमीशन रिपोर्ट" नहीं है किन्तु "वर्ल्ड वाटर विजन कमीशन रिपोर्ट" है। इस रिपोर्ट में भी भारत में मौतों का कोई उल्लेख नहीं मिलता।

(ख) से (घ) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

लघु उद्योगों की रुग्ण इकाइयां

4775. श्री नवल किशोर राय :
श्री जोरा सिंह मान :

क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1998–99, 1999–2000 और 2000–2001 के दौरान लघु उद्योगों की रुग्ण संख्या का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्षवार और क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान इन उद्योगों में कितना निवेश किया गया है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संकलित नवीनतम आंकड़ों के अनुसार मार्च, 1999 एवं 2000 के अन्त तक रुग्ण लघु उद्योगों की संख्या क्रमशः 3,06,221 और 3,04,235 थी। इन वर्षों के दौरान रुग्ण लघु उद्योगों एवं उन पर बकाया राशि का क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। मार्च 2001 में समाप्त होने वाले वर्ष हेतु सूचना का रिजर्व बैंक द्वारा अभी संकलन किया जाना है।

विवरण

रुग्ण लघु उद्योगों एवं उन पर बकाया राशि का क्षेत्रवार ब्यौरा

(रु. करोड़ में)

	उद्योग	मार्च 1999 के अन्त तक		मार्च 2000 के अन्त तक	
		संपूर्ण रुग्ण लघु उद्योग इकाइयां			
		संख्या	बकाया राशि	संख्या	बकाया राशि
1	2	3	4	5	6
1.	इंजीनियरिंग	17529	483.67	16769	470.99
2.	इलैक्ट्रीकल	8150	202.56	6480	218.98
3.	वस्त्र	24306	425.03	25764	484.81
4.	जूट	757	25.46	674	25.35
5.	पेपर	4128	106.15	3740	120.43
6.	रबर	1987	68.56	1904	72.57
7.	सीमेंट	988	36.39	876	32.28
8.	लौह एवं इस्पात	5013	235.19	5447	264.04

1	2	3	4	5	6
9.	चीनी	354	9.76	375	11.86
10.	रसायन	18446	364.07	7163	312.53
11.	धातु एवं धातु उत्पाद	7022	291.57	1998	119.26
12.	वनस्पति तेल	1224	28.95	819	29.11
13.	तम्बाकू	2637	12.13	412	38.99
14.	चमड़ा	2304	63.48	960	67.32
15.	रत्न एवं आभूषण	203	5.53	225	11.44
16.	खाद्य	44045	132.08	3838	119.24
17	वाहन आदि	2516	34.42	2420	21.79
18.	अन्य	164612	1788.48	224371	2187.44
	कुल	306221	4313.48	304235	4608.43

स्रोत : भा. रि. बैंक

भारतीयों का प्रत्यर्पण

4776. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सऊदी अरब और अन्य देशों ने उनके यहां कार्यरत भारतीयों को उनके साथ किए गए काम के करार का निलम्बन करके उन्हें भारत वापस भेजना आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और भारत वापस भेजे गए भारतीयों का देशवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री यू. वी. कृष्णमराजू) : (क) से (घ) जी, नहीं। तथापि, कतिपय ऐसी खबरें हैं कि संयुक्त राज्य में आई टी उद्योग की वृद्धि दर में गिरावट के साथ उन कई साफ्टवेयर विशेषज्ञों जिनके पास एच 1 बी वीजा है; के सामने मौजूदा कार्य संविदाओं की समाप्ति की समस्याएं आ सकती हैं।

[अनुवाद]

जन्म और मृत्यु दर

4777. श्री राम मोहन गाड्डे :
श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :
श्री शिवाजी माने :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च 2001 में की गई नई जनगणना के अनुसार देश की जनसंख्या 1.02 बिलियन तक पहुंच गई है;

(ख) यदि हां, तो जनगणना आंकड़ों का, विशेषकर बालक और बालिकाओं के जन्म दर में अन्तर का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल की जनगणना रिपोर्ट के मद्देनजर सरकार ने बढ़ती जनसंख्या पर प्रभावकारी नियंत्रण के लिए कोई नीति तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) जी, हां। मार्च, 2001 में की गई नई जनगणना के अनुसार देश की जनसंख्या 1,027,015,247 थी।

(ख) नई जनगणना के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की अनंतिम कुल जनसंख्या विवरण–। पर दी गई है। नई जनगणना के अनुसार लड़कों और लड़कियों की जन्म–दर में अन्तर उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) वर्तमान जन्म–दर को नीचे लाने के लिए भारत सरकार ने पहले ही राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 बना ली है। जनसंख्या के और अधिक स्थिरीकरण के लिए निम्नलिखित उपाय शुरू किए गए हैं :

(i) प्रजनन और बाल स्वास्थ्य के लिए एकीकृत और व्यापक कार्यक्रम जिसमें मातृ स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य और गर्भ निरोधन मुद्दे शामिल हैं।

(ii) परिवार नियोजन उपायों का प्रचार जिसमें पुरुषों और महिलाओं दोनों का बन्ध्यीकरण, बच्चों के जन्म में अन्तराल रखने के उपाय नामतः आई यू डी निवेशन, मुखीय गोलियां और कंडोम शामिल हैं।

(iii) ग्रामीण स्तर पर एकीकृत सेवा प्रदानगी के माध्यम से गर्भ निरोधों की पूरी न की गई आवश्यकताओं को पूरा करना।

(iv) छोटे परिवार के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार।

(v) कमजोर राज्यों/जिलों में अतिरिक्त निवेश का प्रावधान।

विवरण-।

भारत की जनसंख्या 2001

अनंतिम जनसंख्या योग

लिंग और कुल जनसंख्या में जनसंख्या के प्रतिशत हिस्से द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की जनसंख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कोड	भारत/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल जनसंख्या व्यक्ति	पुरुष	महिला	कुल जनसंख्या में प्रतिशत हिस्सा
1	2	3	4	5	6
	भारत[1]	1,027,015,247	531,277,078	495,738,169	100.00
1	जम्मू और कश्मीर	10,069,917	5,300,574	4,769,343	0.98
2	हिमाचल प्रदेश[2]	6,077,248	3,085,256	2,991,992	0.59
3	पंजाब	24,289,296	12,963,362	11,325,934	2.37
4	चंडीगढ़*	900,914	508,224	392,690	0.09
5	उत्तरांचल	8,479,562	4,316,401	4,163,161	0.83
6	हरियाणा	21,082,989	11,327,658	9,755,331	2.05
7	दिल्ली*	13,782,976	7,570,890	6,212,086	1.34
8	राजस्थान	56,473,122	29,381,657	27,091,465	5.50
9	उत्तर प्रदेश	166,052,859	87,466,301	78,586,558	16.17
10	बिहार	82,878,796	43,153,964	39,724,832	8.07
11	सिक्किम	540,493	288,217	252,276	0.05
12	अरुणाचल प्रदेश	1,091,117	573,951	517,166	0.11

1	2	3	4	5	6
13	नागालैंड	1,988,636	1,041,686	946,950	0.19
14	मणिपुर	2,388,634	1,207,338	1,181,296	0.23
15	मिजोरम	891,058	459,783	431,275	0.09
16	त्रिपुरा	3,191,168	1,636,138	1,555,030	0.31
17	मेघालय	2,306,069	1,167,840	1,138,229	0.22
18	असम	26,638,407	13,787,799	12,850,608	2.59
19	पश्चिम बंगाल	80,221,171	41,487,694	38,733,477	7.81
20	झारखंड	26,909,428	13,861,277	13,048,151	2.62
21	उड़ीसा	36,706,920	18,612,340	18,094,580	3.57
22	छत्तीसगढ़	20,795,956	10,452,426	10,343,530	2.03
23	मध्य प्रदेश	60,385,118	31,456,873	28,928,245	5.88
24	गुजरात[3]	50,596,992	26,344,053	24,252,939	4.93
25	दमन और दीव*	158,059	92,478	65,581	0.02
26	दादरा और नगर हवेली*	220,451	121,731	98,720	0.02
27	महाराष्ट्र	96,752,247	50,334,270	46,417,977	9.42
28	आन्ध्र प्रदेश	75,727,541	38,286,811	37,440,730	7.37
29	कर्नाटक	52,733,958	26,856,343	25,877,615	5.14
30	गोवा	1,343,998	685,617	658,381	0.13
31	लक्षद्वीप*	60,595	31,118	29,477	0.01
32	केरल	31,838,619	15,468,664	16,369,955	3.10
33	तमिलनाडु	62,110,839	31,268,654	30,842,185	6.05
34	पांडिचेरी*	973,829	486,705	487,124	0.09
35	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	356,265	192,985	163,280	0.03

नोट 1. "आंकड़ों की एक झलक" के नीचे नोट 1 देखें।

2. हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या में पूरे किन्नौर जिले की अनुमानित जनसंख्या शामिल है जहां पर प्राकृतिक आपदा के कारण भारत की जनसंख्या 2001 की जनसंख्या गणना नहीं की जा सकी।

3. गुजरात की जनसंख्या में पूरे कच्छ जिले, राजकोट जिले के मोरवी, मलिवा–मियाना और वानकेनर तालुकों और जामनगर जिले के जोधिया तालुका की अनुमानित जनसंख्या शामिल है, जहां पर प्राकृतिक आपदा के कारण भारत की जनसंख्या 2001 की जनसंख्या गणना नहीं की जा सकी।

जम्मू और पुंछ के बीच सड़क को चौड़ा करना

4778. श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कई वर्षों से जम्मू और पुंछ के बीच सड़क को चौड़ा करने और उसके उन्नयन का कार्य प्रगति पर है;

(ख) यदि हां, तो ब तक उक्त सड़क की कितनी लम्बाई तक का कार्य पूरा कर , ग्या गया है;

(ग) क्या उक्त सड़क पर गाड़ियों के ना जा पाने के कारण सेना और अर्द्ध सैनिक बलों के कर्मियों तथा राजौरी और पुंछ में रहने वाले सिविलियनों को असुविधाओं का समाना करना पड़ रहा है; और

(घ) उक्त सड़क का कब तक पूर्णतः कोटि–उन्नयन और चौड़ा कर लिए जाने की संभावना है?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) 240.35 किमी. लम्बी जम्मू–पुंछ सड़क को चौड़ा करने और उसके उन्नयन का कार्य 1995 में में शुरू किया गया था।

(ख) 133 किमी. डबल लेन 'फार्मेशन' और 45 किमी. सर्फेसिंग का कार्य पूरा किया जा चुका है।

(ग) जी, नहीं। यह सड़क गाड़ियों के चलने लायक है। इस सड़क को चौड़ा करने और उसकी सर्फेसिंग का कार्य चलते रहने पर भी सेना के कॉन्वाय, सिविल ट्रक और अन्य वाहन इस पर नियमित रूप से चल रहे हैं।

(घ) इस संपूर्ण सड़क को चौड़ा करने और उसके उन्नयन का कार्य 2010 तक पूरा किया जाना है।

पिछड़ा ईसाई विकास बोर्ड

4779. श्री रामदास आठवले : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के गरीब ईसाइयों के विकास के लिए पिछड़ा ईसाई विकास बोर्ड (बैकवर्ड क्रिश्यिनिटी डेबलपमेंट बोर्ड) के गठन करने का है;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में विभिन्न सामाजिक संगठनों से ज्ञापन और आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है या किए जाने का प्रस्ताव है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपलब्ध रिकार्डों के अनुसार ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास तथा वित्त निगम का गठन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग पर विशेष बल देने के साथ विभिन्न आर्थिक कार्यकलापों को शुरू करने हेतु अल्पसंख्यकों को सहायता प्रदान करने के लिए किया गया है।

वसंत विहार में सी. जी. एच. एस. औषधालय

4780. डा. विजय कुमार मल्होत्रा :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को स्टाफ इन्सपेक्शन यूनिट से वसंत विहार, नई दिल्ली में केन्द्र सरकार आवास परिसर में सी. जी. एच. एस. औषधालय खोलने के लिए रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन्सपेक्शन यूनिट की रिपोर्ट का कार्यान्वयन किया है; और

(ग) यदि हां, तो वसंत विहार, नई दिल्ली में सी. जी. एच. एस. एलोपैथिक औषधालय कब तक खोले जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (एलोपैथिक) औषधालयों के मानदण्ड अध्ययन पर कर्मचारी निरीक्षण एकक की नवम्बर, 1999 की रिपोर्ट में विशेष रूप से वसंत विहार, नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का एक औषधालय खोलने के बारे में उल्लेख नहीं है।

(ख) कार्यान्वयन एक चलती रहने वाली प्रक्रिया है।

(ग) ऊपर (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

रूसी युद्धपोतों द्वारा भारतीय महासागर में गश्ती

4781. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूसी युद्धपोतों ने लगभग एक दशक में पहली बार भारतीय महासागर में गश्ती करना आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ब्लादिवोस्टोक आधारित रूसी प्रशान्त महासागरीय बेड़े से ढाई माह की उस प्रशिक्षण यात्रा के भाग के रूप में दो विध्वंसक और एक टैंकर को मध्य फरवरी माह में मुंबई बुलाया गया था जो कि उन्हें वियतनाम में कैम रैन बे आधारित पूर्व सोवियत नावल तक ले जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो भारत को इससे भारतीय महासागर की सुरक्षा के संबंध में कितनी सहायता मिलने की संभावना है?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) 14 से 20 फरवरी, 2001 तक अंतर्राष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा में भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना के निमंत्रण पर एक टैंकर सहित दो रूसी पोतों ने मुंबई का दौरा किया था। ये पोत 20 फरवरी, 2001 को मुंबई से चले गए थे।

भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस-सेवा के अधिकारियों के मध्य मतभेद

4782. श्री अनन्त नायक : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र–सरकार को राज्य–सरकारों से भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस–सेवा के अधिकारियों के मध्य असंतुष्टि के संबंध में कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, नहीं

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

वस्तुओं का आरक्षण

4783. श्री रामजीलाल सुमन : क्या **लघु उद्योग कृषि एवं ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा वर्ष 1998–99, 1999–2000 तथा 2000–2001 के दौरान लघु उद्योगों के लिए विशेष रूप से आरक्षित कई उत्पादों को सूची से हटा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि में से प्रत्येक के दौरान आरक्षण सूची में से कितनी वस्तुओं को हटाया गया है; और

(ग) वर्तमान में लघु उद्योगों के लिए विशेष रूप से आरक्षित उत्पादों की संख्या क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) 1998–99 से 2000–2001 तक लघु उद्योग क्षेत्र में विनिर्माण हेतु विशेष रूप से आरक्षित मदों की सूची में से 10 मदों को हटा दिया गया है, जिनका विवरण नीचे दिया गया है :

1998–99	09
1999–2000	शून्य
2000–2001	01

(ग) वर्तमान में लघु उद्योग क्षेत्र में विशिष्ट विनिर्माण हेतु 811 मदें आरक्षित हैं।

नशीली औषधियों का प्रयोग

4784. श्रीमती सुशीला सरोज : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ नियंत्रित दवाइयों के विनिर्माण में मनःप्रभावी पदार्थों के रूप में डेस्ट्रोप्रोपोक्सीपिन मेथामफेटामाइन का प्रयोग किया जा रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि देशी वियाग्रा बनाने वाली कंपनियां इन मनःप्रभावी पदार्थों का प्रयोग अपने ब्रांडों में कर रही हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि स्पास्मो–प्रोनिवन के विनिर्माण

में डेस्ट्रोप्रोपीक्सिन के प्रयोग के कारण मिजोरम में प्रतिदिन लोग मर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कुछ मनःप्रभावी पदार्थों के प्रयोग से बनी इन नियंत्रित औषधियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने का है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) डेक्ट्रोप्रोपोसीफेन (और न कि डेस्ट्रोप्रोपोक्सीफीन) का इस्तेमाल पैरासिटामोल जैसी वेदनाहारक और डाइसाइक्लोमाइन जैसी स्वास्मोडिक–रोधी औषधों के साथ विभिन्न औषध फार्मूलेशनों के विनिर्माण में किया जा रहा है जिन्हें एक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा लिए गए नुस्खे के आधार पर बेचना अपेक्षित है।

मेथाम्फेटामाइन को कड़ाई से इसकी उपलब्धता को सीमित करने हेतु और यह सुनिश्चित करने हेतु कि इसे केवल एक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा लिखे हुए नुस्खे के आधार पर ही बेचा जाए, अनुसूची 'भ' के अधीन रखा गया है।

(ख) डेक्स्ट्रोप्रोपोक्सीफेन अथवा मेथम्फेटामाइन का इस्तेमाल करते हुए सिल्डेनाफिल साइट्रेट फार्मूलेशन (वियाग्रा मैसर्स फीजर का एक ट्रेड नाम है) के विनिर्माण के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं है।

(ग) स्पास्मोप्रोक्सीवोन में डेक्स्ट्रोप्रोपोक्सीफेन का इस्तेमाल करने के कारण मिजोरम में मौतें होने के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई हैं।

(घ) सभी राज्य औषध नियंत्रकों को विशेष रूप से हिदायत दी गई है कि वे इस बात पर नजर रखें कि इन औषधों की आसानी से उपलब्धता को कम से कम रखने की दृष्टि से डेक्स्ट्रोप्रोपोक्सीफेन वाले औषध फार्मूलेशनों को केवल लिखे नुस्खे के आधार पर ही बेचा जाए।

[अनुवाद]

लघु उद्योगों में विलम्बित भुगतान

4785. डा. वी. सरोजा : क्या **लघु उद्योग, कृषि एवं ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योग क्षेत्र में विलम्बित भुगतान अधिनियम के अंतर्गत लगाए जाने वाले ब्याज की अनदेखी के लिए लेखापरीक्षित तुलनापत्रों में अनिवार्य अनुसूची के लिए कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) लघु उद्योग और आनुषंगिक औद्योगिक उपक्रमों को विलंबित भुगतान पर ब्याज अधिनियम, 1993 (1998 में यथा संशोधित) का विद्यमान सेक्शन 8 पहले ही यह अनुबंधित करता है कि जहां किसी खरीददार को वर्तमान में लागू किसी कानून के अंतर्गत अपने वार्षिक लेखों की लेखा–परीक्षा करवानी है, ऐसे खरीददार को प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में किसी भी पूर्तिकर्त्ता को भुगतान न की गई राशि ब्याज सहित अपने वार्षिक लेखा विवरण में दर्शानी होगी। पूर्तिकर्त्ता को स्थायी पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त आनुषंगिक औद्योगिक उपक्रम या लघु उद्योग उपक्रम के रूप में पारिभाषित किया गया है।

जनजाति संबंधी परामर्शदात्री समूह का गठन

4786. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग ने देश में जनजातियों की समस्याओं पर विचार–विमर्श करने हेतु जनजाति संबंधी परामर्शदात्री समूह का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस समूह के सदस्य कौन–कौन हैं;

(ग) क्या उक्त समूह ने कोई बैठक आयोजित की है;

(घ) यदि हां, तो बैठक में चर्चा की गई जनजातियों की समस्याओं को दूर किए जाने हेतु समूह द्वारा दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(ड) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) जी, हां।

(ख) दल का गठन नीचे दिया गया है :

(i) डा. डी. एन. तिवारी, सदस्य, योजना आयोग–अध्यक्ष।

सदस्य

(ii) श्री एस. के. नाईक, सचिव, जनजाति मामले मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

(iii) श्रीमती कृष्णा सिंह, सदस्य–सचिव, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, नई दिल्ली।

(iv) श्रीमती टी. के. सरोजनी, सलाहकार (समाज कल्याण एवं पिछड़ा वर्ग), योजना आयोग, नई दिल्ली।

(v) प्रतिनिधि, परिवार कल्याण विभाग, निर्माण भवन, नई दिल्ली।

(vi) प्रतिनिधि, आई.एस.एम. एवं एच विभाग, रेड क्रॉस बिल्डिंग, नई दिल्ली।

(vii) प्रतिनिधि, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार।

(viii) प्रतिनिधि, झारखंड राज्य सरकार।

(ix) प्रतिनिधि, असम राज्य सरकार।

(x) प्रतिनिधि, रामकृष्ण मिशन, नारायणपुर, जिला बस्तर छत्तीसगढ़।

(xi) प्रतिनिधि, भारत सेवाश्रम संघ, जमशेदपुर, जिला सिंहभूम, झारखंड।

(xii) प्रतिनिधि, उत्थान, 18–ए, ऑकलैण्ड रोड, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश।

(xiii) डा. पंकज भाटिया, अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम, जशपुर नगर, जिला जशपुर छत्तीसगढ़–496331

(xiv) श्री अशोक भगत, विकास भारती, विष्णुपुर, जिला–गुमला, झारखंड।

(xv) डा. डी. सी. त्रिपाठी, 15–ए, दिल्ली प्रशा. फ्लैट, महावीर नगर एक्सटैंशन, नई दिल्ली–110018, दूरभाष 5432489, 5563749

(xvi) डा. पोफले, परिवार नियोजन एवं चिकित्सा सहायता ट्रस्ट, इंडियन मर्केन्टाइल मैंशन, तीसरा तल, सी. जे हॉल के सामने, 7, रीगल सिनेमा, मैडम कामा रोड, फोर्ट, मुम्बई–400001।

(xvii) डा. एच. सुदर्शन, अवैतनिक सचिव, विवेकानन्द गिरिजना कल्याण केन्द्र, बी.आर हिल्स, येलादूर तालुक, चमराजनगर, जिला कर्नाटक।

(xviii) श्री तरुण कुमार, निदेशक, जनजाति मामले मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली–संयोजक।

(ग) दल की पहली बैठक 30 जनवरी, 2001 को हुई थी।

(घ) और (ङ) जनजातीय समुदायों की समाजार्थिक जनसांख्यिकी समस्याओं के संबंध में विस्तृत चर्चाओं के पश्चात जो विचार सामने आए हैं वे निम्नलिखित हैं :

1. जनजातियों का पौषणिक स्तर, प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य अर्थात गर्भवती और स्तन–पान कराने वाली माताओं और नवजात शिशुओं की स्थिति को विशेष रूप से सुधारने की आवश्यकता है।

2. पी.टी.जी. की स्वास्थ्य और पौषणिक आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

3. स्वास्थ्य और उत्तरजीविता असुरक्षा, जो कि संभवतः जनजातियों में जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण है, विशेष रूप से पी.टी.जी. को सुधारने की आवश्यकता है।

4. जनजाति स्वास्थ्य और पोषण को सुधारने के उद्देश्य से लुप्त हो चुकी प्रथाओं के पुनः प्रचलन सहित जनजातीय चिकित्सा पद्धति के प्रलेखन और एकीकरण का संयोजन आवश्यक रूप से अपेक्षित है। नवीन कार्यक्रमों के प्रभाव का मूल्यांकन अपेक्षित है।

5. जनजाति विकास में शामिल विभिन्न एजेंसियों, विशेष रूप से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण क्षेत्र में, के मध्य सहक्रिया की आवश्यकता है।

6. जहां तक संभव हो, स्थानीय कामगारों को, उनके लोगों की देखभाल के लिए भर्ती किया जाना और प्रशिक्षण देना आवश्यक किया जाए।

7. पारंपरिक दवाइयों के स्थानीय व्यावसायिकों और पारंपरिक दाइयों (मिड वाइफ) को उपयुक्त रूप से प्रशिक्षित और उपकरणों से सुसज्जित करने की आवश्यकता है।

8. जनजातीय आवासों के आस–पास प्राकृतिक संसाधनों में दवाइयों तथा पौषणिक शाकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना और प्राकृतिक संसाधनों की उपयोगिता के विनाश को रोकना।

9. इन सभी को निधारित सीमा के भीतर प्राप्त किया जाना चाहिए।

उपर्युक्त मामलों की विस्तृत जांच के लिए और जनजातियों को उपलब्ध वर्तमान स्वास्थ्य सुरक्षा तथा परिवार कल्याण कार्यक्रमों में अंतरालों की पहचान करने के लिए, सलाहकार दल चार छोटे उप समूहों में विभक्त किया गया है। इन उप–समूहों की सिफारिशें सलाहकार दल को उस समय उपलब्ध कराई जाएंगी जब कार्रवाई के कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के लिए इसकी आगामी बैठक होगी।

शहद उत्पादकों द्वारा अभ्यावेदन

4787. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या **लघु उद्योग, कृषि एवं ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को शहद उत्पादकों द्वारा उनकी विभिन्न शिकायतों के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के. वी. आई. सी.) को वैयक्तिक/संस्थानों जो कि मधुमक्खी पालन कार्य में लगे हुए हैं, उनसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। अभ्यावेदन सामान्य प्रकृति के हैं जिनमें निधियों, विपणन सहायता इत्यादि की चाह की गई है।

मधुमक्खी पालन उद्योग के संवर्धन हेतु के. वी. आई. सी. यू. एन. डी. पी. सहायता प्राप्त उप–कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही है, जिसका उद्देश्य मधु उत्पादन में इजाफा करने के लिए व्यापक रणनीति विकसित करना है जिससे बी. हंटर्स, किसानों, उद्यमियों की आय में इजाफा होगा। इस कार्यक्रम से पता लगाए गए कलस्टर्स और माइक्रो एन्ट्रीप्रिन्योर्स के माध्यम से मधुमक्खी पालन के विकास के लिए के. वी. आई. सी. के मौजूदा कार्यक्रमों को सहायता प्राप्त होगी।

एन. ई. आर. में भू-जल संसाधन का विकास

4788. श्री रघुनाथ झा :
श्री प्रभुनाथ सिंह :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भू–जल के विकास हेतु केन्द्र प्रायोजित योजनाएं बड़ी संख्या में सरकार के समक्ष मंजूरी हेतु लंबित पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी योजनावार और राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) ये कब से लंबित पड़ी हैं और इनके लंबित होने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन योजनाओं को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है और मूल्यों में वृद्धि पर मंजूरी देने में विलंब के क्या प्रभाव हैं?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) पूर्वोत्तर क्षेत्र में भू–जल विकास संबंधी कोई केन्द्र प्रायोजित योजना अनुमोदन हेतु योजना आयोग में लंबित नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

केन्द्रीय मधुमक्खी पालन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान

4789. डा. जसवंत सिंह यादव : क्या **लघु उद्योग, कृषि एवं ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय मधुमक्खी पालन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान ने शहद का उपयोग खाद्य उत्पाद के रूप में किए जाने हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या शहद का उपयोग प्रसाधन सामग्री और दवाओं में किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हां।

(ख) शहद चूंकि एक प्राथमिक खाद्य है, के. वी. आई. सी. ने "शहद एक पौष्टिक आहार" पर एक पुस्तिका तैयार की है

तथा परिचालित की है। विभिन्न अन्य किस्मों में शहद के प्रयोग के लिए परीक्षण किए गए हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) आयुर्वेदिक प्रणाली ने बिना किसी साइड इफेक्ट के प्रभावी उपचार हेतु शहद को अन्य दवाइयों के साथ उपयोग करने की सिफारिश की है। दवाइयों में इसका उपयोग खांसी तथा गले के सीरप, टोनिक, आई ड्रॉप, जले तथा घाव पर लगाने के लिए आयन्टमेंट तैयार करने में किया जाता है। शहद अपने एंटी रिंकल तथा एंटी बेकटीरियल गुण के कारण प्रसाधन जैसे बोडी लोशन, फेस क्रीम, मोइस्चराइजर, शैम्पू आदि में भी उपयोग किया जाता है।

सेना मुख्यालय द्वारा वस्तुओं की खरीद

4790. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना मुख्यालय के खरीद, अनुभाग (ओ. एस. पी. आई.) ने एन. सी. सी. एफ. से यू. एन. ए. एम. एस. आई. एल. मार्के वाला ट्रेक सूट, बॉम्बे डाईंग की चादरों, कास्कों वालीवाल और वालीवाल नेट की खरीद दिनांक 30 जुलाई, 2000 को 13,27,924/–रुपये की कुल लागत से की थी;

(ख) क्या एन. सी. सी. एफ. ने अपने बीजक में गुणवत्ता संख्या सहित ट्रैक सूट, चादरों, वालीवाल और नेट का आकार नहीं दर्शाया है।

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) एन. सी. सी. एफ. और ओ. एस. पी. आई. के मध्य सांठगांठ की जांच के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) जी, हां। दिनांक 20 सितंबर, 2000 को 14,80,169/– रुपये का एक आपूर्ति आदेश दिया गया था।

(ख) और (ग) मदों की मात्रा एवं गुणवत्ता का उल्लेख नहीं किया गया था क्योंकि आपूर्ति प्रयोता यूनिट द्वारा अनुमोदित नमूने के अनुसार की जानी थी। भंडारणों निरीक्षण के प्रयोजन के लिए गठित अधिकारियों के एक स्वतंत्र बोर्ड द्वारा सामान का निरीक्षण किए जाने और तदनुसार प्रमाणित किए जाने के पश्चात प्रयोक्ता यूनिटों द्वारा सामग्री प्राप्त की गई थी।

(घ) किसी प्रकार की जांच की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कोई प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

आणविक कैंची

4791. श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान (एन. आई. आई.) के एक वैज्ञानिक ने एक राइबोजाइम की खोज की है जो एड्स विषाणु के आनुवांशिक विन्यास को लक्षित करने हेतु एक आणविक कैंची के रूप में कार्य करता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में सरकार द्वारा कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इससे एड्स की रोकथाम में किस सीमा तक सहायता मिलेगी?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (घ) राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वे रिबोजाइम, जो एक आर. एन. ए. क्लीविंग डी. एन. ए. एन्जाइम हैं और जिसका पता एच. आई. वी. जीन और होस्ट फैक्टर जीनों के निष्पीड़न (एक्सप्रेशन) लक्ष्य के साथ व्यतिकरण करने हेतु एक नॉवल चिकित्सीय अणु के रूप में पता लगाया गया है, पर अध्ययन कर रहे हैं जो एच. आई. वी. संक्रमण और प्रतिकृति के लिए महत्वपूर्ण हैं।

प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत ऋण वितरण में घोटाला

4792. श्री नरेश पुगलिया : क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारियों ने प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत ऋण वितरण में बड़े घोटाले संबंधी कुछ दस्तावेज नागपुर में एकत्रित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ख) महाराष्ट्र सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने एक

अभिकथित व्यक्ति को पकड़ा है जिसने 25 आवेदकों, जिनके नामों की सिफारिश जिला उद्योग केन्द्र नागपुर ने प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत ऋण संस्वीकृत करने हेतु पंजाब नेशनल बैंक, किंग्स्वे शाखा, नागपुर को भेजे थे, में से एक आवेदक से पैसे लिए थे।

(ग) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है तथा अंतिम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई आरंभ की जाएगी। तथापि, प्रधान मंत्री रोजगार योजना के दिशा–निर्देशों के अंतर्गत, आवेदक ऋण प्राप्त करने के लिए सीधे बैंकों को एप्रोच कर सकते हैं। यह दिशा–निर्देश सभी राज्य सरकारों को परिचालित कर दिए गए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि पारदर्शिता में सुधार लाने हेतु तथा योजना के अन्तर्गत सुरक्षा प्रदान करने हेतु कदम उठाए हैं।

मंत्रालय का आकार छोटा करना

4793. श्री तूफानी सरोज : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उनके मंत्रालय का आकार छोटा करने और मितव्ययिता उपायों को लागू करने हेतु कोई अभियान शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त अभियान के अंतर्गत उनके मंत्रालय में कुछ पदों को समाप्त कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो समाप्त किये गए पदों की कुल संख्या कितनी है;

(ङ) क्या सरकार का विचार विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के पदों अथवा कर्मचारियों की संख्या में कमी करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ज) मंत्रालय द्वारा विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में हो रहे खर्चों में कमी लाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री यू. वी. कृष्णमराजू) : (क) से (घ) जी, हां। मई 2000 में विभिन्न ग्रेड में कुल 151 पदों को समाप्त किया गया है।

(ङ) और (च) मंत्रालय कार्य की मात्रा तथा अन्य संबंधित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए विदेश स्थित मिशनों/केन्द्रों में स्टाफ के ढांचे को लगातार मानीटर कर रहा है। विदेश स्थित विभिन्न मिशनों/केन्द्रों में विभिन्न ग्रेड में 24 पद पहले ही समाप्त कर दिए गए हैं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

(ज) मंत्रालय ने विदेश स्थित मिशनों द्वारा किए जा रहे व्यय को कम करने के लिए जो कदम उठाए हैं, उनमें अन्य बातों के साथ–साथ वेतन से इतर अनियोजित व्यय में 10 प्रतिशत की कटौती, नए वाहनों की खरीद पर पूर्ण प्रतिबंध, रिक्त पदों का पुनरीक्षण और उनकी समाप्ति, स्थानीय दौरों/यात्राओं के लिए दैनिक भत्तों की दर में 25 प्रतिशत की कटौती और सम्मेलनों/संगोष्ठियों को सादगीपूर्ण तरीके से आयोजित करने के उपाय शामिल हैं।

दक्षेस का पुनरुद्धार

4794. श्रीमती रेणूका चौधरी :
श्री किरीट सोमैया :
श्री सुशील कुमार शिंदे :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1999 में करगिल घुसपैठ के बाद भारत–पकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने के बाद से दक्षेस संगठन को निष्क्रियता से बचाने के लिए दक्षेस देशों के वरिष्ठ अधिकारियों की हाल में श्रीलंका में बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कोलम्बो घोषणा पत्र में निर्धारित किए गए दक्षिण एशिया में मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना हेतु अब तक विशेषकर, भारत द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री यू. वी. कृष्णमराजू) : (क) जी, हां।

(ख) सार्क महासचिव एवं श्रीलंका सरकार (सार्क के वर्तमान अध्यक्ष के नाते) ने बजट, हाउस कीपिंग से संबंधित सभी बकाया मसलों को हल करने के लिए तथा तकनीकी समितियों की बैठकों तथा विशिष्ट बैठकों की समय–सारणी तय करने के लिए सार्क देशों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक बुलाई थी। सार्क देशों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में सार्क तकनीकी समिति, दक्षिण एशियाई अधिमानी व्यापार व्यवस्था के चौथे दौर की बैठक, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) संधि का प्रारूप तैयार करने के लिए विशेषज्ञ स्तरीय बैठक, सार्क सामाजिक चार्टर से सबंद्ध अंतर सरकारी विशेषज्ञ दल की बैठक तथा अन्य विभिन्न बैठकों के आयोजन की समय–सारणी को सफलतापूर्वक अंतिम रूप दिया गया।

(ग) सार्क अधिमानी व्यापार व्यवस्था (साफ्टा) के अब तक संपन्न तीन दौरों की वार्ता के दौरान व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ाने तथा साफ्टा के अंतर्गत लेन देन तेज करने में भारत का योगदान किसी अन्य देश के मुकाबले ज्यादा था। भारत ने नवंबर 1998 में साफ्टा के तीसरे दौर के अंतर्गत 3000 से अधिक उत्पाद लाइनों पर टैरिफ रियायतों को अधिसूचित किया तथा अगस्त 1998 में सार्क देशों के लिए एकपक्षीय तौर पर सभी मात्रात्मक प्रतिबंध हटाकर साहसिक कदम उठाया जिससे इन देशों को भारतीय बाजार में पर्याप्त रूप से पहुंच मिली है। कोलम्बो घोषणा के अंतर्गत विस्तृत साफ्टा करार का प्रारूप तैयार करने के लिए विशेषज्ञों की समिति गठित की गई थी। विशेषज्ञों की समिति की 1999 में काठमांडू में प्रथम बैठक हुई जिसमें समिति के विचारार्थ विषयों पर चर्चा की गई थी।

(व्यवधान)

मध्याह्न 12.00 बजे

(इस समय सरदार बूटा सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे। श्रीमती वसुंधरा राजे।

अपराह्न 12.0½ बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : महोदय, मैं प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 37 की उपधारा (1) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन तथा भत्ते एवं सेवा शर्तें) संशोधन नियम, 2001, जो 22 मार्च, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 207(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 3516/2001]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : महोदय, मैं दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं और तेरहवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों, वायदों और वचनों पर सरकार द्वारा की-गई कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

दसवीं लोक सभा

(एक) विवरण संख्या 20 पन्द्रहवां सत्र, 1995

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 3517/2001]

ग्यारहवीं लोक सभा

(दो) विवरण संख्या 20 तीसरा सत्र, 1996

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 3518/2001]

(तीन) विवरण संख्या 20 चौथा सत्र, 1997

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 3519/2001]

बारहवीं लोक सभा

(चार) विवरण संख्या 16 दूसरा सत्र, 1998

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 3520/2001]

(पांच) विवरण संख्या 13 तीसरा सत्र, 1998

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 3521/2001]

(छह) विवरण संख्या 12 चौथा सत्र, 1999

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 3522/2001]

तेरहवीं लोक सभा

(सात) विवरण संख्या 9 दूसरा सत्र, 1999

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 3523/2001]

(आठ) विवरण संख्या 8 तीसरा सत्र, 2000

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 3524/2001]

(नौ) विवरण संख्या 4 चौथा सत्र, 2000

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 3525/2001]

(दस) विवरण संख्या 2 पांचवां सत्र, 2000

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 3526/2001]

(ग्यारह) विवरण संख्या 1 छठा सत्र, 2001

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 3527/2001]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 2 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 202(अ), जो 21 मार्च, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए पैक किए हुए पेयजल को 'खाद्य' के रूप में घोषित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 3528/2001]

(2) (एक) एड्स निवारण और नियंत्रण परियोजना, चेन्नई के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) एड्स निवारण और नियंत्रण परियोजना, चेन्नई के वर्ष 1998-99 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) एड्स निवारण और नियंत्रण परियोजना, चेन्नई के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 3529/2001]

(4) (एक) राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 3530/2001]

(6) (एक) राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 3531/2001]

अपराह्न 12.01 बजे

वित्तीय समितियां-एक समीक्षा

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मैं "वित्तीय समितियां (1999-2000)-एक समीक्षा" (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.01¼ बजे

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति ग्यारहवां और बारहवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

श्री कड़िया मुण्डा (खूंटी) : महोदय, मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) और समिति की तत्संबंधी बैठकों के प्रत्येक कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति प्रस्तुत करता हूं :

(1) **सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय**—आकाशवाणी और दूरदर्शन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनके नियोजन के बारे में 8वें प्रतिवेदन (बारहवीं लोक सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई कार्यवाही संबंधी 11वां प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा)।

(2) **रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)**—दक्षिण पूर्वी रेलवे में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनके नियोजन के बारे में प्रथम प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोक सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई कार्यवाही संबंधी 12वां प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा)।

अपराह्न 12.01½ बजे

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति
चौबीसवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री कड़िया मुण्डा (खूंटी) : महोदय, मैं प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति का सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2000-2001) के बारे में 24वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.01¾ बजे

[अनुवाद]

विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति
पांचवां प्रतिवेदन

श्रीमती कृष्णा बोस (जादवपुर) : महोदय, मैं विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति (2000-2001) का विदेश मंत्रालय के वर्ष 2001-2002 की अनुदानों की मांगों के संबंध में 5वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूं।

अपराह्न 12.02 बजे

वित्त संबंधी स्थायी समिति
दसवां, ग्यारहवां और बारहवां प्रतिवेदन

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर) : महोदय, मैं वित्त संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रत्येक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :

(1) योजना मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2000-2001) संबंधी समिति के 5वें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई कार्यवाही संबंधी 10वां प्रतिवेदन।

(2) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य एवं व्यय विभाग) की अनुदानों की मांगों (2000-2001) संबंधी समिति के छठे प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई कार्यवाही संबंधी 11वां प्रतिवेदन।

(3) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) के अनुदानों की मांगों (2000-2001) संबंधी समिति के 7वें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई कार्यवाही संबंधी 12वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.02½ बजे

[हिन्दी]

गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति
सत्तरवां प्रतिवेदन

श्री लाल बिहारी तिवारी (पूर्वी दिल्ली) : महोदय, मैं निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक, 1999 पर गृह कार्य संबंधी समिति के 70वें प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.02¾ बजे

गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति
साक्ष्य

[हिन्दी]

श्री लाल बिहारी तिवारी (पूर्वी दिल्ली) : महोदय, मैं निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक, 1999 पर गृह कार्य संबंधी समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.03 बजे

[अनुवाद]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति चौरासीवां, पचासीवां, छियासीवां और सतासीवां प्रतिवेदन

श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन (शिवगंगा) : महोदय, मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(1) अंतरिक्ष विभाग की अनुदानों की मांगों (2000–2001) संबंधी 77वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की–गई कार्यवाही संबंधी 84वां प्रतिवेदन।

(2) महासागर विकास विभाग की अनुदानों की मांगों (2000–2001) संबंधी 78वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की–गई कार्यवाही संबंधी 85वां प्रतिवेदन।

(3) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग की अनुदानों की मांगों (2001–2002) संबंधी 86वां प्रतिवेदन।

(4) जैव प्रौद्योगिकी विभाग की अनुदानों की मांगों (2001–2002) संबंधी 87वां प्रतिवेदन।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आज की कार्यसूची में सूचीबद्ध नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा माना जाए।

अपराह्न 12.04 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

(एक) उड़ीसा में क्योंझर जिले के चम्पुआ, तिलकोई और ढेंकीकोट में कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर लगाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री अनन्त नायक (क्योंझर) : मैं भारत सरकार का ध्यान उड़ीसा के क्योंझर जिले में दूरदर्शन सुविधाएं तत्काल प्रदान करने की आवश्यकता की ओर दिलाना चाहता हूं। जिले के लोग समस्त दूरदर्शन कार्यक्रम नहीं देख पाते क्योंकि यह जिला उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर और झारखंड की राजधानी रांची से काफी दूर है। बिहार और उड़ीसा के इस सीमावर्ती जिले के लोग पर्याप्त दूरदर्शन सुविधाएं उपलब्ध न होने के कारण आंदोलन कर रहे हैं। जब तक झारखंड राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र चम्पुआ में, उड़ीसा में ढेंकानाल जिले के सीमावर्ती क्षेत्र तिलकोई में और घाटगांव के मा तारिणी मंदिर के निकट ढेंकीकोट में निम्न शक्ति वाला एक–एक ट्रांसमीटर नहीं लगाया जाता तब तक उस जनजाति बहुल जिले के लोग टेलीविजन सुविधाओं से वंचित रहेंगे।

इस प्रकार मैं यह मांग करता हूं कि उड़ीसा के क्योंझर जिले के चम्पुआ, तिलकोई और ढेंकीकोट में निम्न शक्ति वाले एक–एक ट्रांसमीटर की स्थापना की जाए। मैं यह भी चाहता हूं कि क्योंझरगढ़ दूरदर्शन केन्द्र का उन्नयन करके उसे उच्च शक्ति वाला दूरदर्शन केन्द्र बनाया जाए।

[हिन्दी]

(दो) पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में पेयजल की गम्भीर समस्या के समाधान के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्रीमती जसकौर मीणा (सवाई माधोपुर) : राजस्थान में लगातार तीसरी बार अकाल की गंभीर स्थिति है। पश्चिमी राजस्थान में तो इसकी भयानकता जन–जीवन को तथा प्रकृति को नष्ट कर रही है। पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों में लोग पेयजल के लिए तरस रहे हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र के 380 गांव हैं जिनमें पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या चल रही है। राजस्थान सरकार ने अभी तक भी इस संबंध में कोई समुचित प्रयास शुरू नहीं किया है। परम्परागत जल स्रोतों को गहरा कराना, मरम्मत कराना, उनके रख–रखाव में प्रत्येक जिले को 5–5 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं। उसके बावजूद भी गांव में पानी का स्तर बढ़ाने का कार्य अभी तक शुरू नहीं किया गया है। मेरे संसदीय क्षेत्र में 1487 गांवों में से केवल 40 गांवों को ही मात्र 12 लाख रुपये स्वीकृत किया है।

अतः मैं आपके माध्यम से इस समस्या के समाधान के लिए उचित पेयजल व्यवस्था कराए जाने हेतु निवेदन करती हूं ताकि मनुष्यों तथा पशुओं को पानी के अभाव में मरने से बचाया जा सके।

---

*सभा पटल पर रखे माने गए।

(तीन) राजस्थान के अलवर रेलवे स्टेशन पर और अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

डा. जसवंत सिंह यादव (अलवर) : राजस्थान में अलवर जिला एक महत्वपूर्ण जिला है। यहां प्रतिदिन हजारों व्यक्ति दूसरे जिलों से तथा अन्य पड़ोसी राज्यों से व्यवसाय एवं अन्य कार्यों के लिए रेलगाड़ी से आते और जाते हैं। अलवर रेलवे स्टेशन जर्जर अवस्था में है। इस स्टेशन पर मूलभूत सुविधाएं जैसे पानी की व्यवस्था, महिलाओं के लिए टायलेट आदि तक उपलब्ध नहीं हैं। इसके अलावा इस स्टेशन पर प्लेटफार्म की हालत टूटी-फूटी है जिससे दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। सफाई की व्यवस्था भी नहीं के बराबर है।

अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि अलवर रेलवे स्टेशन पर मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाए तथा इसके रखरखाव के लिए उचित कार्यवाही करे ताकि किसी भी दुर्घटना की संभावना को समाप्त किया जा सके।

(चार) हरियाणा में ओलावृष्टि से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने हेतु राज्य सरकार को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री रतन लाल कटारिया (अम्बाला) : हरियाणा प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में 29 व 30 मार्च, 2001 को आए वर्षा, तूफान व ओले पड़ने से प्रदेश के किसानों की फसलों की तबाही हुई है। किसानों की गेहूं की खड़ी फसल ओलों से बर्बाद हो गई है जिससे किसानों की करोड़ों रुपये की हानि हुई है।

मैं सरकार से मांग करता हूं कि हरियाणा के पीड़ित किसानों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए केन्द्र हरियाणा सरकार को विशेष आर्थिक सहायता प्रदान कराए।

(पांच) उत्तर प्रदेश में कानपुर के पनकी रेलवे स्टेशन पर और अधिक रेल सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री श्याम बिहारी मिश्र (बिल्हौर) : कानपुर में पनकी रेलवे स्टेशन एक ऐसा स्टेशन है जिसे कानपुर महानगर का उपस्टेशन बनाने की घोषणा की जानी चाहिए। पनकी स्टेशन के एक ओर विशाल पनकी औद्योगिक क्षेत्र जिसमें एल.एम.एल. लोहिया स्कूटर्स एवं चांद छाप यूरिया जैसे कारखाने हैं। दूसरी ओर इण्डियन ऑयल का स्टोर एवं विक्रय डिपो है। पनकी पॉवर हाउस और पनकी कल्याणपुर व अर्मापुर रक्षा मंत्रालय की पांच लाख की आबादी वाला रिहायशी इलाका है।

माननीय रेल मंत्री से विशेष आग्रह है कि पनकी रेलवे स्टेशन में कम्प्यूटर रेलवे आरक्षण खोला जाए तथा कानपुर स्टेशन से लखनऊ जाने वाली ई.एम.यू. ट्रेन पनकी से चलाई जाए क्योंकि पनकी कल्याणपुर आदि से सेन्ट्रल स्टेशन लगभग 10 कि.मी. पड़ता है और दैनिक यात्रियों को लखनऊ जाने के लिए सेन्ट्रल स्टेशन जाना पड़ता है। इसके बीच में छोटी लाइन के कई रेलवे स्टेशन क्रासिंग पड़ते हैं। इन गाड़ियों को पनकी से चलाने में विभाग के ऊपर कोई आर्थिक बोझ भी नहीं पड़ेगा तथा अधिक राजस्व की प्राप्ति भी होगी।

माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि अनवरगंज से फर्रूखाबाद जाने वाली छोटी लाइन पर चौबेपुर और शिवराजपुर स्टेशन के मध्य देदुपुर में एक हाट स्टेशन बनाया जाए।

(छह) उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में वन भूमि पर कृषि करने वाले अनुसूचित जातियों के लोगों को पट्टा अधिकार प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री रामशकल (राबर्टसगंज) : मेरे संसदीय क्षेत्र राबर्टसगंज जनपद सोनभद्र उ.प्र. में 80 प्रतिशत अनुसूचित तथा पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं। यह एक अति पिछड़ा जिला है, जहां भारत सरकार तथा निजी क्षेत्र की बहुत सी परियोजनाएं चल रही हैं तथा इस परियोजना से विस्थापितों को न तो उचित मुआवजा मिला है और न ही वहां की परियोजनाओं में उन्हें नौकरी मिली। पन्द्रह-बीस वर्षों से वे कृषि योग्य वन भूमि पर खेती कर रहे हैं। अभी तक भौमिक अधिकार नहीं मिला। वन विभाग धारा 20 तथा धारा 04 के अधीन पट्टा नहीं दे रहा है।

मेरी भारत सरकार से मांग है कि कृषि योग्य वन भूमि पर जो 20 वर्षों से कब्जा है, उन्हें कानून बनाकर भौमिक अधिकार तथा पट्टा दिलाने का कष्ट करें।

[अनुवाद]

(सात) उड़ीसा के ढेंकानाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल की भीषण समस्या के समाधान हेतु जल परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

श्री के. पी. सिंह देव (ढेंकानाल) : मध्य उड़ीसा में ढेंकानाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के ढेंकानाल और अंगुट जिला मुख्यालयों में नगरपालिकाओं के विस्तार और बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण पेयजल की अत्यधिक कमी हो गई है। भारत सरकार ने वर्ष 1996-97 में हुडको बित्त (ऋण) तथा राज्य सरकार की सहायता से क्रमशः 13.59 करोड़ रुपये और 15 करोड़ रुपये की दो परियोजनाओं को मंजूरी दी थी। यह कार्य उड़ीसा सीवरेज बोर्ड को सौंपा गया था।

यद्यपि ऋण राशि का कुछ भाग जनवरी, 1997 में जारी किया गया था तथापि वह परियोजना अभी तक शुरू नहीं हुई है। इन दोनों शहरों में पेयजल की स्थिति विशेष रूप से 1999 के भीषण चक्रवात द्वारा हुए विनाश जिसमें पर्यावरण और पेड़ पूरी तरह नष्ट हो गए थे, के बाद से संकटपूर्ण है। उड़ीसा सरकार संसाधनों की कमी के कारण योजना को राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता के रूप में मार्जिन राशि देने में असमर्थ है।

केन्द्र सरकार, जिसने राहत, पुनर्वास, पुनः बहाली और पुनर्निर्माण की समस्याओं से निपटने के लिए कार्य बल की स्थापना की है, से अनुरोध किया गया है कि वह भीषण जल संकट का समाधान करने के लिए इस वित्तीय वर्ष में परियोजना को शुरू करने और उसे पूरा करने में राज्य सरकार की सहायता करे।

(आठ) बिहार के बेगूसराय संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में शेखपुरा में सैनिक स्कूल खोले जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह (बेगूसराय) : मेरे बेगूसराय संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत शेखपुरा जिला में कोई सैनिक स्कूल नहीं रहने के कारण प्रतिभाशाली छात्रों को अच्छे विद्यालय का अभाव दिखाई देता है। उक्त क्षेत्र के प्रतिभाशाली छात्रों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने और रक्षा सेवाओं हेतु अच्छे प्रतिभाशाली छात्रों को तैयार करने के उद्देश्य से एक सैनिक स्कूल की स्थापना होनी चाहिए।

मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाकर शीघ्र शेखपुरा जिला में सैनिक स्कूल खुलवाने का अनुरोध करता हूं।

[अनुवाद]

(नौ) किसानों को ऋण प्रदान करने के लिए जिला सहकारी बैंक मैसूर, कर्नाटक को पर्याप्त धनराशि मंजूर करने की आवश्यकता

श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार (मैसूर) : 'डिस्ट्रिक्ट कोओपरेटिव बैंक ऑफ मैसूर' इस जिले में किसानों को ऋण सहायता प्रदान करने वाला मुख्य बैंक है। लेकिन उस बैंक की वित्तीय स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वह उस जिले में किसानों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा कर सके। केन्द्रीय कृषि मंत्रालय से अनुरोध किया गया कि वह वर्ष 1999–2000 के दौरान सहकारी रूप से अल्प विकसित राज्यों में ऋण सहकारी संस्थानों को सहायता प्रदान करने की दृष्टि से केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत नाबार्ड द्वारा स्वीकृत ऋण सीमा के अनुरूप कार्य करने हेतु बकाया राशि का उचित स्तर (एन.ओ.डी.सी.) बनाए रखने तथा इनकी वित्तीय स्थिति में सुधार हेतु डिस्ट्रिक्ट कोओपरेटिव बैंक को 50 लाख रुपये स्वीकृत करे।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह 'डिस्ट्रिक्ट कोओपरेटिव बैंक ऑफ मैसूर' हेतु यथाशीघ्र धनराशि मंजूर करे।

(दस) कर्नाटक में आलू और प्याज के उत्पादकों के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री आर. एस. पाटिल (बागलकोट) : पिछले दो–तीन माह से हुबली में अमरगोला के कृषि उत्पाद–बाजार में रोज आलू और प्याज के ढेर लग रहे हैं। वहां न तो कोई खरीददार है और न ही इन वस्तुओं का निर्यात करने की सुविधाएं हैं। आलू और प्याज उत्पादकों की स्थिति निरंतर दयनीय होती जा रही है जहां निकट भविष्य में आशा की कोई किरण नजर नहीं आती है।

ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। पिछले वर्ष भी बागलकोट, धारवाड़, गाओलग, हवेरी, बीजापुर तथा कर्नाटक के अनेक अन्य भागों में इसी तरह की गंभीर स्थिति थी। लेकिन आज तक किसानों की इस चिरस्थायी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। पिछले वर्ष कर्नाटक राज्य सरकार ने आलू खरीदे और उसका समर्थन मूल्य भी घोषित किया। इस वर्ष स्थिति अधिक गंभीर है क्योंकि आलू और प्याज गोदामों में सड़ रहे हैं।

अतः, मैं माननीय कृषि मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इस अति महत्वपूर्ण विषय की जांच कराएं। मैं, यह भी अनुरोध करता हूं कि वे आलू और प्याज के लिए तत्काल समर्थन मूल्य घोषित करें और कर्नाटक में बागलकोट, बीजापुर, हुबली, धारवाड़ तथा अन्य स्थानों में खरीद केन्द्र खोले जाएं ताकि आलू और प्याज उत्पादकों को बर्बादी से बचाया जा सके।

(ग्यारह) आन्ध्र प्रदेश में हथकरघा बुनकरों की दशा में सुधार करने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

डा. मन्दा जगन्नाथ (नगर कुरनूल) : आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार ने केन्द्र को प्रस्ताव भेजे हैं जिसमें अनुरोध किया गया है कि वह हथकरघा उत्पादों में नई और नवीनतम डिज़ाइन, तकनीकी जानकारी, आधारभूत सुविधाएं आदि शुरू करके ए.पी.सी.ओ. को पुनर्जीवित करने हेतु 21.07 करोड़ रुपये का पैकेज प्रदान करे।

सरकार बुनकरों को सहायता देने हेतु दीर्घावधिक योजना बना चुकी है जिसके अन्तर्गत लगभग 25,000 बुनकरों के लिए पेंशन मंजूर की गई है। राज्य सरकार बुनकरों की शिकायतों के निवारण

हेतु पूर्णतः वचनबद्ध है। केन्द्र सरकार को बुनकरों के लिए संभव प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा पुनर्वास उपायों का विस्तार करने में भी सहायता प्रदान करनी चाहिए क्योंकि ऋण के बोझ से दबे अनेक बुनकर आत्महत्या करने जैसे कठोर कदम उठा रहे हैं। अतः, मैं केन्द्रीय वस्त्र मंत्री से अपील करता हूं कि वे बुनकरों, विशेष रूप से आन्ध्र प्रदेश के बुनकरों के बचाव के लिए आगे आएं और तत्काल 21.07 करोड़ रुपये का पैकेज प्रदान करें।

(बारह) उत्तर प्रदेश के चित्रकूट और बांदा जिलों में ओलावृष्टि और सूखे से प्रभावित व्यक्तियों को राहत प्रदान करने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राम सजीवन (बांदा) : उत्तर प्रदेश के चित्रकूट और बांदा जिलों के कई गांवों में अभी हाल में कुछ दिनों पूर्व हुई भीषण ओलावृष्टि तथा विगत कई महीनों में बरसात न होने के कारण किसानों की खड़ी फसलें बरबाद हुई हैं तथा सूखे के कारण फसलें नष्ट हुई हैं। ओलावृष्टि तथा अनावृष्टि से ग्रामीणों में तबाही मच गई है। वर्तमान भीषण गर्मी से राहत हेतु गांवों के लोग अपने घरबार छोड़कर खाना-पानी और चारे की तलाश में मवेशी और परिवारों के साथ अन्यत्र सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं।

सूखा व ओलावृष्टि आदि दैवी आपदाओं से पीड़ित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है। लगातार बिगड़ती जा रही स्थिति को संभालने के लिए राहत कार्य चलाने, हैण्डपम्प व कुओं का निर्माण करने, छोटी-छोटी सिंचाई योजनाएं चलाने, छोटे-बड़े तालाबों को गहरा करने और बरसाती जल के संचय की व्यवस्था करने तथा लोगों को रोजगार देने व किसानों को फ्री बोर सुविधाएं देने जैसे अनेक तत्काल कदम उठाकर पीड़ितों को राहत दी जा सकती है। साथ ही साथ अल्पकालीन व दीर्घकालीन योजनाएं लागू करके अकाल और दैवी प्रकोप से पीड़ित लोगों की प्राण रक्षा की जानी चाहिए। इसके लिए राज्य सरकार को समुचित धन उपलब्ध कराया जाए।

[अनुवाद]

(तेरह) केन्द्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए गृह नगर अवकाश यात्रा रियायत बहाल किए जाने की आवश्यकता

श्री डी. वेणुगोपाल (तिरूपत्तूर) : केन्द्रीय वित्त मंत्री ने गृह नगर के लिए द्विवार्षिक तथा भारत दर्शन के लिए चार वर्ष में एक बार केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाली 'अवकाश यात्रा रियायत' पर दो वर्ष के लिए रोक लगा दी है। यद्यपि सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों पर यह नियम लागू नहीं होता है फिर भी मानवीय आधार पर इसे और अधिक लचीला बनाए जाने की आवश्यकता है। दक्षिण राज्यों तथा पूर्वोत्तर राज्य के लोग राष्ट्रीय राजधानी में सरकारी कर्मचारी हैं जहां पारिवारिक बंधन और मूल्य सांस्कृतिक तथा पारम्परिक रूप से अधिक मजबूत हैं। दो वर्ष में कम से कम एक बार उन्हें गृह नगर जाना होता है। ऐसे समय में इस रोक से केन्द्रीय कर्मचारी यथाघोषित दो वर्ष के लिए इस सुविधा से वंचित ही नहीं होंगे, वरन् वास्तव में अनेक मामलों में चार वर्ष की अवधि में केवल एक-दो बार इस सुविधा का लाभ उठाया गया है। चूंकि गृह नगर अवकाश यात्रा रियायत लेने वाले अधिकांश लोग रेल से यात्रा करते हैं इसलिए इस पर रोक लगाए बिना रेल यात्रा वारंट प्रदान करके गृह नगर अवकाश यात्रा रियायत जारी रखी जाए। इसके बाद रेलवे के घाटे की भरपाई भी की जाए।

इसलिए, मैं केन्द्र सरकार के वित्त मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय से आग्रह करता हूं कि वे सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए गृह नगर अवकाश यात्रा रियायत की सुविधा जारी रखने का उपाय करें।

(चौदह) बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में क्रीक सिंचाई पुनः शुरू करने के लिए उड़ीसा सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रभात सामन्तराय (केन्द्रपाड़ा) : उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी के तट के निकटवर्ती केन्द्रपाड़ा जिले के राजकनिका, राजनगर, ऊल तथा पाटामुंडाई क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं का पूर्णतः अभाव है। इन क्षेत्रों के कृषि क्षेत्रों की सिंचाई खारास्रोत, ब्राह्मणी तथा बैतरनी नामक नदियों की शाखों से की जा रही है। लेकिन इन शाखाओं में अब तेजी से गाद भर रही है। योजना आयोग ने गाद की समस्याओं से निपटने हेतु धनराशि का प्रावधान किया है और केन्द्र सरकार ने इस उद्देश्य के लिए 1996 में निधि का आबंटन किया था। लेकिन हाल में पड़े सूखे और अक्तूबर, 1999 में आए भीषण चक्रवात के कारण शाखाओं से सिंचाई की प्रणाली वस्तुतः निष्क्रिय हो गई है। चूंकि इन क्षेत्रों में क्रीक सिंचाई ही सिंचाई सुविधाओं के उपबंध का हल है, इसलिए मैं मांग करता हूं कि गाद निकाल के तथा स्लुइल फाटक लगाकर क्रीक सिंचाई बहाल करने हेतु धनराशि स्वीकृत की जाए ताकि सोते में आने वाले ज्वारीय जल को रोका जा सके और इसका सिंचाई उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सके।

[हिन्दी]

(पन्द्रह) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा बिहार में वैशाली में उत्खनन कार्य को पूरा किए जाने की आवश्यकता

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : बिहार के वैशाली में आजादी से पहले और बाद में भी कई बार पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई हुई। उसमें विभिन्न मूर्तियां, भगवान बुद्ध का अस्थि कलश, सिक्के, बर्तन के टुकड़े, भगवान महावीर की मूर्तियां मिलीं, जिसे कोलकाता संग्रहालय, पटना संग्रहालय और वैशाली संग्रहालय में रखा गया है।

आग्रह है कि अधूरी खुदाई को पूरा कराया जाए और अभी तक की खुदाई में मिली ऐतिहासिक धरोहरों की सूची की जानकारी दी जाए और खुदाई में मिली सामग्रियों को वैशाली संग्रहालय का निर्माण कराकर उसमें रखा जाए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब सभा 19 अप्रैल, 2001 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.05 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 19 अप्रैल, 2001/29 चैत्र, 1923 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी० एल० एस०—48/6/24/2001 (एन०)
280

© 2001 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और सनलाईट प्रिन्टर्स, दिल्ली—110006 द्वारा मुद्रित।